(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड 6] सप्तम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का सातवां दिवस [संख्या 5

बुधवार,
दिनांक 23 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक म: पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

नाम तो पुकारने दीजिये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल ।

बारां, दौसा व हनुमानगढ़ को जिला बनाना

87. श्री **रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या यह सत्य है कि बारां, दौसा व हनुमानगढ़ को जिला बनाने का मंत्रिमण्डल ने निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

राज्य मंत्री (श्री जय कृष्ण शर्मा): जी नहीं । यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

श्री **रघुवीर सिंह कौशल** : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया था, उसके बाद पहाड़िया मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया और इसके इम्पलीमेन्टेशन के लिये एक कमेटी नियुक्त की रेवन्यू बोर्ड के तत्वावधान में, क्या यह सत्य नहीं है ?

श्री **जय कृष्ण शर्मा** : यह सत्य है कि जिस समय जनता पार्टी का राज समाप्त होने जा रहा था, उस समय चार नये जिले बनाने का प्रस्ताव पास किया था । उसके बाद जब राष्ट्रपति शासन हुआ उस समय यह निर्णय हुआ कि जब नई सरकार बने तब इसके ऊपर विचार किया जाय । उसके बाद यह प्रश्न पहाड़िया जी का जो मंत्रिमण्डल था उसके सामने आया । उस समय इसके ऊपर रिपोर्ट देने के लिये एक कमेटी का निर्माण किया गया और कहा गया कि इस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । इसलिये मामला विचाराधीन है अभी तक । अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री **रघुवीर सिंह कौशल** : क्या कमेटी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया ?

श्री **जय कृष्ण शर्मा** : हां, प्रतिवेदन उन्होंने प्रस्तुत कर दिया ।

श्री **रघुवीर सिंह कौशल**: प्रतिवेदन में किन-किन जिलों की सिफारिश की गई थी ?

Page No 2

(2)

श्री जय कृष्ण शर्मा : यह सरकार के विचाराधीन है इसलिये अभी कोई उत्तर देने में असमर्थ हूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या यह सही है कि सरकार ने कोटा के कलेक्टर से सलाह लेकर सारी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, यह तय हो गया था कि जिले की घोषणा की जाये, इसके बाद राजनैतिक कारणों से इसको रोका गया है ?

श्री जय कृष्ण शर्मा : यह सही नहीं है। राजनैतिक कोई कारण नहीं है। आंकड़े मंगाना राज्य सरकार का काम है। आंकड़े तो सभी जगह से संकलित किये हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : वे क्या कारण थे कि धौलपुर को....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह !

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन सवाल मंत्री महोदय से करना चाहूंगा, एक तो उस समिति ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, वह कब मिला ?

श्री जय कृष्ण शर्मा : 8-12-81 को।

श्री नाथूसिंह : उसके पश्चात् अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा यह है, क्या यह सही नहीं है कि उस समय जो चार या पांच जिले बनाने की बात थी उसमें से कुछ को जिला बनाने की घोषणा की जा चुकी है जैसे धौलपुर, इस तरह कुछ जिले बनाने की राज्य सरकार घोषणा करके क्या राजनैतिक फायदा नहीं उठा रही है ?

जिस-जिस जिले में जब-जब बाई इलेक्शन होते हैं, मुख्य मंत्री वहां पहली मीटिंग में जाते हैं तो जिले की घोषणा करते हैं। दौसा को जिला बनाने का डिसीजन लिया था तब भी यह कहा गया था कि दौसा जिला बनेगा। अब जब दौसा में बाई इलेक्शन होने वाला है वहां अधिकारी भेजे जा रहे हैं और राजनैतिक लाभ उठाने का सोचा जा रहा है। जब चुनाव होते हैं तो घोषणा कर देते हैं। क्या यह सही नहीं है कि इस तरह राजनैतिक लाभ उठाने की प्रवृति राज्य सरकार में है ? इसलिए इनको जिला बनाने की घोषणा नहीं करना चाहती है ?

श्री जय कृष्ण शर्मा : धौलपुर की भौगोलिक स्थिति के कारण और दस्युओं के उन्मूलन को दृष्टिगत रखते हुए नया जिला बनाया गया है। भौगोलिक परिस्थितियों और डाकुओं की समस्या को और वहां के प्रशासनिक कारणों को देखते हुए उसे जिला बनाया गया है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि दौसा में भी नई पोस्ट क्रियेट की गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ए. डी. एम. और एडीशनल एस. पी. सब जगह मौजूद थे, जहां चारों जगह जिले बनाने का सवाल आया था। केवल दौसा में ही नहीं थी इसलिये दौसा में यह पोस्ट क्रियेट की गई है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया, चार जिले बनाने का प्रश्न था और दौसा में एडीशनल

Page No 3

(3)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
एस. पी. नहीं था इसलिये लगाया गया तो माननीय मंत्री महोदय के कथन के अनुसार क्या यह निश्चित है कि चार जिले बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन चला आ रहा है ? नाथूसिंह जी ने यह कहा कि राजनैतिक आवश्यकता पड़ी तो धौलपुर जिला बना और अब दौसा का नम्बर है। आपने यह भी बताया कि 8-12-81 से प्रतिवेदन पड़ा है, उसके बाद राजनैतिक आवश्यकता हुई तब प्रक्रिया शुरू हुई। तो क्या बारां को भी उसी दृष्टि से देखा जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी पूरक प्रश्न पहले पूछ लिये जांय उसके बाद सबका उत्तर आ जाय।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : कमेटी ने जो प्रतिवेदन पेश किया क्या उसमें दौसा, बारां और हनुमानगढ़ को जिला बनाने की सिफारिश की गई थी ?

श्री बाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : क्या यह सही है कि कमेटी ने बारां जिले को सबसे महत्वपूर्ण जिला माना है और प्राथमिकता के तौर पर एक, दो, तीन, चार में प्रथम आवश्यकता बारां को दी गई है ?

एक माननीय सदस्य : क्या दौसा को बाई इलेक्शन से पूर्व जिला बनाया जायेगा ?

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या यह सही है कि चितौड़गढ़, जो आजादी के पहले भी एक स्वतन्त्र जिला था, को भी जिला बनाने का प्रस्ताव किया था ? तत्कालीन विधि मन्त्रीजी, जो अभी वित्त मन्त्री जी हैं, ने प्रतापगढ़ के लिये भी घोषणा की थी। अध्यक्ष महोदय, महज प्रतापगढ़ को इसलिये जिला नहीं बनाया जा सकता है चूंकि वहां के विधायक बी. जे. पी. के विधायक हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश।

राजस्व मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): अध्यक्ष महोदय, राज्य मन्त्री जी ने स्थिति काफी स्पष्ट कर दी है। प्रारम्भ में जनता पार्टी शासन काल में पांच जगह के जिले बनाने पर विचार हुआ। उस वक्त कोई फैसला नहीं लिया गया था कि जिले बना दिये जांय। इसके लिये एक कमेटी के गठन की राय दी गई थी। उसके पश्चात् जब गवर्नर रूल यहां हुआ उस समय इस प्रश्न को पेन्डिंग रखा गया, यह कहा गया कि नया मंत्रिमण्डल आयेगा तब विचार कर लिया जायगा। ज्योंही सरकार बदली और नये मंत्रिमण्डल का गठन हुआ तत्कालीन सरकार ने यह फैसला लिया कि जो कमेटी गठित की गई, उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाय, उस पर विचार किया जायगा। उसके पश्चात सरकार में एक परिवर्तन आया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक जिला धौलपुर का गठन किया गया है। जैसा अभी बताया गया, भौगोलिक परिस्थिति और दस्युओं की समस्या के उन्मूलन और आवश्यक प्रशासनिक कारणों की दृष्टि से इसको देखा गया है।

जिला बनाने में कहीं भी किसी प्रकार का राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं रहा। यह मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना

Page No 4

(५)

(श्री हीरालाल देवपुरा)
चाहता हूं कि इन जगहों के साथ कोई भेदभाव न होगा । पांच जगह जिले बनाये जायें, उस समय यह चर्चा चली थी।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : और भी है । ब्यावर का भी चल रहा है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रश्न इस समय सारे राजस्थान में जिलों का नहीं है, प्रश्न सीमित है ।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी: अब तक क्या कार्यवाही हुई उस सम्बन्ध में ? ब्यावर का महत्व कम नहीं है।

श्री हीरा लाल देवपुरा : जब समय आये तब कहें, इस समय सीमित प्रश्न है । उसके लिये मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : राज्य सरकार उस पर कब विचार करेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह प्रश्न जब आयेगा, तब इस प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा । किसी प्रकार के राजनैतिक दृष्टिकोण से जिलों का निर्माण करने का प्रश्न नहीं है। यहां यह प्रश्न उठा कि चुनाव के समय इन जिलों की घोषणा की जायेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार के दिमाग में राजनैतिक लाभ उठाने के लिये, जिला बनाने के बारे में कोई घोषणा करने का विचार उत्पन्न ही नहीं होगा । इस वक्त दौसा के अन्दर एडीशनल कलेक्टर और एडीशनल एस. पी. के पद की जो घोषणा की गयी है और उसकी अनुमति दी गयी है उसका कारण महज यह है कि इन पांच जगह में से, 4 में यह पद एडीशनल कलेक्टर और एडीशनल एस. पी. के पहले से हैं जिनमें से एक जिला बन चुका है इसलिए दौसा के महत्व को देखते हुए ही यह घोषणा की गई है। यही सोचकर इन पदों की घोषणा की गई है । इसमें कोई भेदभाव नहीं बरता गया है ।

जहां तक प्रतापगढ़ को जिला बनाने का प्रश्न है, उसमें तो इसकी चर्चा नहीं थी। किसी ने मंत्री के रूप में या विधायक के रूप में कोई बात कही है तो राज्य सरकार के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी नहीं पड़ती । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल....

श्री नाथू सिंह : मंत्रिमण्डल के एक वरिष्ठ सदस्य ने यह बात कही है ।

श्री हीरा लाल देवपुरा : जहां तक यह सवाल है कि बारां को नम्बर एक दिया या कमेटी ने अपनी क्या रिपोर्ट दी है, उन चीजों को मैं सदन के समक्ष रखने में असमर्थ हूं क्योंकि राज्य सरकार उस पर विचार कर रही है । जब इस सम्बन्ध में फैसला हो जायेगा तो फैसला होने के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जायेंगी । सरकार की निगाह में बारां, दौसा या हनुमानगढ़ कोई भी स्थान हो, कहीं पर भेद भाव नहीं है, सरकार हरएक के महत्व को मानती है । सरकार उचित समय पर निर्णय लेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथू सिंह : मन्त्रिमण्डल कब तक इस बारे में निर्णय ले लेगा ?

श्री राज बहादुर (भरतपुर): मैं जानना चाहता हूं कि धौलपुर जिले की घोषणा और उसका निर्माण धौलपुर उप-चुनाव से कितने दिन पहले किया गया था ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न ।

श्री राज बहादुर : बार-बार दोहराया है तो गलत दोहराया है। धौलपुर जिले की घोषणा धौलपुर उप-चुनाव से कितने दिन पहले हुई थी ?

श्री नन्द लाल मीणा : डकैतियों का कारण बताया गया है तो जिला बनने के बाद डकैतियां क्यों बढ़ गयीं धौलपुर में ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : और दौसा में डकैतियों का औसत ज्यादा हुआ । धौलपुर से ज्यादा औसत है ।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : मन्त्री महोदय, जिला बनाने के लिए कितने डाकू होने चाहिए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन में जो निर्णय लिया गया था, क्या उस निर्णय में वर्तमान सरकार ने कोई परिवर्तन किया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : परिवर्तन मैंने तो यह कहा कि राज्य सरकार ने कोई निर्णय लिया ही नहीं है । परिवर्तन करने का प्रश्न ही कहां पैदा होता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस निर्णय में तो कोई परिवर्तन नहीं किया है, यह स्पष्ट करें ।

श्री हीरा लाल देवपुरा : और क्या स्पष्ट करू । स्पष्ट कर चुका ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट यह है कि माननीय मन्त्री महोदय जरा फाइल को देख लें । उसके दो भाग हैं । एक तो 4 स्थान पर जिला बनाया जाय, यह निर्णय लिया गया । इस निर्णय को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया गया, उस इम्प्लीमेन्टेशन में रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था ।

श्री अध्यक्ष : निर्णय कब लिया था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने लिया था ।

श्री अध्यक्ष : कौनसी तारीख को ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फाईल मेरे पास हो तो मैं तारीख भी बता दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी राज्य मन्त्री जी ने कहा, जाते जाते, मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि·····

श्री जयकृष्ण शर्मा : जाते–जाते ।

श्री भैरों सिंह शेखावत: जाते-जाते आप भी निर्णय लेते गये थे और हमने उस को लागू किया था·····

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने लागू नहीं किया था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने लागू किया है ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : स्कूलों वाला हुआ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जी हां। जो अच्छे निर्णय आपने लिये, उनको हमने लागू किया ।

श्री जकक्रुष्ण शर्मा : स्कूल खोलने का गलत निर्णय है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जितने हमने स्कूल खोले . . . .

राज्य मन्त्री पशुपालन : (श्री श्रीराम गोटेवाला) :—स्कूल डिस्पेन्सरी आदि के जितने भी निर्णय थे सब निर्णय आपने वापस ले लिये ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: आपके खुद के निर्णय, आने वाले मन्त्री ने ही नहीं माने। आपने लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट के मिनिस्टर की हैसियत से जो निर्णय लिये, वह प्रद्युम्न सिंह जी ने नहीं माने। माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णय चाहे किसी भी समय लिया हो, एक विधि सम्मत बनी हुई सरकार ने एक निर्णय लिया था,····

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : जाते-जाते ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : जाते जाते लिया या आते-आते लिया, इसका सवाल नहीं है । मैं एक ही जानकारी करना चाहता हूं कि जो निर्णय जनता सरकार ने 4 नये जिले बनाने का लिया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है ? केवल क्वेश्चन इतना सा है ।

श्री **हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि अभी सरकार ने कोई निर्णय लिया ही नहीं है तो परिवर्तन का प्रश्न ही कहां पैदा हो गया । निर्णय तभी लागू होगा जब निर्णय होगा ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : निर्णय कौन-सा आपकी सरकार का···

श्री **हीरालाल देवपुरा** : आपने कोई डेफिनेट निर्णय ले लिया था ? ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया कैबिनेट ने। आपका एक प्रस्ताव था जिसके अनुसार इसको एक समिति को सौंपा गया था कि क्या कारण हैं···

श्री **राजबहादुर** : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपने धौलपुर के उप-चुनाव से पहले कब घोषणा की ?

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : क्या यह सही है समिति ने, आपके रेवेन्यू बोर्ड के चैयरमेन ने जिस प्रकार के सुझाव दिये हैं, उनके अनुसार धौलपुर को तो जिला बना दिया और जिस समय धौलपुर को जिला बनाने का निर्णय लिया था, उस समय यह भी निर्णय लिया था कि तत्काल बाकी के स्थानों को भी जिला बना दिया जाय ? पहाड़िया जी के समय में भी यह सोचकर कि वित्तीय संकट क्या हो सकता है उसके लिए रेवेन्यू बोर्ड के चैयरमेन की अध्यक्षता में एक समिति बना दी ताकि सरकार को वह अपनी राय दे सके···

श्री **हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है ।

श्री **नानालाल** (राज समन्द) : मेरा भी प्रश्न है ।

श्री **हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि कमेटी ने निर्णय लिया हो, उसके आधार पर धौलपुर को जिला बनाया गया हो। धौलपुर जिला बनाने के लिए कारण बता दिये । दूसरी बात, इन सब बातों पर तत्काल बहुत जल्दी विचार कर लिया जायेगा, यह स्थिति भी नहीं थी । कमेटी ने कई तरह की बातें सुझाई थी । कई तहसीलों को भी जिला बनाने के प्रस्ताव आये हुए हैं । जिलों का स्वरूप क्या हो या क्या नहीं हो, यह सब बातें थीं उसमें ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री **नानालाल** ।

श्री नाना लाल : घोषणा 5 जिले बनाने की हुई, उसमें से 2 जिले बन गये, 3 बाकी हैं, क्या राजसमन्द ....

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 जिलों की बात की है, मैंने तीन की बात नहीं की है। मैंने चार की बात की है, 3 की नहीं।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार धौलपुर की तरह आदिवासियों की सुविधा को देखते हुए सलूम्बर को जिला कायम करना चाहती है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जिलों के री-आर्गेनाइजेशन का प्रश्न सामने नहीं है। जब सारे जिलों का प्रश्न सामने आयेगा तब इसके ऊपर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया, स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री नाथूसिंह : देश के बाई इलेक्शन के पहले ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय जा रहा है, बहुत से माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

श्री रघवीरसिंह कौशल : सरकार जान बूझकर 2 साल से प्रतिवेदन को लिए हुए बैठी है, ध्यानपूर्वक काम नहीं कर रही है तो जितनी डाकों की घटनाएं हो रही हैं, जातिवाद की घटनाएं हो रही हैं, वह बढ़ती चली जायेंगी, कोटा का जीवन अस्तव्यस्त हो जायेगा, जब तक वह जिला नहीं बनेगा।

बारां ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया में काम नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

कृपया, बैठ जावें। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, यह बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। राजनैतिक दृष्टिकोण से बारां को जिला नहीं बनाया जा रहा है। तीन-तीन साल हो गए लेकिन बारां को जिला बनाने की घोषणा नहीं कर रहे हैं। तीन-तीन साल से विचार हो रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, सन् 1981 में निर्णय हुआ, और 1983 चल रहा है। इससे स्पष्ट रूप से ज़ाहिर होता है कि राजनैतिक भेद-भाव की नीति अपना कर बारां को जिला नहीं बनाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : क्या दौसा के बाई इलेक्शन का लाभ उठाने के लिए इन्तजार कर रहे है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया,

Page No 8

(8)

(श्री अध्यक्ष)

स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री **नाथूसिंह** : दौसा का जब बाई.इलेक्शन होगा, तब दौसा को जिला बनाया जाएगा, क्या दौसा के बाई इलेक्श के पहले घोषण नहीं करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं और **प्रश्नों** की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री **रघुवीर सिंह कौशल** : XXX

श्री **दाऊ दयाल जोशी** : XXX।

श्री **नन्दलाल मीणा** : XXX

श्री **अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो। बैठ जावें। अगला प्रश्न, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री **अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

कृपया, बैठ जावें माननीय सदस्य।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। बैठ जावें। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री **अध्यक्ष** : मुझे बाध्य नहीं करें, माननीय सदस्य। कृपया, बैठ जावें। व्यर्थ में समय जाया कर रहें हैं, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो।

श्री **नन्दलाल मीणा** : XXX

श्री **दाऊदयाल जोशी** : XXX

श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : XXX

श्री **नाथू सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की आदत है कि जहां चुनाव होता है वहीं घोषणा करते हैं। दौसा में जब चुनाव होगा तब घोषणा करेंगे ••

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। बैठ जावें। मुझे बाध्य नहीं करें; माननीय सदस्य।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठ जावें। माननीय सदस्य।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री **अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है। मैं नाम से सम्बोधित करता हूं। बैठ जावें।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर, प्लीज बैठ जावें।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, हमको जनता पूछती है, हम उनको क्या जवाब दें।

श्री **अध्यक्ष** : बैठ जावें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री **नन्दलाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, सलूम्बर आदिवासी इलाका है••

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 9

(9)

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से सम्बोधित करता हूं।

श्री वाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह भावनाओं का प्रश्न है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जावें। मुझे बाध्य नहीं करें, माननीय सदस्य.....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जनता की बात को यहां नहीं कह सकता, तो मैं वाकआउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे साथ अन्याय है....

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री वाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह अन्याय है। मैं भी वाकआउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, बारां जिला नहीं बना कर, सरकार राजनैतिक भेद-भाव कर रही है....

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से संबोधित करता हूं। आर्डर प्लीज।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

व्यवस्थापकों का प्रशिक्षण

88. श्री बालचन्द आर्यवीर (डूंगरपुर) एवं श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की व्यवस्था देखने हेतु कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया ? कृपया, जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण जनता की उचित ढंग से सेवा कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो विभाग को किस-किस व्यवस्थापक की, कहां कहां से शिकायत प्राप्त हुई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सहकारिता मंत्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की व्यवस्था देखने हेतु 3520 प्रशिक्षित व्यवस्थापक कार्यरत हैं। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। फिर भी यदि किसी व्यवस्थापक के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक उन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हैं। क्योंकि व्यवस्थापकों पर नियन्त्रण उन्हीं का है।

किस किस व्यवस्थापक को, कहां-कहां से विभाग को शिकायत प्राप्त होने एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई, इसका उत्तर देना संभव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के भाग (2) में हमने प्रश्न पूछा है....

Page No 10

श्री अध्यक्ष : जवाब विस्तृत है जिसकी जानकारी नहीं दी जा सकती ।

श्री अनंग कुमार जैन : राज्य सरकार कोआपरेटिव को मूवमेंट मानती है.....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लें। एक पंचायत समिति या एक जिले के बारे में पूछ लें ।

श्री अनंग कुमार जैन : हमारे प्रश्न पूछने का मतलब यही है कि इन व्यवस्थापकों द्वारा राजस्थान के अन्दर कोआपरेटिव मूवमेंट में जगह-जगह भ्रष्टाचार किया जा रहा है ....

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री अनंग कुमार जैन: जिनमें लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है ऐसी ऐसी कोआपरेटिव सोसायटी हैं ।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, पूरक प्रश्न पूछें।

श्री अनंग कुमार जैन : प्रश्न पूछने का मतलब क्या है, सरकार के पास साधन हैं, अपने साधनों के माध्यम से जानकारी मंगा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री अनंग कुमार जैन : यह जनहित का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, जनहित का है।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या उनके पास ऐसी सूची है कि विभिन्न जिलों में किन-किन व्यवस्थापकों के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई ?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब दे दिया है ?

श्री अनंग कुमार जैन : नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : किसी जिले के बारे में पूछ लेते, पंचायत समिति के बारे में पूछ लेते । पूरे राजस्थान में कितने व्यवस्थापकों के खिलाफ क्या क्या शिकायत प्राप्त हुई, इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : अगर मंत्री जी के पास सूचना है तो बतानी चाहिये । क्या झालावाड़ जिले में व्यवस्थापकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हनुमान प्रभाकर : माननीय सदस्य ने न तो साल दिया, किस साल में कितनी शिकायत प्राप्त हुई, न आपने कोई जिला दिया । मुझसे आप कितने साल की जानकारी चाहते हैं ? झालावाड़ जिले को आप एक साल की, दो साल की, तीन साल की चाहते हैं, कोई अवधि की जानकारी नहीं पूछी । आपने जनरल पूछ लिया, अब तक विभाग को क्या-क्या शिकायत प्राप्त हुई और उस पर क्या-क्या कार्यवाही हुई, मेरे लिये इसका जवाब देना सम्भव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विभिन्न कोआपरेटिव सोसायटीज विशेष कर भरतपुर की कोआपरेटिव सोसायटी के व्यवस्थापक के विरुद्ध सन् 80 से पहले जो जांच चालू की गई थी.....

Page No 11

11

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका आश्वासन भी पिछले सैशन में मिला था।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री यदुनाथ सिंह : पिन पाइन्ट जवाब मिलना चाहिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में अलग प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : अलग प्रश्न आता नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों है। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न यहां पर आते हैं। उनको हमारे सचिवालय के स्तर पर देखा जाता है, संशोधित किया जाता है। उनके बारे में यदि पूछना करना है, उनमें कोई त्रुटि रह जाती है तो माननीय सदस्य से बात करके, पूरी कर ली जाती है। उसके बाद कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है जिसमें..

(व्यवधान)

विस्तृत सूचना माननीय सदस्य द्वारा चाही जाती है, जो सूचना एकत्रित करनी मंत्री महोदया, राज्य सरकार के लिये संभव नहीं होता है। साथ ही साथ कई बार आसन से व्यवस्था दी गई है कि प्रशासनिक विभाग को चाहिये कि हमारे यहां से कोई ऐसा प्रश्न चला जाय जिस पर उनका यह मत हो कि इस में अति विस्तृत जानकारी चाही गई है तो प्रश्न ज्यों ही उनके सचिवालय को प्राप्त हो, हमें वापस सूचित कर दें इस प्रकार की विस्तृत सूचना चाही है, इसमें अधिक समय लगेगा, अधिक व्यय होगा, तो हमारा काम आसान हो जायगा, हम दुबारा उसको संशोधित कर सकते हैं, माननीय सदस्य की राय ले सकते हैं और उस प्रश्न को छापने हेतु ही न भेजें। कठिनाई तब खड़ी हो जाती है जब किसी प्रश्न में विस्तृत जानकारी चाही गई हो और राज्य सरकार की कोई ऐसी आपत्ति नहीं आये कि जानकारी देना कठिन होगा। वह प्रश्न छप जाता है, उसके बाद सूचना आती है तो आज जैसी स्थिति पैदा हुई है वैसी स्थिति पैदा हो जाती है। हम सतर्कता बरतते हैं, विस्तृत जानकारी जिन प्रश्नों के माध्यम से माननीय सदस्य ने चाही है इस तरह के प्रश्नों को संशोधित करते हैं, परिवर्तित करते हैं, माननीय सदस्य की मूल भावना ध्यान में रखते हुए। सब कुछ बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी इस तरह के प्रश्न, कोई ना कोई आगे चले जाते हैं, छप जाते हैं और आज जैसी स्थिति पैदा हुई है वैसी हो जाती है। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि प्रश्न पूछें तो सीमित दायरे में। आप मन में इस बात पर विचार कर लीजिये। आपको काफी लम्बा अनुभव है, आपकी जानकारी भी सभी क्षेत्रों की काफी बड़ी है लेकिन एक बात का ध्यान रखें, प्रश्न जो पूछें, प्रश्न के माध्यम से जो जानकारी चाहें वह सीमित जानकारी होनी

Page No 12

(12)

(श्री अध्यक्ष)
चाहिये, ताकि अल्पकाल में प्रश्नकाल के माध्यम से हम समस्याओं को हल कर सकें। सरकार से मेरा अनुरोध है कि उनको किसी प्रश्न के बारे में आपत्ति हो तो ज्यों ही सचिवालय में प्रश्न जाय तत्काल ही उसके बारे में हमारे सचिवालय का ध्यान आकर्षित कर दें, इसमें जानकारी बहुत ही विस्तृत चाही गई है। यह प्रश्न है, इसमें आपने देखा होगा, कई वर्ष की जानकारी चाही है। पूरे राजस्थान में प्रत्येक कोआपरेटिव सोसायटी के मैनेजर के विरुद्ध क्या-क्या कब कब शिकायतें आई ? आप जानते हैं, बहुत ही लम्बा चौड़ा प्रश्न है। मैं समझता हूं, आगे इस तरह माननीय सदस्यों और राज्य सरकार को कार्य करना चाहिये कि इस अल्प अवधि में समस्याओं को हल कराने का हमारा माध्यम है इसका सही सदुपयोग हो।

अब मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं।

श्री मेघराज तावड़ : (गोगुन्दा) : एक सप्लीमेंट्री।

श्री अध्यक्ष : अब मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री मेघराज तावड़ : एक सप्लीमेंट्री ?

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंट्री की इजाजत नहीं दूंगा। दो ही प्रश्न अब तक हुए हैं।

श्री रतनाराम चौधरी।

श्री अनंग कुमार जैन : महत्वपूर्ण मामला है।

एक माननीय सदस्य : बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण मामला है, सोना कीमती है, लेकिन टनों मिट्टी में मिला दें तो आसानी से नही निकलेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न को उचित माध्यम से पूछना चाहिये, तभी उसका उत्तर आ सकता है।

प्रश्न संख्या 89

श्री रतना राम चौधरी।
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हरिसिंह, विभाजन संख्या 193

कुम्हेर क्षेत्र में सड़क का निर्माण

90. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भरतपुर के कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1-6-1980 से अब तक कितनी नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है?

(2) क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र में सरकार नई सड़कें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : एक नई सड़क की स्वीकृति दी गई है।

(2) 1-6-1980 के पश्चात् उपरोक्त सड़क के अलावा, 3 अन्य सड़कों की स्वीकृति राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से दी गई है, जिनका कार्य प्रगति पर है। इनके अलावा किसी अन्य सड़क की योजना अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग के विचाराधीन नही है।

Page No 13

(13)

श्री हरिसिंह : कौनसी नयी सड़कें की स्वीकृति दी है, 1-6-80 के पश्चात्?

श्री चैतराम मीणा : कुम्हेर से पपरेरा के लिये स्वीकृति दी गई है।

श्री अध्यक्ष : कितने लाख की सड़क है ?

श्री हरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय गलत फर्मा रहे हैं, कुम्हेर से पपरेरा नयी सड़क की जो आप बात कर रहे हैं, वह गलत इन्फार्मेशन दे रहे हैं।

श्री चैतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर से पपरेरा की स्वीकृति 17-8-81 को दी गई है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह 1-6-80 के पश्चात् स्वीकृत सड़कों का पूछा है। यह सड़क इस श्रेणी में आती है।

श्री हरिसिंह : यह पुरानी सड़क गांगरोली, भटावली, पपरेरा के नाम से थी, उसके दो पार्ट थे। कुम्हेर से पपरेरा सड़क पुरानी सैक्शन्ड थी।

श्री चैतराम मीणा : माननीय सदस्य कह रहे हैं पुरानी सैक्शन्ड थी। उस सड़क के द्वारा कुम्हेर से पपरेरा को मिलाने की योजना थी। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं गांगरोली-भटावली-पपरेरा के बीच बहुत बड़ा बांध आता है, पानी भी वहां पर रुकता है। इसलिये इस योजना को ड्राप कर दिया गया था। यह सड़क इससे 20 किलोमीटर है, कुम्हेर से पपरेरा की नयी सड़क का प्रस्ताव किया गया और वह बनायी जा रही है।

श्री हरिसिंह : पूर्व में गांगरोली, भटावली-पपरेरा के नाम से जो सड़क सैक्शन्ड थी, उसमें कुम्हेर से पपरेरा भी सैक्शन्ड थी।

श्री चैतराम मीणा : जो गांगरोली पपरेरा वाया भटावली सड़क थी वह कुम्हेर से भटावली सड़क थी। जिससे डाइरेक्ट कुम्हेर से पपरेरा को जोड़ा गया है, वह सड़क भटावली से 3 किलो मीटर थी। अब इस सड़क में कई गांव आते हैं। पहले सड़क थी गांगरोली पपरेरा वाया भटावली उसके बाद इस सड़क की 28 लाख की योजना सरकार ने स्वीकृत की है।

श्री हरिसिंह : इसके अलावा और कौन सी नई सड़क सेंक्शन की है ?

श्री यदुनाथ सिंह : पहले इस सड़क को गांगरोली से जोड़ने का प्रस्ताव था तो अलाइनमेंट पहले क्यों नहीं बदला ? इसका कौन जिम्मेदार है ?

श्री चैतराम मीणा : इस सड़क का एस्टीमेट बना कर सेंक्शन जरूर हुई थी लेकिन आगे काम नहीं हुआ। जब देखा गया कि यहां बारिश में पानी आता है...

श्री यदुनाथ सिंह : तो यह पहले क्यों नहीं देखा गया ? वहां बान्ध क्या आज बनाया है, बान्ध तो दो साल पहले से बना हुआ है। यह अलाइनमेंट कैंसिल कर दिया, मिट्टी बरबाद हो गई, उसका कौन जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। अब इजाजत नहीं दूंगा। बहुत हो गया।

अलवर डिपो के अन्तर्गत क्रियाशील बसें

91. श्री शीतमल जैन (अलवर) :

(श्री जीतमल जैन)
क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) अलवर सम्भाग में कुल कितनी बसें कार्यरत हैं और उनमें अनुबंधित कितनी हैं ? कृपया, पृथक पृथक सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) निगम की कितनी बसों (अनुबंधित बसों को छोड़ कर) में खिड़कियों में शीशे या पर्दे नहीं है ? कृपया, बसों के नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या निगम की इन बसों में शीशे या पर्दे लगाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक योजना को पूर्ण करने का विचार है ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) अलवर संभाग में कुल 290 वाहन कार्यरत हैं। इनमें अनुबंधित 23 वाहन हैं। निगम के स्वयं के वाहनों एवं अनुबंधित वाहनों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) निगम की 72 बसों की कुछ खिड़कियों में शीशे-पर्दे नहीं है । बसों के नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) टूटे हुए शीशे की जगह जहां जहाँ संभव व आवश्यक हुआ वहां पर चद्दरें लगा दी गई हैं व इस बात के पूर्ण प्रयत्न किये जा रहे है कि विभिन्न साइज के शीशे जल्द से जल्द मंगा कर प्राथमिकता के आधार पर अलवर संभाग को सप्लाई कर दिये जावें ।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 2 देखें)

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, इतनी बसों के शीशे टूटने के क्या कारण हैं और.........

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो आन्दोलन चला स्कूलों को लेकर उस वक्त बहुत सारे शीशे तोड़ दिये गये.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य ।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, लगभग 40 प्र. श. बसों के शीशे टूटे हुए हैं। यह जो सूची दी गई है यह सही नहीं है । क्या माननीय मंत्री महोदय, टूटे हुए शीशे वाली बसों का किराया कम करेंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह कौन सी बात हुई किराया कम करने की । शीशे टूट जाते हैं उनका रीप्लेसमेंट करने में समय तो लगता ही है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें ।
अगला प्रश्न, श्री गोपाल पचेरवाल ।

कोटा डिवीजन में मेहतरों हेतु भवनों का निर्माण

92. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

कोटा डिवीजन की किन-किन नगरपालिका या नगर परिषद् की भूमि पर समाज कल्याण विभाग द्वारा दिये गये अनुदान अथवा ऋण से मेहतरों के लिये

(श्री गोपाल मेहरवाल)
भवन निर्माण कराये गये है ? क्या इन भवनों की भूमि के आवंटी मेहतरों को पट्टे दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या इनके निःशुल्क नियमन की कार्यवाही की जा रही है ?

उपमंत्री, ऊर्जा (श्री छोगाराम बाकोलिया): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्वायत्त शासन मंत्री जी से संबंधित है जो गलती से हमारे पास आ गया है। कृपया, इसको स्थगित करने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। अगला प्रश्न।

सीलिंग से अधिशेष भूमि का आवंटन

93. श्री रंग जी मीणा (सपोटरा), व श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में कृषि भूमि की अधिकतम सीमा (लैण्ड सीलिंग) के कानून कब से लागू हैं और इनके तहत दिनांक 31-3-82 तक प्रति वर्ष कितना कितना क्षेत्रफल राज्य को प्राप्त हुआ है ?

(2) लैण्ड सीलिंग से प्राप्त भूमि को किस वर्ग के कितने कितने लोगों को बांटा गया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय सरकार ने इन कानूनों को राज्य में सही ढंग से लागू करने की मंशा व नियत पर शक प्रकट करते हुए इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देते हुए सन् 1985 तक सभी अतिरिक्त भूमि प्राप्त वितरण करने के निर्देश दिये हैं ?

(4) यदि हां, तो राज्य सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से संबंधित सूचना अभी तैयार नहीं हुई है। कृपया इसको स्थगित करें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जान बूझ कर प्रश्न स्थगित करवा रहे हैं। इनके पास सारी सूचना है, 1982 अंतिम वर्ष में केन्द्रीय सरकार को लैण्ड सीलिंग के मामलों में ग्रामीण विकास विभाग ने राजस्व विभाग से लेकर सारी सूचनाएं उपलब्ध करवाई हैं जिस पर केन्द्रीय सरकार से इनको कहा गया कि यह सारी सूचना असत्य है, लैण्ड सीलिंग के मामलों के लिये स्पेशल कोर्टस स्थापित किये जायं। यह कैसे मान लें कि इनके पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने स्थगित करने की व्यवस्था दे दी। अब सभी सूचनाएं आ जायेंगी, माननीय मंत्री जी का यही कहना है।

अगला प्रश्न। श्री हेमाराम।

पंचायत समिति, बायतू का विद्युतीकरण

94. श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी ने बाड़मेर जिले के दौरे के समय जिला

Page No 16

(श्री हेमाराम चौधरी)
अधिकारियों की बैठक में बायतू पंचायत समिति को जून, 1982 तक बिजली से जोड़ने का आश्वासन दिया था ? यदि हां तो उक्त आश्वासन की पालना क्यों नहीं की गई ?

(2) क्या सरकार पंचायत समिति, बायतू का मार्च, 1983 तक विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां, विद्युत मण्डल कर्मचारियों की लंबी हड़ताल व सामान की उपलब्धि समय पर न हो पाने आदि कारणों से बायतू पंचायत समिति मुख्यालय का विद्युतीकरण जून, 1982 तक नहीं किया जा सका।

(2) पंचायत समिति मुख्यालय बायतू का विद्युतीकरण दिनांक 19 फरवरी, 1983 को किया जा चुका है ।

श्री हेमाराम चौधरी: यह 33 के.वी. या 11 के.वी. किस लाइन से जोड़ा गया है और किससे प्रस्तावित था ?

श्रीमती कमला: 11 के.वी. से जोड़कर इसका विद्युतीकरण किया गया है।

श्री हेमाराम चौधरी : यह 33 के.वी. लाइन से क्यों नहीं जोड़ा गया ? आगे भी गांव पद सिंह तक 55 कि.मी. लाइन और जायेगी जिसका इस वित्तीय वर्ष में प्रावधान है इसलिये इसको आप 33 के.वी. से जोड़ेंगे या नहीं ?

श्रीमती कमला : जरूर जोड़ेंगे ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : क्या इसमें भी कोई फाइनेंस की कमी थी?

श्रीमती कमला : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री हेमाराम चौधरी : इस लाइन से आपने कितने विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिये ?

श्रीमती कमला : यह लाइन 19 फरवरी को ही जोड़ी गई है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगी कि यहां कौन सी लाइन प्रस्तावित थी ? क्या 11 केवी. से जोड़ कर केवल फार्मेलिटी पूरी की गई ?

श्रीमती कमला : बायतू का विद्युतीकरण करने के लिये 33 के.वी. का प्रावधान था ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या फार्मेलिटी की गयी है।

श्री अध्यक्ष : सदन की बात रख ली है।

अगला प्रश्न । श्री महावीर प्रसाद।

जिला टोंक में बाढ़ से क्षति

95. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में 1981 की बाढ़ के कारण कुएं, जमीन आदि का बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बाढ़ से पीड़ित बहुत लोगों के नाम जल्दी सर्वे के कारण चयनित सूची में नहीं आये हैं और ऐसे लोगों ने जिलाधीश एवं राजस्व

(श्री महावीरप्रसाद जैन)
अभियान के समय भी संबंधित अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक रूप में अपने हुये नुकसान के बारे में अवगत करवाया है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे पीड़ित लोगों के बारे में पुन: सर्वे करवा कर उन्हें राहत पहुंचाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

अकाल राहत मंत्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) जी हां।

(2) सितम्बर, 1982 में इस प्रकार की कुछ शिकायतें जिलाधीश को प्राप्त हुई थीं कि कुछ व्यक्तियों के नाम बाढ़ पीड़ितों के सर्वे होकर बनाई गई सूची में आये, परन्तु बाढ़ की यह क्षति वर्ष 1981 की थी अत: इतने विलम्ब से प्रस्तुत की गयी शिकायतों के आधार पर पुन: सर्वे कराना जिलाधीश ने उचित नहीं समझा। अब इतने विलम्ब से दुबारा सर्वे कराने का न तो कोई औचित्य ही है और यदि अब कोई सर्वे पुन: करवाया जावे तो उसे सन् 1981 में हुई बाढ़ से क्षति की सही जानकारी मिल भी नहीं सकती है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि पहले जिला विकास अभिकरण ने लिस्ट बनायी थी उसके बाद सितम्बर में शिकायत जाने के बाद दूसरी लिस्ट बनायी गयी थी एक तहसील के द्वारा और एक जिला विकास अभिकरण के द्वारा उन दोनों में काफी फर्क है, पहली में कुछ नाम हैं तो दूसरी में नहीं है और दूसरी में है तो पहली में नहीं है, अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं, इसके लिये कायत की गयी थी? क्या कोई उस पर जांच की गयी ताकि जिनके नाम रह गये हैं उनके नाम जोड़ें जायं और जिनको जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया है उनके नाम जोड़े जायं?

श्री हनुमान प्रभाकर : जैसा निवेदन किया कि जो शिकायत की गई हैं वह काफी समय के बाद की गयी है इसलिये अब उन पर विचार करना सम्भव नहीं है। अब वह परिस्थिति विद्यमान नहीं है इसलिये जांच दुबारा करवाने से कोई फायदा भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महावीरप्रसाद जैन : वह तो असेसमेंट कर लिया गया है तहसील के द्वारा तहसील के द्वारा अलग किया गया है और नगरपालिका के द्वारा अलग से किया गया है तथा जिला विकास अभिकरण के द्वारा अलग से किया गया है। लेकिन जो लोग सही में पीड़ित थे उनके नाम रिपोर्ट में नहीं है? उनके नाम जोड़ कर उनको लाभान्वित करने का क्या सरकार विचार रखती है?

दूसरा क्या यह भी सही है कि 1981 की बाढ़ में जो लोग आ गये थे उनको अभी तक भी कुओं की मरम्मत आदि के लिये सहायता नहीं दी गयी है, यदि हां, तो यह पूरी सहायता उनको कब तक दी जायेगी?

श्री हनुमान प्रभाकर : यह सही है कि कुछ लोगों को सहायता नहीं मिली है। 31 मार्च, 1983 तक उन लोगों को सहायता दे दी जाएगी ऐसे आदेश जारी कर दिये गये है। 65 लाख का आवंटन हुआ था उसमें अभी कुछ पैसा बचा हुआ है। पहले वाले आपके प्रश्न के उत्तर में फिर निवेदन

Page No 18

(18)

(श्री हनुमान प्रभाकर)
करना चाहूंगा कि दुबारा जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वहां पर अब वह परिस्थिति विद्यमान नहीं है ।

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न ।

श्री **महावीरप्रसाद जैन** : वहां पर कितने पैसों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, उसमें से कितना बांट दिया गया, कितना बचा हुआ है और कितनों को बांटा गया तथा अब तक नहीं बांटने का क्या कारण है ?

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, सदन का समय जा रहा है ।

अगला प्रश्न। श्री भैंरूलाल मीणा ।

राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 हेतु अवाप्त भूमि

96. श्री **भैंरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय मार्गों के लिये निर्धारित पट्टी ग्रामीण क्षेत्र में 30 मीटर (100 फीट) एवं अन्य जगहों पर 60 मीटर (200 फीट) है ? यदि हां, तो कोटपूतली से रतनपुर (हरियाणा सीमा से गुजरात सीमा) तक राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 पर किस हिसाब से भूमि ली गई ? कृपया विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में ही भीम से उदयपुर तक 30 मीटर से 45 मीटर तक भूमि ली गई है और उदयपुर से रतनपुर तक आदिवासी क्षेत्र 60 मीटर भूमि ली गई है ? यदि हां, तो क्या यह "पिछड़े को पहले" वाली योजना के अनुरूप है ?

श्री **चेतराम मीणा** : (राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण)

राष्ट्रीय उच्च मार्गों के लिये 30 मीटर से 60 मीटर की चौड़ाई में जमीन ली जाती है । कोटपूतली से रतनपुर हरियाणा सीमा से गुजरात सीमा तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 पर अब तक ली गयी भूमि की चौड़ाई का विवरण प्रपत्र "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) उदयपुर जिले में भीम से कामलीघाट के मध्य 30 से 45 मीटर की चौड़ाई की भूमि ली गई है । कामलीघाट से उदयपुर में 45 मीटर तक, उदयपुर से रतनपुर के मध्य 60 मीटर की चौड़ाई में भूमि ली गई है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री **भैंरूलाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया प्रश्न के भाग 2 में कि पिछड़े को पहले वाली बात कहां लागू होती है ?

आदिवासियों के इलाकों में ज्यों-ज्यों सड़कों की चौड़ाई बढ़ती जा रही है उनके शोषण की प्रक्रिया भी तेज होती जा रही है । मुझे यह समझ में नहीं आया कि आदिवासी बड़ी मुश्किल से जमीन निकालकर खेती करता है, आप खुद जानते हैं कि कितनी मेहनत से वह जमीन प्राप्त करता है आप उसकी जमीन लेकर सारी की सारी उसको किनारे पर एक झोंपड़ा देकर छोड़ देते हैं तो यह बतायें कि यह पिछले को पहले वाला नियम कहां लागू होता है ।

Page No 19

(19)

एक माननीय सदस्य : यह तो यहां पर ही लागू होता है।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : जिस जमीन पर वे मेहनत करके कमाते थे उनको उसका मुआवजा तक नहीं दिया गया है। सरकार ने गत साल भी आश्वासन दिया था कि जांच करेंगे परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न गये साल भी उठा था कि आदिवासियों के पास जमीन नहीं है तो यह कहा गया था कि अच्छी जो काश्त की जमीन है आदिवासियों की वह उनसे नहीं ली जाये। तब आसन ने यह आदेश दिया था कि इस पर दुबारा विचार करलें, तो इन्होंने क्या वह विचार किया ?

श्री अध्यक्ष : मेरा तो आज भी यही मत है।

श्री मेघराज तावड़ : यह विचार किया क्या आपने, और जमीन आपने नहीं ली क्या?

श्री चेतराम मीणा : 6 मार्च, 1982 को तारांकित प्रश्न संख्या 85, जो माननीय सदस्य श्री मेहूलाल जी मीणा ने किया था, के संदर्भ में आसन से आदेश हुआ था कि आदिवासियों के क्षेत्र में जमीन 30 मीटर ही ली जाय। इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से कहा कि यह नेशनल हाई वे का मामला है। इस संबंध में 17 दिसम्बर, 82 को आदेश निकाल दिये गये हैं और विधान सभा सचिवालय को सूचना भी दे दी है कि आदिवासी क्षेत्र में 30 मीटर ही जमीन ली जाय। अब जो पुरानी जमीन एक्वायर की जा चुकी है उसको तो डीएक्वायर नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार का कोई नियम भी नहीं है लेकिन अब 30 मीटर से ज्यादा नहीं ली जायेगी।

श्री मेहूलाल मीणा : मैंने भी भारत सरकार को पत्र लिखा था, उसके संबंध में जवाब आया है कि हमने 24 मीटर से ज्यादा नहीं ली है।

श्री चेतराम मीणा : जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं यह केन्द्र सरकार से पूछा था। तो जो नेशनल डिस्ट्रिक्ट हाई वे है वहां पर यह है कि जो आबादी का एरिया होता है वहां 30 मीटर से ज्यादा नहीं ली जाये लेकिन इसमें न्यूनतम जो है वह 24 का एरिया भी है। इस तरह का प्रावधान तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने पहले ही कर रखा है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या यह सही है कि उदयपुर, रतनपुर, राजस्थान की सीमा पर जो आदिवासी इलाका है उसमें जो भूमि केन्द्रीय सरकार ने ली है उसके अतिरिक्त पी. डब्ल्यू. डी. ने लगभग 7-7 मीटर जमीन अतिरिक्त सड़क के बाद एक्वायर करके वृक्षा रोपण किया है

श्री मेहूलाल मीणा : जैसा पहले भी विधान सभा में कहा था, क्या परिस्थिति के अनुसार जन-प्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल किया जायेगा और उनको सुझाव देने के लिये कहा जायेगा जिससे कि स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके ? अगर यह नहीं किया तो अधिकारी मनमानी करेंगे और आदिवासियों पर अत्याचार होगा। फिर तो यहां पर सुझाव देने का भी कोई फायदा नहीं है।

Page No 20

(25)

श्री अध्यक्ष: फायदा तो बहुत है।

श्री नानूराम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो भैरूलाल जी ने प्रश्न किया वाकई सही बात है सवर्ण लोगों की जमीन नहीं ली गयी है आदिवासियों की ही ली गयी है। आप चाहें तो मौके पर जाकर देख लें आदिवासियों के खेतों में ही जमीन ली गयी है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इसकी मौके पर जाकर जांच करें। वहां पर जरूरत बिना ही 6-6 और 7-7 लाइन डाली जाती है। अगर केवल दो-दो लाइन ही डाली जाय तो आदिवासी बच सकता है।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा: पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा यह जो भूमि ली गई है न तो काश्तकारों को उसका सही मुआवजा दिया गया है न उनके खुदाये कुओं का भी मुआवजा दिया गया है और अगर कोई बीच में आ गया तो उसका कुआं भी समतल कर दिया इसका प्रमाण है मेरे पास वह मेरा क्षेत्र पड़ता है, भैरूलाल जी का पड़ता है। हम आदिवासियों पर सारा व्यय पड़ रहा है। आप खुद जानते हैं लेकिन मंत्री महोदय सही जवाब नहीं दे रहे हैं। आप क्यों हम गरीबों के लिए......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है, शांत रहें। माननीय सदस्य ने एक बात कही भविष्य में कुछ नए नियम लागू किए जायेंगे लेकिन जिन सड़कों का पूर्व में निर्माण हो गया और भूमि अवाप्त की गई है उस बारे में वर्तमान में सरकार कोई कार्यवाही करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाती तो उसमें एक प्रश्न है। जिसका आपने मुआवजा दे दिया हो उसमें तो पुराना कानून लागू हो जाए लेकिन जिनमें मुआवजा नहीं दिया गया है और जमीन ले ली गई। उसमें क्या ऐतराज हो सकता है? इसका भी साथ में जवाब दें।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर): सप्लीमेंट्री क्वेशचन। नेशनल हाइवे नम्बर 2 में हमारी लाखों बीघा जमीन ले ली गई, एक पैसा मुआवजा नहीं दिया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या उसका मुआवजा दिया जाएगा? और यदि दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा? अगर नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हो गया, माननीय सदस्य। मंत्री महोदय उत्तर देंगे उसके बाद में कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री खेतराम: जैसा भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 में प्रावधान है कब्जा लेने से पूर्व उस जमीन को हम डी एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद चाहे उसका मुआवजा दिया गया है या नहीं दिया गया है उसको डी एक्वायर नहीं कर सकते। इसलिए कब्जा जिस जमीन का हमने नहीं लिया है उसके बारे में सोचा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय वैसे मुआवजा हमेशा बाद में दिया जाता है, उसका प्रोसिजर नोटिफिकेशन होता है, वह सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद में यह होता है, इसलिए जो इस अधिनियम में प्रावधान है उस प्रावधान को देखते हुए इसमें मजबूरी है, अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया है वह कानून के अन्तर्गत संगत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : मैं अवाप्त ही नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। कृपया बैठ जायं। मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य ।

श्री भैरूलालमीणा : आदिवासियों की कौड़ियों के भाव में जमीन ले ली। सवर्णों को ज्यादा कीमत देंगे, आदिवासियों को कम कीमत देंगे, यह भेदभाव नहीं हुआ तो क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस प्रश्न को, माननीय सदस्य, अन्य किसी माध्यम से उठा सकते हैं और यदि आपकी ओर से कोई इस तरह का प्रस्ताव आएगा तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक आसन विचार करेगा
प्रश्नकाल समाप्त हुआ।
अनुपस्थिति के लिए अनुमति ।
आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जायं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रश्न छूट जाते हैं जवाब नहीं आता है, तो उनको स्थगित किया, क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यहां उसका कोई जवाब नहीं आएगा । प्रश्नकाल समाप्त हुआ

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील सिकराय में वन विभाग की भूमि

71. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील सिकराय की ग्राम पंचायत, उदयपुर । की खसरा न. 378, वन विभाग की जमीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन का विक्रय दिनांक 3-7-1982 को 29,000/- रु. में कर दिया गया है ? यदि हां, तो किसको और तहसीलदार द्वारा रजिस्ट्री किस प्रकार तस्दीक की गई ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

तहसीलदार, सिकराय के विरुद्ध शिकायतें

72. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिकराय तहसील के वर्तमान तहसीलदार के विरुद्ध विभाग को कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों का जिला प्रशासन द्वारा किस प्रकार निस्तारण किया गया ? क्या इनके विरुद्ध जांच की गई ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहे ?

(श्री रामकिशोर मीणा)

(3) क्या यह भी सही है कि इनके पुनः सिकराय जोइन करने पर कर्मचारियों ने हड़ताल की थी ? यदि हां, तो हड़ताल की प्रमुख मांगें क्या थीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि उप-जिलाधीश, दौसा द्वारा प्रारम्भिक जांच में दोषी पाये जाने पर इनके निलम्बन हेतु जिलाधीश को सिफारिश की थी ? यदि हां, तो इनका निलम्बन आदेश क्यों रोका गया ?

(5) क्या यह भी सही है कि इनके स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने पर दूसरे तहसीलदार द्वारा ड्यूटी जोइन कर ली गई थी तथा जिलाधीश कार्यालय द्वारा इन्हें पुनः सिकराय में नहीं लगाने की सिफारिश की गई थी ?

उत्तर

(1) 12 शिकायतें प्राप्त हुई जिनकी सूची संलग्न है ।

(2) उक्त शिकायतों की जांच उप-खण्ड अधिकारी, दौसा द्वारा कराई जा रही है। क्र. सं. 2, 3 व 8 पर, प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्राप्त हो गई है। क्रम संख्या 3 पर अंकित शिकायतें प्रमाणित नहीं पाई गई । क्रम संख्या 2 व 8 पर अंकित शिकायतें आंशिक रूप से प्राइमा फैसी प्रमाणित पाई गई । शेष शिकायतों की प्रारम्भिक जांच अभी उप-खण्ड अधिकारी द्वारा की जा रही है।

(3) जी हां, यह हड़ताल तहसीलदार के अभद्र व्यवहार तथा उनका स्थानान्तरण निरस्त किये जाने के विरोध में की गई थी ।

(4) जी नहीं ।

(5) भाग (i) जी हां,

भाग (ii) जी नहीं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

दीगोद एवं सांगोद तहसीलों में भू-राजस्व के विचाराधीन मामले

73. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

कोटा जिले की दीगोद एवं सांगोद तहसीलों में भू-राजस्व कानून की धारा 91 के तहत कितने मामले कब-कब से विचाराधीन हैं ? कृपया दोनों तहसीलों का ग्रामवार सम्पूर्ण रकबा प्रतिक्रमणियों के नाम मय वल्दियत सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कोटा जिले की तहसील दीगोद में 135 व सांगोद में 228 मामले भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत विचारधीन हैं, सूची सदन की पटल पर रखदी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें ।)

बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में असहायों को सहायता

74. श्री अमीन खां (शिव): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में

(श्री अमीन खां)
कितने असहायों को मासिक सहायता दी जा रही है ? कृपया तहसीलवार संख्या बतावें ।

(2) जिला बाड़मेर में प्रशासन गांवों की ओर अभियान में कितने असहायों को सहायता स्वीकृत की गई ? कृपया तहसीलवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में वर्ष 1982-83 में 2,240 असहायों को मासिक सहायता दी जा रही है। तहसीलवार संख्या सूची संलग्न है।

जैसलमेर जिले में 815 असहायों को मासिक सहायता दी जा रही है। तहसीलवार संख्या सूची संलग्न है।

(2) बाड़मेर जिले में प्रशासन गांवों की ओर अभियान में 634 असहायों को सहायता स्वीकृत की गई है। तहसील वार संख्या सूची संलग्न है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

पंचायत समिति पीपल्दा एवं सुल्तानपुर में राजस्व की वसूली

75. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति, पीपल्दा एवं सुल्तानपुर क्षेत्र में वर्ष 1982-83 तक राजस्व विभाग की कुल कितनी राशि विभिन्न मदों में वसूल करनी बाकी है ?

(2) उक्त बकाया राशि में से वर्ष 1982-83 में कुल कितनी वसूल की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार ने उक्त बकाया राशि को वसूल करने हेतु अब तक कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति, पीपल्दा एवं सुल्तानपुर क्षेत्र में वर्ष 1982-1983 तक राजस्व विभाग को विभिन्न मदों में निम्न प्रकार वसूली योग्य मांग है:—

मद	राशि
1. 029 भू-राजस्व	4983650
2. सिंचाई कर	530
3. तकावी राजस्व	9644
4. वाणिज्य कर	2308
5. भूमि सीलिंग	99888

(2) उक्त मदों के अन्तर्गत दिनांक 31-1-83 को शेष रही राशि का विवरण निम्न प्रकार है:—

मद	राशि
1. 029 भू-राजस्व	3800630
2. सिंचाई कर	निल
3. तकावी राजस्व	8193
4. वाणिज्य कर	1851
5. भूमि सीलिंग	42280

उक्त वसूली योग्य मांग में से वर्ष 1982-83 के माह जनवरी, 1983 तक वसूली का

(२८७)

(राजस्व मन्त्री)
मदवार विवरण निम्न प्रकार है:—

मद	राशि
1. 029 भू-राजस्व	1183020
2. सिंचाई कर	530
3. तकावी राजस्व	1451
4. वाणिज्य कर	457
5. भूमि सीलिंग	57608

(3) उक्त मदों में अवरोध रही राशि को वसूल करने हेतु नियमान्तर्गत कार्यवाही की जा रही है तथा सभी राजस्व अधिकारियों को अतिशीघ्र सभी मदों के अन्तर्गत वसूली योग्य मांग की यथासभव-पूर्ण वसूली करने के लिये निर्देश जारी किये गये हैं ।

रैगर समाज के मन्दिर पर अवैध कब्जा

76. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिला के ग्राम फागी में रैगर समाज के गुरु मंदिर स्थल पर श्री जगदीश प्रसाद बोहरा ने जबरन कब्जा कर रखा है, और राज्य सरकार से 15 बिस्वा भूमि भी पैट्रोल पम्प के लिये अलॉट करवाली है ?

(2) क्या इस गुरु समाधि मंदिर में जबरन अतिक्रमण का मामला राज्य सरकार में पिछले 14-15 वर्षों से चला आ रहा है ?

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार ने उपरोक्त दोनों केसो में कब-कब व क्या-क्या कायवाही की तथा अन्य अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने की क्या व्यवस्था की ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ग्राम फागी स्थित अराजी ख. नं. 3902 गै. मु. रास्ता में से 15 बिस्वा भूमि में नन्दवाना एण्ड कम्पनी इण्डियन ऑयल कारपोरेशन को पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु दिनांक 5-2-79 आवंटित की गई थी । इस भूमि के सम्बंध में रैगर समाज फागी द्वारा आपत्ति करने पर पैट्रोल पम्प निर्माण नहीं किए जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) राज्य सरकार को पैट्रोल पम्प हेतु भूमि आवंटन के बाद जनता से आवेदन प्राप्त हुए थे जिस पर पैट्रोल पम्प के निर्माण न करने के निर्देश दिए जा चुके हैं ।

खनिज अभियंता, अजमेर के अधीन स्वीकृत पट्टे

77. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खनिज अभियन्ता, अजमेर के क्षेत्राधिकार में किस-किस प्रधान एवं अप्रधान खनिज के पट्टे, एस. टी. पी. आदि वर्तमान में किस-किस को कब-कब से स्वीकृत हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वित्तीय वर्ष 1981-82 एवं चालू वित्तीय वर्ष में 31-1-1983 तक किस-किस पट्टाधारी, परमिट धारी से खनिज

(श्री कैलाश मेघवाल)

विभाग, अजमेर को कितनी आय हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) खनिज अभियन्ता, अजमेर के अधिकार क्षेत्र में संलग्न सूची क्रमांक (1) व (2) के अनुसार प्रधान, अप्रधान खनिज के पट्टे चालू हैं । इसके अलावा सूची (3) व (4) के अनुसार प्रधान व अप्रधान खनिज के खनन पट्टे और स्वीकृत हुए हैं जिनका संविदा निष्पादन होना शेष है । वर्तमान में सूची (5) के अनुसार परमिट स्वीकृत हैं ।

(2) वित्तीय वर्ष 1981-82 व चालू वित्तीय वर्ष 31-1-83 तक में खनिज विभाग के अजमेर कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में पट्टाधारियों व परमिटधारियों से संलग्न सूची (6), (7), (8), (9) व (10) के अनुसार आय हुई है ।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

शिव टिन फैक्ट्री, दौसा के कर्मचारियों को पारिश्रमिक

78. श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या शिव टिन फैक्ट्री, दौसा; श्रम विभाग के नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देता रहा है ? यदि हां, तो इसकी स्थापना वर्ष से लेकर अब तक किस-किस कर्मचारी को कितना-कितना पारिश्रमिक दिया गया ? कृपया माहवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इस फैक्ट्री का विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो कब-कब तथा क्या फैक्ट्री मालिक श्रम विभाग के नियमों की अनुपालना करते रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) वर्तमान में इस फैक्ट्री में कितने श्रमिक कार्यरत हैं ? कृपया नामवार मय पते के सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) शिव टिन फैक्ट्री, दौसा नवम्बर, 1981 से बन्द है, अतः किसी को भी वेतन दिए जाने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती । फैक्ट्री के बन्द होने के कारण वांछित सूचना प्राप्त करना संभव नहीं है ।

(2) फैक्ट्री बन्द होने के कारण निरीक्षण करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) खंड एक के उत्तर में अंकित स्थिति के संदर्भ में यह प्रश्न नहीं उठता ।

शिव टिन फैक्ट्री, दौसा को विद्युत् कनेक्शन

79. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिव टिन फैक्ट्री, दौसा को विद्युत् मण्डल द्वारा किस तारीख को विद्युत् कनेक्शन दिया गया ?

(2) कनेक्शन के दिनांक से अब तक इस फैक्ट्री को कितने रुपयों की विद्युत् प्रदाय की गई है ? कृपया माहवार विवरण मय बिल संख्या सदन की मेज पर रखें ।

(श्री रामकिशोर मीणा)

(3) क्या फैक्ट्री मालिकों द्वारा इन बिलों का भुगतान समय पर किया जाता रहा है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) शिव टिन फैक्ट्री, दौसा को विद्युत मण्डल द्वारा 20 एच. पी. का उद्योग हेतु कनेक्शन दिनांक 4-8-1973 को दिया गया ।

(2) कनेक्शन देने के दिनांक से अब तक उपरोक्त उपभोक्ता को जो विद्युत प्रदान की गई उसके लिये रु. 11, 556.20 का बिल दिया गया, जिसका मासिक विवरण संलग्न है ।

(3) जी नहीं । मण्डल के 5779.11 रुपये उपभोक्ता की ओर बकाया हैं तथा उसका कनेक्शन दिनांक 5-2-1979 को काट दिया गया था ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें) ।

तहसील मांगरोल के ग्रामों का विद्युतन

80. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल तहसील के कई गांवों में अभी तक बिजली नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इन गांवों में विद्युत् लगाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या सरकार जनहित को मद्दे नजर रखते हुए, विद्युतरहित गांवों में शीघ्र बिजली की योजना स्वीकार करने के आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । इन ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना बनाई जाकर स्वीकृत करने हेतु आर. ई. सी. को भेज दी गई है ।

(2) विद्युतीकरण की योजनाएं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की जाती हैं । स्वीकृति के आदेश प्रदान करने के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

पंचायत समिति, सांगोद एवं सुल्तानपुर की सहकारी समितियों का अवसायन

81. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति, सुल्तानपुर एवं पंचायत समिति, सांगोद की कितनी सहकारी समितियां अवसायन में हैं, और अवसायन कार्य में आज तक क्या प्रगति हुई ? कृपया पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि अवसायन की कार्यवाही शीघ्र न होने से राज्य को भारी नुकसान हो रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसी सहकारी समितियों के निष्क्रिय होने से काश्तकार सहकारिता के लाभ से वंचित हो रहे हैं ? यदि हां, तो उन क्षेत्रों में काश्तकारों को राहत पहुंचाने हेतु क्या कोई

(श्री बाऊदयाल जोशी)

वैकल्पिक व्यवस्था संभव थी, जो की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर में तीन एवं पंचायत समिति, सांगोद में पांच सहकारी समितियां अवसायन में हैं। अवसायन संबंधी प्रगति का पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति, सांगोद की अवसायनाधीन ग्राम सेवा सहकारी समिति, झोपड़ियाकन्दाफल के कार्यक्षेत्र के काश्तकार छोटी ग्राम सेवा सहकारी समिति से एवं पं. स. सुल्तानपुर की अवसायनाधीन ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., दरबीजी कुशल ऋणदाती के कार्य क्षेत्र तोरन ग्राम सेवा सहकारी समिति से लाभान्वित हो रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

चाकसू में आई. सी. डी. एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत राशि

82. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर):** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आई. सी. डी. एस. के अन्तर्गत चाकसू में अब तक कुल कितनी धन राशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किस-किस मद व कार्यक्रम में स्वीकृत व खर्च की गई ?

(2) उक्त स्कीम की प्रमुख योजनाएं क्या-क्या हैं व चाकसू में किस-किस के माध्यम से कहां-कहां कार्यक्रम लिये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) आई. सी. डी. एस. योजना के अन्तर्गत चाकसू में अब तक जितनी धन राशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जिस-जिस मद व कार्यक्रम में स्वीकृत व खर्च हुई उसकी सूची संलग्न है (परिशिष्ट "क")।

(2) आई. सी. डी. एस. के अन्तर्गत प्रमुख योजनाएं निम्न हैं:—

1. 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषाहार देना। उनके स्वास्थ्य की जांच कर उनके लिये मार्गदर्शन देना।

2. बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक व सामाजिक विकास के लिए नींव डालना।

3. मृत्युता, मानसिक अस्वस्थता, कुपोषण एवं स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने का प्रयत्न करना।

4. बाल विकास को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विभिन्न विभागों की नीति और क्रियान्वयन में प्रभावशील समन्वय करना।

5. उचित पोषाहार एवं स्वास्थ्य, शिक्षा द्वारा बच्चों व माताओं के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं को योग्य बनाना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति निम्न माध्यमों से की जाती है:—

(1) आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, दूध पिलाती माताओं एवं गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना।

(2) स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के प्रतिरक्षण

(28)

(समाज कल्याण मंत्री)
हेतु चेचक, डिप्थेरिया, टिटनेस, काली-खांसी, टाईफाईड और क्षय रोग के लिए टीके लगवाना ।

(3) स्वास्थ्य जांच तथा संदर्भ सेवायें, स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाती माताओं के स्वास्थ्य की जांच तथा सन्दर्भ सेवायें उपलब्ध करवाना एवं प्रसव पूर्व देखभाल एवं प्रसव-उपरान्त देखभाल करना ।

(4) अनौपचारिक शिक्षा-आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 3 से 5 वर्ष के बच्चों के स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा देना ।

(5) प्रौढ़ महिलाओं के लिए साक्षरता की योजना ।

(6) आंगनबाड़ी के माध्यम से अनपढ़ स्त्रियों को साक्षरता एवं बच्चों की देखभाल तथा परिवार सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध कराना ।

चाकसू में चल रही आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट "ख") ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें ।)

अजमेर नारी शाला रक्षा गृह से फरार आवासनियां

83. श्री कैलास मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अजमेर में संचालित नारी शाला के रक्षा-गृह से दिसम्बर, 1982 के दूसरे सप्ताह में पांच आवासनियां फरार हो गई थीं ?

(2) क्या विभाग द्वारा उनके फरार होने के बारे में कोई विभागीय जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों नहीं कराई गई ?

(3) इस मामले की पुलिस में दी गई रिपोर्ट की प्रति भी कृपया सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । गृह का नाम उत्तर रक्षा-गृह है ।

(2) इस सम्बन्ध में दिनांक 15-12-82 को थाना रामगंज में रिपोर्ट कराई गई थी ।

(3) पुलिस में की गई रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

(रिपोर्ट की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें ।)

कोटा में आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त कृषि भूमि

84. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)
श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा नगर व जिले में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा क्या कृषि योग्य भूमि का आवासीय उपयोग करने के लिए अवाप्ति की कार्यवाही की गई है ?

(2) यदि हां, तो कहांकहां कितनी-कितनी भूमि अवाप्त करने की योजना राज्य सरकार को कब-कब प्रस्तुत की गई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

Page No 29

(29)

(श्री बाळवेयाल जोशी व श्री हीरालाल आर्य)

(3) क्या उक्त भू-स्वामियों को बाजार दर से मुआवजा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों तथा दर किस आधार पर तय की है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 1. रामगंज मण्डी में 18 बीघा 19 बिस्वा भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही 27-2-81 को प्रारम्भ की गयी। इसे अवाप्ति से मुक्ति के आदेश 23-11-82 को जारी किये गये।

2. गोवर्धनपुरा में 69.14 बीघा भूमि को अवाप्ति करने की कार्यवाही दिनांक 5-8-81 को प्रारम्भ की गयी। इसे अवाप्ति से मुक्त करने के आदेश दिनांक 23-11-82 को जारी किये गये।

3. कुन्हाड़ी की 491.02 बीघा भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही 17-10-81 को प्रारम्भ की गयी। इसका कब्जा विशेषाधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल को दिनांक 28-12-82 को संभला दिया गया।

(3) भू-स्वामियों को राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम सन् 1953 में दिये गये कानूनी प्रावधानों के अनुसार मुआवजा देय होगा जो विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा नियमानुसार तय किया जावेगा। अभी तक कोई दर तय नहीं हुई है।

यातायात अधिकारी द्वारा अजमेर में आटो रिक्शा निरीक्षण

85. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय यातायात अधिकारी, अजमेर द्वारा आटोरिक्शा (थ्री व्हीलर) की चैकिंग की जाती रही है ?

(2) यदि हां, तो माह जनवरी, 1983 में किस किस आटोरिक्शा को कब-कब किस कमी के कारण चैक किया गया ?

(3) माह जनवरी, 1983 में यातायात विभाग के कर्मचारियों द्वारा स्वयं अथवा पुलिस के कर्मचारियों द्वारा चैकिंग करने पर, प्रस्तुत चालान पर किस-किस आटो-रिक्शा पर किस-किस कमी के कारण कितना कितना जुर्माना वसूल किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ट्रेफिक पुलिस, अजमेर द्वारा चैकिंग कर यातायात विभाग, अजमेर को भेजे गये चालान की सत्यता का अन्वेषण किया गया था अथवा आटो-रिक्शा वालों को अपनी सफाई पेश करने का अवसर दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या सभी चैकिंग में बताई गई कमियों को स्वीकार किया ? यदि हां, तो कृपया प्रत्येक का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर में जिला परिवहन अधिकारी का कार्यालय है, जिसके अधीन आटो रिक्शाओं की चैकिंग की जाती रही है।

(2) इस माह में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा किसी आटो-रिक्शाओं के चालान नहीं बनाये गये है।

(38)

(यातायात मंत्री)

(3) माह जनवरी, 1983 में परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा चालान नहीं किए गये है। पुलिस विभाग द्वारा इस माह में 112 आटो रिक्शाओं के चालान विभिन्न कारणों से किये गये हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ए" के अनुसार संलग्न है।

(4) ट्रेफिक पुलिस, अजमेर द्वारा चैक किये गये आटो-रिक्शाओं के चालानों की सत्यता का जिला परिवहन अधिकारी, अजमेर द्वारा भली भांति अन्वेषण किया गया था तथा आटो-रिक्शा वालों को अपनी सफाई पेश करने का अवसर भी दिया गया था। उनके द्वारा लिखित में अपराध स्वीकार करने पर नियमानुसार जुर्माना वसूल किया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें।)

परिवहन निगम, अजमेर कार्यशाला से पम्प की चोरी

86. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अजमेर स्थित कार्यशाला से तीन एफ. पी. पम्प चोरी गये हैं ?

(2) यदि हां, तो ये पम्प कब-कब चोरी हुए और इनके चोरी होने की सूचना निगम के हैडआफिस एवं पुलिस को कब-कब दी गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस तरह की चोरी कार्यशाला की अव्यवस्था व लापरवाही के कारण हुई ?

(4) क्या यह भी सही है कि चोरी की जानकारी होने के बाद भी हैड-क्वार्टर व पुलिस को बहुत विलम्ब से सूचित किया गया ?

(5) क्या चोरी गये पम्पों का अब तक कोई पता लगा है ?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर स्थित कार्यशाला से केवल दो एफ. आई. पम्प चोरी हुए।

(2) उक्त पम्प में से प्रथम पम्प दिनांक 13-1-82 व 14-1-82 की मध्य रात्रि को तथा दूसरा पम्प 29-1-83 व 30-1-83 की मध्य रात्रि को चोरी हुये थे। इनकी सूचना क्रमशः दिनांक 14-1-82 व 1-2-83 को परिवहन निगम के मुख्यालय को व पुलिस को दे दी गई थी।

(3) कारणों का पता पुलिस जांच से ही चल सकता है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

सांगोद में बस स्टेण्ड की व्यवस्था

87. श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद)

श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला के सांगोद नगरपालिका क्षेत्र में परिवहन निगम की बसों के ठहरने के लिए बस स्टेण्ड की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो निगम द्वारा स संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? य दि नहीं, तो क्यों ?

(श्री हीरालाल आर्य व दाऊदयाल जोशी)

(2) कोटा से सांगोद होकर कौन कौन सी बसें कब कब जाती हैं, व आती हैं? क्या यह बसें सही समय पर नहीं जाती ? कृपया गत अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1982 में बसों के जाने व आने के समय का वर्णन सहित जानकारी सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सांगोदा नगरपालिका के बस स्टेण्ड पर इस हेतु भूमि एंव भवन माहवारी किराये पर लेने हेतु प्रसंग किया हुआ है।

(2) कोटा से सांगोद होकर निम्न बसें जाती हैं व आती हैं :—

प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान	आगमन
1–कोटा	राजगढ़	राजगढ़	कोटा
0630	1800	0800	1900
2–कोटा	बपावर	बपावर दरां	दरां-खानपुर
0745	1130	1230 1430	1530 1900
3–खानपुर	दरां	दरां	बपावर
0700	1000	1200	1400
	बपावर	कोटा 1430	1800
4–कोटा	कुन्जेड	कुन्जेड	कोटा
1515	1930	0700	1100
5–कोटा	बपावर	बपावर	कोटा
1700	2000	0600	0900
6–कोटा	इकलेरा	इकलेरा	कोटा
1230	1900	0700	1330

इन बसों में से कुछ बसें समय पर नहीं गई हैं। गत अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 82 में बसों के जाने व आने के समय सहित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

मन्दिरों के भोग की अनुदान राशि

88. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा मन्दिरों को भोग के लिये अनुदान राशि दिये जाने के क्या मापदण्ड हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने मन्दिरों के लिए अन्य अनुदान सहायता बन्द कर दी है? यदि हां, तो कब से, कौन-कौन से मन्दिर का बन्द किया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अनुदान बन्द करने के संबंध में कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो कब ? कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंन्धित एवं नियन्त्रित राजकीय मन्दिरों के भोग के लिये अनुदान भूतपूर्व देशी रियासतों के समय से चली आ रही परम्परानुसार उनकी आय को दृष्टिगत रखते हुए यथावत् रखने के प्रयत्न करते हुए बजट में प्रावधान किया जाता है। इस हेतु कोई माप दण्ड निर्धारित नहीं है।

(देवस्थान मंत्री)

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

जिला कोटा में मन्दिरों का जीर्णोद्धार

89. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) **एवं श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले के किन-किन मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत हुई ?

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से कितनी-कितनी राशि का कार्य किस-किस माध्यम से किस-किस वर्ष करवाया गया ? क्या प्रति वर्ष स्वीकार की गई राशि का उपयोग उसी वर्ष करवा दिया गया या धन लैप्स हुआ ? कृपया, वर्षवार विस्तृत वर्णन सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कोटा जिले में स्थिति देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्येक भार मन्दिरों की मरम्मत व जीर्णोद्धार हेतु विगत पांच वर्षों में स्वीकृत राशि का वर्षवार व मन्दिरवार विस्तृत विवरण संलग्न है ।

(2) कोटा जिले में स्थित राजकीय मन्दिरों की मरम्मत व जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 1978-79 में 41,000 रु. का व वर्ष 1979-80 में 65,000 रु. का सार्वजनिक निर्माण (भवन एवं पथ) विभाग के माध्यम से करवाया गया । शेष तीन वर्षों में राजकीय मन्दिरों की मरम्मत व जीर्णोद्धार का कार्य विभाग के स्तर पर ही पूर्ण करवाया गया है । स्वीकृत राशि का उपयोग उसी वर्ष में कर लिया गया तथा कोई राशि लेप्स नहीं हुई । वर्षवार विस्तृत वर्णन साथ में संलग्न है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

जिला बाड़मेर में मन्दिर एवं डोलियों की कृषि भूमि का बेचान

90. श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में मन्दिरों एवं डोलियों की कृषि भूमि का पुजारियों द्वारा अवैध बेचना किया गया है ? यदि हां, तो कितनी भूमि का ? कृपया विस्तृत जानकारी सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त प्रकार की अवैध बिक्री बेचान के मामलों में नामान्तरकरण खारिज किये गये कितने मामले राजस्व मण्डल को रेफर किये गये एवं कितने मामलों में भूमि की कीमत विक्रेताओं से वसूल की गयी या खरीददारों को बेदखल किया गया ? कृपया पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । अवैध रूप से बेचान एवं इन्द्राज की गई भूमि का तहसीलवार विवरण

(देवस्थान मंत्री)
निम्नानुसार है :—

क्र.सं. नाम तहसील	मामलों की संख्या	भूमि का रकबा
1. बाड़मेर	8	936 बीघा 2 बिस्वा
2. गुड़ामालानी	49	4550 बीघा 7 बिस्वा
3. शिव	17	2135 बीघा
4. चौहटन	8	1308 बीघा 10 बिस्वा
5. पचपदरा	13	1619 बीघा 8 बिस्वा
6. सिवाना	12	739 बीघा 14 बिस्वा

(2) उपरोक्त अवैध बिक्री एवं अवैध हस्तान्तरण किये गये मामलों में से अभी तक कोई नामान्तरकरण खारिज नहीं किया गया है। अब तक कुल 32 मामलों में नामान्तरकरण एवं अवैध इन्द्राजात को निरस्त करने के लिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के रेफरेन्स राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश करने के लिये आदेश पारित किये गये हैं। जिनमें से 2 मामलों में रेफरेन्स राजस्व मण्डल में प्रेषित कर दिये हैं तथा शेष में कार्यवाही जारी है। अब तक किसी भी मामले में भूमि की कीमत विक्रेताओं से वसूल नहीं की गई है और न ही खरीददारों को बेदखल किया गया है।

झालावाड़ के मन्दिरों की भूमि पर अवैध कब्जे

91. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में देवस्थान विभाग के कितने मन्दिर हैं तथा उन मन्दिरों की मूर्ति के नाम कितनी भूमि है ?

(2) मन्दिरों की भूमियों पर किन-किन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, तथा विभाग ने इन कब्जों को हटाने हेतु कब-कब क्या-क्या प्रयास किये हैं ? कृपया विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 6 मन्दिर व राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के 8 मन्दिर, कुल 14 राजकीय मन्दिर स्थित हैं। उक्त मन्दिरों में से निम्न मन्दिरों के नाम कुल 282 बीघा 8 बिस्वा भूमि विभागीय रेकार्ड के अनुसार झालावाड़ जिले में स्थित है:—

क्र.सं.	नाम मन्दिर व स्थान	श्रेणी	भूमि
1.	मन्दिर श्री बालगोपालानन्द जी, ग्राम मानपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़।	रा. प्र. प्रभार	65 बीघा
2.	मन्दिर श्री रामजी, ग्राम सुनेल, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़	,,	25 बीघा 3 बिस्वा
3.	मन्दिर श्री द्वारकाधीशजी, झालरापाटन, जिला झालावाड़	रा. आ. निर्भर	180 बीघा 14 बिस्वा
4.	मन्दिर श्री गोवर्धननाथजी, (मेहतनीजी) झालावाड़	,,	11 बीघा 11 बिस्वा
			कुल भूमि :—282 बीघा 8 बिस्वा

(देवस्थान मंत्री)

(2) झालावाड़ जिले में स्थित राजकीय मन्दिरों की भूमि पर जिन व्यक्तियों के कब्जे हैं तथा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का मानचित्र संलग्न है।

(मानचित्र के लिये कृपया परिष्टि 16 देखें।)

जिला कोटा में देवस्थान द्वारा किराये की वसूली

92. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में देवस्थान विभाग के कितने भवन कहां-कहां हैं ?

(2) उक्त भवनों में से कितने भवन कब-कब से, किस-किस को कितने-कितने किराये पर दिए हुए हैं और किराए पर दिए हुए भवनों में किस-किस पर कितना कितना किराया कब-कब से बकाया है व क्यों ?

(3) सरकार ने बकाया किराये की वसूली हेतु क्या-क्या कार्यवाही अब तक की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त भवन में से कितने-कितने, कहां-कहां, किस-किस संस्था या व्यक्तियों द्वारा बिना किराये उपयोग में लाए जा रहे हैं और क्यों ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 27 तथा राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के 3, कुल 30 मन्दिर स्थित हैं। मन्दिरों के नाम स्थान का विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(2) विवरण संलग्न मानचित्र में सदन के पटल पर रखने हेतु संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा किरायेदारों से बकाया किराया की राशि वसूल करने हेतु नोटिस दिये गये किन्तु 8 किरायेदारों द्वारा मकान खाली कर चले जाने व 4 किरायेदारों द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने एवं शेष किरायेदारों द्वारा बावजूद तकाजे के अभी तक किराया जमा नहीं कराने से उक्त राशि बकाया चली आ रही है। नवीन निर्धारित किराया जमा नहीं कराने एव किरायेदारों द्वारा विभिन्न न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने किराया प्रकरण से निपटने हेतु नवीन निर्देश दिनांक 7-12-82 को जारी किये हैं। अतः उसके अनुसार पुनः नोटिस दिये जाकर किराया वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

(4) कोटा जिले में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित किसी राजकीय मन्दिर के भवन का बिना किराये के आवंटित हुए उपयोग किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें।)

छोई नदी पर पुलिया निर्माण

93. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या मानपुर से सिकराय के मध्य छोई नदी पर पुलिया बनाया जाना प्रस्तावित

(श्री रामकिशोर मीणा)

हैं ? यदि हां, तो इसे कब तक बना दिया जायेगा ?

उत्तर

जी नहीं ।

सीसवाली-मांगरोल सड़क निर्माण

94. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के सीसवाली-मांगरोल सड़क का कार्य पूरा नहीं हुआ है ?

(2) यदि हां, तो उक्त सड़क के पूर्ण नहीं होने में क्या कठिनाई है ?

(3) क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग का निर्माण शीघ्र करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) कार्य कि. मी. 0/0 से कि. मी. 10/800 तक पूर्ण कर दिया गया है । कि. मी. 12/0 से 16/0 तक प्रगति पर है और इस भाग का कार्य मई, 1983 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है । कि. मी. 11/0 से कि. मी. 12/600 तक का कार्य भूमि अवाप्ति के अभाव के कारण चालू नहीं किया गया है ।

(3) हां, राज्य सरकार इस कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कराने का इरादा रखती है। कि. मी. 11/0 से कि. मी. 12/600 तक की भूमि अवाप्ति होने के उपरान्त सड़क का कार्य पूर्ण किए जाने की संभावना है ।

बोरावट नदी (बांसवाड़ा) पर पुल निर्माण

95. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बांसवाड़ा जिला में बांसवाड़ा-दोहद रोड पर बोरावट नदी पर कोई पुल निर्माण कराया जाना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या उक्त पुल निर्माण के लिये सर्वेक्षण कार्य हो चुका है ? यदि हां, तो पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं करने के क्या कारण हैं ? और अब कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बाणगंगा नदी (भरतपुर) पर पुल निर्माण

96. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भरतपुर जिले में बाणगंगा नदी पर खेड़ली-हिण्डौन मार्ग पर ग्राम पथैना के समीप कोई पुल निर्माण प्रस्तावित है ?

(2) आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं एक बड़े इलाके की बहुत पुरानी

Page No 36

(36)

(श्री बहादुरसिंह)
मांग के बावजूद अब तक यहां पुल बनाने की स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पुल बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

जिला बांसवाड़ा में सड़कों का निर्माण

97. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा जिले में कितने सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं तथा कितने सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं ?

(2) क्या पंचायत सर्किल मोटी बस्सी (गढ़ी पंचायत समिति), जो कड़ाना बांध की डूब से प्रभावित क्षेत्र है, में कोई सड़क निर्माण कार्य चल रहा है अथवा प्रस्तावित है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में (1) घाटोल-जगपुर सड़क (2) नाहली-मटार सड़क (3) उमराई सड़क एवं (4) बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ सड़क पर कार्य चल रहे हैं तथा (1) बांसवाड़ा-सामरिया सड़क तथा (2) पीपलखूंट-डूंगलावाली सड़कों के कार्य प्रस्तावित हैं।

(2) जी नहीं।

उदयपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में प्रस्तावित सड़कें

98. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले की गोगुन्दा, झाड़ोल एवं कोटड़ा तहसीलों की कौन-कौनसी सड़कें योजना में ली गई ? कृपया सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़कों को योजना के अन्तर्गत लेने के लिये राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव आये हैं? यदि हां, तो किन-किन सड़कों के लिये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की गोगुन्दा, झाड़ोल व कोटड़ा तहसीलों में (1) गोगुन्दा-बड़ से कोटड़ा (2) गोगुन्दा से ओगण तथा (3) झाड़ोल से सोम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत की गई है।

(2) उपरोक्त सड़कों के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आने पर ही स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री सूर्यकुमार को दिनांक 22 फरवरी, 1983 से 28 फरवरी, 1983 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री सूर्य कुमार, विभाजन संख्या 186, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण 22 फरवरी, 1983 से 28 फरवरी, 1983 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

(श्री अध्यक्ष)

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन-प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 9 फरवरी को ग्राम मानसर, ग्राम पंचायत टूटोली, थाना चाकसू, जिला जयपुर में मूलचन्द मीणा व उनके 3 साथियों द्वारा 2 किसानों के घर पर चोरी करते समय पकड़े जाने व उस मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने के विषय में,

(2) श्री अनंग कुमार जैन व श्री श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम बकानी, जिला झालावाड़ में एक सप्ताह में 3 डकैतियां व 4 चोरियां व झालावाड़ शहर में एक दिन में 10 चोरियां होने की घटना के विषय में,

(3) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजपूताना आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी महाविद्यालय, जयपुर के छात्रों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के विषय में;

(4) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की मंगलम् सीमेन्ट फैक्ट्री मोड स्थानीय अनुसूचित जाति के किसानों की अवाप्त की गई भूमि का उन्हें मुआवजा न मिलने के सम्बन्ध में,

(5) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से इटावा जिला कोटा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिए चलने वाले छात्रावास को पंचायत समिति को देने के बाद छात्रावास की व्यवस्था ठीक नहीं होने के विषय में,

(6) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर की चारों तहसीलों में अकाल राहत कार्य तथा पशु पोषण केन्द्र शुरू नहीं होने व सरकारी वसूलियां जारी रहने के विषय में;

(7) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पिछली 31 जनवरी को डाइवर्शन कैनाल के गेट खोलने से नहर टूट जाने से हजारों एकड़ भूमि बरबाद होने के विषय में,

(8) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 6 दिसम्बर को राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ की सीमा वृद्धि के आदेश होने के पश्चात् भी उसको निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, इस विषय में,

(9) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले के अकालग्रस्त गांवों में सार्वजनिक कुओं को नहीं जुताने से पेयजल की समस्या होने के विषय में,

(10) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा तहसील आटूण पंचायत द्वारा सुखाड़िया नगर के

Page No 38

(38)

(श्री अध्यक्ष)
आवंटित 4 हजार भू-खण्डों की जमीन के कब्जे आवंटियों को नहीं दिये जाने के विषय में,

(11) श्री समर्थलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले के कुछ अकाल घोषित गांवों में पीने के पानी तथा सिंचाई सुविधायें न होने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(12) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर की एकलव्य कालोनी की कुछ सरकारी भूमि पर वहां के प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा करने के विषय में,

(13) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिकराय निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत नामनेर, ठीकरिया तथा हींगवा में लगाये गये राजस्व शिविर में 400 नामान्तरण किये गये, किन्तु उनको तहसीलदार द्वारा तस्दीक न किये जाने के विषय में,

(14) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मनोहरपुर, जिला जयपुर के नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को गत 8 माह से वेतन न मिलने के कारण उनके द्वारा हड़ताल करने के विषय में,

(15) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मकानों के आवंटन एवं भर्ती में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव बरतने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

पूर्व में प्राप्त हुए कुछ स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है :—

(1) श्री जीतमल जैन व श्री समर्थलाल—राजकीय माध्यमिक विद्यालय हरसाना को क्रमोन्नत करने के पश्चात उसके क्रमोन्नती के आदेश रद्द करने के विषय में,

(2) सर्वश्री गुलाबचन्द कटारिया व दाऊदयाल जोशी—राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों की घोषणा में उनके साथ किये गये समझौते की पालना न करने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी का अध्ययन किया जा रहा है और इन पर बाद में निर्णय दिया जायेगा।

(3) श्री देवीसिंह भाटी—जिला बीकानेर के ग्राम खारा में श्रीमती मरजा देवी के साथ भारतीय सेना के जवानों द्वारा बलात्कार किये जाने की घटना। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि इस मामले में सन्दिग्ध पाये गये सेना के 5 जवानों को आर्मी गार्ड में तफतीश हेतु रखा गया है और उन्हें पुलिस को सौंपे जाने पर इसका अनुसंधान किया जायेगा।

(4) श्री भगवानदास शास्त्री—थाना मुकलावा, जिला गंगानगर में मीरा, पत्नी श्री रूपाराम जाति हरिजन के साथ बलात्कार की घटना के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले में सम्बन्धित महिला ने घटना के 23 दिन बाद अभियोग

(श्री अध्यक्ष)
दर्ज करवाया है तथा उसका डाक्टरी मुआयना नहीं हुआ और अभियोग का अनुसंधान जारी है।

(5) श्री लच्छूराम—क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना लूट, जिला झुन्झुनू की वितरण व्यवस्था ठप्प हो जाने के विषय में। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पेयजल की वितरण व्यवस्था में बिजली की कमी के कारण व्यवधान आया है, फिर भी विभाग द्वारा पूरे प्रयास कर गांव को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा ने सिकराय पचायत समिति के विकास अधिकारी के विषय में एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सुचना भी दी है, किन्तु माननीय सदस्य ने आज ही एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी थी। अतः इस दूसरे स्थगन प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया गया और इस पर चर्चा नहीं होगी।

अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने सरकार से जानकारी लेने के पश्चात् अस्वीकार कर दिया है उनके बारे में मैं माननीय सदस्यों के नाम पुकारू उसी क्रम में वह दो-दो मिनट में अपनी बात कहने की कृपा करें।

श्री देवीसिंह भाटी—जिला बीकानेर के ग्राम खारा में श्रीमती मरजा देवी के साथ भारतीय सेना के जवानों द्वारा बलात्कार किये जाने के विषय में।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा :

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव राजपूताना आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी महाविद्यालय जयपुर के सम्बन्ध में आपने जो व्यवस्था दी है, राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इसमें कोई जानकारी की आवश्यकता ही नहीं है ....

श्री अध्यक्ष : हमें आवश्यकता है, आपको तो आवश्यकता नहीं है। आर्डर प्लीज। मैं जानकारी ले लूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह कैम्प लगाकर बैठे हैं ...

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी ले लूं। जानकारी नहीं आयेगी तो मैं वक्तव्य दिलाऊंगा, आपको अवसर दूंगा। इसमें नाराज होने की कौनसी बात है।

श्री देवीसिंह भाटी।

श्री दीपेन्द्रसिंह : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पहले पाइन्ट ऑफ आर्डर

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से व्यवस्था भी दी जा चुकी थी, शायद आपको इन्फार्मेशन नहीं पहुंची है, मैं आपको दुबारा याद दिला दूं कि श्री माधोपुर के भूतपूर्व माननीय सदस्य, श्री रूपनारायणजी शास्त्री का गत दिनों निधन हो गया था ....

श्री अध्यक्ष : वह मेरे पास सूचना आई है। मैंने कलेक्टर से जानकारी की है 3 तारीख के बारे में। माननीय सदस्य, मेरे पास इसकी इत्तला है।

श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, ग्राम खारा के अन्दर एक युवती के साथ भारतीय सेना के जवानों ने जो सामूहिक बलात्कार किया उसके बाद जिला प्रशासन ने अपना अथक प्रयास करके फौरन मुल्जिमों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, सबसे पहले तो उसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, लूणकरण तहसील के अन्दर आर्मी गार्ड की पूरी की पूरी एक डिवीजन आर्मी अपनी एक्सरसाइज में लगी हुई है। उसके जवानों ने यह एक वारदात की जो सामने आई है जब कि और भी घटनायें हुई हैं। लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने आर्मी गार्ड का घेराव किया, आर्म फोर्स को सड़क पर आने से रोका...

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूं कि इसका संबंध भारतीय सशस्त्र सेना से है और आप जानते हैं कि सशस्त्र सेना पूरे पश्चिमी राजस्थान में अभ्यास करती है बहुत लम्बे समय से, हो सकता है कि उनमें एकाध बुरे हों, आम तौर से मेरे क्षेत्र के अन्दर हजारों सैनिक अभ्यास करते हैं। यह मेरे ध्यान में भी पहली शिकायत आई है। काफी गंभीर मसला है, दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि हमारा जिला प्रशासन से संबंध है और जिला प्रशासन ने भी कार्यवाही की है। मेरा निवेदन है, सेना को इस बीच में न लाया जाय तो अच्छा रहेगा। यह विचारणीय विषय भी हो सकता है, अनुसंधान कर रहे हैं। जिला पुलिस ने उन जवानों को मांगा है, मामला रजिस्टर कर लिया गया है। मैं समझता हूं पर्याप्त है इसलिए इस बात को.....

श्री देवीसिंह भाटी : एक बात कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आर्मी गार्ड ने एक्सरसाइज के लिए 34 गांव खाली करवा लिये हैं, लूणकरण तहसील के अन्दर। वह एक्सरसाइज करे लेकिन राज्य का सरकार कर्त्तव्य है कि अगर प्रदेश की जनता पीड़ित हो, उनके खेत में जहां पानी लगा हुआ है, वहां अगर व्हीकल जाकर खड़ा होता है तो मुआवजा दिलाने के लिये केन्द्रीय सरकार से आग्रह करे, उनको मुआवजा दिलाया जा सकता है। मरजा देवी के साथ सेना के 5 जवानों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसके पति को बांध कर छोड़ गये। उसकी पायल, बालिया, अंगूठी अभी तक बरामद नहीं हुई है। सेना के अधिकारी जिला प्रशासन को उन जवानों को सुपुर्द करने की स्थिति में नहीं हैं। मुझे यह सूचना मिली है कि सेना के अधिकारी किसी भी हालत में उन जवानों को जिला प्रशासन को सुपुर्द नहीं करेंगे। अगर वे सुपुर्द नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही होनी चाहिये वह नहीं हो पायेगी......

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात समझ गया।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं जिला प्रशासन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन-जिन काश्तकारों के खेत के अन्दर खड़ी फसल नष्ट हो गई है, चारा, गेंहूं, बरबाद कर दिया गया है उसका उनको मुआवजा दिया जाय, सरकार की तरफ से या केन्द्रीय सरकार की तरफ से···

श्री अध्यक्ष : यह बात ठीक है, वाजिब है इस प्रश्न को अन्य तरीके से उठायें।

श्री भगवान दास शास्त्री, थाना मुकलावा, जिला गंगानगर में मीरा, पत्नी श्री रूपाराम, जाति हरिजन के साथ बलात्कार के विषय में।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम—क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना लूटू, जिला झुन्झुनू की वितरण व्यवस्था ठप्प हो जाने के विषय में। मैं समझता हूं वन्दोबस्त हो गया है ....

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : नहीं बन्दोबस्त का प्रश्न नहीं; नीति का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कह दीजिये ।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : संक्षेप में ही निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, लूटू जल प्रदाय योजना द्वारा 52 गांवों को पानी सप्लाई किया जाता है। यह क्षेत्र पंचायत समिति, अरजीसर के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। दो महीने तक बिजली की कमी होने से, वैसे हमेशा ही बिजली की परेशानी रहती है, दो महीने तक इस योजना से 50 गांवों को पानी नहीं मिला है। इन गांवों के अन्दर कहीं पीने लायक पानी नहीं है। पानी इतना खारा है कि काम करने से शरीर फट जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से और विभागीय मंत्री, श्री परसरामजी से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में एक 32 के. वी. की लाइन झुन्झुनू से लूटू तक सैंक्शन हो। बिजली वालों से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है, यह बहाना करते हैं।

मेरा बिजली मंत्रीजी से यह निवेदन है कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार से 32 के. वी. लाइन से लूटू को जोड़ दे। जब तक इस लाइन से नहीं जोड़ेंगे, यह समस्या बनी रहेगी। मैंने कल भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय यह निवेदन किया था। अब गर्मी का समय आ रहा है, छोटे-छोटे गांवों में 10-10 मील से पानी लाना पड़ेगा, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि 32 के. वी. की लाइन से लूटू को जोड़ा जाय जल्दी से जल्दी जोड़ा जाय, यह मेरा निवेदन है।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1982-83 का चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम् प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री जेठमल बरवड़ ।

श्री नानालाल (सदस्य, अनुसूचित जाति कल्याण समिति) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1982-83 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं:—

(1) राज्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का प्रतिनिधित्व विषयक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1972-73 के प्रथम प्रतिवेदन (पंचम् विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।

(2) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1974-75 के द्वितीय प्रतिवेदन (पंचम् विधान सभा) में समाविष्ट

Page No 42

(४२)

(श्री नानालाल)
सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समिति का पंचम प्रतिवेदन, एवं

(3) अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति विषयक अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1973-79 के द्वितीय प्रतिवेदन (छठी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समिति का छठा प्रतिवेदन

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 1982-83 का द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री **अध्यक्ष** : श्री हरसहाय मीणा ।

श्री **नंदलाल मीणा** (सदस्य, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1982-83 निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं:–

(1) अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1974-75 के द्वितीय प्रतिवेदन (पंचम् विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का द्वितीय प्रतिवेदन ।

(2) राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग की सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के आरक्षण विषयक अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1976-77 के आठवें प्रतिवेदन (पंचम् विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का तृतीय प्रतिवेदन ।

(3) अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को खनन पट्टों के आवंटन विषयक अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1978-79 के प्रथम प्रतिवेदन (छठी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन ।

पुरःस्थापित विधेयक

राजस्थान पौध रोग तथा नाशकीट विधेयक, 1983

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य । पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक ।

श्री **देवेन्द्र सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पौध रोग तथा नाशिकीट विधेयक 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान पौधरोग तथा नाशिकीट विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान पौध रोग तथा नाशिकीट विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री **देवेन्द्रसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पौधरोग तथा नाशिकीट विधेयक 1983 को पुरःस्थापित करता हूं ।

शासकीय संकल्प

अन्तर्राज्यीय नदी जल (रावी-ब्यास) का वितरण

श्री **अध्यक्ष** : शासकीय संकल्प सदन के नेता प्रस्तुत करेंगे ।

श्री **शिवचरण माथुर** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को विदित है, पिछले कुछ दिनों

Page No 43

(43)

(श्री शिव चरण माथुर)

से रावी और व्यास के सरप्लस वाटर, जिसका कि अधिकार राजस्थान को मिला हुआ था और जिस पानी का उपयोग हमारे देश की कई स्टेट्स कुछ समझौतों और कारणों के आधार पर आज तक कर रही हैं, के बंटवारे के विवाद को लेकर, इस प्रश्न को लेकर अकाली दल ने कुछ विवाद उपस्थित किया है। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से के सर्वांगीण विकास और हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ता है और उससे हम बहुत चिन्तित हैं। पिछले दिनों इस प्रश्न को लेकर दिल्ली में कई चर्चायें हुई जिनमें मैंने और सिंचाई मन्त्रीजी तथा इस सदन में बैठने वाले विरोधी दल के माननीय नेताओं ने भाग लिया। हम ऐसा समझते हैं कि यह प्रश्न किसी एक दल विशेष का नहीं होकर सारे राजस्थान का प्रश्न है और इस प्रश्न को उसी सन्दर्भ में देखा जाना चाहिये। अतः यह सोचा गया कि राजस्थान विधान सभा का यह सदन, जो राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जिस पर इस प्रदेश के हितों की रक्षा करने का सम्पूर्ण भार है, का अभिमत जाना जाय और एक प्रस्ताव यहां पर लाया जाय जिसको कि हम सारे सदन के माननीय सदस्य, जिस भावना से इस प्रस्ताव को लाने वाली बात सोची गई है उस भावना से उस प्रस्ताव को पारित करें और भारत सरकार से यह निवेदन करें कि आज जो प्रश्न सामने उपस्थित है उस पर राजस्थान के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए अकाली दल की मांग पर ज्यादा ध्यान न दें। मैंने इसीलिये कल आपसे निवेदन किया था कि मैं एक प्रस्ताव यहां सदन के सामने लाना चाहता हूं। वैसे हमारे राज्य की भाषा हिन्दी है और हमारे सदन का सारा कार्य हिन्दी में होता है लेकिन इस प्रस्ताव को जब इस सदन में पेश करने का प्रश्न आया तो यह उचित समझा गया कि जो इस विवाद के संबंध में भूमिका है, जितने भी इसके एग्रीमेन्ट्स हैं, विश्व बैंक के सम्बन्ध में जितनी भी इसकी रिपोर्ट्स हैं भारत सरकार और दूसरे अन्य विभागों में जो इसकी रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं उन सबका आधार अंग्रेजी है और ऐसे मसलों पर कभी-कभी एक शब्द का तकनीकी अर्थ भी दूसरा निकाला जा सकता है इसलिए राजस्थान के हित को हम ज्यादा प्रोजेक्ट कर सकें बाहर, इस दृष्टि से यह जानते हुए भी कि हमारे प्रदेश की भाषा हिन्दी है ऑफिशियल लैंग्वेज, और यहां भी सारा कामकाज हिन्दी में होता है, अध्यक्ष महोदय, मैंने उचित समझा कि हमारे हित को ज्यादा प्रोजेक्ट करने की दृष्टि से इसको अंग्रेजी में पेश किया जाय। मैं आपकी इजाजत से इस प्रस्ताव को अंग्रेजी में पढ़ना चाहूंगा और इस प्रस्ताव का भावानुवाद हिन्दी में माननीय सदस्यों को सरक्यूलेट कर दिया गया है, अंग्रेजी की प्रतियां भी माननीय सदस्यों को सरक्यूलेट कर दी गई हैं।

तो मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव को यहां रखना चाहता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार से है:

1. The people of Rajasthan are greatly agitated on the demand made by the Punjab Akali Dal for a judicial review of distribution of Ravi Beas Waters and consequently that of the agreements entered into by the concerned States in that regard.

(श्री शिव चरण माथुर)

2. For the optimum utilisation of the waters of the rivers Ravi and Beas within India, an agreement was entered into in January, 1955 by the States of the then Punjab, Pepsu, Rajasthan and Jammu and Kashmir. According to this Agreement, the surplus waters of the rivers Ravi and Beas estimated to be 158.50 lac acre feet after according for the pre-partition utilisation, was allocated as under:—

1. Share of Punjab : 59 lac acre feet.

2. share of Jammu and Kashmir : 6.5 lac acre feet.

3. Share of Rajasthan : 80 lac acre feet.

4. Share of Pepsu : 13 lac acre feet.

Thus, according to agreement, after deducting the fixed share of Jammu and Kashmir as 6.5 lac acre feet, Rajasthan was allocated 59.6 per cent of the total distributable surplus waters.

3. After considerable deliberations and negotiations spread over a number of years, a treaty was signed in 1960 by India and Pakistan. As a result of this treaty, India paid about Rs. 110 crores to Pakistan for replacement works and India obtained the exclusive right to utilise the entire waters of the three eastern rivers, namely: Sutlaj, Ravi and Beas falling within its territory. In the requirements of waters projected by India in the negotiations preceding the finalisation of this treaty, the requirements for irrigation of arid areas of Rajasthan formed major and important part and in fact, Rajasthan's needs were the kingpin of the whole case of India.

4. On the basis of terms of Agreement entered into for distribution of surplus Ravi-Beas waters in order to utilise its allocated share and to develop its areas falling in the Indus Basin, Rajasthan has already spent hundreds of crores of Rupees on schemes launched for this purpose and work on the massive Rajashan Canal Project is progressing fast towards its completion. The hopes and aspirations of millions of people of Rajasthan have for a long time centred round completion of these schemes which will convert these arid but fertile areas in its north-western part into irrigated and developed ones and will provide permanent deliverance from recurring droughts. Apart from irrigation facilities, these schemes will provide drinking water to these arid areas. Already Rajasthan State has spent about Rs. 600 crores on Rajasthan Canal Project and the development of its command

(श्री शिव चरण माथुर)

area. Besides, almost Rupees Two thousand crores have been spent by the people themselves for development of that area.

At no time the Government in Punjab even when Akali Party was in power had disputed the entitlement of Rajasthan in the surplus waters of these two rivers obtained in terms of Agreements entered over two and a half decades ago. Presently, an attempt is being made to get the terms of such agreements reviewed and get the allocated share of Rajasthan reduced and also the rights and entitlements flowing from such Agreements curtailed. Any such review and reduction in the allocated shares of Rajasthan will inevitably result in thwarting the process of development of the ares and frustrate the genuine and long nurtured hopes of our people. This can never be tolerated.

The Rajasthan Legislative Assembly, taking into account the hopes and aspirations of the people of Rajashan, interests of the State, the importance and need of developing the backward areas and the sanctity that must attach to Agreements and treaties entered at the national and international levels, strongly deplores the unjust and unreasonable demand of Akali Dal.

The Rajasthan Legislative Assembly, fully determined to safeguard Rajasthan's interests and in full realisation of the fact that the entire development of the area is at stake, resolves to face with fortitude and firmness all challenges that might come up in this connection. This House, thus, most emphatically and in strongest possible terms, urges upon the Central Government not to consider any of the unreasonable Akali demands, notwithstanding their agitation, that might adversely affect the time honoured allocation of Rajasthan and jeopardise the long charised aspirations of its people.

This House notes with concern, as it has done at some occasions in the past also, that that the releases of water to Rajasthan have often been erratic and inadesuate. This, in our view,, is primarily due to non-implementation of the statutory provisions of the Punjab Reorganisation Act envisaging transfer of control of headworks at Ferozpur, Harike and Roper to the Bhakra Beas Management Board. This House, therefore, strongly pleads with the Central Government to arrange for the transfer of control of headworks to Bhakra Beas Management Board without any Further delay.

In the end, charishing the friendly and good neighbourly relations that have subsisted between the people of Rajas-

Page No 46

(५८)

(श्री शिव चरण माथुर)

than and Punjab over the long years, this House further appeals to the Akali Dal to refrain from raising the patently unreasonable demand to review Rajasthan's long established and unquestioned share of water in the two rivers. This House fervently hopes that the Akali Dal will not allow parechail considerations to get the better of our vision of integrated development of the entire region.

अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है जब कि राजस्थान के मूलभूत और व्यापक हितों की रक्षा करने के लिए और जो आज तक हमने प्राप्त किया है, उसकी तरफ यदि और, व्यक्तियों की नजर हो और हम किस तरह से बच जांय, उस पर सारे राजस्थान प्रदेश के लोग चिन्तित हों और सदन में भी इस प्रकार की चिन्ता हर दल में बैठने वाले माननीय सदस्य करते हों, उस अवसर पर हम एक होकर के राजस्थान की आम जनता की भावनाओं को व्यक्त करें और सभी सबंधित पक्षों को यह बताने की चेष्टा करें कि राजस्थान ने अपने इस 35 साल के इतिहास में जहां आजादी के बाद अपना विकास करने की बात सोची, वहां राजस्थान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सिंचाई के लिए काम आने वाले इन नदियों के पानी के बटवारे का सवाल था।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सारे प्रश्न की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपके मार्फत माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। मै ऐसा मानता हू कि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यदि हम इस प्रश्न को देखने की चेष्टा करें तो साफ मालूम होगा कि राजस्थान ने त्याग और बलिदान देकर के, अपनी सारी कुर्बानी देकर के इस बड़े प्रोजेक्ट को, इस महति योजना को इस प्रकार से हाथ में लिया, साधनों की कमी होने के बावजूद भी हमारे राजस्थान के दूसरे हिस्सों का विकास किसी मायने में कहीं न कहीं कम करके भी हमने सबसे पहली प्राथमिकता इस राजस्थान कैनाल और रावी व्यास का जो अतिरिक्त पानी हमारे हिस्से में आता था उसका जल्दी से जल्दी उपयोग करने के लिए बहुत तेज गति से, द्रुत गति से साधनों की कमी होने के बावजूद हमने कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, आप को मालूम है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बटवारे के पश्चात जब इण्डस बेसिन की पांच नदियों के पानी के उपयोग का प्रश्न, दोनों देशों के पानी के उपयोग का प्रश्न दोनो देशो के सामने था उस समय भारत ने पेशकश की थी कि सतलज, व्यास और रावी, जो हिन्दुस्तान की सीमा के अन्दर बहती हैं, इन तीनों नदियों का पानी भारत के हिस्से में आना चाहिए और बाकी जो सिन्ध की दूसरी ट्रिब्यूटरीज हैं उनका पानी पाकिस्तान को जाये उसमें एतराज नहीं, लेकिन जो भारत की सीमा में बहने वाली तीन नदियां हैं उनका पानी मूल रूप से देश को मिले। इसके लिए करीब 12-13 साल तक लगातार विवाद चलता रहा। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान की पेशकश यह थी कि इन तीनों नदियों का जो पानी है जहां से नदियां बह कर निकलती हैं, वहां इस पानी का उपयोग भारत नहीं कर पायेगा, इसलिए इस पानी की आवश्यकता भारत को नहीं है और यह पानी पाकिस्तान

(श्री शिवचरण माथुर)

को मिलना चाहिए। भारत की ओर से बहुत दृढ़तापूर्वक यह बात कही गई कि क्योंकि हिन्दुस्तान की सीमा के अन्दर यह नदियां बहती हैं और इसमें राजस्थान जो क्षेत्र है, जो सूखा क्षेत्र है, रेगिस्तानी इलाका है, जहां की धरती पर यह पानी आ जाय तो उसकी धरती इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी उपजाऊ भूमि है, इस भूमि में केवल पानी की कमी है, पानी आने के बाद वह धरती सोना उगल सकती है। इस बात को अलग-अलग जो इंटरनेशनल एजेंसीज थीं, बॉडीज थीं, उनके सामने अपने पक्ष को रखने की चेष्टा की। यह विवाद बहुत लम्बे समय तक चलता रहा। हमारे देश के सर्व प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको कि भारत का निर्माता कहा जा सकता है, सबसे पहले यह यह कल्पना की कि यदि इन तीनों नदियों का पानी एक जगह बांध कर अलग-अलग जगह पर और राजस्थान की भूमि पर इस पानी को पहुंचाया जाये, पंजाब और दूसरे राज्यों में तो पानी आना ही था, लेकिन राजस्थान की भूमि पर वह पानी पहुंचाया जाये, तो जाहिर बात है कि उससे भारत के उत्पादन में शत-प्रतिशत वृद्धि होगी। आज पंजाब के इलाके में जहां पहले से पानी है इसमें और अधिक पानी दिया जाता है तो कुछ प्रतिशत की वृद्धि वहां पर होने का अन्दाजा लगाया जा सकता है, लेकिन जिस इलाके में पानी आज तक पहुंचा ही नहीं हो और जहां पर कभी पैदावार हुई नहीं हो वहां अगर पानी आ जाता है तो जाहिर बात है कि उस पानी से जो कुछ अन्न के उत्पादन की वृद्धि होगी वह शत-प्रतिशत होगी और इससे देश को लाभ होगा। सबसे बड़ी बात उस समय हमारे देश के निर्माताओं ने इस बात की कल्पना की कि राजस्थान का वह हिस्सा जो सूखा इलाका कहलाता है, जिसमें सिंचाई के पानी का सवाल तो एक तरफ रहा, जिसमें पीने के पानी की समस्या इतनी गम्भीर है कि तीन-तीन सौ, चार-चार सौ फीट गहरा पानी मिलता है और वह भी आम तौर से ऐसा खारा मिलता है कि उसको अगर जुबान पर रखिए तो जुबान जलने लगती है। इस नहर का पानी जहां मिलता है वहां पर अगर कोई अच्छे पानी का सोर्स मिल जाये तो एक गनीमत की बात समझिये उसको कहीं दूर दराज गांव में ले जाने की बात की जाय तो लोगों को लाभ मिल सकता है, जहां पीने के पानी की समस्या हो वहां पर अगर पानी आ जाता है तो निश्चित बात है कि सारा लाभ न केवल राजस्थान बल्कि देश को मिलेगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में उस समय हमारे नेताओं की जो चिन्ता थी, जो अलग-अलग तौर से उन्होंने विश्व बैंक के चेयरमैन और दूसरे अधिकारियों को पत्र लिखे और जो हमारा मिशन बातचीत करने के लिये गया, उस मिशन ने जो अलग-अलग तौर से उनसे बातचीत की उसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण-पत्र मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जो इस बात के प्रतीक हैं कि उस समय इन तीनों नदियों के पानी का सवाल सामने था उस समय राजस्थान की सूखी धरती पर पानी ही एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसके आधार पर इन तीनों नदियों के पानी का उपयोग भारत कर सकता था। वही बात मान करके विश्व बैंक ने इसमें इन्टरवेंशन किया, विश्व बैंक के बीच में आकर बहुत हमारा खतो-किताबत चला, कॉरस्पोडेंन्स चली। हमारा मिशन वहां पर गया। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने कई बार पत्र लिखे और उसमें इस बात को दर्शाया कि राजस्थान की भूमि पर

(श्री शिवचरण माथुर)

जो पानी पहुंचेगा वही खास तौर से इस पानी का उपयोग करने की स्थिति ला सकते हैं यह सवाल चला, यह प्रश्न करीब 53-54 से हमारे सामने उपस्थित हुआ, बातचीत चलती रही। 6-7 साल तक लगातार चर्चा चलती रही, विश्व बैंक ने आशंका प्रकट की, इतने अधिक पानी का उपयोग राजस्थान में इतनी जल्दी किया जा सकता है, इसमें उन्होंने शंका प्रकट की तो उस वक्त के जो सिंचाई मन्त्री थे भारत सरकार के, उन्होंने पार्लियामेन्ट में डिबेट का जवाब देते हुए 26 मार्च, 1958 को जो बात कही, वह आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। श्री एस. के. पाटिल ने कहा--

"We shall not wait a day longer than 1962. When our Rajasthan Canal and the southern feeder are ready, we shall withdraw the water that now goes to Pakistan. I shall implore Pakistan that they should not regard this as any kind of threat. It is a humble request that we are making. We have made it clear again and again that this is not a deadline, but this is merely an accommodation that we are giving."

जब यह बात वर्ल्ड बैंक के सामने बहुत स्पष्ट हो गयी कि इस पानी का उपयोग राजस्थान में ले जाकर होगा उस समय उन्होंने शंका प्रकट की थी कि कितनी देर इसमें लगेगी, उस समय हमारे प्रधान मन्त्री जी ने दुबारा लिखा इउविन ब्लैक को जो उस समय वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन थे, उनको 5 जून, 1958 के पत्र में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा वह इस प्रकार है:--

"The points raised in your letter. of the 14th May have been discussed by Mr. Idris with our representative in Rome in April last. It was then clearly indicated to Mr. Idris that while the Govt. of India even at this last stage is prepared to adjust their programmes of irrigation development in accordance with any agreement that may be reached within next few months, it cannot indefinitely hold up the construction of various works designed to feed the arid areas of Rajasthan.

राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश था जिसके आधार पर इन तीनों नदियों के पानी का सवाल वर्ल्ड बैंक के इन्टरवेन्शन से तय हुआ और यह निश्चिय किया गया कि इस पानी का बहुत बड़ा हिस्सा जो राजस्थान में उपयोग हो सकता है, उसको लाया जाये। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे वर्ल्ड बैंक के सामने भारतीय मिशन के नेता थे, श्री गुलाटी, उन्होंने अपने मेम्योर में अपनी आॅटोबायोग्राफी में जो जिक्र किया है राजस्थान कैनाल का और इस पानी के सम्बन्ध में, वह भी मैं यहां पर पढ़कर सुनाना चाहता हूं। श्री गुलाटी कहते हैं :--

'Rajasthan Canal which was the king pin of India's case in the 1950, for additional uses from Indus rivers which was of withdrawing eastern rivers water from Pakistan and the principal purpose underlining several successful battles fought by my colleagues & me a development which the head of Govt. of India the accredited leader of the Indian people for decades has declared in

(शिवचरण माथुर)

formal communication with the President of World Bank in 1960."

अध्यक्ष महोदय, यह सारे सन्दर्भ मैंने इसलिए दिये कि अगर राजस्थान में इस पानी को लाने का प्रश्न नहीं होता तो सम्भवत: इन तीनों नदियों का पानी हिन्दुस्तान को नहीं मिलता। इस बैंक ग्राउन्ड में, इस पृष्ठ भूमि में यह निश्चय किया गया 1960 में, वर्ल्ड बैंक के इन्टरवेन्शन के बाद में भारत और पाकिस्तान में एक ट्रीटी हुई उस ट्रीटी में यह निश्चय किया गया कि तीनों नदियों का पानी हिन्दुस्तान को मिलेगा। इन तीनों नदियों के पानी के हिन्दुस्तान में मिलने के लिए भारत की सरकार ने, देश की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को, जो उनके रिप्लेसमेण्ट वर्क्स थे, उनको कम्पेन्सेट करने के लिए 110 करोड़ रुपये के आस-पास धनराशि दी। इसका मतलब साफ हुआ कि यह राष्ट्रीय स्तर पर पानी के उपयोग के बारे में पाकिस्तान से समझौता हुआ था उसका मुआवजा, उसका कम्पेन्सेशन देश की सरकार ने चुकाया। यह आज बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में उभर कर सामने आया। उसके पहले जैसा मैंने पढ़ा, राजस्थान कैनाल का और उसके पानी के उपयोग का काम प्रारम्भ हो चुका था। 1955 में जो भी स्टेट्स उस वक्त की थीं, जहां पानी जाने की सम्भावना थी, उन सब स्टेट के बीच में एक मुहायदा हुआ जिसको कि हम 1955 का एग्रीमेण्ट कहते हैं, उस एग्रीमेण्ट में यह निश्चय किया गया कि उस समय जो रावी व्यास का अतिरिक्त पानी है, जो पाकिस्तान हिन्दुस्तान बनने के पहले, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले जितना पानी का उपयोग इन नदियों का हो चुका था, उसके बाद जितना पानी बचता था, जो सरप्लस वाटर था, उसका अलग-अलग तौर से हिस्सा हुआ। उसमें राजस्थान को सबसे अधिक हिस्सा मिला, 158.50 लाख एकड़ फीट में से 80 लाख एकड़ फीट राजस्थान को मिला, 59 लाख एकड़ अर्स्टव्हाइल पंजाब को मिला और 6.5 लाख एकड़ फीट पानी जम्मू एण्ड काश्मीर को मिला। यह निश्चय किया गया कि जम्मू-काश्मीर का पानी अगर पानी की और भी उपलब्धि होगी, बढ़ोतरी तो भी जम्मू-काश्मीर का पानी हमेशा 6.5 एकड़ फीट सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार उस समय के पेप्सू स्टेट को 13 लाख एकड़ फीट पानी दिया गया। यह कुल मिलाकर 158.50 लाख एकड़ फीट पानी का बंटवारा उस वक्त की स्टेट्स में किया गया। उस बंटवारे के आधार पर इस पानी के उपयोग की योजनायें बनाई गईं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल, यदि मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, दुनियां की सबसे बड़ा एक ईरिगेशन केनाल सिस्टम है जो कि करीब-करीब 134 मील राजस्थान फीडर के रूप में पंजाब और हरियाणा के हिस्से में से गुजरती है और उसके बाद करीब 300 मील राजस्थान के हिस्से में से गुजरती है। इस इतनी बड़ी महती और विशाल योजना पर आज राजस्थान करीब-करीब 600 करोड़ रुपया खर्च कर चुका है। आप और हम सब जानते हैं, आज से पहले सूरतगढ़ के इलाके को, आजसे पहले को हनुमानगढ़ का इलाका और गंगानगर का इलाका, मैं समझता हूं, 1955-1956, 1958 से पहले क्या था। सूखी धरती थी। मुश्किल से 3-4 इंच पानी वहां पड़ता था। लेकिन आज आप उस इलाके में जाइये, वहां लह-लहाती खेती आपको मिलती है, चारों तरफ हरियाली आपको देखने को मिलती है

Page No 50

(50)

(श्री शिवचरण माथुर)

जो रेत के टीबे थे उनको स्टबलाइज करने का बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां चला। अब टीबे ऐसे मालूम नहीं पड़ते कि रेत के टीबे हैं। वहां पर अच्छे पेड़ उग गये, हरियाली हो गयी और जबर्दस्त कोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। आज लाखों टन अनाज पैदा होने लगा है। इस सारे इलाके में परिवर्तन आया। कुछ दिनों पहले भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री मुझसे चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी मित्रों को जब मैं राजस्थान केनाल के एरिया को दिखाने के लिए ले गया तो उन्होंने मुझे कहा कि विश्वास नहीं होता, पास में जो रेगिस्तानी इलाका है, जो टीबे हैं रेत के उनके बिल्कुल ठीक बगल में, नहर के दायीं तरफ इतना बड़ा परिवर्तन एतिहासिक आ सकता है। भारत जैसा देश, जिसके पास साधनों का अभाव हो। इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, यह बड़ी अजीब बात है, आश्चर्यजनक बात है। तो जबर्दस्त परिवर्तन आया वहां पर। जैसा मैंने निवेदन किया, साधनों की सीमा के बावजूद भी आज हम इस बड़े प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। हमारा प्रथम स्टेज उसके दोनों फेजेज करीब-करीब पूरे होने को आये और हम स्टेज टू में बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। आपको मालूम है यह जो मेन कैनाल है यह नाचना और उसके आगे तक पहुंच चुकी है। इसके एडवांस वर्क के लिए जैसलमेर तक अर्थ वर्क करके पानी को ले जाने के लिए फीडर चैनल पहुंचाने की चेष्टा हम कर चुके हैं। यह भी सदन को मालूम है, मैंने पिछली बार भी सदन को सूचित किया था कि भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए चिंतित है। जैसा कि आपको मालूम है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर राजस्थान कैनाल को पूरा करने के लिए 162.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है। भारत सरकार का विचार है कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। हमने यह निश्चय किया कि राजस्थान कैनाल की मेन कैनाल है उसको पक्का कर दिया जाये और उसको छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर पूरा किया जाये। साथ ही उसकी जो डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं, उनको चाहे कच्चा रख करके भी पानी किसानों को देने वाली बात हो लेकिन पानी पहुंचाने की चेष्टा की जाए। उसके लिए भारत सरकार ने 1982 के साल में ही हमको 40 करोड़ रुपया अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी। यह इस बात का प्रमाण है कि आज भारत सरकार और हम सब इस बात के लिए चिंतित हैं कि हमारी बहुत बड़ी योजना जल्दी से जल्दी पूरी होकर के, लाखों एकड़ जमीन को पानी उपलब्ध हो सके ताकि हमारे प्रदेश के लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं के साथ में जो राजस्थान कैनाल के साथ जुड़ी हुई है, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकें। उसके लिये बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग हरक्यूलिन एफर्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आज उस काम में हमारी जो सबसे अधिक प्राथमिकता यदि राजस्थान सरकार किसी काम के लेकर चलती है तो वह राजस्थान केनाल के पूरा होने को लेकर चलना चाहती है। आज इस संदर्भ में राजस्थान केनाल हमारे लिये कितनी महत्वपूर्ण है इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन मुझे दुःख है कहते हुए कि बावजूद इसके कि 1955 का एग्रीमेंट इन सारी स्टेट्स के बीच में हुआ, बावजूद इसके कि इस एग्रीमेंट के तहत अलग

Page No 51

51

(श्री शिवचरण माथुर)

अलग स्टेट्स को उनका हिस्सा बांटा गया, बावजूद इसके कि उस एग्रीमेंट की टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स के हिसाब से उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिये काम शुरू हो गया, बावजूद इसके कि उन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद और कुछ और आगे बढ़ने के बाद आज लाखों एकड़ जमीन पर पानी पहुंचा है और उस क्षेत्र में परिवर्तन आया है। करोड़ों रुपया वहां पर खुद मेहनत करके लोगों ने पैसा लगाया है, आज देश के एक हिस्से से आने वाले कुछ लोग यह कहने की चेष्टा करते हैं कि पंजाब से बहने वाली नदियों के पानी पर सारा का सारा अधिकार पंजाब का है और किसी भी दूसरी रियासत का यह अधिकार नहीं है कि वह उसके पानी को काम में ले। पहले तो वह यह कहा करते थे, आज उन्होंने एक नयी बात कहना शुरू की है कि जो पानी को आप आज तक उपयोग कर चुके हैं, उस पानी को तो रहने दीजिए, उसके बाद के पानी का उनका यह मानना है, इस पानी के प्रश्न को एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल को रिव्यू के लिये भेज दिया जाय ताकि वह यह अन्दाज लगायें किसको कहां तक कितना उपयोग हो सकता है।

मैं कहना चाहता हूं कि आज पंजाब की स्थिति यदि आप देखें तो आपको आंकड़ों के हिसाब से देखने पर ताज्जुब होगा कि हमारे में और उनमें कितना फर्क है। आज पंजाब के इलाके में उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पर एन्टीवाटर लोगिंग स्कीम को हाथ में लिया हैं। पंजाब के बहुत बड़े क्षेत्र में इस पानी का उनका एरिया कम है लेकिन पानी का उपयोग इतना अधिक किया है कि वहां पर वाटर लोगिंग की प्राब्लम शुरू हो गई है। पंजाब में आज की स्थिति में कल्टीवेबल और क्रोप एरिया का पर्सेन्टेज है, वह कुल मिलाकर 123.3 प्रतिशत है, हरियाणा में यह पर्सेन्टेज 104.6 है और उसके मुकाबले में राजस्थान में यह पर्सेन्टेज 14.6 है। कहां 123.3 पर्सेन्ट,ज पर्सेन्टेज आफ क्राप्ड एरिया टू कल्टीवेबल एरिया और कहां, 14.6 पर्सेन्ट। सारा जितना उनका टोटल इरिगेटेड एरिया टू कल्टीवेबल एरिया पंजाब में है उसका पर्सेंट 73 है, हरियाणा में 38 पर्सेन्ट और उसके मुकाबले में राजस्थान में 4.49 पर्सेन्ट टोटल एरिया, कल्टीवेटेड एरिया और इरिगेटेड का आता है। एक तरफ जहां इतनी बड़ी असमानता हो और पंजाब के अन्दर पांच फीट और दस फीट तक पानी मिलता है, जहां जबरदस्त वाटर लोगिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है वहां वह और अधिक पानी लेकर 200 पर्सेंट इन्टेंसिटी करके साल में तीन तीन, चार चार फसलों की बात करते हैं और यह कहते हैं कि हमने इतने अधिक पानी का उपयोग करने वाली बात कर ली है इसलिए उनको अधिक पानी मिलना चाहिये। उसके मुकाबले में राजस्थान में आज 200-250 फीट नीचे पानी मिलता है। हम तो इस पानी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक एरिया बढ़ा कर लोगों की खेती में उसका उपयोग करना चाहते हैं। इस प्रकार का असमानता का वातावरण आज बना हुआ है उसके होते हुए एक अजीब तरह की बात सामने आती है, आखिर यह सारे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट हैं, आज विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ में यह कल्पना की जा रही है कि कावेरी और गंगा नदी के पानी को मिलाकर हिन्दुस्तान के सूखे इलाकों में ले जाया जाना चाहिये। आज यह भी कल्पना की जा रही है कि सुदूर पूर्व में बहने वाली ब्रह्मपुत्र जो बहुत बड़ी नदी है, जिसको कि

(श्री शिवचरण माथुर)

अहमनद कहते है, के पानी का आज उपयोग नहीं हो पाया है, उस पानी को भी कहीं न कहीं, किसी से जोड़कर हिन्दुस्तान के सूखे इलाकों में ले जाने वाली बात की जानी चाहिए। आज वहां विज्ञान और तकनीक के आधुनिकतम उपयोग से बड़ी-बड़ी नदियों को सारे देश के लिये उपयोग की कल्पना करने वाली बात सोची जा रही है और जो आज के हालात में एक छोटे से इलाके, सूखे इलाके को पानी न देने वाली बात की जाती है, में ओवर सेचुरेशन करके उस इलाके को खराब करने वाली बात, किसी कीमत पर भी आज अजीब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस बात को हमने भारत सरकार को बहुत गंभीरता से बहुत स्पष्ट रूप से कहा। अकाली दल के लोग यह कहते हैं कि राजस्थान में जो पानी का हिस्सा उसका है, उसके उपयोग का आधार नहीं बनाया है उसके लिये इन्फ्रा स्ट्रक्चर बिल्ड अप नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को रखते हुए माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। यह जो 15.85 मिलियन एकड़ फीट पानी रावी और व्यास का सरप्लस वाटर है उस सरप्लस वाटर में से अभी तक मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा 12.807 मिलियन एकड़ फीट आया है क्योंकि रावी नदी पर थीन डेम अभी नहीं बांधा गया है, थीन डेम बनने से पहले रावी नदी के पानी का उपयोग नहीं हो सकता। व्यास के पानी को जहां जहां बांधा गया है। पोंग पर और कुछ पानी को पोंग से पहले माण्डू में, उस पानी को बांधकर उस पानी को भाखरा में डालने वाली बात की गयी है, इस सब के बाद आज जो पानी उपलब्ध सारा सरप्लस वाटर रावी व्यास का हुआ है, इकजाई मिलाकर वह ज्यादा से ज्यादा 1981-82 में 12.807 मिलियन एकड़ फीट हुआ है, मैं तो कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के मार्फत सारे भारत के लोगों को और संबंधित सरकार को कि राजस्थान ने उस पानी में से 5.237 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग आज तक किया जब कि हमारी इससे ज्यादा क्षमता आज उपलब्ध है। आज भाखरा का जो सिस्टम है जिसमें सादुलपुर और करनीसर की नहर है उसके जरिये हमें पानी को लाने की इजाजत मिले और वहां से पानी आने वाली बात स्वीकार कर ली जाय तो मैं समझता हूं, सात मिलियन एकड़ फीट पानी उपयोग करने की क्षमता आज राजस्थान पैदा कर सकता है। 7 मिलियन एकड़ फीट पानी उपयोग करने के लिये, निश्चित बात है कि जो आज की एवेलेबिलिटी है वह इतनी अधिक नहीं है जिससे हमारी क्षमता बढ़ गई हो कि हम उसका उपयोग पूरे तौर से कर सकें। ऐसी स्थिति में यह भी बात कहना भी बिल्कुल निराधार है आज राजस्थान में इन्फ्रा स्ट्रेक्चर डवलप नहीं किया है। यही बात हमने भारत सरकार के सामने कही जब त्रिपक्षीय वार्ता हुई, भारत सरकार ने यह प्रयत्न किया कि इस गंभीर मसले को आपस में बैठ करके बातचीत के जरिये सुलझाने की चेष्टा की जाय।

भारत सरकार ने पार्लियामेंट के अन्दर जितने भी अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स थे उनको निमंत्रित किया, पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया और इसके अलावा अकाली दल के नेताओं से बातचीत की और यह बातचीत एक बार नहीं, कई बार हुई, तीन-तीन, चार-चार दिन तक लगातार राउण्ड में हुई, पहले 20 जनवरी को बातचीत हुई, फिर 8-9-10 फरवरी को बातचीत हुई और उसके बाद 17, 18

(श्री शिवचरण माथुर)

19, 20 चार दिन तक लगातार बातचीत हुई। इन बातचीत में यही बताने की चेष्टा की गयी, हमने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए यही बात कही थी कि राजस्थान के पानी का सवाल जहां तक है इस पानी को कभी भी किसी भी सरकार ने कहीं पर किसी भी मौके पर डिस्प्यूट नहीं किया, यहां तक कि 1977 के बाद में पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी थी उसने भी राजस्थान के हिस्से को कभी भी डिस्प्यूट नहीं किया। उनके काल में तो यह सवाल आया था कि हैड वर्क्स को देने वाली बात की जाय हालांकि उस वक्त वह सम्भव हुआ नहीं। हैड वर्क्स का कंट्रोल बी. बी. एम. बी. के हाथ में आया नहीं लेकिन उस वक्त भी उस सरकार ने इस बात को डिस्प्यूट नहीं किया, जो करार, जो समझौता 1955 में हुआ, उसके आधार पर एक बहुत बड़ी योजना हाथ में ली, 27-28 साल तक चल कर के उस पर बहुत बड़ा खर्चा हुआ, उसके आधार पर बहुत बड़ा इन्फा स्ट्रक्चर बिल्ड अप हुआ, लोगों की तरक्की उससे हुई और आने वाले क्षेत्रों में एक आशा बन्धी कि वहां पर भी पानी आयेगा। आज जैसलमेर के, नाचना के लोग इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि वहां पर पानी आये, जिस प्रकार सूरतगढ़ के इलाके में खेती लहलहा रही है उसी प्रकार जैसलमेर के रेतीले लेकिन बहुत समतल इलाके में वह पानी कब आयेगा। लोगों ने आशायें इस प्रकार से संजो रखी हैं, उन आशाओं की पूर्ति हो तो जहां लोग इन्तजार कर रहे हैं वहां पर आज कुछ लोग यह कहते हैं कि जो पानी का उपयोग आज हम कर रहे हैं उसको वही रोक दिया जावे और आगे बचे हुए पानी के डिस्ट्रिब्यूशन के लिए एक जुडिशियल रिव्यू के लिए उसे रेफर किया जाय। मैं ऐसा मानता हूं कि न तो राजस्थान की सरकार इस बात को स्वीकार करती है और न ही राजस्थान की जनता ही इस बात को स्वीकार करेगी, आज के एतिहासिक युग में सारा का सारा हमारा देश एक है। हमारे देश के जो साधन हैं वह किसी एक प्रदेश के नहीं बल्कि सारे देश के साधन हैं। जहां उनका उपयोग हो सकता है अधिक, वहां उन साधनों का उपयोग किया जाना चाहिये। और देश की आर्थिक उन्नत्ति में उनका योगदान होना चाहिये। वहां एक प्रदेश की सरकार या प्रदेश के कुछ लोगों, सरकार ने तो वहां पर नहीं कहा है, प्रदेश के कुछ लोग यदि यह बात उठायें और यह प्रश्न सामने रखें कि यह पानी केवल उनका है और दूसरे लोगों को पानी के उपयोग का अधिकार नहीं है, मैं समझता हूं, यह बहुत दुर्भाग्य पूर्ण बात हो सकती है, आज के संदर्भ में मैं इसको हास्यास्पद बात ही कहना चाहता हूं। इसलिए आज हमारे सामने बहुत गंभीर संकट है और गम्भीर चुनौती है। अकाली दल के लोगों ने आन्दोलन की धमकी सरकार को दे रखी है। वह कहते हैं कि अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम आन्दोलन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। मैं इस सदन के मार्फत उनको कहना चाहता हूं और सब संबंधित लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि आन्दोलनों की धमकी और आन्दोलनों की भाषा ही किसी प्रश्न के समझौते के लिए उपाय है तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता भी इस मामले में इतनी उद्वेलित है, इतनी चिन्तित है कि हम किसी भी कीमत पर, किसी भी समय पर इस चीज को बरदाश्त नहीं करेंगे कि हमारे हिस्से का एक बूंद भी पानी, जो हमारे हिस्से का पानी है, कोई दूसरा व्यक्ति लें। इसलिए मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया

54

(श्री **शिवचरण माथुर**)

कि यह प्रश्न कोई एक पार्टी का एक दल का नहीं है, यह सारा का सारा प्रश्न राजस्थान की जनता का है, राजस्थान के सभी दलों का सवाल है और मुझे कहते हुये प्रसन्नता है कि जब भी हमारी वार्ता हुई, जहां भी हम बैठे और जहां भी हमने चर्चा की वहां पर कटिंग एक्रास दी पार्टी बैरियर, दल के भेदों को मिटाकर के हमारे सभी विरोधी दल के माननीय नेताओं ने, दिल्ली में भी जो वार्ता हुई, उसमें भी उन्होंने एक ही आवाज में, जैसे एक संयुक्त राजस्थान वहां पर बोल रहा हो, सब ने एक ही बात कही कि जो कुछ भी 1955 का एग्रीमेंट हमारा हुआ है उस एग्रीमेंट से वापस जाने का सवाल नहीं उठता। उसमें जो कुछ भी फार्मुलेशन हैं, जो कुछ भी हिस्सा हमें मिला है यदि आज पानी बढ़ता है, पहले यह 15.85 मिलियन एकड़ फीट पानी 25 वर्ष की प्रासीड्स के आधार पर निश्चित किया गया था। फिर यह मालूम किया गया कि प्रासीड्स और बढाई जायें, 1921 से 1960 तक की 40 वर्ष की प्रासीड्स के हिसाब से जो दूसरे पानी की उपलब्धि मानी गयी 17.17 मिलियन एकड़ फीट, उसके हिसाब से राजस्थान को 1.6 मिलियन एकड़ फीट पानी मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान का 1.6 मिलियन एकड़ फीट नहीं, यदि राजस्थान को 10 मिलियन एकड़ फीट पानी भी मिले तो भी राजस्थान उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। उसके बाद भी राजस्थान के बहुत से हिस्से ऐसे हैं, राजस्थान का बहुत-सा रेगिस्तानी इलाका ऐसा है जिसमें कि आज पानी की बहुत जरूरत है। आज आप जानते हैं, जोधपुर में पानी की समस्या है आप जानते हैं पोकरण और सारे इलाके में पानी की समस्या है। पीने के पानी की बात मैं कह रहा हूं, मैं सिंचाई की बात नहीं कह रहा हूं। उसके लिए 5-6 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बना रखी हैं, पीने के पानी के लिए आज वह इन्तजार कर रहे हैं।

मैं एक दफा चूरू गया था। वहां मुझे चूरू के लोगों ने बतलाया कि जब गंग केनाल बनी थी, जब सबसे पहले सतलज के पानी को राजस्थान में लाने का सवाल तय हुआ था 1920 में उस समय चूरू के लोगों ने, बीकानेर के लोगों ने, गंगानगर के लोगों ने अपना पैसा दिया, अपनी मेहनत दी, मजदूरी दी और वह अपने घर छोड़कर इस गंग केनाल को बनाने के लिए वहां गये थे। तो आज राजस्थान के लोगों का खून और पसीना इस सारी योजना में लगा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस सारे पानी से, इस सारी योजना से हमारी भावनायें जुड़ी हुई हैं और कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल अगर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की चेष्टा करता है तो हम आज के संवैधानिक ढांचे में, बहुत विनम्रतापूर्वक उनसे कहना चाहते हैं, हम किसी से लड़ने वाली बात नहीं भी कहते क्योंकि वह भी हमारे भाई हैं, हमारा उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है। मैं ऐसा कहता हूं कि पंजाब के लोगों का एक ऐतिहासिक रोल हमारे देश की राजनीति में रहा है, देश के इतिहास में रहा है, देश की आजादी की लड़ाई में और हिन्दुस्तान की रक्षा करने में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है उस को हम याद करते हैं और कहना चाहते हैं कि आज एक भाई भाई की तरह से, एक अच्छे पड़ोसी की तरह से जो समझौते और मुआयदे हमारे हुए और ऐतिहासिक कसौटी पर जिसको पूरी तरह से परख लिया गया है, कस लिया गया है उन ऐतिहासिक मुआयदों से, एग्रीमेन्ट से डिस्टर्ब नहीं किया जाये, हम सब लोगों का

55

(श्री शिवचरण माथुर)

इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट हो, एक योजना के आधार पर सब क्षेत्रों का विकास हो, सभी तरह समान रूप से जहां जिसकी गुंजाइश हो उसी प्रकार से अलग-अलग क्षेत्र का विकास हो, यह हमारी इच्छा है। उसी भावना से हम एक नैतिक आधार देने की दृष्टि से, राजस्थान की जनता का बल इस सारे प्रस्ताव के पीछे उपलब्ध कराने की दृष्टि से, प्राप्त करने की दृष्टि से, राजस्थान की जनता का एक आशीर्वाद प्राप्त करने की दृष्टि से मैं इस प्रस्ताव को आपके सामने लाया हूं। यह 200 माननीय सदस्य जो अलग-अलग क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, जैसा मैंने कहा कि राजस्थान की सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यदि यह सदन प्रस्ताव पास करता है तो ऐसा माना जाना चाहिए कि राजस्थान की 3½ करोड़ जनता इस प्रस्ताव के पीछे हैं, उनकी भावनायें इसमें हैं, उनका आशीर्वाद इस प्रस्ताव में सन्निहित है।

इसलिए मैं इस अवसर पर अधिक नहीं कहते हुए क्योंकि मैं चाहूंगा कि जब इस पर वाद-विवाद हो और अलग-अलग दलों के माननीय नेता इस बारे में बोलें उसके बाद अंत में फिर कुछ आप से निवेदन करूं, मैं कुछ और बातें आप से कहना चाहूंगा, हमारे और अन्य साथी मंत्रिमण्डल के जो इस विभाग से भी सम्बन्धित हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा क्योंकि यह तो सरकार का और सदस्यों का अलग-अलग प्रश्न नहीं यह तो सब का एक मिला-जुला प्रश्न है इसलिए जो भी भावना आप इस सम्बन्ध में प्रस्तुत कर सकते हों उन भावनाओं को यहां पर रखें। मैं इस सदन से निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को बहुत जोरदार तरीके से, एक राय से और एक भावना के साथ में पारित करके राजस्थान की जनता का एक ऐतिहासिक फैसला सारी दुनियां को और हमारे उन भाइयों को, जो आज एक मांग कर रहे हैं उनको बताने के लिए चेष्टा करें। यहीं कहते हुए मैं प्रस्ताव को सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह प्रस्ताव राजस्थान के हितों की दृष्टि से बहुत ही गम्भीर है, महत्वपूर्ण है। इस आधार पर इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है कि इस प्रस्ताव में जिस प्रकार की भावनायें व्यक्त की गयी हैं उन भावनाओं के साथ पूरा राजस्थान है। अध्यक्ष महोदय, इस सारी स्थिति में मुझे डर अकालियों से नहीं लगता, अकाली हमारा पानी ले जायेंगे, अकालियों के आन्दोलन के कारण से हमारे हितों पर कुठाराघात होगा या अकाली राजस्थान को किसी प्रकार की हानि पहुंचा पायेंगे, मुझे इस बात का डर नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि अकालियों के आन्दोलन के सामने भारत सरकार कभी घुटने नहीं टेक दें। मैं इस आधार पर ज्यादा चिन्तित हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें तर्क का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। तर्कों के आधार पर यदि इस सारे मसले का विश्लेषण किया जाये तो दुनियां की कोई ताकत नहीं है जो तर्कों के आधार पर राजस्थान के हिस्से पर किसी प्रकार का कुठाराघात कर सके। लेकिन राजनीतिक मसलों पर तर्क नहीं चलते। कई बार कुतर्क भी प्रभावी हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुतर्क प्रभावी न हो जायें। इस आधार पर यह बहुत ही अच्छा हुआ कि भारत सरकार को इस सदन की ओर से सावधान

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कर दिया जाये कि भारत सरकार अकालियों की मांगों के संबंध में उनके वास्तविकता के परे जो दावे किये गये हैं उन दावों पर राजस्थान के हितों का दांव न लगा दे। यह मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, अकालियों की मांग को लेकर जो त्रिपक्षीय वार्ता चल रही है उस वार्ता का कोई आधार होना चाहिये। उस वार्ता का कोई आधार नहीं है। अकाली आनन्दपुर साहब के प्रस्ताव को लेकर एक आन्दोलन चला रहे हैं। आनन्दपुर साहब के प्रस्ताव के संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा कि कई बार पंजाब के राजनैतिक दलों ने, केन्द्रीय सरकार ने और राजस्थान में भी कई व्यक्तियों ने इस बात का प्रयत्न किया कि आनन्दपुर साहब प्रस्ताव क्या है, इसकी हमको जानकारी मिले। अध्यक्ष महोदय, इसके कई वर्शन्स जनता के सामने आये, समाचार-पत्रों के सामने आये। आखिर भारत सरकार ने कई विचार-विमर्श के बाद उनसे जानकारी चाही कि आनन्दपुर साहब प्रस्ताव है क्या? अध्यक्ष महोदय, उस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जाकर भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया। उस प्रस्ताव में केवल दो मांगें हैं जिन मांगों से संबंध राजस्थान का आता है। पहली मांग यह है कि पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 79, पार्ट सी के अनुसार जिन तीन हैड वर्क्स को भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को स्थानान्तरित करने का सवाल है, वह नहीं किये जायं और हैड वर्क्स पर नियंत्रण पंजाब सरकार का रहे। एक मांग तो यह है। और दूसरी मांग उनकी केवल यह है कि गंगानगर जिले की 6 तहसीलें पंजाब में स्थानान्तरण कर दी जाए। इसके अलावा मैं ऐसा समझता हूं कि अकाली दल की मांगों का पूरा भी अध्ययन किया जाये तो कहीं यह प्रश्न खड़ा नहीं होता कि रावी-व्यास का पानी जो राजस्थान के हिस्से में है वह हमको दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, उसमें एक बात अवश्य है, उन्होंने यह कहा कि 24 मार्च, 1976 को जो प्रधान मंत्री ने हरियाणा और पंजाब के बंटवारे के संबंध में अवार्ड दिया है उस अवार्ड में पंजाब के साथ अन्याय हुआ है इसलिये उस समझौते को रद्द किया जाये और इस मामले को एक न्यायालय के किसी जज के सुपुर्द कर दिया जाये। इसके सिवाय उस प्रस्ताव में कुछ नहीं है। अब मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि अकाली दल तो मांग नहीं कर रहा है कि रावी-व्यास का पानी दिया जाये। अब तो मांग करने लगे हैं, मैं आगे बताऊंगा लेकिन आरम्भ में कोई इस बात की मांग नहीं थी। अकाली दल ने कभी इस बात की मांग नहीं की कि रावी-व्यास के पानी के बंटवारे में पंजाब के साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ है। लेकिन अब जाकर उन्होंने मांग जोड़ दी है। अब उन्होंने यह मांग क्यों जोड़ी है, अध्यक्ष महोदय, वह इस आधार पर जोड़ी है जब उनकी सब तरह की मांगें धीरे-धीरे स्वीकार होने लगीं, पंजाब में एक वातावरण बनने लगा, भारत सरकार दबने लगी तो अकालियों ने देखा बहुत बढ़िया अवसर आया है इस अवसर का लाभ उठाया जाये और रावी-व्यास नदियों के पानी में जो राजस्थान को हिस्सा मिला है या हरियाणा को हिस्सा मिला है उस हिस्से में से कुछ हिस्सा पंजाब के हित में ले लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का आधार यह निवेदन करना चाहता हूं, आज कोई भी विवाद हो, इन्टर स्टेट रिवर्स कर कोई भी विवाद खड़ा होता है तो विवाद किसी कानून के अन्तर्गत आर्बी-

Page No 57

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ट्रेशन के लिये रेफर किया जाता है। बिना कानून के कोई डिस्प्यूट रेफर नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने 1956 में कानून बनाया और कानून में इस प्रकार की व्यवस्था की है कि अन्तर्राज्यीय नदियों के पानी के बंटवारे के संबंध में यदि कोई राज्य विवाद खड़ा करता है और उस विवाद का निर्णय नेगोसियेशन्स के आधार पर नहीं हो सकता तो भारत सरकार किसी भी ट्रिब्यूनल को उस मैटर को रेफर कर सकती है। मैं समझता हूं, मुख्य मंत्रीजी भी इस बात से सहमत होंगे। मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि आज के दिन तक पंजाब राज्य की तरफ से पानी के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद खड़ा नहीं किया गया लेकिन भारत सरकार त्रिपक्षीय वार्ता कर रही है। विवाद नहीं है। कानून के अन्तर्गत जो विवाद खड़ा होना चाहिये और जिस पर चर्चा होनी चाहिये, नेगोसियेशन्स होने चाहिये उस प्रकार का पंजाब की सरकार ने आज दिन तक किसी प्रकार कोई विवाद खड़ा नहीं किया। यह कानून बना हुआ है इन्टर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट और इसमें, अध्यक्ष महोदय, डिस्प्यूट की जो डेफीनेशन दी है वह आपको मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

"Water Dispute means any dispute or difference between two or more State Governments with respect to the use, distribution or control of the waters of any inter-State river or river valley or the interpretation of the terms of agreement relating to use distribution or control of such weters or the implementation or such agreement, the levy of any water rate in contravention of the provisions ....

"Complaints by State Governments as to water disputes.—If it appears to the Government of any State that a water dispute with the Government of another State has arisen or is likely to arise by reason of the fact that the interests of the State or of any inhabitante thereof in the weters of an inter-State river or river valley, have been or are likely to be affected prejudicially by any executive act."

यह बाकी के सारे टर्म्स उसमें दिये हुए हैं। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि आज के दिन तक पंजाब सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट खड़ा नहीं किया गया है और भारत सरकार अकालियों से वार्ता कर रही है। अकालियों से वार्ता कर रही है उसमें राजस्थान को भागीदार बना रही है, हरियाणा को भागीदार बना रही है, पंजाब को भागीदार बना रही है। उस आधार पर मुझे भय होता है कि अकाली हमारा पानी नहीं ले जायेंगे कहीं हम उस भारत सरकार के सामने घुटने न टेक दें, कहीं भारत सरकार अकालियों के सामने घुटने नहीं टेक दे जिससे राजस्थान में 2,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाये। यह, अध्यक्ष महोदय, मैं किसी आधार पर बोल रहा हूं, इस आधार पर नहीं बोल रहा हूं। मैं आज कहना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यदि 1981 का हमने समझौता नहीं किया होता तो न भारत सरकार का दम होता त्रिपक्षीय वार्ता में बुलाने का और न अकालियों का दम होता कि राजस्थान के पानी के ऊपर वह ललचाई नजर से देख ले,

(58)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमने एक गलती की, हमसे गलती कराई गई और उस गलती का लाभ उठा रहा है अकाली दल, उस गलती का लाभ उठा रही है भारत सरकार और उस गलती के कारण परेशान होगी राजस्थान की जनता लेकिन मुझे खुशी है साथ-साथ इस बात की कि सदन में प्रस्ताव लाकर हमने पूरे राजस्थान की जनता को जगाया है, राजस्थान के हितों पर कुठाराघात हो रहा है जिससे राजस्थान के हर आदमी को जगाकर हम ऐसी स्थिति में ला रहे हैं कि भारत सरकार भी हमारे हितों पर किसी प्रकार का कुठाराघात न कर सके। अध्यक्ष महोदय, 1955 का समझौता, यह पर्याप्त समझौता है। इन समझौते में किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि राजस्थान के हिस्से में कितना पानी आया। उस समय राजस्थान को एक मिलियन एकड़ फीट पानी मिला। उसी समझौते में यह प्रावधान था कि नदियों के फ्लो सीरीज में यदि किसी प्रकार के चेन्जेज होंगे घटत होगी और अगर बढ़त होगी तो प्रो रेटा उसमें वृद्धि की जायेगी। उस समझौते के आधार पर यदि 17.85 के अगेंस्ट में फ्लो सीरीज 17.17 पर भी चली जाती है, हमें जो अतिरिक्त पानी मिला, 1955 के एग्रीमेंट के आधार पर भी मिलता लेकिन हमने एक अलग से समझौता किया। मैं ऐसा समझता हूं कि उस प्रसंग को मैं केवल यहीं तक सीमित रखना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं लेकिन सदन को यह जानकारी देकर मैं समर्थन करना चाहता हूं कि 1981 के समझौते का मैं समर्थन नहीं करता, न मेरा दल उस समझौते का समर्थन करता है इस आधार पर कि उस समझौते को, इस प्रस्ताव को लिया जाये। और इसी आधार पर इस प्रस्ताव को पढ़ा जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा हम राजस्थान की स्थिति को देखें। राजस्थान का इतिहास है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन को जानकारी है कि राजस्थान हिन्दुस्तान में दूसरी श्रेणी का राज्य है जो विस्तार में सबसे ज्यादा है। यह भी सदन को जानकारी होगी, 3,43,214 स्क्वायर माइल्स में राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान का 61 प्रतिशत इलाका या तो मरु क्षेत्र है या अर्द्ध मरु क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, अगर आप यह देखें, इसका एरिड जोन और सब एरिड जोन, उस एरिड जोन में जो पापूलेशन रहती है उस पापूलेशन का पर्सेन्टेज कम नहीं है। उस पापूलेशन का पर्सेंटेज अध्यक्ष, महोदय, 81 प्रतिशत है। 81 प्रतिशत लोग राजस्थान के उस क्षेत्र में रहते हैं जिसे मरु क्षेत्र हम कहते हैं, जहां पानी की समस्या है, जहां खाने की समस्या है, जहां सिंचाई की समस्या है, जहां सब प्रकार के विकास की सुविधाओं की समस्या है। अध्यक्ष महोदय, उस राजस्थान में जहां पापूलेशन की डेन्सिटी है, 1971 की जनगणना के अनुसार डेन्सिटी ऑफ पापूलेशन राजस्थान में हिन्दुस्तान के मुकाबले में नीचे से दूसरे नम्बर पर है। अब आप अन्दाज लगा लें इस राजस्थान का विकास यदि करना है तो इस राजस्थान का विकास किस प्रकार से होगा। हम राजस्थान के सारे वाटर पोटेन्शियल की भी स्टडी करना चाहें तो हरियाणा की तुलना में हम नहीं जा सकते, मध्य प्रदेश की तुलना में हम नहीं जा सकते। पंजाब की तुलना में हम नहीं जा सकते यहां तक कि आंध्र-प्रदेश, कर्नाटक, तामिलनाडू और केरल चले जांय उन राज्यों के मुकाबले में हमारा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वाटर पोटेन्सियल नहीं है। जो कुछ हमारा वाटर पोटेन्शियल है उस पूरे को भी टेप कर लें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान का नम्बर हिन्दुस्तान में सबसे नीचे आयेगा। कोई किसी प्रकार का पोटेन्शियल हम नेचरल वे में क्रियेट नहीं कर सकते। उस आधार पर यदि राजस्थान का इतिहास देखें, मैं आज निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का हिन्दुस्तान का जो आज सारा इतिहास है मुझे क्षमा करें यदि मैं कहूं तो राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की घटनायें उसकी विशेष भूमिका बनाती हैं। उस समय राजस्थान लड़ाई लड़ता रहा, आजादी की लड़ाई लड़ी। हिन्दुस्तान गुलाम न हो जाय इसलिये राजस्थान को लड़ाई की धरती बनाया गया और बना हुआ रहा। राजस्थान में उस समय कोई विकास नहीं हो सका। चाहे गुलाम वंश का राज्य आ जाय, चाहे मुगलों का राज आ जाय, चाहे अंग्रेजों का राज आ जाय। जिस समय अंग्रेज हिन्दुस्तान में आये, हिन्दुस्तान में रियासतें बनी हुई थीं, उन रियासतों के माध्यम से वे राज्य करते थे। सीधे भारत सरकार से उनका संबंध नहीं था। रियासतें उस आधार पर पीछे रह गई, राजस्थान लड़ता रहा इसलिये पीछे रह गया, राजस्थान देश के लिए लड़ता रहा इसलिये पीछे रह गया। राजस्थान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि यदि उस समय मुगलों के सामने राजस्थान घुटने टेक देता तो राजस्थान का विकास भी पंजाब और हरियाणा और बाकी के प्रान्तों की तरह से हो जाता, इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है। लेकिन राजस्थान ने उस समय कुर्बानियां कीं, राजस्थान उस समय लड़ा, राजस्थान ने इतिहास का निर्माण किया, राजस्थान ने भारत और भारतीय संस्कृति को बचाया। आज उस कारण से राजस्थान पीछे रहा।

अध्यक्ष महोदय, रियासतों के समय भी राजस्थान के साथ इसी प्रकार का भेदभाव बरता गया कि राजाओं का राज है। इस राजाओं के राज में भारत सरकार को ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिये, राजस्थान पीछे रह गया। वह तो एक इतिहास की बात हो गई लेकिन सन् 1947 से लेकर 1983 तक इन 26 वर्ष के स्वतन्त्रता के इतिहास में राजस्थान को क्या मिला। सन् 1955 में मिला, उसको वापस लेने को तैयार हो रहे हैं, सन् 1952 में मिला उसको वापस लेने को तैयार हो रहे हैं सन् 1920 और 27 के बीच में जो गंग कैनाल बनी और गंग कैनाल में जो पानी मिल रहा है उसको वापस लेने को तैयार हो रहे हैं तो हम जाना कहां चाहते हैं? क्या राजस्थान को उस समय में ले जाना चाहते हैं जिस समय मुगलों से युद्ध हो रहा था, मकान बने हुए थे लोग नहीं थे और लोग पहाड़ियों में रहा करते थे। तीर कमान चला कर अपनी सुरक्षा में लगे हुए थे, उसी युग में ले जाना चाहते हैं।

मैं समझता हूं कि राजस्थान किसी से पीछे नहीं है। आज राजस्थान को देखना हो तो विदेशों में चले जाओ, राजस्थान को देखना है तो हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में चले जाओ। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां राजस्थान के लोगों ने चला रखी हैं, राजस्थान व्यापार में सबसे ज्यादा आगे है। क्या हम खेती में आगे नहीं हो सकते हैं? खेती का उदाहरण देखना हो, अध्यक्ष महोदय, 1922 से लेकर 27 के पहले जिस समय महाराजा गंगा सिंहजी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जी गंग कैनाल लाये, उस समय गंगानगर का इतिहास उठाकर देखिये, गंगानगर में धूल उड़ती थी, गंगानगर की डेन्सिटी ऑफ पापूलेशन हिन्दुस्तान में सबसे कम थी, राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में सबसे कम यदि डेन्सिटी ग्राफ पॉपूलेशन थी तो गंगानगर जिले की थी। उन गंगासिंह जी को साधुवाद करना चाहिये जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान में गंग कैनाल को बनाया ग्रौर उस गंग कैनाल से पानी राजस्थान में लाये, राजस्थान में एक शुरुग्रात की। यह उसी गंग कैनाल का परिणाम है कि उसी में से राजस्थान कैनाल ग्रौर भाखरा कैनाल निकली है। गंग कैनाल का जब सूत्रधार हुग्रा उस समय उनकी कल्पना थी कि राजस्थान में बीकानेर को पूरा ग्रौर यदि बाड़मेर व जैसलमेर जिले को सिंचित करना है तो भाखरा से पानी लाना पड़ेगा ग्रौर राजस्थान कैनाल का निर्माण कराना पड़ेगा। राजस्थान के चीफ इंजीनियर, जो ग्राज राजस्थान के हितों का बलिदान देने की चिन्ता कर रहे हैं, कंवरसेन साहब, उस समय बीकानेर स्टेट की सर्विस में थे, राजस्थान के भी कई बार एडवाइजर रहे हैं, ग्राज भगवान जाने, ग्रपने ही कामों के खिलाफ उनके नोट भारत सरकार ग्रौर राजस्थान सरकार की फाइलों में देखें, उनकी किताबों को देखें, ग्रध्यक्ष महोदय, उन किताबों में उन्होंने इस बात का उलाहना दिया है कि राजस्थान कैनाल को पानी कम मिला। राजस्थान में जिस प्रकार के एरिड जोन्स है उनकी सिंचाई के लिये जितने पानी की ग्रावश्यकता थी, हमने उस समय राजस्थान के साथ न्याय नहीं किया। ग्राज वे कंवर सेन साहब कह रहे हैं कि पानी के बंटवारे में पंजाब के साथ ग्रन्याय हुग्रा है। मैं समझता हूं, ये तो इस प्रकार के लोगों का जो हमने ज्यादा महत्व बना दिया, उसका रिजल्ट है कि जब चाहे जिस तरह से कोई बुलाना चाहे बोल जाते हैं। उन्होंने ग्रपनी प्रतिष्ठा को गिराया है। राजस्थान के हितों पर उनके बोलने नहीं बोलने से किसी प्रकार की कोई चोट नहीं ग्राने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल के निर्माण के प्रश्न को लेकर इस सदन में कई बार चर्चाएं हुई हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि राजस्थान कैनाल का निर्माण जल्दी से जल्दी हो लेकिन राजस्थान की वित्तीय स्थिति क्या है, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। राजस्थान आज हिन्दुस्तान के उन राज्यों में है जिनमें पर कैपिटा सबसे ज्यादा टैक्सेज हैं। आप राजस्थान की जनता का क्या खून निकालना चाहते हैं? क्या भारत सरकार यह चाहती है कि राजस्थान की जनता के पास जो कुछ बचा है वह भी ले लिया जाय, ? इसके बावजूद भी 600 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता ने सरकार के खजाने के माध्यम से, सी.ए.डी. वर्क्स के ग्रौर राजस्थान कैनाल के निर्माण में दिया है। अध्यक्ष महोदय, यदि आज पानी नहीं आयेगा, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों के बारे में जिन्होंने 2000 करोड़ का डवलपमेंट अपने खेतों में किया है, जो जमीन चार आने बीघा में खरीदी जा सकती थी वह जमीन आज पचास हजार रुपये बीघा में नहीं मिले, जिन लोगों ने दो हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया यदि आज उनको पानी नहीं मिलेगा तो उनके साथ किसने ग्रन्याय किया ? हमने धोखा दिया, सरकार के रूप में धोखा किया चाहे राजस्थान की सरकार धोखा करे, चाहे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भारत सरकार धोखा करे, चाहे यह सदन धोखा करे, लोगों से दो हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट कराया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं सी. ए. डी. वर्क्स तो शुरु हुए सन् 1975 में उससे पहले सी. ए. डी. वर्क्स नहीं थे लेकिन गंगानगर जिले में सड़कें बनीं, बिजली का विस्तार हुआ, स्कूल और दवाखाने खुले और बाकी के विकास के कामों पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया। मैं कह सकता हूं कि यदि विकास नहीं होता तो एक कौडी वहां खर्च नहीं होती। नमूने के रूप में आज जैसलमेर को देख लीजिए, वही जैसलमेर मरु क्षेत्र है लेकिन रामगढ़ के आगे पानी नहीं जाता। वहां स्कूल नहीं है, वहां दवाखाने नहीं हैं, वहां सड़कें नहीं है सिवाय डिफेन्स रोड्स के वहां पर बिजली का विस्तार नहीं हुआ। गंगानगर जिले में जितना भी डवलपमेंट पर पैसा खर्च हुआ वह इस आधार पर खर्च हुआ है कि गंगानगर में क्षेत्र सिंचित हो रहा है, सिंचित होने के कारण से मण्डियां बन रही हैं, अनाज का व्यापार बढ़ रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है और उस कारण से उस क्षेत्र का विकास हुआ। 2 हजार 600 करोड़ रुपये नहीं, राजस्थान की सरकार यदि पूरा हिसाब लगायें तो करोड़ों रुपयें हमने उस क्षेत्र के विकास में खर्च किये हैं जो न सी.ए.डी. में आते हैं न राजस्थान कैनाल के निर्माण में आते है और न निजी क्षेत्र में खर्च किये हुए आते हैं। उस क्षेत्र को आज भारत सरकार तो क्या-अकाली दल मांग कर रहा है, पानी नहीं दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह अकाली दल आज नहीं आया है। मुझे याद है कि जिस समय स्टेट री-आर्गेनाईजेशन के क्वेश्चन पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में विवाद खड़ा हुआ था, मुझे वह समय भी याद है जिस समय पंजाब और हरियाणा में पंजाब के लोग मांग कर रहे थे महा पंजाब की, हरियाणा के लोग पंजाब से निकलना नहीं चाहते थे, उस समय के आन्दोलन की भी मुझे जानकारी है। अध्यक्ष महोदय, वह भी जानकारी है जिस समय सारे देश में एक वातावरण बना कि छोटे-छोटे राज्यों को खतम किया जाय, हिन्दुस्तान को जोन्स में बांटा जाय। यह कोई एक छोटे मोटे आदमी का प्रस्ताव नहीं था, उस समय भीम सेन सच्चर ने यह प्रस्ताव दिया जिसका समर्थन प्रतापसिंह कैरों ने किया। उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उस समय हरियाणा बना नहीं था, हरियाणा, पेप्सू और राजस्थान इनका एक जोन बनाया जाय। मुझे पूरी जानकारी है कि उस मीटिंग में तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व. श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी भी गये थे। वह कमिट करके भी आये थे कि यदि राजस्थान का एक जोन बनता है तो हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। आज अकाली किस बात की मांग कर रहे हैं कि जहां भी कोई सिख बसता है वह बसने वाला सारा का सारा एरिया अकालियों को दे दिया जाय। क्यू वे सिखों में और बाकी के लोगों में इस प्रकार का विवाद खड़ा करना चाहते हैं? यदि नदियों के रायवेरियन लॉ लागू करना चाहते हैं तो केवल इन्टरनेशनल लेवल पर लागू होता है। हिन्दुस्तान में जिस प्रकार का ढांचा है उस ढांचे में नदी जिस क्षेत्र में बहती है उसी को सुविधा मिलेगी, इस प्रकार की बात लागू नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, आज अमेरिका के कान्स्टीट्यूशन में रायवेरियम लॉ लागू है और वह इसलिए लागू है कि वहां का फेडरल स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि जो

Page No 62

(62)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रेखा एक राज्य की खिंच गई वह रेखा बदली नहीं जा सकती। हमारे यहां तो कल ही पार्लियामेंट करना चाहे कि राजस्थान और पंजाब एक होगा तो बना सकते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं। हमारे यहां यदि भारत सरकार कल ही कोई कानून बनाना चाहे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का एकीकरण होगा तो कोई रोक नहीं सकता। आज यह कहें कि पूरा नार्थ जोन एक होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो जहां इस प्रकार की व्यवस्था है वहां भूल में भी कोई रायबेरियन लॉ लागू नहीं किया जा सकता है। इसी आधार पर इरिगेशन कमीशन, जिसके चेयरमैन थे श्री अजीतप्रसाद जैन इस प्रश्न के ऊपर 1972 में अपनी रिपोर्ट दी उसमें रायबेरियन लॉ के प्रश्न के ऊपर उन्होंने पूरा चिन्तन करने के बाद में कहा कि हिन्दुस्तान में इस प्रकार का लॉ लागू नहीं किया जा सकता है। यदि लागू किया जाता तो अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं पंजाब के लोगों से कि आज हमें ईस्टर्न रिवर्स स्कीम मिल गई, रावी-व्यास और सतलज मिल गई। मान लीजिए इनकी जगह पर हमको चिनाब और झेलम, ये नदियां मिलती तो क्या हालत होती? न पंजाब रायबेरियन रहता और न हम रहते। इस राइबेरियन लॉ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजाब ने यह भी प्रश्न खड़ा किया, अध्यक्ष महोदय, हम इन्डस बेसिन में आते हैं। मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं यह उसी इरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट है. इसमें लम्बी चौड़ी काफी बातें लिखी हुई हैं लेकिन मैं सूक्ष्म में 10 लाइनें पढ़ कर आपको सुनाना चाहूंगा जिससे यह वहम उनके दिमाग से निकल जाय हालांकि लिखा हुआ है लेकिन सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा इण्टर-स्टेट रिवर डिस्प्यूट, इसके बैक ग्राउण्ड में इरिगेशन कमीशन ने लिखा है—

"An inter-State river is one which flows to more than one State or it forms boundary between two or more States. In a question relating to the sharing or utilisation of the water of inter State river, the concept of a river valley or a river basin, which embraces the main river and all its tributaries and includes the catchment of the main river and its tributaries, has to be born in mind."

आगे लिखा है—

"The major rivers of this country are almost all inter-State rivers. In the North-West, Indus Basin, which includes parts of India and Pakistan. In India, it includes Kashmir, Punjab, parts of Himachal Pradesh, Haryana and Rajasthan."

इसलिए आज इस में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है . . .

श्री अध्यक्ष : मेरे चुनाव क्षेत्र के लोहावट का पानी इन्डस में आता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत :—ऐं ?

श्री अध्यक्ष : मेरे चुनाव क्षेत्र में लोहावट गांव से जितने भी उत्तर में गांव हैं, वह सब पानी इन्डस में जाता है इसलिए हम उसके हकदार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने तो अपने क्षेत्र की हकदारी प्रकट कर दी, मैं तो राजस्थान की हकदारी प्रकट कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : वह राजस्थान में ही है न ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप तो मैं समझता हूं, जैसलमेर के जिले में और गंगानगर जिले में खूब गये हैं, सिन्धु संस्कृति के कितने अवशेष आपको जैसलमेर जिले में मिलते हैं, इसके कहने की आवश्यकता नहीं है । यदि हिस्ट्री उठाकर देखें तो आपको मिलेगा, सिन्ध का सारा व्यापार जैसलमेर के थ्रू होता था, मियाजदार के पास एक जगह है, उस जगह पर तीन रास्ते हैं, एक रास्ता कराची से आता है, एक रास्ता दिल्ली का है या कहीं से भी ले लें, यह रास्ता इधर का है और दूसरा रास्ता गुजरात का है । वहां जितने भी अवशेष मिलेंगे, आज वहां कई जगह पत्थर और कई तरह की चीजें मिलती हैं, फोसिल्स मिलते हैं, उन फोसिल्स का भी हमारे आर्कोलोजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ सर्वे किया है, और उस सर्वे के आधार पर ही उन्होंने इस बात को एस्टेब्लिश किया है कि सिन्धु संस्कृति का प्रभाव उस क्षेत्र में भी है । यह बेसिस था, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है । इस आधार पर मैं निवेदन कर रहा था कि यह केवल ऐतिहासिक ही बात नहीं है । आखिर इरिगेशन कमीशन ने भी ज्योग्राफी की भी स्टडी की है, हिस्ट्री की भी स्टडी की है और सारी स्टडी करने के बाद में वह इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यह इस प्रसंग में आता है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में लगभग 650 माइल की सीमा है । मैं एक जानकारी सदन को देना चाहूंगा कि जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई लड़ाई होगी तो पाकिस्तान गंगानगर में नहीं घुस सकता, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में लड़ाई होगी तो पाकिस्तान पंजाब में नहीं घुस सकता, यदि सबसे पहले रणस्थल कोई बनने वाला है तो हमारा बाड़मेर और जैसलमेर का जिला है । सबसे ज्यादा यदि लड़ाई का भुगतान आरम्भ में यदि किसी को करना है तो राजस्थान को करना है । अध्यक्ष महोदय, इस पानी को जैसलमेर के रामगढ ले जाने के पीछे एक पर्पज यह भी था कि इस क्षेत्र का यदि विकास होगा तो आप गंगानगर चले जाइये, गंगानगर की सीमा पर एक तरफ पाकिस्तान का आदमी हाथ में कोई औजार लिये खड़ा है और दूसरी तरफ राजस्थान का आदमी खड़ा है । मैं, अध्यक्ष महोदय, एक बार उस समय के गृह मंत्री चौधरी चरणसिंह के साथ बागा बोर्डर पर गया, बागा बोर्डर पर बिल्कुल जो पानी के धोरे होते हैं, वह धोरे बंटे हुए हैं । यह धोरा पाकिस्तान का है और यह धोरा हिन्दुस्तान का है । एक बार चौधरी चरणसिंह ने पूछा कि इस धोरे को तोड़ कर पानी इधर आ जाय, तो ? तो, यह तो चलता है । यह चलता रहता है, अनजान में । लेकिन जानते हुए कोई अपने धोरे को रोके तो दूसरा उसका विरोध नहीं करेगा । एक-एक लाइन के ऊपर, एक-एक इंच के लिये लोग मरने को तैयार है । लेकिन आज जैसलमेर और बाड़मेर में सीमा खुली पड़ी है, बी. एस. एफ. है वहां । कई क्षेत्रों पर आर्मी भी डिप्लाय की जाती है लेकिन स्मगलिंग की समस्या को हम रोक नहीं पाये । आज राजस्थान से गायों की निकासी होती है,

(64)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उसको रोक नहीं पाये। राजस्थान से कई वस्तुओं की स्मगलिंग होती है, पाकिस्तान से चीजें यहां आती हैं, उसको रोक नहीं पाये। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि पानी केवल सिंचाई के लिये नहीं, देश की सुरक्षा के लिए, उस क्षेत्र की आबादी बढे, उस क्षेत्र का विकास हो, वह सीमावर्ती क्षेत्र है और सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते, अध्यक्ष महोदय, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि उसका विकास हो। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहूंगा, राजस्थान में 24 हजार गांव पीने के पानी के लिये समस्याग्रस्त हैं। मैं उस आधार पर नहीं जाना चाहता कि जो सरकार कह रही है हम ने हैण्ड पम्प लगा दिये और समस्या का समाधान कर दिया। यह हैण्ड पम्प तो जैसे सरकार टैम्प्रेरी होती है, वैसे टैम्प्रेरी हैं। इनसे कोई समस्या का समाधान नहीं होना। हैण्डपम्प जिस सरकार ने लगाये, वह सरकार भी गयी उनके साथ जितने हैण्ड पम्प लगाये, वह भी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं कि यह समस्या......

(व्यवधान)

मैंने हैण्ड पम्प नहीं लगाये। हैण्ड पम्प वाले एक वर्ष से डेढ़ वर्ष तक रहते हैं।

(व्यवधान)

आप सुनिये मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन् जो सरकार हैण्ड पम्प लगाती है, वह डेढ़ वर्ष से ज्यादा नहीं रहती। पहाड़िया जी डेढ वर्ष में गये और आगे की आप सोच ही रहे हैं। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं।

(व्यवधान)

खैर, आप तो बड़े खुश हैं इस बात से। मैं यह निवेदन करना चाहता था, अध्यक्ष महोदय, 24 हजार गांव समस्याग्रस्त हैं। आप 24 से कुछ कम गांव मान लीजिए, 20 हजार गांव। आखिर, राजस्थान में 33 हजार गांव हैं, जिनमें से 20 हजार गांवों की पीने के पानी की समस्या है, मेरी समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा पंजाब के अन्दर तो वाटर लोगिंग की समस्या है, उसके समाधान के लिए करोडों रुपया खर्च किया जाये और इधर उसी हिन्दुस्थान की धरती का एक टुकडा है जिसमें पीने का पानी नहीं मिले, 500 फीट तक नीचे अण्डर ग्राउण्ड वाटर नहीं मिले लोग, पानी के लिए 13-13 मील तक जाते रहें, अध्यक्ष महोदय, क्या उस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते? यदि हम उसका.....

श्री महेन्द्र सिंह: आपने तीन साल में क्या किया?

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न है आप तो समस्या बता रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष, महोदय मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, वह तो आपका दिल जानता है, आप चुपचाप मुझे कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। वह बात है।

मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की समस्या हमारे सामने है। हर दूसरे साल, तीसरे साल अकाल पड़े, उसकी समस्या हमारे सामने है। यदि अकाल का और पानी का दोनों मिलाकर जो खर्चा अब तक हमने किया, अध्यक्ष महोदय, उसका एक चौथाई भी यदि राजस्थान कैनाल के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निर्माण पर हम खर्च कर पाते तो अकालियों को आन्दोलन करने की आवश्यकता नहीं होती। रामगढ़ के क्षेत्र में अभी तक पानी चला गया होता। लेकिन एक तरफ हम राजस्थान कैनाल के निर्माण के लिए पैसा जुटायें, दूसरी तरफ पीने के पानी की समस्या के लिए पैसा जुटायें और तीसरे, अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में अकाल पीड़ित लोगों को रोजगार देने और वाकी की सुविधा जुटाने के लिए हम पैसा जुटायें, पैसे की बचत कहां होगी और कहां पैसा मिलेगा, जिस पैसे के आधार पर हम राजस्थान कैनाल का निर्माण का काम बहुत जल्दी करवा लें। हो सकती थी उसमें ताकीद, लेकिन इतनी ताकीद नहीं हो सकती थी। हमने एक वार यह भी कहा था, अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, वहुत प्रसंग चला, जिसका मैंने तो विरोध किया था कि भारत सरकार को इस राजस्थान कैनाल के निर्माण का काम दे दिया है, जहां तक निर्माण का सवाल था, हमने विरोध नहीं किया लेकिन बाद में जमीन के अलॉटमेंट का सवाल, जमीन की कीमत लेने का सवाल, किन लोगों को जमीन दी जाय इस प्रश्न का सवाल है, यदि इस प्रश्न का पहले निपटारा नहीं हो तो मैंने विरोध किया था और मैं समझता हूं सत्तारूढ़ दल ने भी इस बात का विरोध किया था, केवल कन्सट्रक्शन का काम हम दे सकते हैं, वाकी का काम राजस्थान कैनाल का जो वितरण का काम है, जमीन देने का काम है, पानी के वितरण का सवाल है, वह हम नहीं दे सकते। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को किस कारण से वंचित रखा जाता है, किस कारण से भेदभाव किया जाता है? कान्स्टीट्यूशन, संविधान वार बार कहता है कि हम लोगों में जो भेदभाव है, उस भेदभाव को मिटाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं, रोजगार के साधनों में और सम्पत्ति के मामलों में भेदभाव रखो, वह तो समझ में आ रहा है लेकिन पीने के पानी के मामले के आप भेदभाव रखो, सिविक एमीनिटीज के क्वेश्चन के ऊपर आप भेदभाव रखो, वह समझ में नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान के पास राजस्थान कैनाल मिलने वाले पानी के अतिरिक्त और कोई पानी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अकालियों ने कहा कि राजस्थान का मामला है और राजस्थान के लिए सब चिन्तित हैं तो फिर गंगा और यमुना का पानी क्यों नहीं ले लिया जाय? यदि गंगा और यमुना हमारे यहा बहती तो हम काहे को चिनाब पर जाते, काहे को रावी का पानी लेने की बात करते न हमें यमुना का पानी मिलेगा, न गंगा का। जो मिला हुआ है, उसको तो खो दें और गंगा और यमुना के लिए लड़ाई करते रहो। पानी वह मिले इसके लिए कोशिश करो। हमने कई परियोजनायें इस आधार पर वनायी है। भारत सरकार के सामने वह परियोजनाएं पड़ी हैं लेकिन जो परियोजना विल्कुल लागू हो चुकी, उस परियोजना में से हमारा पानी कट जाय, हम इसको स्वीकार नहीं करते। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, जो मैंने निवेदन किया था कि आज अगर राजस्थान कह दे जैसा कि पंजाब कह रहा है कि नदियां हमारे में से बहती हैं, आज अगर हिमाचल प्रदेश यह फैसला कर दे कि तीनों नदियां पंजाब में से नहीं निकलती, न रावी निकलती है, न व्यास निकलती है, न सतलज निकलती है, ये नदियों के मामले में यदि हिमाचल प्रदेश यह कह दे कि जो नदियां हिमाचल में से निकलती हैं, हम किसी को पानी नहीं लेने देंगे और पानी लेगा तो हम पानी की रायल्टी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चार्ज करेंगे । आपको याद होगा, अध्यक्ष महोदय, आज के पांच छः वर्ष पहले हिमाचल ने एक मांग रखी थी कि नदियां हमारे यहां के निकलती हैं और हमारे क्षेत्र में बहती हैं इसलिए 44 करोड़ की रायल्टी उस समय मांगी थी, हमें 44 करोड़ रुपये की रायल्टी दी जाय । आज अगर वह हिमाचल प्रदेश यह फैसला कर दे तो पंजाब का क्या हाल होगा । पंजाब का सारा इरिगेशन का सिस्टम खतम हो जाएगा ? लेकिन यदि हिमाचल ने ऐसा फैसला दिया, हिमाचल इस सम्बन्ध में आगे बढ़ा तो पंजाब भी विरोध करेगा और राजस्थान भी विरोध करेगा, हरियाणा भी विरोध करेगा । इसलिए इस आधार पर नहीं चला जा सकता कि नदी कहां से निकली और कहां पर बह रही है । जिस समय, अध्यक्ष महोदय, 1955 का समझौता हुआ था, अब आप हिस्ट्री देखें, 1955 का समझौता हुआ पंजाब ने विरोध नहीं किया...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : वह डिमाण्ड शांता-कुमार जी ने की थी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अरे महाराज, जिस समय शांता कुमार जी ने की थी उस समय आप शिकार खेला करते थे । आप को राजनीति का ज्ञान ही नहीं था । किससे बात कर रहे हैं ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मुझे पता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मुझे पता है । आप बीच में मत बोलो । आपकी योजना तो मैं कहता हूं, मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप की योजना को रिजेक्ट कर दिया और आप को राजस्थान कैनाल से हटा दिया वरना आप भी डूबते और हम भी डूबते ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो योजना बनाई थी वह आपकी बुद्धि की उपज नहीं थी । इस सदन को धोखा मत दीजिए । वह बुद्धि भी कहीं से आई थी जो हमारा पानी लेना चाहते हैं ।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । आर्डर आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए आप ज्यादा मुझे इरिटेट मत करो ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इरिटेट तो आप हो रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम है कि आपने जो योजना बनाई थी वह क्यों बनाई थी । किसके कहने से बनाई थी, किनके सहयोग से बनाई थी, किन्होंने ड्राफ्ट किया था ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान में बन रही है, मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, आज पंजाब कहता है कि पानी हमारा है, हम नहीं देंगे क्या राजस्थान की सरकार यह कहती है कि हिन्दुस्तान में मिनरल्स में हमारा दूसरा नम्बर और हमारे मिनरल्स के बेस के ऊपर हिन्दुस्तान के कई कल कारखाने चल रहे हैं । हिन्दुस्तान की कई परियोजनायें चल रही हैं । क्या हम फैसला कर सकते हैं कि हम अपने मिनरल्स का दोहन नहीं करने देंगे और हिन्दुस्तान में जितने भी कल कारखाने चल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहे हैं उन कल कारखाने में जो रॉ-मैटीरियल के रूप में हमार मिनरल जा रहा है उसको हम बन्द कर देंगे। आखिर हमने एक नेशनल फीलिंग ली। नेशनल इण्टीग्रेशन की बात हमारे दिमाग में है यह देश एक है, इस प्रकार की हमारे दिमाग में विचारधारा है और इस आधार पर यदि कुछ ले रहे हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आप आइये, 1955 में। 1955 में हमने समझौता किया, उस समय पंजाब की सरकार ने आपत्ति नहीं की। पंजाब की सरकार ने आपत्ति नहीं की और यह नहीं कह सकता कि उस समय पंजाब की सरकार में कोई आन्दोलन करने वाले अकाली नहीं थे। उस समय भी मास्टर तारासिंह जी थे। उसके बाद में सन्त फतेसिंह जी आए लेकिन पंजाब के हिस्से का पानी राजस्थान को मिल गया, पंजाब के साथ अन्याय हो गया 1955 में नहीं हुआ। 1968 में भाखरा के सम्बन्ध में जब पूरा एग्रीमेंट हुआ उस समय नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, 1960 की ट्रीटी के समय में जो बेकग्राउण्ड बना कर दिया और जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि गुलाटी ने जो अपने हिन्दुस्तान के देश को केस को रिप्रेजेण्ट किया, उन गुलाटी ने जिस प्रकार की वहां बात की उसके आधार पर राजस्थान को जो पानी मिला, अगर राजस्थान उस समय नहीं होता जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर के जिले नहीं होते तो, अध्यक्ष महोदय, रावी, व्यास और सतलज नदियों का पानी, यह हिन्दुस्तान को नहीं मिलता यह पानी पाकिस्तान चला जाता। आज उस गुण को हम भूल रहे हैं हमारे उस अहसान को भूल रहे हैं। उस बेकवर्डनेस ने इनडायरेक्टली जो ओब्लाइज किया पंजाब को, उसको भूल रहे हैं। उस समय राजस्थान का गंगानगर जिला, राजस्थान का सारा एरिड जोन, जिसकी भूमिका बनाई गई और इस आधार पर जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा, उस सारे आर्ग्यूमेंट का जो बल था, जो किंगपिन अगर था तो राजस्थान का डेजर्ट एरिड जोन था जिसके लिए पानी दिया जाना था। अध्यक्ष महोदय, आज 1960 की उस स्थिति को यह भूल गए। 1960 के बाद में 1967 में पंजाब में एक संयुक्त सरकार बनी। यही बादल साहब, जो आज अकाली दल के नेता हैं, संयुक्त सरकार के अन्दर शामिल हुए उस समय ढाई वर्ष तक या दो वर्ष तक वह सरकार चली। उस सरकार ने कभी प्रस्ताव पास नहीं किया। जो मिली जुली सरकार थी उसने कभी प्रस्ताव पास नहीं किया कि पंजाब के साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ और रावी व्यास का पानी हमें मिलना चाहिए। 1967 निकल गया अध्यक्ष महोदय, 1967 के बाद में 24 मार्च, 1974 का हरियाणा और पंजाब के सम्बन्ध में नोटिफिकेशन निकला उस समय नहीं कहा और 1966 में जब पंजाब रीआर्गेनाइजेशन एक्ट बना····

श्री शिवचरण माथुर : 1976।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1976 में पंजाब रीआर्गेनाइजेशन एक्ट बना उस एक्ट के समय भी, 1966, उस समय भी पंजाब ने कभी यह दावा नहीं किया कि राजस्थान को पानी ज्यादा दे दिया और पंजाब के साथ अन्याय हुआ। मैं निवेदन कर रहा था, 1955 में नहीं बोले, 1959 में नहीं बोले, 1960 में नहीं बोले, 1966 में नहीं बोले, 1976 में नहीं बोले और 1977 में अकालियों की सरकार आ गई उस समय बादल साहब मुख्य मंत्री थे। बलवन्तसिंह जी, जो नेगोशियेशन्स में शामिल होते हैं, उस समय के वित्त मंत्री

Page No 68

(68)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

थे। इन दोनों ने कभी इस बात को नहीं कहा कि राजस्थान को ज्यादा पानी मिल गया वह पानी काट कर उनको दिया जावे। उन्होंने केवल यह कहा कि 1976 में पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी के बंटवारे के प्रश्न को लेकर पंजाब रीआर्गेनाइजेशन एक्ट के सैक्शन 78 के मातहत जो भारत सरकार ने अवार्ड दिया उस अवार्ड में पंजाब के साथ अन्याय किया और हरियाणा के साथ पक्षपात किया। पहला रिप्रेजेण्टेशन उनका यह है। इसके बाद वे सुप्रिम कोर्ट में गए, सुप्रिम कोर्ट में भी इस मामले को नहीं उठाया कि राजस्थान को ज्यादा पानी दिया है और पंजाब को पानी कम दिया है, इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, हमारा इस रावी के ऊपर एक भी डैम का प्रपोजल है? आप जानते हैं कि जब तक रावी व्यास पर थीन डैम नहीं बनेगा तब तक साढ़े पांच मिलियन एकड़ फीट पानी हम इम्पाउन्ड नहीं कर सकते। इम्पाउण्ड नहीं कर सकते तो उसका हिस्सा थोडा आ वहां पंजाब की कैनाल को जरूर जाएगा और थोडा फिरोजपुर हैड वर्क्स से हम ले पायेंगे लेकिन उस पानी का पूरा उपयोग हम पर कर पायें इस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी इसलिए हमने कोशिश की इस थीन डैम के निर्माण के सम्बन्ध में जो बाधायें उपस्थित हो रही है उन बाधाओं को निकाला जाय। अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी भाई ने राजस्थान का केस सुना, पंजाब का केस सुना और हरियाणा का केस सुना। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप तीनों राज्य एटर्नी जनरल के सामने अपना केस प्रस्तुत करें और एटर्नी जनरल अपनी एक सुविचारित रिपोर्ट भारत सरकार को दें। हमने अपना एटर्नी जनरल को केस दिया पंजाब ने भी दिया। उस केस को पूरा स्टडी कर लें तो उस केस में भी पंजाब ने कभी इस बात का दावा नहीं किया। इस प्रकार की कोई मांग नहीं की कि राजस्थान को पानी ज्यादा मिला है, पंजाब को पानी कम मिला है इसलिए रावी व्यास के पानी में से राजस्थान का पानी हमको दिया जावे। उस समय भी मांग नहीं की व अध्यक्ष महोदय, आगे भी 76 में मांग नहीं की है, 1977 में मांग नहीं की 1978 में मांग नहीं की, 1979 में मांग नहीं की और 1980 में जाकर ज्योंही चुनाव हुए, हम भी हारे और अकाली दल भी हारा उस हार का परिणाम यह निकला कि अब किस प्रकार से पंजाब में एजीटेशन खड़ा किया जाय। अब वह एजीटेशन खड़ा हो गया एजीटेशन खड़ा हो गया तो पहले तो धार्मिक मांगे रखी गई। मैं इस सम्बन्ध में इस समय कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन उस के साथ ही पानी की मांग रखी और पानी की मांग रख दी, अब सब कह रहे हैं, उस त्रिपक्षीय वार्ता में मैंने अकाली नेताओं से पूछा कि 1955 से लेकर 1980 तक 25 वर्ष तक आप पानी को कैसे भूल गए। 26 वें वर्ष में आपको पानी कैसे याद आया 25 वर्ष तक पानी को चिन्ता ही नहीं की, जब अकालियों की हुकूमत थी तारासिंह जी ने आन्दोलन किया, संत फतेहसिंह जी ने भी आन्दोलन किया, पंजाब में कई प्रकार के आन्दोलन हुए लेकिन राजस्थान का पानी हमको दिया जाय इस प्रकार की मांग नहीं की। इसका जवाब देते हैं कि राजस्थान जितना पानी यूटिलाइज कर रहा है उतना तो यूटिलाइज करे और बाकी के पानी के लिए हम आर्बी-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

टेशन स्वीकार कर ले। उन्होंने उस समय स्वीकार किया कि 5.2 मिलियन एकड फीट पानी, यह हम मानते हैं, राजस्थान यूटिलाइज कर रहा है और ऊपर का बाकी 3.4 मिलियन एकड़ फीट पानी का विवाद किसी आर्बीटेशन को दिया जावे। अध्यक्ष महोदय, परिणाम क्या निकलेगा। जो राजस्थान कैनाल का काम है वह बन्द हो जावेगा, जो हमनें राजस्थान कैनाल पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है वह इन्वेस्टमेंट ऐसे क्षेत्र में जहां आज आप कैनाल का काम बन्द कर दें और तीन महीने बाद वहां आदमी भेजें तो उस कैनाल का पता लगाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी कि वह कैनाल कहां खुदी थी, वह हैड क्वार्टर कहां बने थे, इंजीनियर का दफ्तर कहां था; पानी का इन्तजाम कहां किया था। सारा मिट्टी के अन्दर दब जाएगा। आज उस कैनाल का निर्माण करना है, साथ ही साथ सिंचाई की व्यवस्था भी करते जा रहे हैं। इस आधार पर कैनाल आगे नहीं बढ़ सकती है। आज दो वर्ष तक फैसला नहीं होता करोड़ों रुपयों का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वह इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाएगा। फिर किस बात का हम 3.4 मिलियन एकड़ फीट के लिये आर्बीट्रेशन स्वीकार करते हैं, राजस्थान का केस हम किस प्रकार से मान रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 3.4 और 5.2 की स्थिति क्यों पैदा हुई।

राजस्थान में जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा और मैं भी कहता हूं, हमारे हिस्से का यूज करने का पोटेंशियल हमने बना लिया। दुर्भाग्य से एक प्रचार देश में हो गया कि राजस्थान कैनाल बनी नहीं और इस कारण से पानी का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। राजस्थान कैनाल पूरी नहीं बनी है, यह बात सही है लेकिन राजस्थान कैनाल के माध्यम से हमारे हिस्से का 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी के अगेंस्ट में हम 7 मिलियन एकड़ फीट पानी उपयोग करने का पोटेंशियल क्रियेट कर जायें। मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं, हमार हिस्सा तो 8.6 मिलियन एकड़ फीट का है लेकिन पानी जितना स्टोर होता है, 17.17 मिलियन एकड़ फीट जब स्टोर होगा तो हमारा हिस्सा 8.6 मिलियन एकड़ फीट होगा। मेरी जानकारी के आधार पर, एक वर्ष में 15 मिलियन एकड़ फीट पानी इकट्ठा हुआ है; 12 से कभी ज्यादा नहीं हुआ। 12 से ज्यादा नहीं हुआ तो हमारा हिस्सा तो 6 मिलियन एकड़ फीट हो गया। अध्यक्ष महोदय, हम जब 7 मिलियन एकड़ फीट पानी उपनोग करने का पोटेंशियल क्रियेट कर पाये हैं तो हमारे पास सरप्लस वाटर है कहां? किस जगह पानी है जिस पानी का कोई दूसरा उपयोग कर सकता है? कोई उपयोग नहीं कर सकता है। राजस्थान केनाल के बारे में कुछ इन्ट्रेस्टेड तत्वों ने यह प्रचार किया है कि केनाल में वह पोटेंशियल क्रियेट नहीं हो गया। मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी यदि आज भी दिया जाय तो राजस्थान एक एक बूंद पानी का उपयोग करने के लिये सक्षम हैं, इसमें किसी प्रकार कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये हम कहते हैं, अब, अध्यक्ष महोदय, एक विवाद खड़ा हुआ था, पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट का 1966 में फैसला हुआ, जिस समय हरियाणा बना और एक्ट बना कि तीन हैड वर्क्स रोपड़, फिरोजपुर और हरि के, यह तीन हैड वर्क्स, भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को ट्रांसफर किये जावें।

(**श्री भैरोंसिंह शेखावत**)

एक्ट में प्रावधान है, धारा 79 के पार्ट थ्री में तीनों **हैड** वर्क्स का नाम है। इसलिये मैं कई बार कहता हूं, माननीय सदस्यों को भी कहना चाहूंगा, 1966 में कानून बना, भारत सरकार को कानून लागू करवाना था, 17 वर्ष हो गये, 17 वर्षों में पंजाब रिग्रार्गेनाइजेशन में अपनी धारा 79 को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। नहीं करा सकी तो उसका नतीजा यह है कि आज पंजाब कहता है आफ्टर 2.5 मिलियन एकड़ फीट आप यूज कर पायेंगे, ज्यादा नहीं कर पायेंगे। मैं समझता हूं सरकारी पक्ष की ओर से इस सदन में आंकड़े प्रस्तुत किये जायेंगे.....

श्री **शिवचरण माथुर** (मुख्य मंत्री) : बीच में तो मुख्य मंत्री आप भी थे।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मैं वह बताता हूं, यह आपने अच्छा याद दिलाया तो अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूं लेकिन अब करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कह रहा था, 77 में जब मैं मुख्य मंत्री बना, मुख्य मंत्री जी आपके पास तो सारा रेकार्ड है, 77 के पहले आपकी गवर्नमेंट ने, चाहे उस गवर्नमेंट में सुखाड़िया जी हों, चाहे उस गवर्नमेंट में बरकत साहब रहे हों, चाहे उस गवर्नमेंट में हरिदेव जोशी रहे हों, इस धारा 79 को इम्प्लीमेंट करवाने के लिये आपने कभी एक भी लैटर लिखा हो, रेकार्ड पर हो तो इस सदन में रखें।

1966 से 1977 तक 11 वर्ष तक यह सरकार कान में तेल डाले सोयी रही, सोयी रही, यह उसीका परिणाम है कि भारत सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया।

1977 में जनता पार्टी की सरकार आयी गवाही है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है मिनट्स हैं जो रेकार्ड की हुई हैं आपके सामने भी है, इरिगेशन मिनिस्टर साहब के पास भी हैं और मेरे पास भी हैं। उनको यदि आप मिनट्स को देखें, मैंने, अध्यक्ष महोदय, 1977 में प्रधान मंत्री से भेंट करके कहा कि हैड वर्क्स ट्रांसफर कराइये। प्रधान मंत्री ने लैटर लिखा, 1978 में। 1978 में यह प्रश्न सबसे पहले खड़ा हुआ, उन्होंने लैटर लिखा। दूसरी मीटिंग हुई तो मैंने कहा, प्रधान मंत्री जी, आप का कहना पंजाब की सरकार नहीं मान रही है। प्रधान मंत्री ने सख्त लैटर लिखा और यही बरनाला साहब सिंचाई मंत्री थे, इनको आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी इसकी तामील करायी जाये, हैड वर्क्स पर भाखरा व्यास मेनेजमेंट बोर्ड का कब्जा कराया जाय। यह मुख्य मंत्री जी रेकार्ड पर है...

श्री **चन्दनमल बैद**: हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: यह तो मैं बताऊंगा, मैं तो यह कह रहा हूं...

श्री **शिवचरण माथुर**: तामील नहीं हुई।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: अरे आपकी तो चिट्ठी लिखने की हिम्मत नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने एक चिट्ठी लिखी हो तो बता दें।

श्री **चन्दनमल बैद** : जिस चिट्ठी का फायदा नहीं होवे लिखने से क्या फायदा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह बात भी सामने आ गई। 1966 से लेकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस सरकार ने एक चिट्ठी नहीं लिखी और भारत सरकार को नहीं कहा कि हैड वर्क्स ट्रान्सफर किये जायं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चिट्ठी की इसलिये आवश्यकता नहीं पड़ी कि भारत सरकार भी हमारी पार्टी की थी, यहां भी हमारी है। आपको चिट्ठी इसलिये लिखनी पड़ी कि वह आपसे बात नहीं करते थे। आपमें तो, हुजूर, यह गुजरी, आपने चिट्ठी लिखी, प्रकाश सिंह बादल ने आपसे बात नहीं की फिर उन दिनों में इनर्जी के मिनिस्टर थे रामचन्द्रन, उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया। आप में तो बहुत बुरी गुजरी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह खेतसिंह जी मुख्य सचेतक हैं मुख्य सचेतक हैं और मुख्य मंत्री जी के विश्वास पात्र हैं। जो मुख्य मंत्री जी के साथ बीत रही है वह मेरे ऊपर थोप रहे हैं। टाइम नहीं मिलता मुख्य मंत्री जी को, हमने तो मोरारजी भाई से मिलने के लिये कोई छः छः दिन पहले किसी आदमी को भेजा नहीं। जब चाहा तब मिल लिये। आज मुख्य मंत्री जी को पूछ लो, कितने दिनों में प्रधान मंत्री आपको टाइम देती हैं, रोज राजस्थायन हाउस, जोधपुर हाउस में जाते हैं, टाइम नहीं देती।

श्री शिवचरण माथुर : मैं समझता हूं इन बातों से क्या लाभ होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो यह बात लाना ही नहीं चाहता था लेकिन आपके मुख्य सचेतक जी बैठे हैं, यह वही आदमी हैं जो कह रहे थे मैं पहाड़िया जी का स्वामी भक्त था, अब शिवचरण माथुर का स्वामी भक्त हूं। इसलिये इनकी स्वामी भक्ति से आप सावधान होकर चलें। यह जो बोलते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं समझें.....

श्री चन्दनमल बैद : यह तो हमेशा नेता के स्वामी भक्त हैं। नेता ये हैं इनके स्वामी भक्त हैं। दूसरा आ जायगा उनके हो जायेंगे, पहले जो थे उनके थे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इनके लिये इनकी दुकान में कोई पाबंदी नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है किसका स्वामी-भक्त होना है। जो भी मालिक होगा, उसके स्वामी-भक्त होंगे। जो भी एक रोटी का टुकड़ा देगा उसके पीछे पूछ हिलायेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन कर रहा था ऐसे प्रश्न पर, 1977 तक यह मामला बिल्कुल साइलेंट रहा। 1977 में चिट्ठी लिखी, जवाब आया, सब कुछ हुआ।

(व्यवधान)

नहीं करवा सके, इसमें मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा। ढाई वर्ष में करवा लेना चाहिये थे जिसे कांग्रेस पार्टी ने 11 वर्ष में नहीं कराया लेकिन हमने उस मामले को नये सिरे से रखा, उस पर जोर डाला, जोर डालने के साथ यह माननीय खेतसिंह जी कह रहे हैं यह बात सही है, अकाली दल के जो मुख्य मंत्री थे उनको चिन्ता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुई। यह मैं कोई इंकार नहीं कर रहा, उन्होंने मुझे भी कहा, हैड वर्क्स यदि आपके राजस्थान ने बी बी एम बी को दिलवा दिये तो पंजाब सरकार को खतरा हो जायगा। मैं उसमें कोई मना नहीं करता, इसमें छिपाता नहीं हूं। उस समय कहा, उसके बाद मैंने मोरारजी भाई से कहा यदि आप लैटर पढ़े तो उसमें इस बात का रेफरेंस है कि सरकार गिरने या न गिरने का सवाल नहीं है, यह भारत सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है। भारत सरकार ने 1966 के एक्ट में जो जिम्मेदारी ली है, उस जिम्मेदारी को पूरा कराया जाये, इसलिए, खेतसिंह जी, जो बात आप कह रहे हो वह कुछ अंशों में सही है। मैं यह कहना चाहता हूं हमारी सरकार चली गई, 1980 में पहाड़िया जी मुख्य मंत्री बने, वह चले गये 1981 में, शिवचरण जी माथुर आ गये, इन तीनों मुख्य मंत्रियों ने हैड वर्क्स के ट्रांसफर करने के मामले में कभी कोई चिट्ठी लिखी? आप यह कह देंगे कि चिट्ठी का प्रभाव नहीं है। चिट्ठी का प्रभाव नहीं है तो रोज-रोज क्यों चिट्ठी लिखते हो? कई मसलों पर आपने चिट्ठी लिखी, इस पर आप लोग चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हो? क्या आपने प्रधान मंत्री से इस संबंध में बात की। मेरा विश्वास था, मोरारजी भाई ने जिस तरह का एक्शन लिया उसको आप परश्यू करते तो निश्चित रूप से हैड वर्क्स के ट्रांसफर करने का सवाल हल होता।

मैं एक आधार पर कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री......

श्री शिवचरण माथुर: शायद विरोधी दल के नेता जानते हैं और त्रिपक्षीय वार्ता में वह स्वयं मौजूद थे। मैंने तो निरन्तर रूप से, रिपिटेड तरीके से हैडवर्क्स की बात को ही उठाया। केवल आज कागजों में कितना ही पर्सेन्टेज दे दीजिये, हिस्से का, जब तक हैड वर्क्स की बात को स्वीकार नहीं किया जाता है, मैं समझता हूं कोई पानी मिलने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिये इसको कई अलग-अलग मीटिंग्स में भी उठाया और अलग-अलग ग्रुपों में भी उठाया। आज भी सबसे मुख्य बात कहते हैं तो हैड वर्क्स की बात कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर आना ही नहीं चाहता था, लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ इनके शुभचिन्तक हैं, जो ऐसी बात कहलवाने के लिये मुझे मजबूर करते है मैं इसलिये कहना नहीं चाहता था इस बात को। मैं केवल एक बात दोहराना चाहता हूं, अकालीदल की सरकार और जनता पार्टी की सरकार तो अलग अलग थीं लेकिन पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। त्रिपक्षीय वार्ता में चाहे मुख्य मंत्री ने उठाया, चाहे सिंचाई मंत्रीजी ने उठाया, या, चाहे हमने उठाया जब हैड वर्क्स का प्रश्न उठाया तो हमें जवाब क्या मिला अकालियों की तरफ से। जवाब यह मिला हमारे व आपके बीच का झगड़ा नहीं है, यह पंजाब और राजस्थान की सरकार के बीच का झगड़ा है। अकालियों से इसका संबंध नहीं है। यदि इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो पंजाब की सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, उसमें हम नहीं आते उनकी मांग है...

श्री शिवचरण माथुर: प्रश्न तो बात

(श्री शिवचरण माथुर)
उठाने का था। आपने कहा, बात उठाने का जो सवाल कहा, वह मैंने आपसे कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात खैर उठाई कि नहीं लेकिन मैंने जो बात उठाई वह रिकार्ड पर है। आपने बात जो उठाई तो रिकार्ड देख लेंगे। रिकार्ड पर तो कुछ है नहीं, बाकि जो आप कहेंगे वह मान लेंगे, क्योंकि आपके रहने से हमारा केस मजबूत होता है। इसलिये हमें इस बात को मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में, मैं इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार के ऊपर अकालियों का जिस प्रकार का दबाव है उस प्रकार का दबाव यदि हम भी बनाकर रख सकें तो भारत सरकार, संभव है, राजस्थान के हितों पर किसी तरह का कुठाराघात नहीं करे। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं, फिर खेतसिंहजी बोलेंगे कि जनता पार्टी के शासन में क्या किया, मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में हमारा प्रतिनिधित्व कौन करता है केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में ? कोई नहीं। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में एक बाबूराजबहादुरजी पहुंचे। उनके सिवाय बाद में कोई गया केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में ?

श्री खेतसिंह राठौड : हमारे यू इंदिरा गांधी ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इंदिरा गांधी है वह तो ठीक है लेकिन राजस्थान का कोई लोकसभा का सदस्य मंत्रिमंडल में नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इरिगेशन मिनिस्टर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी लिया है। अभी श्री रामनिवासजी मिर्धा को शामिल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पहले कह रहा था कि आप जनता पार्टी को हर बात में याद करें लेकिन जनता पार्टी के जमाने में मुख्य मंत्री इतना स्ट्रोंग था कि दिल्ली में लाबी कराने की आवश्यकता नहीं थी। यह आपको ध्यान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं जहां कमजोर आदमी हो उसको बैसाखी की जरूरत होती है, जो दोनों पैरों से आराम से चलता हो उसको किसी तरह इन घोड़ियों की जरूरत नहीं होती। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज केन्द्र में हमारी सरकार का प्रभाव नहीं है और केन्द्र में हमारा ठीक प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं है। आज कोई कहे कि एक डिप्टी-मिनिस्टर है और दो राज्य मंत्री हैं। डिप्टी मिनिस्टर और राज्य मंत्री, जो पुराने हैं, के बारे में तो मैं कहना नहीं चाहता। उनका राजस्थान की पोलिटिक्स में नॉन-एग्जिस्टेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया में नॉन-एग्जिस्टेन्स है। मैं समझता हूं रामनिवासजी मिर्धा, जो अभी बने हैं, से हम आशा कर सकते हैं कि राजस्थान के हितों की सुरक्षा में वह किसी तरह की कसर नहीं रखेंगे। लेकिन आवश्यकता है इस बात की कि दिल्ली में हमारे पास जबरदस्त लाबी हो। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रसंग में एक बात कहना चाहूंगा और मुख्य मंत्रीजी से खासतौर से कहना चाहूंगा, मेरा खुद का अनुभव है उस आधार पर कहना चाहूंगा, कि दिल्ली में जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जितने भी डिसीजन होते हैं, जितने भी पैसे का बंटवारा होता है, अन्य राज्यों के जो डेपुटेशन सर्विसेज में रहते हैं, वह सरकार को इतनी जल्दी सूचना करेंगे कि जिस दिन उसका फैसला होगा उसी दिन उस सरकार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जायेगी और पैसा उस राज्य में चला जायेगा। मुख्य मंत्रीजी, आखिर हमारी सर्विसेज वहां डेपुटेशन पर हैं उनका लियन राजस्थान में है, उनसे यदि हमारे संबंध ठीक प्रकार से रहे तो, मैं नहीं कहता कि वे भारत सरकार के प्रति सिंसियर न रहें लेकिन उनकी सिंसियरिटी राजस्थान के प्रति मूल में है उसको बिल्कुल भूल न जायं, इस प्रकार की स्थिति अवश्य पैदा करे। मैं कहना चाहूंगा कि यह सदन अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर चले। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि सरकार ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार का प्रभाव दिल्ली में नहीं है, राजस्थान के पक्ष में लाबी नहीं है, केन्द्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान की भागीदारी नहीं है ऐसी स्थिति में राजस्थान के हितों का यदि चिन्तन करना है, राजस्थान के हितों को बचाना है, तो इस सदन को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान के हिस्से के रावी, व्यास और सतलज नदियों के पानी का प्रश्न है उस पानी की एक बूंद भी यदि दूसरा राज्य आन्दोलन, दबाव और धमकी के जरिये लेना चाहता है और भारत सरकार उस दबाव और धमकी के सामने झुकती है तो राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता, जिसके हितों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, के लिये जो कुछ भी करना हो, बिना राजनैतिक भेदभाव के हम आपस में मिल-कर उस संघर्ष को करेंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राजनीति की सीमा है....

(व्यवधान)

कई ऐसे आ गये हैं जो अनसमझ हैं, मैं क्या करूं। वह रावी-व्यास कहां है यह जैसलमेर में जाकर ढूंढेंगे।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि कई मुद्दे ऐसे हैं राजनीति की भी सीमायें होती हैं। राजनीति की सीमा से मुख्य मंत्री जी उधर जाकर बैठ गये, कोई उधर जाकर बैठ जाय, उसकी सीमा है, राजनीति में हार-जीत होती रहती है, राज बदलते रहते है लेकिन इस राजनीति के माध्यम से यदि राजस्थान के हितों पर प्रभावी और स्थायी कुठाराघात हो जाय तो उसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन के सभी माननीय सदस्य पूरे राजनैतिक भेदभावों को भुला कर भारत सरकार को बता दें कि राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया गया तो राजस्थान की विधान सभा, अपने आप में कोई सदस्य स्वर्ग समझ कर नहीं चलते होंगे, यदि आवश्यकता पड़ी तो विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देंगे। आवश्यकता पड़ी तो जैसे पंजाबियों ने कहा कि 60 हजार जेल में बैठे हैं, तो 60 नहीं लाखों आदमी राजस्थान के जेल में चले जायेंगे इसमें कोई सन्देह नहीं। मैं मुख्य मंत्री महोदय को खुला आमंत्रण देता हूं कि रावी-व्यास के संबंध में हमें कहने की आवश्यकता नहीं। वह सदन के नेता है। वह नेता के रूप में स्वीकार करके राजस्थान के आन्दोलन का नेतृत्व करें, खड़े हो जायं यदि उनकी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गिरफ्तारी होती है तो राजस्थान के लिए बलिदान दें और फिर देखें राजस्थान का एक बूंद पानी भी कोई बाहर ले जाता है क्या ? किसी की कमजोरी है, तो मैं समझता हूं, वैसी हालत के अन्दर····

(व्यवधान)

देखिए, अध्यक्ष महोदय, इसको भी असंतुष्ट लोग एन्जोय कर रहे हैं, यह कोई असंतुष्टों के सामने रावी-व्यास का सवाल नहीं है। वह तो समझते हैं मुख्य मंत्री जी जेल में चले जायं तो और भी बढ़िया, हम तो हटाना ही चाहते हैं। अब इसका इलाज क्या, अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए मुख्य मंत्री जी के पक्ष को भी निवेदन करना चाहता हूं और असंतुष्टों को भी निवेदन करना चाहता हूं, राज बदलें, आपका काम है, आप यह मानकर चलें, पहाड़िया जी आ गये या शिवचरण जी आ गये, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो राजस्थान का ठीक प्रकार से नेतृत्व कर सके। एक गया दूसरा आयेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं असंतुष्टों और विरोध पक्ष से और माननीय सदस्यों से...

श्री रामसिंह विश्नोई : आपकी पार्टी को दूषित कौन करता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ? अच्छा मैं बतला दूं, इनकी जगह आप आ जाओ तो बहुत ज्यादा मुफीद होगा ! क्या फिर शासन का बंटाढ़ार हो जायेगा ? इसमें कोई ज्यादा चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के बारे में भारत सरकार अच्छी तरह से समझ ले कि राजस्थान की पूरी जनता इस इस विधान सभा के साथ है, इस विधान सभा द्वारा पारित किए हुए प्रस्ताव के साथ वह भावनाओं से जुड़ी हुई है। राजस्थान के हिस्से का एक बूंद पानी राजस्थान से लिया गया तो जो आन्दोलन अकालियों ने किया है उससे ज्यादा ताकतवर आन्दोलन राजस्थान में होगा। मैं अपने दल की ओर से इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनी भी कुर्बानी करने की आवश्यकता राजस्थान के हित में होगी उसमें हम किसी तरह से पीछे नहीं रहेंगे। हम इसके पीछे, अध्यक्ष महोदय, इसकी भी घोषणा करके जाता है कि यदि कांग्रेस पार्टी के लोग नेतृत्व करें तो उनके नेतृत्व में चल कर हम राजस्थान के हितों की सुरक्षा करने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे। यदि कांग्रेस ने नेतृत्व नहीं किया तो मैं मुख्य मंत्री जी को सावधान कर देना चाहता हूं कि आपको असंतुष्ट करा पायेंगे या नहीं पायेंगे, इस राजस्थान की धरती पर हम नहीं टिकने देंगे, यह आप मान कर चलें। राजस्थान का एक बूंद पानी जिस तरह से 31 दिसंबर, 1981 का समझौता करके आ गये, उस तरह यदि कोई समझौता कर लिय तो भीलवाड़ा में तिलोनिया में शरण लेना, राजस्थान के सैक्रेटेरियट और राजस्थान का प्रशासन करने का मौका नहीं मिलेगा। इस आधर पर कहना चाहता हूं, सहयोग भी देता हूं आपको इस बात के लिये आगाह करना चाहता हूं. कोई बड़ी बात नहीं, है मुख्य मंत्री की कुर्सी है, दबाव पड़ता हो तो त्याग-पत्र दे दें। राजस्थान में आप हीरो बनोगे, हमें तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उल्टा नुकशान होगा लेकिन राजस्थान का हित होगा। उस नुकशान को हम राजस्थान के हित में किसी भी प्रकार से भारी नुकशान नहीं मानते। आज आप भी घोषणा कर दो, दुबारा बोलने वाले हो, राजस्थान का एक बूंद पानी गया तो शिवचरण माथुर त्याग पत्र देगा और सारी जनता का नेतृत्व करेगा। न भारत सरकार की हिम्मत हो सकती है, न पंजाब की हिम्मत हो सकती है कि राजस्थान का एक बूंद भी पानी ले जाय। मैं समझता हूं, मुख्य मंत्री जी, यह अवसर है, असंतुष्टों से मत घबराइये, ये तो हटा पायेंगे या नही हटा पायेंगे लेकिन राजस्थान के लिये कुर्बानी कर जाओ, भगवान ने मौका दिया है, इस तरह का मौका दुबारा नहीं आयेगा। मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, तर्क के आधार पर राजस्थान का केस मजबूत है, आवश्यकता के आधार पर राजस्थान का केस मजबूत है, न्याय के आधार पर राजस्थान का केस मजबूत है, आज तक जितनी ट्रीटी और एग्रीमेंट हुए उनके आधार पर राजस्थान का केस मजबूत है, राजनीति के आधार पर यदि राजस्थान का शोषण करना चाहा तो हम डट कर विरोध करेंगे, और विरोध के स्वरूप यह पहला संकेत है, सारी विधान सभा मिल कर ऐसा प्रस्ताव पास कर रही है जो मेरी जानकारी के अनुसार 1952 से आज तक सारे सदन ने मिल कर एक इस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास नहीं किया। यह राजस्थान अपना इतिहास बना रहा है। यह उस आन्दोलन की भूमिका है जो आन्दोलन हमारे हितों पर कुठाराघात करने वालों के हाथ पकड़ने के लिये करेंगे। इस आधार पर मुख्य मंत्री जी को यह प्रस्ताव लाने के लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह की भावनाएं सदन के माननीय सदस्य प्रकट करें उसके अनुरूप खड़े हों, भारत सरकार के सामने खड़े होना पड़े तो उसके सामने खड़े हों, अकालियों के आन्दोलन के सामने यदि खड़े होना पड़े तो उसके सामने खड़े हों। कोई चिन्ता नहीं करें। राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता आपके साथ है। यदि आपने कहीं कमजोरी दिखाई तो जनता तो आगे बढ़ेगी ही, यह सरकार उसके पहलू में आयेगी या सरकार उसके हाथों में आयेगी, इसका कोई पता नहीं रहेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह परीक्षा की घड़ी है। माथुर साहब, इतनी बड़ी चुनौती राजस्थान को पहले नहीं मिली। 1955 में जब राजस्थान का आधार भी नहीं बना था, राजस्थान को 8 मिलियन एकड़ फीट पानी मिला। जब आधार बन गया है तो उस 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 3.4 मिलियन एकड़ फीट पानी में वापस पंजाब को दे दिया जाय तो प्रदेश उसे किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए अन्त में यह कहते हुए कि सदन इसको राजनैतिक आधार पर नहीं ले, यह पूरे राजस्थान की प्रतिष्ठा का सवाल है, राजस्थान की बह बूंदी का सवाल है। इस राजस्थान की बह बूंदी और प्रतिष्ठा के सवाल पर हम सब एकमत होकर लड़ें। लेकिन यदि बाद में कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रकार की कमजोरी दिखायी तो विपक्ष इस प्रश्न को लेकर जनता में जाएगा, जनता को जगाएगा और जगाकर भारत सरकार पर दबाव डालकर किस प्रकार इसे रोका जा सकता है उस प्रकार रोकने की कोशिश करेंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रस्ताव

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं इस शर्त के साथ कि इस प्रस्ताव की भावना में इम्पलाइडली नहीं लिया जाय, कि 1981 के समझौते का मैं समर्थन करता हूं व उसका आज भी विरोध करता हूं। इसमें जिस तरह की शब्द रचना की गई है उसमें कहीं अनर्थ न हो जाये, इस आधार पर इसका स्पष्टीकरण करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : श्री राजहादुर !

श्री **अहमद बक्श सिंधी** : दूध तो दिया मगर मींगणी डाल कर।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने सुना नहीं।

श्री **राजबहादुर** : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं...

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, बातें न करें।

श्री **राजबहादुर** : राजस्थान के हितों के संरक्षण के लिए ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता अनिवार्य थी, यह पूरी हो रही है, यह स्वागत योग्य बात है। यह जो कुछ प्रस्ताव के रूप में आया है...

श्री **अध्यक्ष** : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री **राजबहादुर** : बहुत देर हो गयी। जाने दीजिये। मैं सोच रहा था, खुद ही शान्त हो जायेंगे।

जो कुछ उसकी पृष्ठभूमि के रूप में, दलीलों के रूप में कहने योग्य बात भी वह मुख्य मंत्री जी ने और विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने कही। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। मैं इतना ही कहूंगा कि 1955 का एग्रीमेंट जो था वह अगर दुर्भाग्यवश किसी भी कारण से खुलता है तो यह सब बातें होती हैं और होंगी। लेकिन मैं तो इस सिचुएशन का एनविसेज ही नहीं करना चाहता हूं, कल्पना भी नहीं करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति पैदा होगी कि 1955 के एग्रीमेंट को चुनौती दी जाय। इसलिये मैं चाहता था, यह प्रस्ताव कुछ और डिसाइसिव होता, कुछ और पाईटली होता। लेकिन जैसा कुछ भी है उसमें एक दो बात मुझे निवेदन करनी है, वह मैं कहूंगा लेकिन उसके पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि.....

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, आपस में बातें न करें।

श्री **राजबहादुर** : मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो भी प्रस्ताव है, जिस पर हम विचार कर रहे हैं साथ में देश का भी ध्यान रखें व्यापक दृष्टि से। अकाली दल वाले लोग भाई, हमारे ही देशवासी हैं, यह न भूलें। यह तो निश्चित बात है कि हो सकता है इसमें राजनीति आयी हो। लेकिन हम उनसे भी अपील कर सकते हैं, और की है, हमसे आखिर किस आधार पर राजस्थान का पानी छीनना चाहते हैं, उसके हिस्से को कम करना चाहते हैं, कौनसा आधार है, जहां तक सिचाई का संबंध है सिचाई के पहलुओं का संबंध है उनकी भूमि का संबंध है, हमारी भूमि का संबंध है, मैं केवल दो-तीन आंकड़े, जो मुख्य मंत्री जी ने, दिये दोहराना चाहूंगा, वह है कि कुल भूमि पंजाब

(श्री राजबहादुर)

के पास है 107 लाख एकड़ 106. पाइन्ट समचिंग एकड़ और उसमें ग्रोस इरिगेशन 77.47 लाख एकड़ का होता है। हरियाणा का 95.70 लाख एकड़ कल्टीवेबल एरिया है। इसमें से 36.79 लाख एकड़ में इरिगेशन होता है। एक 73 पर्सेन्ट है, एक 38.4 पर्सेन्ट है। जैसा कहा गया, हमारी 6 करोड़ 76 लाख एकड़ भूमि है, कुल 1.5 करोड़ भूमि में पानी जा सकता है अगर सारे साधन, चम्बल और रावी व्यास, और सब साधन उपयोग किये जांय तब वह जाकर बैठता है 17-18 पर्सेन्ट। आज की स्थिति में 8.5 पर्सेन्ट में ही पानी जा सकता है। एक ओर तो यह है कि इन्टेंसिव इरिगेशन की बात हो रही है, सब सोइल वाटर की प्राब्लम हो रही है, दूसरी ओर इसी देश के भाग में यदि मान लीजिये, अकाली दल राजस्थान में भी होता तब भी उनको राजस्थान की भूमि के लिये सोचना होता, इसको सजाना होता, संवारना होता, संजोना होता। आज हम यह देखें कि जहां तक नीड की बात है, उसकी अर्जेंसी की बात है। क्या अर्जेन्सी पंजाब में है ? क्या अर्जेन्सी हरियाणा में इतनी अधिक है ? अर्जेन्सी यू. पी. में है या सबसे अधिक अर्जेन्सी नीड की राजस्थान में है। आवश्यकता सबसे अधिक हमारी है। कभी न कभी तो मुल्क को सोचना पड़ेगा कि राजस्थान के एरिड जोन्स हैं, जो सूखे इलाके हैं, राजस्थान के डेजर्ट हैं उनके लिये कहां से पानी लाया जायेगा, उनको कैसे हरा-भरा बनाया जायेगा ? मैं तो यह मानता हूं अगर राजस्थान कैनाल भी पूरी हो जाये, पूरी सम्भाल ली जाय, उसका सारा कमाण्ड एरिया डवलप हो जाये तब भी यह सवाल रहता है। पुरानी हिस्ट्री से मुझे बता दें, गंगानगर के पार्ट बीकानेर डिस्ट्रिक्ट और जैसलमेर, बाकी कितना इलाका रह जाता है यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, यह बहुत साफ है।

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति, पदासीन)

कम से कम 8-10 इलाके, जिले जो बहुत अधिक सूखे ही रहेंगे।

श्री यदुनाथसिंह : कोई नहीं सुन रहा है।

श्री राजबहादुर : न सुनें। कोई बात नहीं है। सुनने की बात तो यह है, मैं बता दूं, न तो उनका भाषण था, न रेलेवेंट इनका भाषण था, रेलेवेंट प्रस्ताव है, इन भाषणों को न तो अकाली दल वाले पढ़ेंगे, और न केन्द्र वाले पढ़ेंगे। हम लोग एक दूसरे को जरूर सुना देंगे, यह वस्तु स्थिति है साफ।

श्री शिवचरण माथुर : बात सही है।

श्री राजबहादुर : इसलिये निश्चित बात यही है न।

श्री नाथूसिंह : अखबारों में तो छपेगा।

श्री राजबहादुर : अखबारों में तो छपेगा। एक इसको भी मान लें।

श्री सभापति : कृपया मुद्दे पर आइये।

श्री राजबहादुर : मुद्दे पर ही हूं लेकिन मुद्दे के बाहर ले जायें तो मैं क्या कर सकता हूं।

मैं इसलिये कह रहा था कि कन्ट्री क्या

(श्री राजबहादुर)

श्रफोर्ड कर सकता है। देश क्या इस बात को सम्भाल सकता है, देश का इतना बड़ा भू-भाग 5 करोड़ एकड़ भूमि बिना पानी के रहे, जहां पर पीने को भी पानी नहीं मिले, डेढ़ सौ, दो सौ, ढाई सौ फीट तक पानी नहीं मिले, बहुत फेमिन होता है। फेमिन रिलीफ भी होता है लेकिन क्या किया जाय। श्राज यह स्थिति क्यों हमारे सामने श्राई, इसमें थोड़ा सा मैं कहूंगा लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि श्रगर राजस्थान कैनाल पूरी हो जाये, चंबल वगैरह का एरिया पूरा हो जाय, चंबल में तब भी 2.2 मिलियन एकड़ फ़ीट पानी है जो बिना इस्तेमाल किये हुए राजस्थान में होकर बह जाता है, कोटा के नीचे उसका कोई उपयोग नहीं होता है। क्या लिफ्ट इरिगेशन से नहीं होता है वह काम। लेकिन यह रेलेवेंट नहीं है इस वक्त। रेलेवेंट यह है कि श्रगर हम यह सोचें कि सारे देश की पृष्ठभूमि में राजस्थान के एरिड जोन का क्या हिसाब है। श्रकाली दल के नेताश्रों से श्रौर प्रतिनिधियों से मैंने भी यही विनती की, कि श्राप यह सोचिये कि हम लोग कहां से सारे एरिया को डवलप कर पायेंगे श्रौर कैसे हमारे खुशहाली श्रा सकेगी। तब उन्होंने कहा था कि गंगा-जमुना का पानी श्रा सकता है। श्राज भैरोंसिह जी की बात सुनकर मुझे दुःख भी हुश्रा श्रौर ताज्जुब भी हुश्रा कि गंगा जमुना का पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने स्वयं गंगा-जमुना के पानी का तकाजा किया है, मांग की है चाहे कैसे भी की, श्रपने श्राप की गा हम लोगों की यादि हानि से की श्रौर श्राज भी वह मामला पेश में है मुझे मुख्य मंत्रीजी ने श्राश्वासन दिया था कि यमुना के पानी का बंटवारा हम जल्दी से जल्दी करवायेंगे। जब तक गंगा-जमुना का पानी नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं चलेगा, यह तो निश्चित बात है। लेकिन सारे कन्टेक्स्ट में यह देखने की श्रावश्यकता है कि टोटल स्कीम श्राफ थिंग्स है इसमें प्रधान मंत्री ने स्वयं एक कमेटी बनायी है नेशनल वाटर रिसोर्सेज डवलपमेंट एजेंसी, उसके सामने भी सवाल श्राया तब भी यही होगा कि राजस्थान को कहीं न कहीं से तो पानी देना पड़ेगा। हमारे इरिगेशन मंत्री यहीं के हैं, हमारे ही प्रान्त के हैं, उनसे भी श्राशा की जा सकती है। लेकिन यह सवाल हमारे सामने नहीं श्राता है। लेकिन हम समय रहते हुए जो स्कीम थी 1958 में, पं. गोविन्द वल्लभ पंत ने बुनियाद रखी, पत्थर रखा बुनियाद का, उसका पहला चरण पूरा हो चुका है श्रौर दूसरा चरण भी जल्दी ही पूरा होगा, भगवान ने चाहा तो जल्दी पूरा होगा, लेकिन यह तो भविष्य ही बतायेगा कि कब पूरा होगा क्योंकि हमारे सामने संकट रहा है, धन का श्रभाव रहा है, सीमेंट का श्रभाव रहा है श्रौर कभी कोयले की कमी रही हैं। श्रौर वक्त–वक्त पर बाधायें श्रा जाती हैं लेकिन शुरू में जो एक स्कीम एनविसेज की गयी थी वह यह थी कि इन तीनों नदियों का पानी फ़िरोजपुर से लेकर कांडला तक पहुंचाया जाय। श्रौर पाकिस्तान के 3 वेजन की बात थी, राजस्थान पर हमले की बात थी यह उसी संदर्भ में कहा गया कि इच्छोगल कैनाल बाधक है किसी श्रार्मी के वास्ते इतनी ही बाधक हो सकती थी। राजस्थान कैनाल भी यदि यहां से लेकर वहां तक उसमें पानी लाया जाता लेकिन उस कन्टेक्स्ट में नहीं देखा गया। श्रब जो कुछ सिचुएशन है वह तो है लेकिन इस सिचुवेशन को देखते हुए मेरी विनती श्राप से यह है कि

(श्री राजबहादुर)

दुनिया के सामने यह बात आनी चाहिए, अकाली दल के सामने आनी चाहिए कि जितना हमारे देश का भू-भाग है कुल 13.8 प्रतिशत हिस्सा हमारे राजस्थान का। जो वर्षा होती है वह देश के कुल का केवल 1 प्रतिशत होती है ऐसी स्थिति में जो 1955 में चीज मिल चुकी थी, अगर सन् 1981 में उसको छोड़ा न गया होता, 1981 में उसका रिवीजन किया, प्रोराटा बेसिस पर होता, आपने कन्सेशन किया है, 1981 के समझौते के बारे में, जिसके मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं, यह कहना है कि चाहे मार्जिनली कंसीड किया हो, आप ही के आंकड़ों के मुताबिक 52.6 प्रतिशत, मेरे हिसाब से 53.3 प्रतिशत, 15 में से 8 मिलियन का जो हिस्सा है, 53.3 प्रतिशत से करेगा लेकिन 52.6 प्रतिशत मानते हैं तब भी आपके हिसाब से हमारा हिस्सा होना चाहिए था 8.685। आपने .085 तो छोड़ा ही छोड़ा है, ऐसी हालत में यह क्लीयर है कि आपकी जो स्कीम थी 1955 की, उससे डिपार्चर किया है। डिपार्चर किया है तो उसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। तब ही यह सवाल आता है कि अगर 1981 का स्टेप लिया जाता है तो 1955 का भी खुल जायेगा। मेरा कहना यह है कि फिर भी बचत रह गयी है, 1981 के एग्रीमेंट में, वह यह है, उसमें लिखा है——

"Agreement of 1955 stands modified to that extent."

मोडिफिकेशन हुआ है 1955 में, टोटल रिवीजन नहीं हुआ है। टोटल, जिसको कहते हैं, कोई रिजेक्शन कर दिया हो, रिप्लेसमेंट कर दिया हो, सब्सटीट्यूशन कर दिया हो, वह नहीं हुआ, मोडिफिकेशन है। अगर मोडिफिकेशन वाला एग्रीमेंट जाता है तो ओरिजनल रेस्टोर हो जाता है। 1976 से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, निश्चित बात यह है। मैं अब टैक्स्ट ऑफ रिजोल्यूशन पर आऊंगा, ज्यादा समय नही लेना चाहूंगा, मेरा कहना यह है कि पहले पैराग्राफ में अगर देखें गौर से, अंग्रेजी के ड्राफ्ट में, मैं मुख्य मंत्रीजी से अपील करूंगा, कम से कम इस बात को……

श्री सभापति : मुख्य मंत्रीजी सुन रहे हैं।

श्री राजबहादुर : उनका प्रस्ताव है सुन तो लें, मैं क्या कहना चाहता हूं। पहले पैराग्राफ में आपने लिखा है——

"The people of Rajasthan are greatly agitated on the demand made by the Punjab Akali Dal for a judicial review of distribution of Ravi Beas-waters......"

डिस्ट्रीब्यूशन तो रावी-व्यास वाटर का हो गया 1955 में। लफ्ज यहां री-डिस्ट्रीब्यूशन का होना चाहिए, मोटी बात है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, खाली रिव्यू नहीं चाहते हैं, वह तो चाहते हैं कि शेयर्स का रिवीजन हो। इसलिए उन्होंने जो डिमाण्ड की, उसको प्रोपरली डेस्क्राइब करने के वास्ते मैं यह शब्द प्रस्तावित करता हूं, आप इन्हें स्वीकार करें या नहीं करें, आप के स्वयं के सोचने का विचार है——

"Demand for revision and redistribution of shares in Ravi-Beas Water determined and fixed in the inter-state agreement of 1955 solemnly concluded between the

(श्री राजबहादुर)
concerned States once and for all."

अगर इस प्रकार के शब्द इसमें हों,

श्री शिवचरण माथुर : इसमें आ जाता है।

श्री राजबहादुर : कतई नहीं आता। उसका मतलब यह होता है कि आप खाली डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहे हैं जैसे अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन तो हो चुका है 1955 में, आप 1955 को डायलूट कर रहे हैं इस भाषा से। आपकी खुद की भाषा है—

"Judicial review of distribution of Ravi Beas water .."

री-डिस्ट्रीब्यूशन इनएवीटेबल है। इसके साथ मैं कहूंगा उसमें आपको यह रखना चाहिए—

"Demand for revision and redistribution of shares in Ravi Beas waters determined and fixed in the inter-state agreement of 1955 solemnly concluded between the concerned State once and for ever."

इस प्रकार की कोई चीज हो तो यह हो सकता है कि हम इस 1955 की इनएवीटेबलिटी को एम्फेसाइज कर रहे हैं। जिन शब्दों में आपने कहा, यह हल्के शब्द हैं। माफ करें, हल्के से मतलब लाइट हैं, प्रॉपर कम्पलीट नहीं हैं, प्रॉपर एडीक्वेट नहीं हैं, यह मेरा कहना है। दूसरे पेज पर इस पर आप गौर कर लीजिये, मैं दुबारा रिपीट कर देता हूं, जो मैंने लफ्ज कहे हैं :

Akali demand is for revision and redistribution of Ravi Beas waters..

एक बात और है, उनकी डिमाण्ड को आप 1955 तक क्यों मानें ? उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की मांग है, वह हरियाणा और पंजाब तक कन्फाइन करने के लिए जरूरी है, हरियाणा और पंजाब तक ही सीमित है, रिवीजन और री-डिस्ट्रीब्यूशन का। हम यह नहीं मानते कि उनकी डिमाण्ड हमारे 1955 के एग्रीमेंट को रिवीजन करने के वास्ते है। यह बिल्कुल मौलिक, बेसिक मामला है। आप गौर करना चाहें, करें, नहीं करना चाहें, नहीं करें लेकिन मेरी राय यह है कि प्रस्ताव पॉइन्टेड नहीं है, एडीक्वेट नहीं है. पेज 2 पर है—

"The requirements of irrigation of arid areas of Rajasthan"

पहले पेज से शुरू होता है :

In the requirements of the water projected by India in the negotiation proceedings the finalisation of this treaty. "The requirements of irrigation of arid areas, of Rajasthan" Constituted बजाय formed a major and "important" constituted crucial and conclusive factor in the conclusion of the international treaty.

कूशल था और कन्क्लूजिव था, यह मामला। इस से हमारा केस whether हरियाणा हो और whether पंजाब हो स्ट्रेन्थन होता है। खाली यह कहना कि formed major and important part, and in fact, Rajasthan's needs......

यह आपने रखा तो है kingpin लेकिन उसको वहां तक कूशल और कन्क्लूजिव फैक्टर मानें तभी यह चीज होगी। एक

Page No 82

(82)

(श्री राजबहादुर)
बात, दूसरी बात यह है मिडल ऑफ दी पेज में :--

The hopes and aspirations of millions of people of Rajasthan have for a long time centred round completion of these schemes which will convert these arid but fertile areas in its north-western part into irrigated and developed ones....

श्री शिवचरण माथुर : लैंग्वेज का फर्क हो सकता है ।

श्री राजबहादुर : लैंग्वेज को नहीं मैं मौलिक बात कह रहा हूं । जो दोनों बातें कही हैं वह मौलिक कही हैं । पहली बात भी मौलिक थी, आप खाली मेजर इम्पोर्टेण्ट न कहें, बल्कि क्रूशल और कन्क्लूजिव कहें, यहां पर ऐसा लगता है आपके सेन्टेंस से सारे राजस्थान का कल्याण हो जायेगा। रावी व्यास से, आप के राजस्थान केनाल से, These arid areas but fertile areas in its north-western part into irrigated and developed ones." मेरा कहना कि नार्थ वैस्टर्न पार्ट में सारा एरिया कवर नहीं होता है राजस्थान कैनाल से इसलिए पार्ट ऑफ दी एरिया कहना पड़ेगा wholly नहीं कहिये, part of north western area आगे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है आपकी मर्जी है, रखें, मुझे तो एप्रोप्रिएट शब्द नहीं मालूम पड़ता है पेज 3 के पैराग्राफ 3 पर है---

The Rajasthan Legislative Assembly fully determined to safeguard Rajasthan's interests and in full realisation of the fact that the entire development of the area is at stake, resolves to face with fortitude."

फोर्टीट्यूड शब्द, मेरे ख्याल से एप्रोप्रिएट नहीं, डिटरमिनेशन लफ्ज हो सकता है । रिजोल्यूशन हो सकता है लेकिन फोर्टीट्यूड का लफ्ज ठीक नहीं है । अब मेरा क्रिटिसिज्म है तो यही है कि प्रस्ताव थोड़ा हल्का है पाइंटेड नहीं है पाइंटेड होना चाहिए था I should be very pointed न तो एनलेसिस में और न कन्क्लूजिव पोर्शन में । आपरेटिव पोर्शन में आप अगर गौर करें तो आपको यह चीज मालूम होगी ।

रही यह बात कि जो पाइंट्स उठाये गये हैं उनमें सबसे इम्पार्टेण्ट पाइंट यह है कि हैड वर्क्स के कन्ट्रोल के बारे में आपने लिखा है । हैड वर्क्स के कन्ट्रोल के बारे में इम्प्लीमेंटेशन को आप उतना ही पाइंटेड और एम्फेटिक वे में रखिये जैसा कि बाकी प्रस्ताव में रखा है । हैड वर्क्स के बारे में ज्यादा नहीं कहा है मैंने जान बूझकर लेकिन जो क्रिटिसिज्म भैरोंसिंह जी की तरफ से आया है वह पाइंटेड था ।

मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन आशा करता हूं कि अगर वह सुस्ती राजस्थान कैनाल के इम्प्लीमेंटेशन में अगर नहीं बरती गई होती तो आज हमें यह दिन नहीं देखने पड़ते । एक तकलीफ मैं फिर बयान करना चाहता हूं कि इस पानी को, आज से कई साल पहले, मैंने सबसे पहले 1973-74 में उठाया था जब राजस्थान कैनाल की प्रगति ही नहीं थी, पूर्वी राजस्थान में इस्तेमाल किया जा सकता था, झुंझुनूं, चूरू, अलवर भरतपुर में लेकिन वह बात कभी सुनी नहीं गयी । आज भी उसके बारे में कानों

(श्री राजबहादुर)

पर रूई है उसकी वजह यह है, कहते हैं, यह सारा पानी कमिटेड हो चुका है । सारा पानी कमिटेड है । ट्रीटी हुई है, एग्रीमेन्ट हुआ है समूचे राजस्थान का। समूचे राजस्थान में इस ट्रीटी का इन्टर-प्रिटेशन यह है कि खाली पश्चिमी राजस्थान है और कोई राजस्थान का एरिया नहीं है, न झुंझुनू है न अलवर है, न शेखावाटी है । और कोई एरिया नहीं । इसलिए मैं कहूंगा, वह तो मैंने इसलिए कहा कि अब भी आप उस पाइंट को ले सकते हैं बहुत से एरिया ऐसे हैं जहां पानी हमारा इस्तेमाल हो सकता है । कोई चार्ज नहीं लग सकता क्योंकि वह लोग खुले रूप से कह सकते हैं आपने नहर बना ली होगी, उसकी शाखायें बन गयीं ? क्या उसकी डिस्ट्री-ब्यूटरीज बन गयीं ? वह नहीं बनीं । फिर कमाण्ड एरिया डवलपमेन्ट । फिर जब तक रीहैबिलिटेशन नहीं होता है, डवलपमेण्ट नहीं होता है, कोलोनाइजेशन नहीं होता है यह तीन चार बातें जरूरी हैं, जब तक यह नहीं होता है तब तक पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते । इस काम के होते होते कम से कम 10 साल लगेंगे । इसमें कोई संदेह की बात नहीं है । यह बहुत स्पष्ट बात है । इनके बिना कहां-कहां इस्तेमाल कर सकते हैं , मैं पुनः आग्रह करूंगा मुख्य मंत्री जी हैं यहां पर, सिंचाई मंत्री हैं यहां पर और हमारे राजस्थान कैनाल मंत्री जी भी हैं यहां पर, वह खुद सोच लें कि क्या उनका प्रस्ताव एडी-क्वेटली पाइन्टेड है, कन्वे करता है जो कि राजस्थान की भावना है, यह कहने की आवश्यकता नहीं, मुझे जैसे आदमी को रिटोरिक की आवश्यकता नहीं, अगर कोई कुर्बानी की जरूरत होगी राजस्थान के हितों की रक्षा के लिए तो मैं क्या सारा राजस्थान उसके लिये खड़ा हो जायेगा कौन गवारा करेगा कि हम पानी खोते जायें, अपना हक खोते जायें । हम लोग जो पूर्वी राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके लिए बड़ी दुविधा है, हमको पानी मिल सकता है, पानी मिल नहीं रहा है, पानी के स्त्रोत डवलप नहीं किये जा रहे हैं । हमारे लिए और मरने का स्थान है । इसलिए मैं कहता हूं कि रिटोरिक की आवश्यकता नहीं है, न कोई ओरेटरी की आवश्यकता है । आवश्यकता इस बात की है कि ठोस इरादे से, पक्के इरादे से हम इस काम को, हम इस इज्जत को रखें । बाकी ईश्वर न करे जो आर्ग्यूमेन्ट यहां चल रहे हैं और चलेंगे शायद उनको देने की आवश्यकता हो । उनको देने की आवश्यकता तब होगी जब सन् 1955 के एग्रीमेन्ट को खुलवाने के लिये राजी हो जायं या यह हमारी मर्जी के बावजूद खोला जाय । उसे खोलने ही नहीं देना है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपार्च्यूनिटी या रीजन कोई ऐसा नहीं होना चाहिये भविष्य में हमारे नेगोशियेशन्स में, हमारे वातावरण में या हमारे व्यवहार में, हमारे वार्तालाप में कि हम किसी तरह से कम्प्रोमाइज करेंगे इस बात पर कि 1955 का एग्रीमेन्ट दुबारा खोला जाय । अगर वह खुलता है, मैं मानता हूं कि 1981 का एग्री-मेन्ट था वह ट्रेजडी था इस मायने में कि खाली प्रोरेटा उसका रि-डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था । अगर प्रोरेटा रि-डिस्ट्री-ब्यूशन न होकर उसमें अन्तर हुआ है तो लोग आर्ग्यूमेन्ट दे सकते हैं, सोच सकते है कि ऐसी बात नहीं है । और वह है; आज वह खुल कर कहते है दुबारा खोला जाय । तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन की जगह री-डिस्ट्री-ब्यूशन की डिमाण्ड है उसको ठीक डेस्क्राइब

(श्री राजबहादुर)
किया जाय जहां कमाल या कंक्लूजिव बात थी राजस्थान के हितों को देखते हुए उसको रखा जाय।

मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आशा करता हूं कि जो-जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर विचार किया जायेगा।

श्री सभापति : श्री कमलेन्द्रसिंह जी।

श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभनगर) : माननीय सभापति महोदय, जो प्रस्ताव सदन के नेता ने सदन में प्रस्तुत किया है रावी-ब्यास की समस्या के बारे में उसका मैं समर्थन करता हूं।

सन् 1955 में जब यह सर्व प्रथम एग्रीमेंट हुआ था और राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फीट मिला था, उस टाइम से लगाकर आज दिन तक मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसी भी हिस्से के लिये कहीं पर भी न तो किसी ने डिस्प्यूट किया है,न कभी इस डिस्प्यूट को किसी कागज पर लाया गया। सन् 1960 में जब इन्डस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान से नेगोशियेट हो रही थी, वर्ल्ड बैंक ने जो नेगोशियेट की थी उस इन्डस वाटर ट्रीटी के अन्तर्गत राजस्थान के शेयर को, राजस्थान के डेजर्ट को देखकर ही हिन्दुस्तान को अपना शेयर, पूरा हिस्सा मिला था। यह एक हिस्टोरिकल फेक्ट है, एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सन् 1943 के पहले जब राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, जब कभी भी राजस्थान में अकाल पड़ता था उस समय वेस्टर्न राजस्थान के जितने भी पशु थे वह सिन्धु नदी के आस-पास अकाल का साल निकालते थे। यह जो अपना राइट था सिन्धु नदी पर उस राइट को देखकर इन्डस वाटर ट्रीटी के अन्तर्गत अपन को इन्डस बेसिन का पार्ट, एक हिस्सा मानकर सन् 1960 में हिन्दुस्तान को जितना भी पानी मिला है वह राजस्थान की दृष्टि से मिला है। सन् 1966 में जब पंजाब रि-आर्गेनाइजेशन एक्ट बना था उसके सेक्शन 78 में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है :—

'...within two years of the appointed day, the Central Government may by an order determine having regard to proprities of the project.'

उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, जितने भी वाटर के एग्रीमेंट सन् 1966 के पहले हुए हैं उनके बारे में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो 1968, दो साल के अन्दर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में से जो भी डिस्प्यूट करता है तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट को अपना दावा पेश करेगा। किन्तु सन् 1966 के बाद एक भी बार पंजाब की सरकार, चाहे अकाली दल की सरकार बनी हो, या कांग्रेस दल की सरकार बनी हो, ने कभी भी राजस्थान के हिस्से के बारे में कोई दावा पेश नहीं किया। लीगल पाइन्ट से, कानूनी पाइन्ट से अपन को प्रोटेक्शन है, राजस्थान को पूरा पूरा प्रोटेक्शन है पंजाब रि-आर्गेनाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत कि हमारा जो पानी है उसके हिस्से पर कोई भी स्टेट का कोई क्लेम नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो दूसरा एग्रीमेंट 1976 में हुआ था, उस एग्रीमेंट के अन्तर्गत भी राजस्थान के पानी के हिस्से का कोई डिस्प्यूट नहीं है। वह केवल डिस्प्यूट जो

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

है। पंजाब और हरियाणा के बीच में बंटवारे का है उसमें बाद में सन् 1981 में एग्रीमेंट हुआ है उस 1981 के एग्रीमेंट में भी अपने शेयर का, 8.6 मिलियन एकड़ फीट जो पानी हमको मिलना चाहिये या 52 पर्सेन्ट जो अपन को मिलना चाहिये उसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं था।

सन् 81 के एग्रीमेंट में एक लेकूना रह गया था, उसमें यह सेन्टेंस जोड़ा गया है कि जब तक राजस्थान अपने पूरे पानी का उपयोग नहीं कर सकता तब तक पंजाब उस पानी का उपयोग करेगा। इस लेकूना के पीछे लगातार पंजाब या हरियाणा यह क्लेम कर सकता है। परन्तु इस लकूना के पीछे कितना सब्सटेन्स है, कितना ठोस तथ्य है उसकी भी जांच करनी चाहिये। तथ्य यह है कि जब तक थीन डेम नहीं बनेगा तब तक स्टोरेज कैपेसिटी पंजाब की पूरी नहीं होगी और जो स्टोरेज कैपेसिटी पंजाब की आज है उसके हिसाब से 52 पर्सेन्ट पानी लेने की क्षमता राजस्थान में है। इसलिये जो आर्ग्यूमेन्ट इस 81 के लेकूना की आड़ में सरकार ले रही है, पंजाब सरकार ले रही है, अकाली ले रहे हैं उसमें भी कोई सब्सटेन्स नहीं है। अपन को इसको किसी तरह की मान्यता नहीं देनी चाहिये। मैं तो सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस डिस्प्यूट में और इस डिस्प्यूट के बारे में जितने भी ट्रिपार्टाइट एग्रीमेन्ट हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिये भी आपने एग्री क्यों किया है? जब अपने पानी का कोई डिस्प्यूट नहीं है, जितना पानी अपन को मिलना चाहिये, उसकी क्वान्टिटी के बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है, जितना पानी जिस समय मिलना चाहिये, जितना पर्सेन्टेज अपन को मिलना चाहिए, वह अपन को मिल रहा है तो उसके बाद आपको इन टॉक्स में पार्टिसिपेट करने से बिल्कुल इन्कार करना चाहिये था। मैं समझता हूं कि आप पहले इन्कार हो जाते तो राजस्थान की जनता, राजस्थान के जो जनप्रतिनिधि यहां बैठे हुये हैं, सभी आपके साथ होते कि इसमें पार्टिसिपेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पानी के बारे में न अकाली दलने, न पंजाब सरकार ने, न हरियाणा सरकार ने, न सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने कभी भी, सन् 1955 से लेकर आज दिन तक, कोई भी डाउट रेज नहीं किया। पार्टिसिपेट करने से पोजीशन यह आ गई है, स्थिति यह आ रही है कि डाउट क्रियेट हो रहा है और राजस्थान को अपना केस पुट-अप करने की आवश्यकता पड़ रही है। अपन को केस पुट-अप करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी और अपन को यह कहना चाहिये कि सन् 1955 में हमें जो शेयर दिया गया था उस शेयर के मुताबिक पानी मिल रहा है, पानी दिया जा रहा है इसके सिवाय किसी भी तरह से बात करने की आवश्यकता नहीं थी।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1981 के समझौते के बाद जो लेकून रह गया था उस लेकूना के अन्तर्गत सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट ने अपन को बार-बार नेगोशियेटिंग टेबल पर बुलाया, बार-बार अपन को दबाव देने की कोशिश की कि कोई न कोई समझौता करो ताकि अकालियों की डिमान्डस के लिए उनको अपन कुछ दे सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से और मैं समझता हूं कि राज-

(श्री कमलेन्द्र सिंह)
स्थान की पूरी जनता को ओर से आश्वासन दिला सकता हूं मुख्य मन्त्री जी को, आप जिस दृढ़ता से अपना केस पुट-अप कर रहे हो उसी दृढ़ता के साथ, यदि आपके ऊपर आपत्ति आई, सरकार के उपर दबाव आया तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो आपने यहां पर रिजोल्यूशन में रखा है उस रिजोल्यूशन में एक लाइन और जोड़ दी जाय कि जैसे अकाली दल के एम. एल. ए. अपना रेजीग्नेशन देकर सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर दबाव दे रहे हैं वैसे ही अपने भी 200 एम.एल.एज. को अपने रेजिग्नेशन देकर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पर या अकालियों पर, या पंजाब गवर्नमेन्ट पर, जो भी इस डिस्प्यूट को खोलना चाहते हैं, दबाव डालने के लिये तैयार होना चाहिये। जो प्रतिपक्ष के नेता ने यह सुझाव दिया था उसका पूरा-पूरा हम समर्थन करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि सवाल केवल आज का नहीं है, सवाल 1981 के समझौते का नहीं है, आगे जाकर जो समझौता आप करोगे उसका भी नहीं है। सवाल यह है कि राजस्थान की आने वाली पीढ़ियों का जो पानी है जिनको पानी अपन को देना चाहिए, जिनके लिये हमको विकास करना चाहिए, अगली पीढ़ी का जो ध्यान रखते हैं तो अपन को कोई राइट नहीं है, किसी को भी राइट नहीं है, न तो इस सरकार को राइट है, न कोई आगे आने वाली सरकार है उसको राइट है, न विरोधी पक्ष को राइट है, न राजस्थान की किसी भी सरकार को या इस विधान सभा को भी राइट है कि जो राइट अपन को सन् 1955 में मिल गया है उसमें एक बूंद पानी भी अपन कम कर सकें। अगली पीढ़ी की मांग को देखते हुए, अगली पीढ़ी की स्थिति को देखते हुए अपना यह कर्त्तव्य हो जाता है कि अगली पीढ़ी के लिए अपने को कुछ भी त्याग करना पड़े, चाहे इस सीट का त्याग करना पड़े, इससे आगे भी कोई सर्वोच्च त्याग की जरूरत हो उसके लिए तो अपन को तैयार रहना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की परम्परा रही है, राजस्थान का इतिहास रहा है कि जब भी धर्म और धरती पर कोई भी तरह का दबाव आया है तब राजस्थान का एक-एक बच्चा उस धर्म और धरती के बचाव के लिये अपना पूरा त्याग पूर्ण तौर से त्याग करने को तैयार है, सर्वोच्च त्याग की जहां भी मांग हुई है वहां सर्वोच्च त्याग भी दिया गया है। इस तरह की याद दिलाते हुए मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि जो संकल्प आपने पेश किया है उस संकल्प को पूरी तरह से मैं समर्थन अपनी पार्टी से देता हूं। केवल जो 1981 में लेकूना आपने रख दिया था, आपके एग्रीमेन्ट में लेकूना रखा है उसके लिए स्पष्टीकरण के लिए आपको एक लाइन और जोड़नी चाहिए कि इसमें जब वह लेकूना रखा था, जब वह सेन्टेन्स उसमें लिखा था उसका मतलब यह नहीं कि 1955 के एग्रीमेन्ट को अपन खोलेंगे, उसका मतलब यह नहीं कि कोई भी आगे कहीं भी डिस्प्यूट होगा उस लाइन पर एक 1955 का जो एग्रीमेन्ट है उससे जो पानी अपन को मिला हुआ है जो पर्सेन्टेज मिला हुआ है, यह भी मैं नहीं कहता हूं कि 8.6 मिलियन एकड़ फीट जो मिला हुआ है उससे आगे अपना नहीं बढ़ेगा, अपन को

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

तो 52 प्रतिशत पानी मिला हुआ है और जो फ्लो का, इन तीनों रिवर्स के फ्लो का जो 52 परसेन्ट पानी है उस पर अपना हक है, उस हक को कभी भी कोई भी सरकार आने वाली या आप भी एग्रीमेन्ट को खोलने को तैयार नहीं हैं, ऐसी लाइन इसमें लिखनी चाहिए। रिजोल्यूशन में यह भी एड करना चाहिये कि राजस्थान विधान सभा के सभी सदस्य अगर इस एग्रीमेन्ट को खोला गया, अगर 52 पर्सेन्ट पानी में से एक बूंद भी पानी कम किया गया तो राजस्थान के सदस्य अपनी सीट का त्याग-पत्र देने को तैयार होंगे।

श्री **अध्यक्ष** : श्री जगतारसिंह।

श्री **जगतारसिंह** (श्री करणपुर) : माननीय अध्यक्षजी, आज रावी व्यास का मसला, जिसके बारे में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सदन में प्रस्ताव रखा है, बहुत ही अहम मसला हो चुका है क्योंकि पंजाब में आज जो पार्टी विपक्ष में बैठी है अकाली पार्टी उसने इस मसले पर और हमारे शेयर को लेने के लिये भारत सरकार पर राजनीतिक तौर से दबाव डालने के लिये इस्तीफे तक भी दे दिये हैं। क्योंकि रावी व्यास का मसला, रावी-ब्यास का पानी गंगानगर जिले को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है, इसके सन्दर्भ में अगर हम गंगानगर की हिस्ट्री को देखें तो महाराजा गंगासिंहजी जब गंग कैनाल को लाये उन्होंने गंग कैनाल पर बसाने के लिये पंजाबियों को आव्हान किया कि आप आइये, हम आप को जमीन देंगे और पानी देंगे, पानी के साथ-साथ पंजाब से जो कि साथ लगा हुआ एरिया था, बहुत से सिक्ख यहां आकर बस गये। इतने लम्बे अरसे से बसने वाले सिक्खों ने इन जमीनों, जो कि बहुत ही कम भाव पर ली हुई थीं, को करोड़ों रुपया लगा कर डवलप किया। आज हम देखते हैं कि उन जमीनों की मार्केट वेल्यू कितनी है, यह उनकी मेहनत और गंग नहर द्वारा लाये गये पानी की करामात है। नहीं तो उसके मुकाबले की जमीनें अभी भी कोड़ियों के भाव बिक रही हैं। इसी तरह से गंगानगर में गंग केनाल के साथ साथ बसे हुए सिक्खों ने जहां अपना राजस्थान में योग दान दिया, यह ठीक है कुछ फायदा उनको भी हुआ, कुछ हमारी स्टेट को भी हुआ मगर आज रावी व्यास के पानी के मसले के साथ साथ हमारी तो समझ में नहीं आता यह मांग दो बार उठाने के बाद हम सैन्ट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर साहब से मिले तब भी उन्होंने कहा था कि अकालियों की यह कोई मांग नहीं है कि गंगानगर जिले की हमें जमीन दी जाय। मगर उसके बाद अकालियों के प्रतिनिधियों जैसा कि अखबारों में भी आया गंगानगर जिले के उस हिस्से, जिसमें कि बाहर से पानी आने लगता है, की मांग कर ली। उसी के साथ साथ जहां हमारी राजस्थान केनाल जा रही है, जोधपुर और बाड़मेर उस हिस्से को भी उन्होंने अपने में मिलाने की मांग रख दी। इस मांग का औचित्य हमको समझ नहीं आता। हम यह समझते हैं कि ऐसीमांग से अकाली या उस पार्टी से उनका अपना कोई फायदा या उनका अपना कोई हित पंजाब में होता हो, उसका तो हमें पता नहीं मगर राजस्थान या पंजाब से बाहर रहने वाले सिक्खों का ऐसी मांग करके वह जरूर अहित करते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की मांगें, जो कि उनके अपने घर में

(श्री जगतारसिंह)

हों अपने ही सन्दर्भ में हों या अपनी राजनीति की लाइन को कुर्सी को पकड़ने के लिए हों, करें तो अच्छा है, राजस्थान या अन्य किसी प्रदेश के किसी हिस्से में जहां सिक्ख बसते हैं, उन सिक्खों ने उस एरिया के साथ जोड़ लिया है। 46-47 में हमारे पेरेन्टस आये, हम यहां पढ़े, हम यहां लिखे, हमारा पंजाब के साथ किसी भी तरह का कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा। अगर वह हमें यह समझते हैं कि सिक्ख होने के नाते हम उनके भाई हैं, हम उनके साथ हैं तो इसी तरह से जो भी आज पंजाब में हैं, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, उसके। हिसाब से हमारा भी हिस्सा है, वह हमारे हिस्से से हमें वंचित हरगिज नहीं कर सकते। अगर इस तरह की कोशिश उन्होंने की, इस तरह से हिन्दुस्तान हमारी सरकार पर प्रेशर डाला तो मैं समझता हूं कि राजस्थान और गंगानगर का हर नागरिक उनको जवाब देने के लिये, हर तरह से संघर्ष करने के लिये आगे की लाइन में होगा, वह कभी भी इस बात के लिये पीछे नहीं हटेगा कि राजस्थान की एक इंच भूमि पंजाब को या किसी अन्य स्टेट को देने के लिए राजी हो जायं। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब से हमें बिजली मिलती है, पंजाब से हमें पानी आता है, जब कभी भी किसी तरह की कमी आयी तो हर समय राजस्थान के हितों को ध्यान में नहीं रखते हुए हमें बिजली और पानी में हमारा हिस्सा भी नहीं दिया गया। आज से पहले जब भी राजस्थान में ओवर ड्रा हुआ बिजली का दूसरे हिस्से में, तो पंजाब ने तपाक से गंगानगर के हिस्से का स्विच आफ कर दिया। गंगानगर में 16-16 दिन तक अन्धेरा रखा गया। ऐसी स्थिति में जब कि हमें वह बिजली भी नहीं देना चाहते, हमारे हिस्से में जब पानी नहरों में आता है, पानी की कमी होती है तो पानी हमें नहीं दिया जाता। मगर ऐसे भी उदाहरण हैं कि जब भाखड़ा मेनेजमेंट बोर्ड ने हमें कहा कि पानी आपको जितना चाहिये उतना इण्डेन्ट दीजिये, आपको पानी मिलेगा। हमने इण्डेन्ट किया उन्होंने पानी रिलीज किया मगर पंजाब से पानी हमें हमारे हिस्से और उस इण्डेन्ट के मुताबिक नहीं मिला जब कि पानी बहुत ज्यादा उनके पास था, ऐसी स्थिति में ऐसी बातों में और हम थोड़ा आगे चलें, गंग केनाल को आज 53 साल पूरे हो चुके हैं जिसकी हालत खस्ता है। गंग केनाल बनाने के लिये जिसको बीकानेर केनाल भी कहा जाता है, जितना भी पैसा पंजाब ने कहा हमने दिया, प्रपोजल तैयार हो गये, प्रपोजल तैयार होने के बाद उनको यह ध्यान आया कि क्यों नहीं हम गंग केनाल और इस्टर्न केनाल मिलाकर कम्बाइन्ड केनाल बना लें जिसके लिये हमारी सरकार ने नहीं माना। उन्होंने इस बात के लिये प्रेशराइज करने के लिये जो उन्होंने मीटिंग में वायदा किया था कि हम आपको गंग केनाल के रिपेअर करने के समय के लिये चन्दवा डेम से देंगे जिससे कि आप राजस्थान के उस हिस्से का पानी दे सकें मगर कुछ समय उन्होंने यह कह कर कि चन्दवा डेम से हमारा वाटर लोगिंग प्राब्लम आ जायगी, हमारा सारा एरिया सीपेज हो जायगा उस चन्दवा डेम से पानी नहीं दे सकते। इसके बाद जो हमारा एरिया कमाण्ड है उस एरिया में हम नीचे से केनाल ले जाय तो हमें पानी को 18 या 20 फीट बैक फीडिंग करना पड़ता है उसके लिए हमने पंजाब माइनर का प्रस्ताव रखा, उस पंजाबा माइन

(श्री जगतार सिंह)

पर जितना भी खर्चा ग्रायेगा वह राजस्थान सरकार मुहैया करेगी ग्रौर हमें हमारे ऊपर के हिस्से को पानी दिया जायेगा। मगर पंजाब की सरकार ने इस बात को भी मानने के बाद रिजेक्ट कर दिया। ऐसी स्थिति में फिर जब हमने गंग कैनाल के लिए राजस्थान कैनाल से लिंक निकालने के लिए उनसे दो किलोमीटर भूमि की मांग की, जिससे हमारा लेवल ग्राठ फीट ऊंचा चला जाता था ग्रौर हमारी कैनाल की लम्बाई सात किलोमीटर कम हो जाती थी, मगर हमें समझ में नहीं ग्राता कि एक ग्रोर तो वह सिक्खों के ग्राधार पर राजस्थान के उस हिस्से को मांगते हैं, गंगानगर को पंजाब में मिलाना चाहते हैं लेकिन जब पंजाबियों के लिये, सिक्खों के लिये, उनके भाइयों के लिए पानी का सवाल ग्राता है तो वह पानी देने में हिचकिचाहट क्यों करते हैं। इसके पीछे भी एक लाजिक है। क्योंकि ग्रब गंग कैनाल में हमारी 2,720 क्यूसेक कैपेसिटी के ग्रगेंस्ट में 2,200 या 2,250 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो हमारा 400-500 क्यूसेक पानी बचता है उसको पंजाब यूज करता है। ग्रगर ग्रापने कभी गंग कैनाल का मुग्रायना किया हो तो ग्रापने यह भी देखने में ग्रायेगा कि पंजाब के पांच-सात गांव जो चालीस माइल में हैं हरीके से वहांसे उन्होंने इस तरह नाला बना रखा है सेमनाला उसमें हमारी गंग कैनाल के पानी को छोड़ कर वह उस गांवों के किसान वहां से पानी लिफ्ट करके पम्पों द्वारा ग्रपने खेतों में लगाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह समझता हूं कि पंजाब कहीं भी किसी भी तरह की कोई रियायत तो क्या करता है हमारे हक पर भी उसने सदा ही कुठाराघात किया है, सदा ही हमारे हक को उन्होंने ग्रपने घर में ग्रपना हिस्सा ज्यादा रखने की कोशिश की है।

इसके साथ-साथ में रावी-व्यास के पानी के बारे में जैसा कि उन्होंने यह मेन प्रश्न उठाया ग्रौर यह कहा, कि केन्द्रीय सरकार के सामने भी यह मसला रखा कि राजस्थान कैनाल का सिस्टम पूरा डवलप नहीं हुग्रा इसलिए हम उस पानी को यूज करना चाहते हैं ग्रौर हमारे सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर हमने डवलप कर लिये हैं। ऐसी स्थिति में जब भी हमने जितनी पानी की डिमाण्ड रखी, यह फिगर्स बताती हैं कि हमें सदा उससे कम पानी मिला है, हमारी पानी यूज करने की क्षमता ग्रगर सात मिलियन एकड़ फीट है, तो हमें उसके ग्रगेन्स्ट में पांच मिलियन एकड़ फीट ही मिला, मगर उस पानी को दिया कैसे गया? यह ठीक है कि फिगर में उन्होंने हमें पानी दिया, पर एक्चुग्रेल में वह पानी नहीं दिया। जिस प्रकार के एक्सपीरियन्स पिछले पांच सालों से हैं उसका खमयाजा हमारे राजस्थान के किसान भुगत चुके हैं। पिछली विधान सभा में भी इस बात को लेकर बड़ा हल्ला हुग्रा ग्रौर इस बात को लेकर माननीय सदस्य बड़े उत्तेजित हुए कि इतना पानी होते हुए भी हमें पानी नहीं मिलने से हमारी करोड़ों रुपये की फसल बरबाद हो गई। जब नहरों में फ्लड ग्रा जाता है, पानी पंजाब के पास बहुत ज्यादा हो जाता है तो वह पानी दिया जाता है। जब हमारी फसल पकने पर ग्राती है तब पानी कम कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में वह पानी यही नहीं है कि उस समय उनके पास पानी की कमी होती है मगर यह जरूर है कि वह हमें प्रेशराइज करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए

(श्री अवतारसिंह)

और हमारे करोड़ों रुपयों की फसल का नुकसान करने के लिए वह उस पानी को समय पर रोक देते हैं। जिस समय हमारी क्रॉप होती है, तो वह सारी फसल सड़ जाती है। इस तरह से हमारे पास आज भी राजस्थान कैनाल का पानी यूज करने की पूरी क्षमता है। अब भाखड़ा कैनाल को लीजिए। भाखड़ा कैनाल में किस तरह से उनके पानी का रेगुलेशन सिस्टम क्या है? उनका रेगुलेशन सिस्टम यह है कि वह सुबह हमारी भाखड़ा कैनाल में एक हजार क्यूसेक पानी छोड़ देते हैं, दोपहर को वह उस पानी को 800 क्यूसेक कर देते हैं और शाम तक होते-होते वह पानी, कभी-कभी शून्य तक भी पहुंच जाता है, नहीं तो 400 क्यूसेक पानी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब सुबह एक हजार क्यूसेक पानी हो, शाम को चार सौ क्यूसेक पानी हो, तो हमारे इंजीनियर उस पानी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उनकी समझ में नहीं आता कि किन कैनाल को बन्द किया जाये, किन नहरों में पानी छोड़ा जाये? वह ऐसा इसलिये नहीं करते कि उनको पानी की जरूरत है वह ऐसा इसलिये करते हैं कि राजस्थान के उस हिस्से में डिस्टर्बेंस पैदा हो।

इसके साथ-साथ हमारी नहरों में, खासकर के भाखड़ा नहर में जैसा संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने पहले भी एक दो बार सदन में फोटो भी पेश किए, हमारी कैनाल के जहां से हमें वह हमारे हिस्से का पानी रिलीज करते है, उसके आगे उन्होंने लिफ्टिंग पम्प लगा रखे है। उस लिफ्टिंग पम्प को, इन्हीं बादल साहब की सरकार ने सही मायने में सेंक्शन दी एवं उन लिफ्टिंग पम्प और मोटरों के लिए उन्होंने लोन भी सैंक्शन करवाये। इसी तरह से मैं समझता हूं कि पंजाब में इन्हीं अकालियों के द्वारा बनाई गई सरकार ने और उसके बाद भी ऐसी परम्परा रही है कि कभी भी हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं मिला। आज वह जो गंगानगर की जमीन लेने की बात करते हैं। हमारे यहां इस बात को लेकर के लोगों में बड़ा रोष है, लोगों में इतना जोश है, वह अपने हिस्से की जमीन तो क्या अगर एक बून्द भी पानी पंजाब को दिया जायेगा तो वह लोग संघर्ष में, मैं समझता हू हमसे भी आगे होंगे और वह यह कहेंगे कि आप अपनी कानूनी कार्यवाही करो हम इनसे सीधी लड़ाई लड़ते हैं।

इन स्थितियों को देखते हुए मैं आप के माध्यम से जो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्ताव रखा है उसके जरिये मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे हिस्से का एक बून्द भी पानी और जितना हम अभी तक उस पानी का यूज़ कर रहे हैं, इससे भी अगर हमारे हिस्से का पानी और पंजाब देगा, जैसा कि माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने भी कहा था कि 12.7 मिलियन एकड़ फीट से पानी कभी ज्यादा ही नहीं हुआ तो 12.7 मिलियन एकड़ फीट पानी को बांटने का सवाल पैदा कहां हुआ, इसी के साथ-साथ पानी न देने का अतः जो कि नहरों में पानी छोड़ने का हमारा भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का अभी तक कंट्रोल नहीं है उसी वजह से हम आज तक इतने भुगतभोगी हैं। हमारा करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। हम यह समझते हैं कि बहुत जल्दी ही, पानी का तो उन्होंने दो मीटिंगों में यह मान भी लिया था कि राजस्थान के पानी को हम राजस्थान के शेयर को टच नहीं करेंगे, अगर इसी सन्दर्भ

(श्री जगतरसिंह)
में हम आगे चल कर देखें तो कल पंजाब का बंटवारा होगा तो क्या फिर उसी तरह से पानी का पांच स्टेटों में हिस्सा डिवाइड किया जायेगा? ऐसा नहीं है। हमारा शेयर कॉन्स्टेंट है, हमारा शेयर हमें 1955 के समझौते के मुताबिक मिला हुआ है। हमने उसके लिए हमारा सारा जितना भी कैनाल सिस्टम्स है उसको डवलप कर लिया। करोड़ों रुपया हमने उस पर खर्च कर दिया, हमारे स्टेट का जितना का बजट है उसका बहुत बड़ा शेयर हमने इस सिस्टम को डवलप करने के लिये खर्च किया और वहां के रहने वाले हर नागरिक ने चाहे वह सिक्ख हो चाहे अन्य किसी कम्युनिटी का हो उन्होंने करोड़ों रुपये लगा कर इस जमीन को डवलप किया है। अतः मैं चाहता हूं कि जितनी भी जल्दी हो सके पानी का प्रबन्ध भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड से कराया जाये जिससे कि पानी सही और सुचारु रूप से मिले। मगर कहीं भी हमारे हितों का या हमारे ऊपर किसी भी बात के लिए पंजाब सरकार या पंजाब के अकाली, जो कि आज विपक्ष में बैठे हैं, हो सकता है कि वह सत्ता में आने के लिए ऐसा कर रहे हों, अगर उसके लिए हमें किसी तरह का संघर्ष करना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि यहां पक्ष-विपक्ष, सिख, जाट या अन्य किसी कम्युनिटी का सवाल नहीं है यह हमारे राजस्थान का और हमारे जिले का सवाल है। इसके लिए हम सदा संघर्ष और हर तरह की तैयारी करने के लिए आप हम सब मिलके कंधे से कंधा मिला कर तैयार रहें **और** अगर अकाली स्तीफा दे सकते हैं तो हम भी स्तीफा दे सकते हैं।....

(व्यवधान)

आप को स्तीफा देने की जरूरत नहीं है, हम गंगानगर जिले के विधायक स्तीफा दे सकते हैं तो ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह प्रस्ताव रखा है हम इसका तहेदिल से और पूरे पुरजोर शब्दों में इसका समर्थन करते हैं। धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अवसर दे दूंगा सभी माननीय सदस्यों को।

श्री आत्माराम।

श्री **आत्माराम** : अध्यक्ष महोदय, आज जैसे यह सदन रावी-व्यास जल समझौते के लिए चिन्तित है और यह होना स्वाभाविक भी है। इस सन्दर्भ में, मैं निवेदन करूंगा कि 1955 में वर्ल्ड बैंक के उपयोगिता के लिहाज से हमें वह हिस्सा मिला, कानून हमारे साथ है, वैधानिकता हमारे साथ है और जन मानस हमारे साथ है। क्या वजह है कि एक आनन्दपुरसाहब में एक प्रस्ताव पास हुआ और उसकी वजह से सभी चिन्तित हैं, जब कि उनके साथ न तो वैधानिकता है, न कोई न्यायिकता की बात है और किसी भी तरह की कोई बात नहीं है और हमारे साथ सब कुछ होते हुए भी आज सारा राजस्थान विशेष तौर से यह विधान सभा चिन्तित है उसके पीछे वजह क्या है। क्या वजह है कि एक तरफ तो उनका एक मामूली-सा प्रस्ताव है और जिसमें पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं ने यह माना है कि उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है कि भाई, पानी के बंटवारे की बात रावी-व्यास के जल के और राजस्थान के लिये स्पेशली इस तरह की कोई बात नहीं है, इसके बावजूद यह सारा सदन क्यों चिन्तित है, इसके पीछे वजह क्या है उस तक हमको पहुंचने की जरूरत है

(श्री आत्माराम)

जैसा कि विपक्षी दल के नेता महोदय ने बताया कि यह उन्होंने कुछ अपना इसमें राजनैतिक गेन करना चाहा है और वह इस बात के लिये कह रहे हैं कि सन् 81 के समझौते को लागू किया जाय। सन् 81 के समझौते में ऐसी कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

ऐसी कोई बात नहीं है। हम खुद इस बात को प्रिन्सीपली मानते हैं कि यह बात ठीक है कि अगर आप उस पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उस पानी को आप उन्हें दे दें, इसमें ऐसी कोई खराब बात नहीं है। इसके साथ-साथ जैसा कि उन्होंने माना है। मैं समझता हूं कि वो बेस जैसा कि विपक्षी दल के नेता महोदय फर्मा रहे थे कि पंजाब में चाहे वहां पर अकाली दल की मिनिस्ट्री हो, चाहे कांग्रेसी मिनिस्ट्री हो या और कोई, चाहे किसी दल की मिनिस्ट्री हो उसको यह खतरा है, उनको इस बात का डर है कि अगर पानी के बंटवारे में कमी आयी या पानी की कमी हुई तो पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार को खतरा हो जायेगा। वह खतरा यहां अगर पैदा नहीं हो जाता है तो चाहे आप कोई रिजोल्यूशन पास करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहे जैसे हालात पैदा करो पर मैं समझता हूं कि पानी आज भी उनको मुतवातिर मिल रहा है। चाहे जो कुछ भी कहो आप चाहे इसको अपनी कमजोरी की बात कहो पर इसमें जब कि कानून हमारे साथ है आज 30 साल से हमारे फेवर में स्थिति है उसको आप लागू नहीं करवा पा रहे है इसके लिये आप को टाइम फिक्स करना होगा। और जो रीआर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया था उसको आप लागू करावे। यहां पर इस सदन में आपको एक टाइम फिक्स करना चाहिये और अगर उस टाइम को फिक्स करने के बाद वह लागू नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि आप जो स्तीफा देने की बात करते है या जो एजीटेशन की बात करते हैं उसके लिये आप का हक बनता है और आपको अपने हक को बनाना चाहिये। उसके लिये आपको कुछ करना चाहिये। और इसमें अगर आपको राजस्थान के प्रति कुछ भी प्रेम है, अगर आपको राजस्थान के प्रति मामूली-सा भी प्रेम हो, तो आप को एक टाइम फिक्स करना चाहिये। और फिर आप का हक भी बनता है, उसके लिये आपको एजीटेशन करना चाहिये आप उसके लिये चाहे स्तीफा दे पर वो बात नहीं करते है हमारी कमजोरी है। मैं समझता हूं कि इसके दो सबसे बड़े कारण हैं एक तो यह है कि हमने हमारा बेस खो दिया है, जो बेस हमारा बनता था वह हमने खो दिया। पंजाब अगर पानी जो आज वर्षों से ले रहा है उसका फायदा वहां के काश्तकारों को मिल रहा है पंजाब में काश्त कार जानते हैं कि पानी की कीमत क्या है। वह जानते हैं कि अगर पानी की कमी हो गयी तो उनकी गद्दी सुरक्षित नहीं है। लेकिन यहां पर हालत यह है कि यहां के काश्तकारों का ज्योंही यह करार हुआ काश्तकारों का सन् 55 में खातेदारी राइट खतम कर दिया गया। एक तरफ तो पंजाब का किसान है जो कि पानी का फायदा जानता है उनको पानी का फायदा मिल रहा है दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट है जिसने अपने यहां के काश्तकारों का खातेदारी राइट को खतम कर दिया। एक तरफ तो पंजाब के किसान को लाभ मिल रहा है दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट यह काम कर रही है मैं समझता

(श्री ग्रात्माराम)

हूं कि ग्रापने उनको पानी देकर ग्रपना वेस खतम कर दिया है ऐसी हालत में जब ग्रापने वेस खतम कर दिया एक किसान जैसा कि होना चाहिये वह खतम कर दिया। उसको पानी जो मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। पक्ष ग्रौर विपक्ष के सभी नेता महोदय ने यहां पर ग्रपने भाव व्यक्त किये ग्रौर कहा कि पंजाब में यह प्रस्ताव ग्राया है। ग्रानन्दपुर साहब प्रस्ताव में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है यह क्यों डर रहे हैं इसका कारण यह कि इन्होंने ग्रपना बेस खो दिया है। इससे ग्राप का जो हक था वह खतम हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह वजह है इसके लिये ग्राप को री-ग्रार्गेनाइजेशन एक्ट को लागू करना चाहिये ग्रौर इसके लिये ग्राप को टाइम फिक्स करना चाहिये दूसरे विपक्षी नेता महोदय ने कहा कि हम पानी की एक भी बून्द नहीं देंगे तो मैं समझता हूं ग्राप सन् 55 से लगातार मुतवातिर उनको पानी दे रहे हैं जब से यह समझौता हुग्रा ग्रापको जितना हिस्सा मिलना चाहिये था वह भी नहीं मिल रहा है जितना वह पानी देना चाहते हैं उतना ही देते हैं ग्रभी पिछले दिनों हमारी सरकार के ग्रधिकारी वहां पर गये हम भी वहां पर साथ थे हमारे प्रभारी मंत्रीजी भी साथ थे उन्होंने वहां जाकर पूछा कि यह नहर बन्द क्यों पड़ी हुई है तो वहां पर जो थे उन्होंने कहा कि रोटेशन से पानी मिलता है ग्राज रोटेशन नहीं है ग्रौर पानी की कमी है तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे हिस्से का पानी है वह भी हमें नहीं मिलता है पानी वहां पर रोटेशन से देते हैं इसका क्या कारण है इसकी वजह से मालूम करना चाहिये। मैं समझता हूं कि ग्राज 25-30 सालों से हम पानी की बून्द की जगह पर लगातार 25 साल से पंजाब को मुतवातिर पानी दे रहे हैं। पर यहां पर ग्रापके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है मैं समझता हूं कि ग्राखिर यह भी पता नहीं लगा पाये हैं कि पानी की पोजीशन क्या है दूसरे मैं ग्रापको निवेदन करूं कि राजस्थान नहर के ग्रन्दर भी कितना पानी हम यूज कर रहे वह भी पता नहीं हैं जो फ़स्ट फेज में पानी मिलना चाहिये था वह नहीं मिला ग्रौर सैकण्ड फेज का जो पानी हमें मिल ही नहीं रहा है जबकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूट्रीज बन गयी है। वह साधन मुक्कमिल है। तो मैं इन बातों के लिए चाहूंगा कि इसके लिये राज्य सरकार ध्यान दे। ग्रौर सरकार को इस बात का नोटिस होना चाहिये कि वहां पर यह बातें क्यों हो रही हैं। भाई-जगतारसिंह जी ने कहा कि जो कुछ पानी मिल रहा है वह या तो ग्रधिकारियों की नासमझी से मिल रहा है या ग्रधिकारियों को पता नहीं है। हमारा जो सीजन में पानी मिलता है जो वह देते हैं चाहे 6 महीने या तीन महीने या चार महीने उसमें वह पानी ग्रपने हिसाब से देते हैं ग्रौर फसल लगते ही सात या दस दिन बाद जब पानी की जरूरत पड़ती है तो पानी नहीं मिलता है ग्रौर ग्रगर फसल बोते ही पानी नहीं दिया जाता है तो सुनने वाला नहीं है यह हमारे साथ हो रहा है पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं है ग्राज राजस्थान के लिये जो पानी तीन चार सिस्टमों से पानी ग्राता है वह पूरा नहीं ग्राने से फसल बरबाद हो जाती है इस रोटेशन के कारण पर कोई सुनने वाला नहीं है हमारे ग्रधिकारी इस बात को समझते नहीं है ग्रौर काश्तकारों की कोई सुनता नहीं है तो मेरा निवेदन है कि ग्रब दुबारा जब मीटिंग हो तब इस तरह से इस बात को पक्की करायी जाय कि जब फसल

Page No 94

(९४)

(श्री आत्माराम)

बोये तो सात दिन तक पानी मिलना चाहिये। और रोटेशन की जो बात करते हैं वह बात होनी चाहिये। आज आपको इस को करना चाहिये क्योंकि इससे हमको फायदा है। अगर हम यह बात नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह हमारी गलती है, यह हमारी कमजोरी है जिसकी वजह से हम पानी पूरा नहीं पा रहे हैं और हम हमारा बेस पैदा नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी वजह से हमे नुकसान हो रहा है अगर अपन यह नहीं करेंगे तो उसकी वजह से पता नहीं हमारा कितना नुकसान हो जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हो सुझावों के साथ मैं नेता महोदय और विपक्ष के नेता महोदय ने जो जो यहां पर बात की है उसके लिये मैं उनका शुक्र गुजार हूं कि उन्होंने इसके लिये चिन्ता व्यक्त की है यहां पर जो भावना व्यक्त की है हम सभी एक है और हम सब कुछ करेंगे इसके साथ साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके लिये टाइम फिक्स करें अगर वाकई में आपकी भावना है कि राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिले वाकई में राजस्थान को सुखी देखना चाहते हैं तो आप हैड वर्क्स को अपने कन्ट्रोल में लेने की बात करें उसके लिये आप टाइम फिक्स करें अगर आपमें दम है तो आप इसको कन्ट्रोल करें। आज इस कन्ट्रोल को कोई 27 साल हो चुके हैं पर कुछ भी हम नहीं कर सके जो भी हमें कानूनी कार्यवाही करना चाहिये जो कि जायज है और हमारे लिये न्याय संगत है और जो कि हमारा कानूनी अधिकार है वो हमें करना चाहिये। बस धन्यवाद।

श्री **राधेश्याम** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता महोदय ने जो आज रावी-व्यास के संबंध में एक प्रस्तावसदन के सामने रखा है उसका पुरजोर शब्दों से समर्थन करते हुए मैं कुछ अपने विचार आपके माध्यम से रखना चाहता हूं।

हमारे नेता महोदय ने आज ऐसी सूझ-बूझ का परिचय दिया है जो कि इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जायेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें उन कारणों में जाना चाहिए जिनकी वजह से 27 साल पुराने समझौते को खोलने की हिम्मत अकाली भाइयों की हुई। इसके कारण मूल में क्या हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। खास करके मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि वर्षों से हमारा पानी पंजाब यूज कर रहा है और हम बराबर, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और इरीगेशन मंत्री महोदय बराबर इस बात पर पंजाब सरकार पर और हमारी भारत सरकार पर अपना दबाव डाले हुए हैं और हमेशा और हर वर्ष यह देखते हैं और विधान सभा में भी कई बार ऐसी चर्चायें होती हैं और हम अपने हक का पानी मांगते हैं। बड़े दुःख की बात है कि पंजाब के हमारे अकाली भाई यह कहते हैं कि हम पानी यूज करने के लिए हमारे पास ऐसे साधन नहीं है लेकिन मैं आज आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पास राजस्थान कैनाल, भाखरा कैनाल और गंग कैनाल यह तीन सिस्टम हैं जिनसे यह सब पानी आता है। तो लिंक चेनल हमारे भाखरा के लिए लिंक चेनल बनाई हुई है और गंग कैनाल के लियेभी इस सिस्टम से हम पानी ले सकते हैं लेकिन बीस-बीस और पन्द्रह-पन्द्रह दिन की बंदी भाखरा में और गंग कैनाल में आती है। फिर क्या वजह है कि यह कह दिया जाता

(श्री राधेश्याम)

है कि पानी यूज करने के लिए कोई साधन नहीं है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके तुरन्त एक जाइंट चीफ इंजीनियर नियुक्त करके तीनों सिस्टम के आधार पर पानी का बंटवारा होना चाहिए जिससे जो हमारी लिंक भाखड़ा के लिए बनायी थी उसको प्रापर पानी मिलना चाहिए। 20-20 दिन की बंदी आ जाती है और हमारी करोड़ों रुपयों की फसल तबाह हो जाती है, इसी तरह से गंग कैनाल के अन्दर 2700 क्यूसेक्स की जो कैनाल है उसमें 2100 और 2200 से पानी कभी ज्यादा आज तक नहीं चला जिससे हमें बहुत भारी नुकसान होता है।

राजस्थान की जनता समूची जनता आज जो हमारे नेता महोदय ने प्रस्ताव रखा है यह इस बात का प्रतीक है कि हमारे अपोजीशन के नेता महोदय और हमारे सम्माननीय सदस्य जो भी बोले हैं इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है राजस्थान कैनाल का एक एक बच्चा इस बात के लिए उस दिन का इंतजार कर रहा है कि कब हमारे हकों पर कुठाराघात हो तो हम एक जुट होकर भारत सरकार को यह दिखा दें कि हमारी राजस्थान की समूची जनता भी किसी बात में पीछे नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विदित करवाना चाहता हूं कि गंगानगर जिले की जनता ने, बहुत सारे लोगों ने लाखों की तादाद में लोगों ने हमें इस तरह के संकेत दिये हैं कि आज आप हमें आदेश दें, सरकार हमें आदेश दे हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं कह कर अपने शब्दों को दोहराते हुए आज नेता महोदय का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने ऐसा आज प्रस्ताव रखकर हमारा गौरव बढ़ाया। जो कई तरह की विचारधारा लोगों के अन्दर थी कि न जाने भारत सरकार से दब गये, न जाने अकालियों से दब गये लेकिन इस तरह की कोई वजह नहीं है। हमने जब कभी भी बात रखी है रोजाना हम रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं उनके माध्यम से हमें मालूम होता है कि हमारे नेता महोदय और विपक्षी नेता महोदय सब लोगों ने मिलकर राजस्थान के समूचे इस रावी-व्यास के मामले में अपने विचार बड़ी सूझबूझ के साथ रखे हैं जिससे हमें मान लेना चाहिए कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि भारत सरकार हमारी बात को नहीं माने।

इसी आशा के साथ मैं पुनः इस प्रस्ताव का पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हुए आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द,

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, रावी व्यास नदियों के जो समझौते की चर्चा यहां चली है और एक प्रस्ताव लाया गया है इसके पूर्व में जो भी समझौते हुए हैं उनके बारे में नेता गणों ने काफी विस्तार से बता दिया है। इन सारी बातों को आज अगर हम देखें, हमारा जो समझौता हुआ है रावी-व्यास का जो राजस्थान को हिस्सा मिला है और उसके आधार पर आज हमारी योजनायें बनी हुई हैं। आज जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसके ऊपर भी एक प्रश्न

(श्री देवीसिंह भाटी)

चिन्ह लग गया है। क्या आप इस पंचवर्षीय योजना को पूरा कर पायेंगे ? जिस प्रकार से आपने सरकार के द्वारा प्रस्ताव लिये हैं कभी नहीं कर पायेंगे। आपने छठी पंचवर्षीय योजना में यह विचार किया है कि इस राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास के लिए हम इतने भूमिहीनों को वहां आबाद करेंगे, खेती होगी, अनाज पैदा होगा, डेअरी का विकास होगा, दूध की नदिया बहेंगी। यह सब कहां से होगा ?

अध्यक्ष महोदय, आज यह सवाल क्यों उठा है कि राजस्थान को जो पानी का हिस्सा मिला है उसके ऊपर पुर्नविचार किया जाये। इसके लिये पूर्व में भारत सरकार ने भी पाकिस्तान को 110 करोड़ रुपया दिया था। क्यों दिया गया, अध्यक्ष महोदय, सदन जानता है कि अन्तर्राष्ट्रीय जो भी नदियां है उनके ऊपर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। अन्तर्राज्यीय जो नदियां हैं उनके ऊपर किसी एक विशेष राज्य का अधिकार नहीं होता है और जब यह समझौता हुआ उसके बाद में जब सन् 55 के अन्दर राजस्थान को पानी देने के लिए राजस्थान नहर बनाने के लिए जब विचार हुआ उसके लिए जो पूर्व में पंजाब राज्य था हमने उसको करीबन 62 करोड़ रुपया, अध्यक्ष महोदय, उस पोंग डेम को बनाने के लिए जो जमीन वहां एक्वायर की जा रही थी उस डैम को बनाने के लिए ,हमारी राज्य सरकार ने उस को पैसा दिया वहां के जो विस्थापित थे जो यहां के भूमिहीनों को जमीन नहीं मिलती लेकिन उन्होंने शर्त लगाई कि चाहे हमारे काश्तकार की एक बिस्वा भी जमीन गयी हो आप को बढ़िया से बढ़ियां सिंचित भूमि राजस्थान कैनाल के अन्दर एक मुरब्बा उनको देनी होगी। अध्यक्ष महोदय, हम शर्तों से बंध गये महज राजस्थान के लिए राजस्थान का जो सूखा इलाका है जहां एक-एक बूंद पानी के लिए आदमी प्यासा है, तरसता है इसके लिए हमारी वित्तीय स्थिति नहीं थी उसके उपरान्त भी हमने व्यवस्था करके उन्हें पैसा दिया, मुआवजा दिया और उन्हें यहां जमीन दी। उसके उपरान्त भी आज पंजाब कहता है कि पानी के ऊपर जो रावी समझौता हुआ है और आपको पानी मिला है उसको आप यूटीलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यूटीलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ? अध्यक्ष महोदय जैसे ही हमारी यह राजस्थान नहर परियोजना चालू हुई उस समय हमारे राजस्थान की वित्तीय स्थिति संकट में थी। लेकिन उसके उपरान्त भी हमने इधर उधर से वित्तीय व्यवस्था के लिए कुछ साधन जुटाये और नहर का निर्माण हुआ नहर निर्माण होने के उपरान्त जैसा कि रेगिस्तानी इलाका है उसके अन्दर हमारे भूमिहीनों को और दूर-दूर से चूरू, नागौर, जोधपुर और गंगानगर जिले में जो दूर दूर बैठे हैं वहां से लाकर वहां आबाद किया आबाद करने के बाद में इस रेतीले इलाके को ऐसा आबाद किया कि जहां पूर्व में जैसा मुख्य मंत्री जी ने फर्माया कि गंगानगर जिले के अन्दर रेत उड़ा करती थी वहां आज फसलें लहलहा रही हैं। तो उस क्षेत्र को आबाद करने के लिए हमारा समय लगा। आज जिस प्रकार से यह बताया गया है कि राजस्थान सरकार 600 करोड़ रुपया इसमें लगा चुकी है। यह 600 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश की की जनता का पैसा है। उनके खून पसीने

(श्री देवीसिंह भाटी)

की कमाई का पैसा है और उसके उपरान्त जब यह नहर का धीरे-धीरे विकास हुआ सिंचित क्षेत्र बढ़ा, उसके अन्दर करीबन 2 हजार करोड़ रुपया लोगों ने अपने खेत सुधारने के लिए, अपने मकान बनाने के लिए, अपने इम्पलीमेन्ट तैयार करने के लिए इसके अन्दर इनवेस्टमेन्ट किया, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान के अन्दर आप जानते हैं कि अकाल की विभीषिका हर वर्ष छायी रहती है । कभी ही कोई एक भाग्यशाली साल आता है जब कभी जमाना आता है और इस सारे क्षेत्र के, गंगानगर जिले के पाल से लेकर जैसलमेर के आखिरी छोर तक एक-एक ग्रामीण यह आशा लगाये बैठा है, वर्षों से कि हमारे क्षेत्र में पानी आयेगा । सबसे पहले यह नहीं सोचते कि हमारे खेत लहलहा जायेंगे, बल्कि वह सब से पहले यह सोचता है कि हमारे क्षेत्र में पीने का पानी मिलेगा । उन सब की आशायें लगी हुई हैं इस राजस्थान नहर के ऊपर । जब राजस्थान नहर से पीने का पानी मिलेगा तब से बड़ा फायदा हमें यह होने जा रहा है कि अकाल के ऊपर जो हमारा करोड़ों रुपया अकाल राहत कार्यों के ऊपर जो खर्च किया जाता है वह बचेगा और उसके उपरांत पेयजल की जो आज पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा समस्या है उसका सब से बड़ा समाधान अगर कोई हो सकता है तो वह राजस्थान नहर के आने से हो सकता है । अगर राजस्थान नहर में पानी आयेगा तब हमारे पेय जल की समस्या और अकाल की स्थिति सिर्फ उस क्षेत्र की ही नहीं सुधरेगी पूरे राजस्थान के आधे प्रदेश अगर वहां जायेगी तो, भी कहीं किसी जिले में अकाल की स्थिति है तो उसको भी वहां राहत मिलेगी, घास मिलेगी, चारा मिलेगा, पानी मिलेगा, अध्यक्ष महोदय, इस सब के उपरान्त, अध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र है आज जैसे पूर्व में विपक्ष के नेता महोदय ने फर्माया कि रेगिस्तानी इलाका है जिसकी भारत पाक की सीमा करीबन 650 मील लम्बी-चौड़ी है, अध्यक्ष महोदय, जैसे पूर्व में सन् 71 में सन 65 में युद्ध हुआ तो पाकिस्तानी फौजों को वहां आने के लिये बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि जहां कहीं भी उनके सामने नहर आई उनके लिये बड़ी दिक्कतें हुई, वह आगे बढ़ नहीं सकें । तो सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिये बहुत जरूरी है राजस्थान नहर का उस क्षेत्र में निर्माण हो । राजस्थान नहर का अगर निर्माण होगा, अध्यक्ष महोदय, तो निश्चित तौर पर देश की सुरक्षा और ज्यादा सुरक्षित रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय, एक कृषक पंजाब पानी की मांग कर रहा है, वहां पंजाब के अन्दर आज भी पानी की बहुतायत की वजह से वाटर इन्टेसिटी वहां करीबन 200 प्रतिशत है और आज जो स्थिति वहां बनी है वाटर लोगिंग की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहां उन्हें उसके लिये अलग से चैनल बनानी पड़ी है और जिस से ट्यूब वेल से पानी पम्प करके चैनल में पानी को डालकर दूसरी जगह ले जायें । अध्यक्ष महोदय, पानी की वहां कोई कमी नहीं है । इसके पीछे क्या कारण है, यह त्रिपक्षीय वार्ता में जाने वाले बड़े नेतागण ही जानें । इसके पीछे बहुत बड़ी साजिस है । अध्यक्ष महोदय, जब संसद में कोई एक एक्ट बनता है और उस एक्ट के तहत

(श्री देवीसिंह भाटी)

यह निर्देश जारी थे कि बी. बी. एम. बी. का कन्ट्रोल विशेष पंजाब का नहीं रहेगा और उसका कन्ट्रोल आज तक भी हमारे प्रयास करने के उपरान्त भी पंजाब दे नहीं पा रहा है। आज अगर आप कोई समझौता कर लेते हैं जैसा कि पूर्व में किया है आज अगर आप उन्हें फिर थोड़ा पानी दे देते है, कल आपको कौन गारंटी देगा जो पानी आपका काटा है उसके बाद जो पानी बचा है वह आपको मिलता रहेगा। आखिर जब इस प्रकार के समझौते होते हैं उनका फिर अगर पालन नहीं हो तो और कौन-सी स्थिति रह जाती है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में जनता के सामने जो परेशानियां आयेंगी, जो इस क्षेत्र में अकाल की स्थिति है, पेयजल की समस्या है उनके ऊपर जो आस लगाये बैठे हैं जहां पानी आ चुका है इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अपने खेतों के अन्दर वे सब से पहले आन्दोलित होंगे, अध्यक्ष महोदय। आज पंजाब का विपक्षी अकाली दल अहिंसात्मक तरीके से केन्द्रीय सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहता है। राजस्थान प्रदेश की जनता कोई कमजोर नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो यह राजस्थान प्रदेश पूरा, हम नहीं चाहते हिंसात्मक तरीके से चलें, इसके उपरांत भी दूसरा हिंसात्मक तरीका अपनाये। तो, अध्यक्ष महोदय इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इसके लिये हम चाहेंगे कि सरकार पुरजोर इस बात का दबाव डाले। अगर इस प्रकार का कोई समझौता हुआ और जो पूर्व में हमारे समझौते हो चुके हैं, उनके अन्दर थोड़ा बहुत पानी काटा गया तो पूरे प्रदेश में हिंसात्मक आन्दोलन होंगे और उसमें जानें जायेंगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की होगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ में पहले पूर्व में भी बड़ी ज्यादती हुई है, हमारे इस एग्रीमेंट के तहत जैसे 81 के अन्दर समझौता करके आये हैं जो पानी हमारे हिस्से में आया है, हम ले नहीं पा रहे है जब तक हमारा सिस्टम कम्पलीट नहीं हो जाये तब तक जो पानी बचा हुआ है वह पंजाब प्रयोग करेगा परन्तु जो पानी वह प्रयोग कर रहा है, उससे जो बिजली का उत्पादन होता है उसका हमें पैसा देना पड़ता है, यह भी कैसी ज्यादती है। पानी हमारा, बिजली उत्पादन हम करें उसका पैसा हमें देना पड़े। अध्यक्ष महोदय, चारों तरफ से राजस्थान को इस तरीके से पानी से, बिजली से परेशान कर रखा है। पता नहीं इस सरकार की आवाज केन्द्रीय सरकार तक पहुंचती नहीं है या हमारे जो मंत्रीगण हैं या मुख्य मंत्री जी हैं उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं होती। जब हमारा हक है, पानी हमें मिलना चाहिए, हमारा समझौता हो चुका है, हम उसका मुआवजा दे चुके हैं फिर क्यों नहीं हमें बिजली और पानी का हिस्सा मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में जब से राजस्थान नहर का धीरे-धीरे विकास हुआ है तो लोगों ने जैसे-जैसे जमीन में पानी लगाया, आज पश्चिमी राजस्थान में जो हमारी आर्थिक रीढ़ की हड्डी है अगर कोई व्यवसाय का स्रोत लोगों को देता है तो वह है पशुधन, तो जेसे जैसे पानी आया है चाहे एक दफा ही पानी खेतों के अन्दर आया परन्तु इस आस के अन्दर कि हमें खेती करनी है, पशुधन के लिए जगह नहीं रहेगी धीरे-धीरे लोग बाग पशु बेच रहे हैं। अगर वह एक साधन भी खतम हो गया और उधर से पानी आना भी बन्द हो गया

(श्री देवीसिंह भाटी)

तो वह आदमी आखिर कहां जायेगा। अगर इन सारी स्थितियों को हम गम्भीरता से सोचें तो हमें एक ही निर्णय और लेना होगा कि राजस्थान प्रदेश की जनता का हमें आन्दोलन कराने के लिये तैयार होना पड़ेगा। अगर आन्दोलन नहीं करते हैं तो पंजाब के अकाली दल को जो विपक्ष की पार्टी है वह गलत तरीकों से केन्द्रीय सरकार के ऊपर दवाव डाल कर और किसी कारण से हमें मजबूर करके दुवारा पुनर्विचार करके समझौता करने के लिये तैयार कर देगी। तो मैं चाहूंगा सदन के सारे सदस्यों से कि वे अपने क्षेत्र की जनता से इस बारे में चर्चा करें कि किस प्रकार से हमें पानी मिलेगा, हमारा रावी-व्यास का समझौता किस प्रकार से हुआ है, अगर यह पानी नहीं मिला तो इस प्रदेश की क्या हालत होगी। इस बात के लिये लोगों को हमें आन्दोलन के लिये तैयार रखना होगा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने तो एक ही धमकी दी वहां की सरकार को कि हम जेलें भर देंगे और जेलें भरने का उन्होंने सिलसिला चालू किया तो सात हजार वहां के लोग-बाग जेलों में चले गये। मैं दावे के साथ कहता हूं और पूरे सदन को विश्वास के साथ कहता हूं अगर उन्होंने 7 हजार आदमी जेलों में भेजे हैं तो हम 70 हजार आदमी वीकानेर डिवीजन से भेजेंगे। यह मैं दावे के साथ कहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अपने आदमियों के पास तो खास कोई काम भी नहीं है इसलिये जाने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी: यह भी सही है परन्तु उसके उपरान्त भी अगर प्रदेश के साथ, उसके हितों के साथ कुठाराघात होता है तो, अध्यक्ष महोदय, निश्चित तोर पर हम भी जेलें भरेंगे, हमारे आदमी आन्दोलन भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व में कई सदस्यों ने यहां अपनी वात रखी कि पंजाब के अकाली विधायकों ने, संसद सदस्यों ने एक धमकी के माहौल के लिये अपने इस्तीफे दे दिये, तो मैं भी यहां पूरे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर नौबत आई.....

श्री अध्यक्ष: तो फिर अपनी जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? राष्ट्रपति शासन हो जायेगा फिर।

श्री देवीसिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, यह तो हम वहीं फैसला करेंगे, क्षेत्र के अन्दर बोर्डर हम संभालेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में नहरी इलाका हम संभालेंगे। हमें कोई जरूरी नहीं है यहां बैठ कर इस प्रकार से बात करें। तब कोई असर होगा। अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं सरकार से यही उम्मीद रखता हूं कि वह अपना पक्ष पुरजोर तरीके से केन्द्रीय सरकार के सामने रखेगी और निश्चित तौर पर यह कहेगी जो एक दफा समझौता हो चुका है उसके ऊपर हम कतई पुर्नविचार करने के लिये तैयार नहीं हैं। वार-वार किसी प्रकार के समझौते नहीं होते! किसी बात को लेकर, अगर कोई भी दबाव में आकर इस सरकार ने कोई समझौता कर लिया, अध्यक्ष महोदय, तो मेरा इस विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा पूर्व में तैयार है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अभी तो आपकी

Page No 100

(१००)

(श्री अध्यक्ष)

जेब में रखें, बाद में मांग लें। सबको मैं अवसर दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री सुनील बिश्नोई ।

श्री सुनील बिश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने रावी-व्यास के पानी के बारे में एक प्रस्ताव सदन में रखा । हमारे विपक्ष के नेता महोदय भी बोले, अन्य पार्टियों के नेता भी बोले और हमारे पक्ष के काफी लोग भी बोले । इसमें खास मुद्दा था, रावी-व्यास के पानी के समझौते को न खोलने के बारे में । मैं इस सदन में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रावी-व्यास के पानी को खोलने, न खोलने का सवाल उठता ही नहीं । आज सवाल इस बात का है कि जो पानी मिला था हमें वह इस बात के लिये मिला था कि राजस्थान के सूखे इलाके को आबाद करना है। गंगानगर, जैसलमेर और जितने भी मरुस्थल हैं उस इलाके के लिये पानी दिया, उसमें तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि पहले काफी माननीय सदस्य कह चुके हैं । आज जरूरत हमें इस बात की है कि यह समझौता तो नहीं खुले । इसको तो हम बर्दाश्त करने वाले ही नहीं हैं । हैड वर्क्स पंजाब के काबू में हैं इसलिये हरेक साल, आधे साल, हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं और हमें उन पर मोहताज रहना पड़ता है । आज हम यह मांग करें कि वे हैड वर्क्स बी. बी. एम. बी., जो एक सेन्ट्रल बाडी है, को ट्रांसफर करने का फैसला ले लिया था उसको इम्पलीमेंट करावें, हमारे पानी की चोरी जो पंजाब कर रहा है हम वह पानी लें और जो पानी आॅलरेडी हमें मिला हुआ है इसको तो देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं सदन के द्वारा दरख्वास्त करूंगा, आज हम सब मिलकर इस बात की मांग करें कि हमारे साथ जो ज्यादती होती आई है, उस ज्यादती को हम कितने साल तक बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं । आज तक हमने बर्दाश्त किया है उससे आप राजस्थान के काश्तकारों की हालत देख लीजिए—हर साल भूखा और मोहताज होता रहता है, उसका इन्वेस्टमेन्ट होता है, अभी भी हमारे गंगानगर में हुआ । नालों के पानी पर पांच-पांच सौ, छः-छः सौ रुपए खर्च के लिए खर्च कर देता है । हमारा काश्तकार पूरी मेहनत करता है और जब फसल पकने पर आती है उस समय पानी नहीं मिलता है । पंजाब के पास जब खुद के पास हैड वर्क्स हैं वह पानी देता नहीं । काश्तकार की फसल नष्ट हो जाती है। आज हम इस बात की कोशिश करें कि जो हैड वर्क्स और जो कन्ट्रोलिंग बाडी है पानी की वह मैं तो कहता हूं राजस्थान को मिलनी चाहिए और राजस्थान को नहीं तो बी. बी. एम. बी. को तो उसे जरूर ट्रांसफर कराया जाय ।

दूसरी चीज राजस्थान कैनाल एक बहुत बड़ी योजना है । यह कोई राजस्थान की योजना हो, पंजाब की योजना हो, हरियाणा की योजना हो, ऐसी कोई चीज नहीं है यह एक नेशनल प्रोजेक्ट है। जब हमें पानी मिला है राजस्थान कैनाल और सूखे क्षेत्र के हिसाब से और भारत सरकार ने 110 करोड़ रुपया दिया था पाकिस्तान को उसके मुआवजे के तौर पर उस समय कोई

(श्री सुनील बिश्नोई)

पंजाब ने एक करोड़ रुपया नहीं दिया था। हिन्दुस्तान ने मुआवजा दिया था। नेशनल प्रापर्टी थी। Not property of Punjab का पंजाब की जायदाद हो जाय ऐसी चीज नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आज पंजाब मांग करे क्योंकि यह पानी हमारे यहां से बहता है तो यह हमारा हो गया। इसलिए जो पैसे दिये वह भारत सरकार ने दिये; पंजाब सरकार ने नहीं दिये।

इस मौके पर मैं एक और दरख्वास्त करना चाहूंगा। आज इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो हाल है वह बहुत ही एक अचम्भे वाली और शर्म आने वाली चीज है। आज डिपार्टमेंट में अलग-अलग डोमिनेन्ट बना दिये। जैसे रजवाड़े के टाइम में होता था कि यह फलां ठिकाना मेरा है; यह जागीर मेरी है। यहां तो सी. ए. डी. वाले, आर. सी. पी. वाले कहते हैं कि आर. सी. पी. हमारी और इरिगेशन वालों की अलग ही चीज है। आज इनमें कोई कोआर्डिनेशन नहीं है और एक दूसरे को नफरत की नजर से देखते हैं। अभी हनुमानगढ़ का एक वाकया बताता हूं। ध्यानाकर्षण दिया, तब आएगा केवल रिक्वेस्ट कर देता हूं, वहां एक बहुत बड़ी लायबिलिटी आयी। वहां एक चैनल टूटी और उससे काश्तकारों की फसलें खराब हो गईं जब उसके लिये बुल डोजर मांगने गये तब एक डिपार्टमेंट, इरिगेशन एक मेजर डिपार्टमेंट है, दूसरे को कोआपरेट करने को तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं पत्थर डालते हुए चले जावें, हमारा क्या लेना देना है। ऐसी स्थिति जब यहां आ जायेगी तो इससे बुरी क्या बदतर चीज कोई नहीं हो सकती। इसको भी डवलप करने की बहुत बड़ी जरूरत है। हमें जिस तरह से हम राजस्थान कैनाल का इम्पलीमेंटेशन कर रहे हैं, वह देखता हूं और इलाके में घूमता हूं तो बड़ा दुःख होता है। कैनाल की जो मेन कैनाल बनी है उसके लिये एक पाइलट कैनाल पहले बनाई थी इन्होंने; अब जब देखते हैं इनके बजट पूर्ण करने के तरीके तो पाइलट कैनाल तो छोटी होती जा रही है और मेन कैनाल बड़ी करते जा रहे हैं। उसमें करोड़ों रुपया बरबाद कर रहे हैं। आज हमको चाहिये इसको प्रायोरिटी मेजर पर लेकर, इसके ऊपर सख्ती से कार्यवाही करके ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे इसका इम्पलीमेंटेशन ठीक हो सके, इसको जल्दी लागू कर सकें। आज तो हमारा 8 एम. ए. एफटी. पानी है, 8 एम. ए. एफटी. पानी हमारे राजस्थान के लिये बहुत कम है। राजस्थान को तो आज और पानी मिलने की जरूरत है। यह नहीं हो कि जो पानी मिला हुआ है उसको वापस दे दें। आठ एम. ए. एफटी. की जगह 16 एम. ए. एफटी. पानी मिले, राजस्थान की क्षमता है उसका उपयोग करें। इसके साथ में मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, दरख्वास्त करूंगा कि यह जो रावी-व्यास वाला मामला है उसमें हम सब इनके साथ हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, रावी-व्यास का पानी जो एक लम्बे समय से हमारे अधिकार का था उसको हमने चलकर 31 दिसम्बर के दिन लोगों के सामने यह खोलकर रख दिया कि इस पर पुनः विचार हो सकता है। मैं यह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं समझता हूं कि इस पर विचार करने की आवश्यकता ही पैदा क्यों हुई ? जब हमारा समझौता पहले से था उसमें हमारा प्रतिशत तय था कि 52.6 प्रतिशत पानी रावी-व्यास में बिल्कुल तय है, तो फिर हम उसे समझौता करके यह कह रहे हैं कि 8.6 मिल गया। 8.6 तो हमारा जो पर्सेन्टेज था उससे कम है। 17.17 अगर आज पानी की टोटल आउट पुट हो गई तो उसके हिसाब से 50 प्रतिशत से भी नीचे जा रहे हैं 8.6। हमने कौनसी गणित का केलकुलेशन किया कि 52.6 प्रतिशत हमारा पानी का हक था उसको हमने चलाकर छोड़ा है और हम 8.6 को कह रहे हैं कि उपलब्धि की। उपलब्धि नहीं की। उसके आगे का शब्द जो आपने एग्रीमेंट में लिखा है कि जब तक हम अपने पूरे पानी का उपयोग न कर सकें तब तक पंजाब इसका उपयोग करता रहे। यह लिखने की क्या जरूरत थी ? वह तो अब तक करता ही रहा है। जितना हम पानी उपयोग कर रहे थे उतना ही तो ले रहे थे। हमने कब पंजाब को ना किया कि नहीं, यह पानी हमारे यहां छोड़ दें। लेकिन यह किसी इन्टेंशन वश कराया गया। इसके आधार पर यह स्थिति क्यों आई, श्रीमान्! अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति का इतिहास बहुत पुराना है। राजस्थान ने अपने हकों पर समय पर ध्यान नहीं दिया उसके कारण से हमें आज इस समस्या से गुजरना पड़ रहा है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय अपना जवाब दें उसमें यह बात बतायें कि हमने व्यास को सतलज से लिन्क करने वाली जो व्यास सतलज लिन्क बनाई है और जिस लाइन के द्वारा हम नौहर विद्युत गृह पर जो विद्युत पावर जनरेट कर रहे हैं, उसमें हमारा शेयर 52.6 है, लेकिन हमने विद्युत में कितना शेयर लिया 20 प्रतिशत और यह कहा गया कि उस समय पावर का डिस्ट्रिब्यूशन का हमारा फैसला नहीं हुआ था। पानी के डिस्ट्रिब्यूशन का हमारा फैसला था, तो हम उसी स्थान पर अगर इस बात के लिए दवाब डालते। चूंकि इसके पानी में 52.6 का हक है इसलिये इसके पावर में भी हमारा उतना ही हक होगा। यह पहली गलती हमने वहां शुरू की। श्रीमान्, यही नहीं, पंजाब हमारे हकों को लगातार नष्ट करता जा रहा है और हमने उसके अगेन्स्ट में, विरोध में अपना एक पत्र भी नहीं दिया, आज पंजाब इतनी छोटी सी बात के लिये इतना एजीटेट होकर खड़ा हो गया। हमने हमारे हकों के बारे में यह प्रयत्न पहले किया होता। मैं आज पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, यह मुकेरियन पन विद्युत पनगृह जो बना रहा है ....

श्री अध्यक्ष : इसमें तो आप जैसे क्रियाशील सदस्य की भी कुछ ढील ही रही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्रियाशील सदस्य! हम तो जब आये थे तो हमने पत्र लिखा, हमने हमारे प्रधान मंत्री से आग्रह किया कि हैड वर्क्स हमको सौंपे जायें। उसके लिये हमने प्रयत्न किया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं जो मुकेरियन पन गृह बनाया जा रहा है, पोंग डैम के नीचे इस नहर से होकर पानी, माही नहर से पानी फिर से लाकर इस नदी में डाला जा रहा है। उसके ऊपर विद्युत गृह बना रहे हैं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

और उस पर वे 270 मेगावाट वहां बिजली जनरेट करेंगे। उसमें हमने अपना क्लेम नहीं किया कि यह पानी और विद्युत में हमारा वही शेयर है। हमने उसका कोई क्लेम नहीं किया इसलिये उन्होंने उसकी बिना चिन्ता किये उसका निर्माण करा दिया और उसकी केन्द्र सरकार से स्वीकृति भी उन्होंने प्राप्त नहीं की। बिना केन्द्र सरकार की स्वीकृति के, भागीदार से बिना पूछे, हमारी जानकारी में होने के बाद भी हमने उनको राइट टाइम पर उस काम के लिये रोका नहीं। उस कारण आज यह स्थिति हुई। यही नहीं श्रीमान्, यह जो आनन्दपुर साहब की हाइडल चेनल बनी है भाखरा नांगल के बाद जहां से हमको पानी का डाइवर्शन मिलता है वहां पर इस चैनल पर 1974 से काम चलरहा है। हम इसको देख कर आये है वह अपना पेरेलल चैनल बना रहा है और उस चेनल में से उस पानी का उपयोग करना शुरू कर देगा तो हमारी सारी नहरें सूखजायगी यह झगड़ा सामान्य झगड़ा नहीं है। पंजाब ने इतने लम्बे समय के बाद इसे जोड़ा तो इस कारण से जोड़ा कि राजस्थान कुम्भकरण की नींद सोता है, इसको राइट टाइम पर अपने हकों के लिये लड़ने की अभी आदत नहीं है। इस कारण सन् 1974 में जो नहर बन गई है और जिसको हम देखकर आये हैं यह जो आनन्दपुर साहब हाइडल चैनल बन गई है यह हमारे हक पर अधिकार करेगी श्रीमान्, यही नहीं यह जो चेनल है, व्यास से सतलज के पानी को डाइवर्ट किया उससे आज तीन हैक्टेयर एकड़ फीट इस चेनल में पानी डाइवर्ट होगा और यह आकर हमको जब डिस्ट्रिब्यूट होगा तो भाखरा में हमारा जो पर्सेन्टेज है वह 15.22 है, भाखरा में पानी का जो पर्सेन्टेज हमारे लिये तय है वह 15.22 है, वहां जो भाखरा में पानी जब सतलज में मिल जायगा तो हमें पानी का कितना भाग मिलेगा इसके बारे में भी हमने कभी चिन्ता नहीं की। इस व्यास के पानी में हमारा जो प्रतिशत है, वह 52.6 है। क्या इस पानी, जो इधर डाइवर्ट हुआ है 3.8 मिलियन एकड़ फीट में, इसमें भी हमको उतना ही अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए हमने कभी प्रयत्न नहीं किया। इसके कारण से एक के बाद एक गलती हम दोहराते चले गये। हमने जितने अपने हैडवर्क्स हरिके है, रोपड़ है, इनके ऊपर इतने लम्बे समय से प्रयत्न कर रहे हैं कि बी.बी. एम. बी. को सौंपा दिया जाय।

बी बी. एम. बी. के अध्यक्ष से हमने प्रश्न पूछा कि आखिर दिक्कत क्या है आपको तो कहते हैं कि हम चिट्ठी लिखते हैं तो उसका जवाब ही नहीं आता, आपकी सरकार भी हमको कोई विशेष कहती नहीं, चिट्ठी लिखती है तो हम चिट्ठी का जबाब केन्द्रीय सरकार को भेज देते हैं और वह हमको देना नहीं चाहते हैं। हमने पंजाब के वहां के जो अधिकारी थे, उनसे भी कहा कि आखिर आपको परेशानी क्या है लेकिन उन्होंने उस प्रश्न को टाल दिया। हमारी समिति सारी चीजों को देखकर आयी और हमने यह सोचा कि यह गलती आज से नहीं, बहुत ही लम्बे समय से हम अपनी गलतियों को करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। इसके कारण से आज दिन तक 55 से लेकर 81-82 तक कभी पंजाब ने हमारा पानी का शेयर नहीं मांगा था लेकिन उसने देखा कि जब हमने इतनी अनियमितताएं कर दी, जो राजस्थान का हक था, उस हक

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पर हमने इस तरह से डाका डाला दिया लेकिन राजस्थान के लोगों ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया, तो उन्होंने सोचा कि यह बहुत अच्छा अवसर है, एक ओर आन्दोलन चल रहा है इस आन्दोलन में इस मांग को भी जोड़ लिया जाय, मेरी ऐसी मान्यता है यह सारा वास्तव में जो भी हम करने जा रहे हैं, ऐसा डर लग रहा है कि निश्चित् रूप से, मेरा मन इस बात की गवाही दे रहा है कि केन्द्रीय सरकार हमको मजबूर करके और अकालियों को प्रसन्न करने के लिए कोई न कोई रास्ता इसमें ढूंढ रही है । हैड वर्क्स का जो कब्जा हम चाहते हैं कि हैड वर्क्स का कब्जा कामन एजेन्सी को दिया जाय या तो हमसे यह कहेंगे कि नहीं पंजाब के पास रहने दीजिए । पंजाब के पास जब हैड वर्क्स का कब्जा रहता है तो हमने वहां देखा है जब चाहे तब पानी छोड़ते हैं । जब हमारे यहां बाढ़ आ जाती है, पानी बरस जाता है, पिलाई नहीं होने की जरूरत नहीं रहती है, तब उस पानी को छोड़ देते हैं और मई से लेकर सितम्बर तक का एक इन्डेन्ट हम को बता देते हैं कि आपका इतना पानी था, हमने इतना छोड़ दिया, हमको जितनी जरूरत है उतना पानी छोड़ा या नहीं । हमारे यहां अधिकारी जो बैठा रखे हैं, वह भी बिल्कुल कुम्भकरण की नींद सो रहे हैं, उनसे अगर प्रश्न करते हैं तो वह राजस्थान की बात ठीक प्रकार से नहीं रख पाते हैं, मुझको ऐसा लगता है कि वह भी शायद पंजाब के रहने वाले लोग होंगे । हमने सोचा कि उनकी घर गृहस्थी यहां से डिस्टर्ब नहीं हो, इस कारण से ऐसे लोगों को ले जाकर हमने वहां बैठाया जो हमारे हकों के लिए राइट टाइम पर हमको बताते तक नहीं । अगर हम कहते हैं कि पूरा इन्डेन्ट कितने का दिया, इन्होंने कितना पानी छोड़ा तो वह कहते हैं कि हमारी जितनी मांग थी, उतना हमको दे दिया । हमारी समझ में नहीं आता कि वहां तो जवाब यह है कि जितना हमने मांगा उतना हमें दे दिया । इधर हमारे गंगानगर के जो माननीय सदस्य आते हैं वह कहते हैं हमारी फसल सूख रही है, हमको पानी नहीं मिल रहा है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता । आखिर कहां लैकुना है । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इस इश्यू को केवल डिफेन्सिव नहीं ले । उन्हें हम अब तक डिफेन्सिव कर चल रहे हैं अगर इस इश्यू पर ओफेन्सिव चलें, तो हैड वर्क्स का कब्जा उनको सौंपना होगा, उन्होंने यह जो इल्लीगल कन्सट्रक्शन किया है, यह जो नहरें बनायी हैं और उस पर जो पारटीशन कायम कर रहे हो, उसमें हमारा हक होगा हमारे प्रतिशत से हम बिजली लेंगे । इसके लिए हम एजीटेशन करेंगे । हम अपने वाजिब हक के लिए अगर एजीटेशन करके एक कदम आगे उठायेंगे, तो निश्चित रूप से पंजाब इस मांग को विथड्रा ही नहीं करेगा, उसके सामने एक समस्या और खड़ी करेंगे कि जिस में भी हमारा शेयर जितना है, उतना शेयर का पानी यदि हमको प्राप्त होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यही बात कह करके मैं मंत्री महोदय से फिर निवेदन करना चाहता हूं, मुझे विशेषकर आश्चर्य यह है कि मुख्य मंत्री जी जब इस समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस रिपोर्ट में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

स्वयं लिखा है, इस रिपोर्ट को उन्होंने डिटेल लिखा है, इस रिपोर्ट से उन्होंने यह सारी बातें बतायी हैं कि यह कमियां रही हैं, यहां यहां पंजाब गड़बड़ी कर रहा है, यहां नयी नहरों का निर्माण कर रहा है, यहां नये बिजली घर बना रहा है। उसके बाद उन्होंने कोई कमी अपनी तरफ से मुख्य मंत्री बनने के बाद उस पर एक शब्द भी नहीं लिखा कि इन अनियमितताओं को कैसे ठीक किया जाय। इस पर हमारा शेयर कैसे लाया जाय, इसमें हमारी भागीदारी कैसे मिले। यही बात कहकर मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा जो प्रस्ताव उन्होंने रखा, यह बहुत देर से रखा और बहुत ही एकदम ऐसा ढीला-पोचा रखा। अगर हम एग्रेसिव होकर रखते कि केवल हमारी मांग यही नहीं, हमारा जो हक इसमें मारा जा रहा है उसके लिए भी हम आन्दोलन करेंगे, उसके लिए भी हम लड़ेंगे तो शायद हमारी बात को ज्यादा जल्दी सुना जाता।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आज यहां पर एक बहुत ही गम्भीर मसले पर और यह कहना चाहिए राजस्थान के भाग्य के मसले पर, आने वाली पीढ़ियों का हम कैसे भविष्य बनाना चाह रहे हैं, उस मसले पर बात करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की परिस्थितियां देश के दूसरे हिस्सों से पृथक हैं। क्षेत्रफल में हम दूसरे नम्बर पर देश में आते हैं और प्रतिशत के हिसाब से 13.87 पर्सेन्ट भूमि का भाग राजस्थान में है। लेकिन हमारा जितना भी सरफेस वाटर पोटेंशियल है, वह एक प्रतिशत से भी कम है। इसलिये हमें और राज्यों के बजाय देश के और हिस्सों के बजाय पानी की ज्यादा आवश्यकता है। मान लीजिये रावी-व्यास का मसला चल रहा है, अध्यक्ष महोदय, आज जो आप मोशन लाये हैं, उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनी तरफ से मांग भी उठानी चाहिए थी कि एक नेचुरल बेसिन में जो हिस्से आते हैं उस पर उनका नेचुरल क्लेम बनता है, किसी भी बेसिन में जो हिस्सा आता है उस पर हमारा नेचुरल क्लेम बनता है। इस प्रकार से हमें रावी-व्यास का मसला तो लेना ही चाहिये था क्योंकि इसके लिये झगड़ा चल रहा है दिल्ली में साथ ही हम किस प्रकार से गंगा यमुना का पानी यहां लायें और नदियों का पानी लायें। हमारे राज्य की परिस्थितियां बहुत खराब हैं, अध्यक्ष महोदय। हम अपना पूल अण्डर ग्राउण्ड और परा सरफेस वाटर पोटेंशियल पूरे को अगर काम में लेते हैं, इन्क्लूडिंग राजस्थान कैनाल तो भी हम 6 मिलियन हैक्टेयर भूमि की सिंचाई कर पाते हैं। 26.7 मिलियन हैक्टेयर कल्चरेबल लैण्ड है राजस्थान में उसमें से सिर्फ हम पूरे राजस्थान में इन्क्लूडिंग राजस्थान कैनाल अण्डर ग्राउण्ड वाटर और सरफेस वाटर, 6 मिलियन हैक्टेयर भूमि की सिंचाई कर पाते हैं इसलिये हमें इस पर विचार करते समय यह भी ध्यान करना होगा कि 53 लाख एकड़ जमीन जो सूखी बचती है राज्य में, उस भूमि की सिंचाई के लिए हमें क्या करना है। हम कितना अब तक राज्य का नुकसान कर पाये हैं, जरा आप हिसाब लगाइये। 53 लाख एकड़

(श्री यदुनाथसिंह)

जमीन, 53 मिलियन एकड़ जमीन में दो क्विंटल

(3. 48 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति पदासीन)

प्रति वर्ष के हिसाब से भी अगर पैदावार बढ़ती और दो सौ रुपए प्रति के हिसाब से होता, सौ रुपए क्विंटल के हिसाब से भी वह होता, तो हम प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के खजाने में, राज्य के खजाने में, राज्य के प्रोडक्शन में नुकसान पैदा कर रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता इसकी है, सभापति महोदय, कि सबसे पहली बात रावी-व्यास की बात कर रहे हैं, इसी पर आता हूं। हमको आवश्यकता क्या थी, इसमें पार्टी बनने की। जो एग्रीमेंट 81 में किया है मुख्य मंत्री महोदय ने, अभी हमारे विपक्ष के नेता महोदय ने उनको कहा था कि इस्तीफा दें तब तो वह राजस्थान के नेता बनेंगे। वह मुख्य मंत्री राजस्थान के शिवचरण माथुर क्या इस्तीफा देंगे जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए राजस्थान के हक और हकूकों को गिरवी रखकर आये हैं। उनसे इस्तीफे की उम्मीद करना तो कोई मायने नहीं रखता है। इतना जरूर मैं निवेदन करूंगा कि जो आपने धोखा और गद्दारी इस राजस्थान की जनता के साथ की है उसके लिए सदन से और इस राज्य की जनता से जरूर माफी मांगें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया, जो 81 के एग्रीमेंट में जबरदस्त झगड़ा था पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो पंजाब को जो पानी था 7.2 मिलियन एकड़ फीट, उसमें बंटवारा किस प्रकार से हो, झगड़ा हरियाणा और पंजाब का था, सब-जुडिस मामला उनका था, कोर्ट में वह गये हुए थे, और उस झगड़े को सुलटाने के लिये उन दोनों राज्यों के बीच में बातें होनी थीं। और स्पष्ट कहा भी है 81 के एग्रीमेंट में जो उन्होंने किया है, उसी की वजह से खुला है, उसी की वजह से झगड़ा सामने आ रहा है, उसमें पहला ही पैराग्राफ कहता है–

"Whereas the Puujab Government sought a review of the aforesaid notification for increasing the allocation to Punjab and linked this matter to the construction of the Sutlej-Yamuna link canal for Haryana in Punjab territory."

तो हमारा तो झगड़ा ही नहीं था। We were not party in it. तो हमको उसमें जाना ही नहीं चाहिये था। माननीय मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के के लिये वहां पर दबाव में आकर इस प्रकार का एग्रीमेंट कर आये कि जिस पानी को हम काम में नहीं ला पाये, उस पानी को पंजाब काम में ले जब तक हम अपना पूरा हिस्सा न लें। आज मुख्य मंत्री महोदय कहते हैं, हमारे पास पूरा पानी इस्तेमाल करने की हैसियत है। 81 में हैसियत नहीं थी। 81 के बाद कितना पोटेंशियल बढ़ा लिया? 81 में भी वही पोटेंशियल था आपका यूटिलाइजेशन का और आज भी वही पोटेंशियल है फिर आपने इस एग्रीमेंट पर क्यों हस्ताक्षर किये। तो, सभापति महोदया, कहीं जिक्र नहीं आता है। और, सभापति महोदया, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमने राज्य का बहुत बड़ा अहित इसमें किया है। अब बात चलती है कि हम जो

(श्री यदुनाथ सिंह)

पानी है, थीन बांध नहीं बना पाये, इसकी वजह से 12 एकड़ मिलियन फीट के लगभग पानी इकट्ठा हो रहा है और हमको 5 मिलियन एकड़ फीट पानी मिल रहा है। हम 7 मिलियन एकड़ फीट पानी का यूटिलाईजेशन कर सकते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि आज हमारे पास सिस्टम है, आप क्यों उस पानी को गंगानगर और बीकानेर कहीं ले जाने की कल्पना करते हैं आज ताजिया वाला हैड पर रावी-व्यास का पानी यमुना से आकर मिला है, क्यों नहीं उस पर होते हुए पानी लायें और जैसा यमुना का पानी लेने की आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में संकल्प किया था कि छठी पंचवर्षीय योजना में अलवर, भरतपुर, चूरू, झुन्झुनू और शेखावटी के क्षेत्र को हम पानी इतना देंगे उस पर आज तक चर्चा नहीं हुई और न ही आज के प्रस्ताव में चर्चा की गई है। तो मैं कहना चाहता हूं इसी का परिणाम है कि मुख्य मंत्री महोदय 81 में समझौता कर आए। उसी का यह परिणाम है कि यह परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने धोखा दिया है इस राज्य की जनता के साथ, गद्दारी की है इन मुख्य मंत्री महोदय ने। ऐसे मुख्य मंत्री के रहते हुए आप उम्मीद करें! आज भी हमें जरूरत नहीं है। आज भी हमारा पानी का कोई झगड़ा नहीं है। 81 में शेयर तो कम मिला उस प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में पानी बढ़ा है उस प्रपोर्शन में पानी बढ़ना चाहिए था, 52.6 प्रतिशत के हिसाब से पानी बढ़ना चाहिए था वह पानी नहीं बढ़ा। जहां पर हमको नुकसान करके आए, जबरदस्ती पंजाब को अधिकार देकर आए कि वह पानी का उपयोग करेगा। कहीं पर हम पार्टी नहीं थे। तो सभापति महोदया, उसका दूसरा कारण यह है कि जो हमारे सामने यह समस्या आ रही है। इसका एक कारण यह है कि हम राजस्थान केनाल की अपनी पोटेंशियलिटि पूरी इर्रीगेशन के बढ़ा पाते, उसको हम पूरे समय में पूरा नहीं कर पाए। 62 करोड़ की योजना पर 332 करोड़ रुपया आज तक खर्च कर चुके हैं और आपकी फर्स्ट स्टेज पूरी हुई है। फर्स्ट स्टेज की डिस्ट्रीब्यूटरी भी पूरी होनी हैं। अभी तक 84 तक आप काम पूरा नहीं कर पाए इसलिए यह समस्या आ रही है। अगर हम समयबद्ध योजना बना कर राजस्थान केनाल के काम को पूरा करते तो आज हम इस मांग को नहीं कर रहे होते इस सदन में बैठ कर कि पानी हमारे हिस्से का दिलाया जावे बल्कि इसके विपरीत यह मांग कर रहे होते कि हमको और पानी राजस्थान में दिलवाया जाय। तो हमारे राजस्थान के हकों के साथ अभी तक की जो कांग्रेस सरकारें रही हैं उन्होंने धोखा किया है। कि राजस्थान की जनता को गुमराह किया है। कितना पैसा उसमें बढ़ा, कितना पैसा फैमिन में खर्च हो रहा है। क्या जरूरत थी, अगर यह पोटेंशियलिटि तैयार होती तो क्या जरूरत थी? कितनी पूंजी का यहां निर्माण होता। आज छोटा सा हरियाणा उसके रहते हुए हम गरीब हैं। छोटा सा हरियाणा है उसका प्लान मनी ही खाली, और बजट तो छोड़िए, हमसे सौ करोड़ रुपए ज्यादा है। छोटे से हरियाणा का प्लान मनी सौ करोड़ हमसे ज्यादा है। यह हमारे लिए शर्म और डूब मरने की बात है। मैं तो कहना चाहूंगा कि

(श्री यदुनाथ सिंह)

आप इस प्रस्ताव में यह भी इन्क्लूड करें इस प्रस्ताव में यह संशोधन करें कि उस पानी को ताजावाला हैड वर्क्स और उसके आगे के वर्क्स से लेते हुए आप भरतपुर को पानी दीजिए, अलवर को दीजिए, चूरू को दीजिए, झुंझनू को दीजिए। पूरी शेखावाटी को वह पानी दिया जा सकता है। मैं तो विपक्ष के नेता महोदय से इत्तफाक नहीं करता कि हमको उतना पानी कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलने की उम्मीद नहीं है इस गंगा यमुना के पानी की। हमको क्यों नहीं मिलेगा। नेशनल बेसिन में हमारा क्लेम है और राज्य सरकार ने सन् 74 में उसका क्लेम भी किया था। क्या हुआ? आपका यह पैराग्राफ जो 81 के एग्रीमेंट का है, हालांकि इस एग्रीमेंट को वापस लेना चाहिए। मुख्य मंत्री को मुकरना चाहिए, कि यह एग्रीमेंट गलत मेरे से हुआ था। क्षमा मांगनी चाहिए। इस पैराग्राफ में यह कहा गया है, सभापति महोदया, पंजाब पर इसमें कोई पाबन्दी नहीं लगाई गई है कि आप जो सिस्टम बना रहे हैं उसके लिए क्या आल्टरनेटिव बनायेंगे। उन्होंने यह कहा है कि हम आल्टरनेटिव प्रपोज करेंगे। राजस्थान सरकार को इस एग्रीमेंट में कोई समयबद्ध यह नहीं लगाया गया कि राजस्थान कैनाल को राजस्थान सरकार कितने दिनों में पूरा करेगी। इस तरह का कोई प्रतिबन्ध इस एग्रीमेंट में नहीं लगाया गया और केवल केन्द्रीय सरकार और श्रीमती इन्दिरा गांधी के दबाव में आकर हमारे हकों को गिरवी रखा गया। इसमें आप देखेंगे, सभापति महोदया, इसमें कहा गया है :—

"Regarding the claim of Rajasthan to convey 0.57 million acre feet of waters through Sutlej-Yamuna link...."

अब यह जो क्लेम है इसके लिए 15 दिनों में मीटिंग होनी थी, उसका क्या हुआ। इस क्लेम में हमारा क्या हो रहा है। हम हरिके का पानी नहीं ले पा रहे हैं...

(व्यवधान)

सिद्धमुख और नोहर पर पानी नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए क्लेम किया था? सिद्धमुख, नोहर से पानी नहीं ले पा रहे थे इसलिए हमने यमुना के पानी पर क्लेम किया था। उसका हमें हिस्सा दिया जावे। इसके बारे में कुछ नहीं हुआ। इसके बारे में इस प्रस्ताव में कोई चर्चा नहीं हुई है। सभापति महोदया, राजस्थान की जो भूमि है वह वर्जन भूमि है, इसको पानी दीजिए यह स्माइलिंग फील्ड आपको कल नजर आने लगेगी। सभापति महोदया, यह राज्य का मामला है, यह प्रस्ताव बहुत ढिलमिल प्रस्ताव है, इसलिए मैं तो ऐसे किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की हैसियत में नहीं हूं। यह क्या है कि इस्तीफा दे देंगे, यह दे देंगे, वह दे देंगे। राजस्थान का कोई विधायक इस्तीफा दे या न दे लेकिन इस राज्य का आम आदमी, आम नागरिक, आप बात कर रहे हैं इस्तीफों की, खून तक बहाने को तैयार बैठा है। उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों का, उसके पेट का सवाल है, उसके बच्चों का सवाल जुड़ा हुआ है इस पानी से। इसलिए सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा पुरजोर शब्दों में कि न सिर्फ रावी-व्यास के बारे में हमें कड़े से

(श्री यदुनाथ सिंह)

कड़ा रुख अपनाना चाहिये बल्कि हमको मना कर देना चाहिये कि हम ऐसी वार्त्ता में भाग नहीं लेते, हमारा कोई कन्सर्न नहीं है, हम इसमें पार्टी नहीं हैं, हमको क्यों पार्टी बनाया जा रहा है। इसको खोला नहीं जा सकता। अकालियों की मांगों के आगे इंदिरा गांधी ने घुटने टेक दिए। इसलिये राजस्थान को बलि चढ़ाकर उनको पुचकारना चाहती हैं। उनके मक्खन लगाना चाहती हैं। यह राजस्थान की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अकालियों को लोग दबी जबान से कहते हैं, मैं दो बात कहना चाहूंगा कि दो आन्दोलन देश में बड़े बड़े इस समय चल रहे हैं। एक असम का आन्दोलन है और एक अकालियों का आन्दोलन है। असम के आन्दोलन में असम के आन्दोलन करने वालों को मैं देश प्रेमी कहता हूं। इस अर्थ में देश प्रेमी कहता हूं कि जो कुछ भी वे कर रहे हैं इस देश के संविधान की धाराओं के विपरीत कार्य हो रहा है, वे भारत के संविधान को मानने की बात कर रहे हैं। लेकिन अकाली जो बात करते हैं, कभी अपने उसकी बात करते हैं कि, कभी इण्डीपेंडेंट इण्टेग्रिटी की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। उनका एक मायने में, मैं तो देशद्रोही आन्दोलन कहूंगा जो दूसरे के हकों को मार कर अपने लिये बात करने के लिये बात करते हों। तो, सभापति महोदया, हमें न सिर्फ रावी-व्यास के समझौते की बात नहीं करनी है, हमें यह भी दबाव देना है कि थीन बांध को समय से पूरा किया जावे। थीन बांध पूरा होता है तो हमारा पूरा पानी का हिस्सा उसमें बढे। हमें यह भी प्रयास करना है कि हैड वर्क्स में हमारा कण्ट्रोल हो, हमारी हिस्सेदारी हो हैड वर्क्स में। सेंट्रल मेनेजमेंट बोर्ड उनको कण्ट्रोल करे। हमें यह भी प्रयास करना है कि किस प्रकार से गंगा और यमुना का पानी यहां आवे। हमें यह भी प्रयास करना है कि किस तरह से चम्बल का पानी, जो निकल जाता है राजस्थान से बाहर, को किस प्रकार से रोकने का काम किया जावे। इसलिये अब आने वाला साल बजट का साल भी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया, सारी योजनायें बन्द कर दीजिये। सब्सीडी बन्द कर दीजिये। इस भूमि को आप पानी दे दीजिये। पानी देने से सोना उगलेगी। और सोना उगलेगी तो राज्य के विकास के लिये पैसा आएगा। इतना ही निवेदन करते हुए जो कुछ सदन के नेता की तरफ से, विपक्ष के नेता की तरफ से, सब की तरफ से प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन तो जरूर कर रहा हूं लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस प्रस्ताव से कुछ बनने वाला है। हमें जरूरत क्या है। रिप्रेजण्टेशन ही नहीं करना है हमको। हमें पार्टी नहीं बनना है। हमें मतलब नहीं है बात करने से। इतना ही कहते हुए, सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में सदन एक है, राज्य एक है, राज्य की भावना एक है। यहां की भूमि वीर भूमि रही है। वे तो बात करते हैं आन्दोलन चलाने की, यहां खून और कुर्बानी देने के लिये राजस्थान का आदमी तैयार बैठा है।

इन्हीं भावनाओं के साथ मैं मुख्य मंत्री महोदय से कहूंगा कि कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने राजस्थान के हकों को जिस प्रकार से 81 में गिरवी रखा था, जिस प्रकार से हकों को बेचकर वे आए थे अपनी कुर्सी के लिये, ऐसा कोई काम नहीं करें।

(श्री यदुनाथसिंह)

नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी और आगे आने वाला समय उनको और उनकी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। मुझे इतना ही इस बारे में निवेदन करना था, सभापति महोदया।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदया . . . .

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी इण्टरवीन करना चाहते हैं। माननीय मंत्रीजी को उसका अधिकार है।

श्री नाथूसिंह : मैं तो पांइन्ट ऑफ आर्डर रेज कर रहा हूं। I am raising a point of order.

श्री परसराम मदेरणा : इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे अन्त में इसलिये मैं बीच मे इण्टरवीन कर रहा हूं।

श्री नाथूसिंह : वह तो आप करिये। मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है वह सुन तो लीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पोईन्ट आफ आर्डर का सवाल ही नहीं है, आप बैठिये।

श्री सभापति : पोंइन्ट ऑफ आर्डर बोलिये, क्या है आपका ?

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदया, इस सदन में पहले भी यह व्यवस्था रही है। जब कोई भी चर्चा होती है, कोई भी वक्तव्य दिया जाता है, कोई भी प्रस्ताव आता हैं तो उसके बारे में सदन में नियम बने हुए हैं और उन नियमों के तहत हम लोगों ने इस सदन में कुछ नियमों के हवाले से कुछ नोटिसेज दिए हैं। इसी मामले पर दिए हैं और इसी मामले में हम सदन में चर्चा करना चाहते है, हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। नोटिसेज दिए हुए हैं अण्डर रूल। लेकिन, सभापति महोदया, दुर्भाग्य है कि अण्डर रूल जिन्होंने नोटिसेज दिए हैं उनको तो आप बोलने का मौका नहीं दे रही है और मैं समझता हूं कि यह हमारे अधिकारों को आप छीन रही हैं। आप इस अधिकार को छीन रही हैं। इसका मतलब है कि कोई नोटिसेज और नियमों का अर्थ ही नहीं रह जाता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है आप लिखकर भिजवा दीजिए।

श्री नाथूसिंह : लिखकर भिजवा दिया हुआ है। आप लिस्ट देखिये। नोटिस दिया है मेरा।

श्री सभापति : आज आपको दिया हुआ है।

श्री नाथूसिंह : नहीं, आज नहीं, आज से बहुत दिनों पहले दिया हुआ है।

श्री सभापति : कौन से नियमों के अन्तर्गत दिया हुआ है।

श्री नाथूसिंह : रूल 131 के तहत दिया हुआ है। देखिये आप नाम।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अभी स्थान ग्रहण करें। इसके विषय में अभी निर्णय आसन की ओर से होगा। कृपया।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, रावी-व्यास के सम्बन्ध में, पानी के सम्बन्ध में...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : जो अकाली दल ने विवाद खड़ा किया है, उत्पन्न किया है, उस सम्बन्ध में सदन के नेता एक प्रस्ताव लाए हैं और सदन के माननीय सदस्यों ने राजस्थान के हितों और राजस्थान के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अपने विचार यहां पर पुरजोर शब्दों में व्यक्त किये हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि सदन जानता है, ट्री पार्टाइट टाक्स हमने प्रारम्भ नहीं की, भारत सरकार ने की है। ट्री पार्टाइट टाक्स में हमको आमंत्रित किया है, हमने पार्टिशिपेट नहीं किया। तीन पक्ष वहां पर बैठते हैं। भारत सरकार की एक स्पेशल सब-कमेटी केबिनेट की बैठती है, जिसमें पांच सदस्य हैं। उसके साथ पालियामेंट के दोनों हाउसेज में जो नेशनल पार्टीज के लीडर्स हैं वह दूसरी पार्टी हैं। अकाली दल, जिन्होंने आनन्दपुर साहिब रिजोल्यूशन, उसके बाद दूसरी कई मांगों को लेकर चार्टर आफ डिमाण्ड प्रस्तुत किया है, तीसरी पार्टी है। यहां पर यह कहना है वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिये था। हमको आवश्यकता नहीं थी कि हम बिना निमंत्रण के या बिना बुलाये ही जाकर उस ट्री पार्टाइट कांफ्रेंस में अपने कोई विचार रखते। लेकिन जिस दिन हमको यह महसूस हुआ कि रावी-व्यास समझौता, जो 1955 में हुआ और 1981-82 में जो ट्रिटेट हुआ है उस संबंध में, उस मुद्दे को दुबारा उठाया जा रहा है और उसको रिव्यू करने के लिये अकाली दल पुरजोर शब्दों में अपनी मांग कर रहा है। इसलिये हमने जो हमारा केस प्रस्तुत किया ट्री-पार्टाइट कांफ्रेंस के सामने केस मैं ऐसा मानता हूं, विरोधी पक्ष के माननीय नेता भी वहां पधारे थे, हालांकि यह राजस्थान का सौभाग्य था कि ट्री पार्टीइट कांफ्रेंस में जहां अकाली बैठे हैं वहां पर दूसरी राज्य सरकारों को या विरोधी पक्ष के नेताओं को नहीं बुलाया, किन्तु जब अकाली बैठे हुए थे, 20 तारीख को उनके और हमारे आमने-सामने बैठकर उनकी क्या डिमाण्ड्स हैं और वह क्या चाहते हैं, इस संबंध में विचार-विमर्श भी हुआ था और अपना व्यू पाइंट भी रखा था। इसलिये हमारे सामने यह कहना कि हम पार्टिसिपेट नहीं करते और इसलिये नहीं करते कि इस देश के विभाजन के बाद, हिन्दुस्तान के पार्टिसिन के बाद जो कुछ भी पाकिस्तान और हिन्दुस्तान ने अपनी-अपनी तरफ से पांच-छः नदियों के पानी का क्लेम रखा, वर्ल्ड बैंक के चैयरमैन को बीच में मीडियेटर डाला गया, मीडियेटर डालने के बाद लम्बे नेगोसिएशन के बाद 1960 में इन्डस ट्रीटी साइन हुई। इन्डस ट्रीटी साइन होने के पहले 1955 में अर्स्टव्हाइल पंजाब पेप्सू राजस्थान, कश्मीर ने एक समझौता कर लिया, जो कुछ भी स्टोरेज में या फ्लो में सरप्लस पानी है, 15.85 मिलियन एकड़ फीट, उस पानी में से 8 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान को मिलेगा। हमने ट्री पार्टाइट कांफ्रेंस के सामने यह बात

(श्री परसराम मदेरणा)

कही, अगर राजस्थान की नीड और राजस्थान की आवश्यकता, इस 15.85 पानी के लिये हिन्दुस्तान का जो क्लेम बना है, 15.85 के ऊपर जो राजस्थान को सबसे ज्यादा पानी 8 मिलियन एकड़ फीट मिला है, हिन्दुस्तान का पूरा केस जैसा कि सदन के नेता और प्रतिपक्ष के माननीय नेता कह रहे थे, किन किन की राजस्थान के पानी की जरूरत है, उसके ऊपर इन्डस ट्रीटी बेस्ड है, इसलिये हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमने जाकर के राजस्थान के केस को रखा। यह भी नहीं, हमने ट्रीपार्टाइट कांफ्रेंस में यह बात भी कही, आज जाकर के 1983 के अन्दर अकाली दल सरप्लस पानी के रिओरियेंटेशन को रिव्यू कराने की बात सोच रहा है और उनकी डिमाण्ड है। उनकी डिमाण्ड इस प्रकार है। मैं अकालियों की डिमाण्ड रख रहा हूं उन्होंने जो दी है, हमको भारत सरकार ने वहां वितरित की थी।

"The present utilisation of water in each of the States of Haryana and Punjab is protected....."

इसका मतलब है आज राजस्थान यूटिलाइज कर रहा है उस पानी को तो छेड़ो मत। आगे उनकी मेन डिमाण्ड यह है "The dispute regarding allocation of remaining surplus water be referred to a Tribunal under the Inter-State Water Disputes Act, 1956."

हमने वहां पर ट्री पार्टाइट कांफ्रेंस में यह बात कही कि अगर 28 साल और एक महीने का समय, जो 1955 की जनवरी 29 को हमने यह लिखी थी, ट्रीटी की थी, एग्रीमेंट किया था, 28 साल का लम्बा समय बीतने के बाद, राजस्थान फीडर जो बनी है 110 मील लम्बी, वह पंजाब की टेरीटरी में बनी है, खर्चा राजस्थान ने दिया है, जमीन इन्होंने एक्वायर की थी, पंजाब के इंजीनियर जब 110 मील लम्बी राजस्थान फीडर, साढ़े 18 हजार क्यूसेक्स की बना रहे थे इन लोगों को पता नहीं था कि इसमें पानी जायेगा जो राजस्थान के हिस्से में 52.6 प्रतिशत आया है इस एग्रीमेंट से, किसने बनायी थी यह नहर ? और अगर इतनी बड़ी नहर बन रही थी, जिसके बनाने में पंजाब की सरकार थी, वह राजस्थान की नहर 550 किलोमीटर में से 500 किलोमीटर बन चुकी है, उसके बाद में आज इस इश्यू को टेक अप करना, 28 साल के बाद में, क्या यह राजस्थान के हितों पर जबर्दस्त कुठाराघात नहीं होगा । इसलिये राजस्थान ने यह पोइन्ट भी दिये। हमने यह बात भी रखी कि जब भारत सरकार ने अपना क्लेम रखा उसमें और राजस्थान के इस क्षेत्र के इंस्पेक्शन के लिये वर्ल्ड बैंक का चैयरमेन मिस्टर ग्लैब भी आया था। उसने कहा है यह फ्लो इरिगेशन से कहीं भी पानी अगर रावी-व्यास का और इनका जा सकता है तो इस राजस्थान की मरु भूमि और डेजर्ट में जा सकता है, एरिड एरिया और सेमी-एरिड एरिया में जा सकता है। इस फाइंडिंग्स के ऊपर यह बात निश्चित कर ली गई कि पानी का उपयोग अगर कोई भी कर सकता है तो राजस्थान कर सकता है। हमने यह बात कही, उस वक्त का पंजाब अर्स्टव्हाइल पंजाब और पेप्सू चूंकि राज्य अलग था 1955 में, अगर उस वक्त उनकी तरफ से कोई क्लेम रखती भारत सरकार तो इस देश को तीन नदियों का एक्सक्लूजिवली वाटर यूटिलाइजेशन का अधिकार नहीं मिलता। यह अधिकार मिला

(श्री परसराम मदेरणा)

हमारी वजह से । इसलिए मिला है कि पानी से रेगिस्तानी इलाकों को सिंचित करके वहां के लोगों को हमेशा से अकाल से छुटकारा देने के लिये-आश्रित-हैं । इसलिए उस वक्त के प्रधान मंत्री, जिस प्रधान मंत्री-जी के जिस लेटर का हवाला दिया था, उस प्रकार के जितने भी हमारे पास डाकूमेंट थे, वह भी हमने ट्री पार्टाइट कांफ्रेंस में प्रस्तुत किये । इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, चाहे आप यहां कितनी ही इन्डस ट्रीटी की बात करलें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अन्दर कोई भी सरकार, हो, राजस्थान के केस की, मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा कानूनी और विधि का पक्ष बहुत मजबूत है। केस डिफाल्ट में जा सकता है, जब वहां पर बातचीत हो रही है, उस बातचीत में तुम्हारा क्या व्यू पाइन्ट है, राज्य सरकार इस संबंध में क्या सोचती है, अगर जाकर हम अपना व्यू पाइन्ट नहीं रखते हैं, हमारा मत नहीं रखते हैं, । वहां दृढ़ता से रखा, उस मत पर आज भी कायम हैं । इसलिए ट्री पार्टाइट कांफ्रेंस में हम अपनी मर्जी से नहीं गये थे । क्योंकि यह ट्री पार्टाइट कांफ्रेंस बुलाई थी भारत सरकार ने, हम तो हमारा केस वहां पर पुट अप करने के लिये गये थे । इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जैसा कि प्रतिपक्ष के माननीय नेता इस बात को एंडोर्स करेंगे, जितने भी प्रतिपक्ष की राष्ट्रीय पार्टियों के नेता हैं जो आज पार्लियामेंट के दोनों हाउस में बैठते हैं, वहां पर उपस्थित थे । उन्होंने राजस्थान के केस को बेटर एप्रीसियेट किया है । उन्होंने बात यह कही है, जिस राजस्थान को इतने लम्बे अर्से तक हक मिल गये अधिकार प्राप्त हो गये, अप्रूव हो गये, उस पानी के संबंध में, 52.6 प्रतिशत उनके शेयर के हिसाब से । बीच में जब इतनी बड़ी राजस्थान की जाइजेंटिक योजना कम्प्लीशन पर जा रही है, जिसका नेट क्षेत्रफल सिक्स हजार किलोमीटर का है, वह मेन कैनाल 500 किलोमीटर बन चुकी है । 120 मील पंजाब के क्षेत्र में बनी है, इन्होंने भूमि एक्वायर की है, हमने उसका खर्चा दिया है । जिन ईस्टर्न पी रिवर के इनडेशन के लिए भारत सरकार ने 110 करोड़ रुपये दिये थे ताकि राजस्थान की मरु भूमि को सिंचित किया जा सके । आज उस प्रश्न को यहां टेक अप करना इस वक्त हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा । हम वह किसी तरह से भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं । बहुत बड़ी उद्विग्नता है, बहुत बड़ा असंतोष है । लोगों को जो हक प्राप्त हो गये हैं, उनको देकर के हक छीनना जैसी बात होगी । इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि हम वहां पर गये । अकालियों के डिमाण्ड रखने की बात है, वहां वह बात भी रखी, ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस में यह समझौता हुआ 1965 में रिट्रेट हुआ, भरतपुर (नदवई) से आने वाले माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि आपने 1981 में जाकर बहुत बड़ा कोई राजस्थान के हितों के साथ कंप्रोमाइज कर लिया । आप 1981 के एग्रीमेंट में अलोकेशन हुआ है उसको देख लीजिये—

that surplus water was based on the flow of many series of 25 years.

यह सारी बात सीरीज पर हैं और राजस्थान का शेयर 8.6 है और 8.6 का पर्सेन्टेज बनता है 52.6 पर्सेन्ट । इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि हमने यह बात भी वहां पर उनके सामने रखी । अगर यह तर्क दिया

(114)

(श्री परसराम मदेरणा)

जाय, मान लीजिये थोड़ी देर के लिये जो आज माननीय सदस्य यहां पर कह रहे हैं, सरकार को एम्ब्रेसिंग पोजीशन में डालने के लिये की इन्होंने बहुत बड़ा राजस्थान के हितों के साथ में समझौता कर लिया, यह बहुत से माननीय सदस्य कह रहे थे तो मैं एक बात सदन को सूचित करना चाहता हूं कि अगर यह पंजाब के हक में था, पंजाब हमारे हक का पानी ले गया पंजाब को बहुत फायदा हो गया उससे पंजाब की नहीं अकालियों की यह मांग है, अकालियों की यह मुख्य मांग है और मांग नम्बर एक यह है कि रावी-ब्यास के संबंध में एग्रीमेंट आफ 1981 बी रिसाइन्डेड, उसको निरस्त कर दो। अगर उनको पानी मिल गया है, बहुत फायदा हो गया है तो यह रिसाइन्ड का आज अकाली क्यों कह रहे हैं ?

श्री कमलेन्द्रसिंह : आप यह कापी टेबल पर रख दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : आपके सभी नेताओं के पास में कापी है। आप चाहे देख लीजिये। आपकी पार्टी के माननीय नेता भी वहां हमारे साथ थे।

श्री कमलेन्द्रसिंह : यह काली वाली हमारे पास नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : काली वाली ऐसा है कि हमको जो दी इसमें मैंने बहुत सी बातें, जो हमको प्रस्तुत की उसी वक्त, लिख दी हैं। इसलिए इस डाकूमेंट को मैं सदन की मेज पर नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत सी बातें लिख दी है। आप कहेंगे, तो इसकी कापी करके रखें...

एक माननीय सदस्य : कापी करा के रख दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : हां, कापी कराके रख दूंगा। इसमें मैंने कुछ लिख दिया है। और तो नहीं लेकिन बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य इसका इन्टर-प्रिटेशन और तरह से भी कर सकते हैं, वह विधि के जानकार हैं, वह विधिवेत्ता हैं।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि अगर आज हमारा केस इतना वीक है, 81 में तो फौरन अकाली दल से मांग करता, पहली मांग यह थी कि 81 से एग्रीमेंट को रीसाइन्ड किया जाय। इसलिए हमने कोई भी समझौता नहीं किया, यह बात कही। आनन्दपुर साहब रिजोल्यूशन के अन्दर, जैसा कि प्रतिपक्ष के नेता ठीक कह रहे थे, उन्होंने तीन मांग रखीं राजस्थान के संबंध में। हैड वर्क्स हमसे नहीं लिये जायं, जरूरत पड़े तो पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेण्डमेंट किया जाय और किस में किया जाय हैड वर्क्स नहीं लेने में। और हैड वर्क्स किसके अन्तर्गत है सेक्शन 78, पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट। इसका मतलब यह, वह चाहते हैं कि जरूरत है तो दीज अमेण्डमेंट शुड बी डन। हमने यह बात कही कि पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट, सक्सेसर स्टेट पंजाब उस वक्त के पंजाब में से बनी पेप्सू तो पहले अमलगेट हो गया था 1956 में, उस वक्त कुछ पार्ट हिमाचल में गया, हरियाणा की नई स्टेट एग्जिस्टेन्स में आई और बाकी पंजाब रह गया। उस वक्त यह था कि दो साल तक पानी के बंटवारे के संबंध में कोई फैसला नहीं करेंगे तो भारत सरकार सेक्शन 78 के अन्तर्गत रावी के पानी का

(श्री परसराम मदेरणा)

हिस्सा, एलोकेशन डिटरमिन कर लेगी। उन्होंने डिटरमिन किया 1976 की 24 मार्च को एक नोटिफिकेशन निकाला और जैसा कि नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि वह नोटिफिकेशन ही बोन आफ कंटेन्शन हुआ और इसमें सुप्रीम कोर्ट में स्यूट्स दायर किये गये। उस स्यूट्स के अन्दर हमारे पानी के हिस्से को पंजाब सरकार ने कभी भी चैलेन्ज नहीं किया। यह बात सही है कि इन्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, 1956 में भारत सरकार को कोई भी एप्लीकेशन देगा किसी भी पानी के संबंध में, पानी के डिस्प्यूट के संबंध में तभी भारत सरकार ट्रिब्यूनल बैठायेगी, सीधे नहीं बैठा सकती। न तो पंजाब सरकार बैठा सकती है और न अकाली बैठा सकते हैं। पंजाब की सरकार इस वक्त कह रही है कि हमने रिजोल्यूशन पास किये थे। हमारे अकालियों का बहुत बड़ा जलसा हुआ। वह कह रहे हैं उस जलसे में यह रिजोल्यूशन पास किये थे, वह रिल्यूजोशन की तारीख बता रहे हैं 28-29 अक्टूबर, 78। हमने यह बात कही थी कि आज वह यह स्टेन्ड तो नहीं ले सकते, 1978 में उन्होंने यह रिजोल्यूशन पास किया था, 1978 में पंजाब में बादल की सरकार थी, वह अकालियों की सरकार थी। अगर अकालियों की सरकार थी तो किसी भी वाटर के डिस्प्यूट के मामले को भारत सरकार को प्रस्तुत कर सकते थे। दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त तो आप चुप्पी लिये बैठे रहे और अब अकाली किसी कम्बल में से रात को उठ कर आये हैं। हालांकि उन्होंने उस वक्त भी एक मांग की थी, एक मांग की है रावी-ब्यास के बारे में, लेकिन वह है 76 के नोटिफिकेशन के संबंध में। उसकी भाषा से साफ स्पष्ट होता है —

"that the Congress Govt. is called upon to waitage the great loss and injuslice, discremination done through Punjab in the distribution of" Ravi Beas walets.

मतलब यह 24-3-76 के नोटिफिकेशन के सेक्शन 78, पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट, 66 के अन्तर्गत पानी का बंटवारा किया पेप्सू का, जब राजस्थान का, पानी भी पंजाब का अर्स्टव्हाइल का शामिल हो गया। पानी हुआ 7.2 एम. एम. उसमें से 2 एम. एम. दे दिया दिल्ली को उस नोटिफिकेशन से 7 का बंटवारा 3.5 किया। यहां से डिस्प्यूट खड़ी होती है। हमने कहा कि डिस्प्यूट हरियाणा और पंजाब के बीच में है, राजस्थान इस पिक्चर में नहीं है इसलिए राजस्थान को सर्व करके, आरबिट में लाकर खड़ा करना गलत है। तमाम इन्टर स्टेट समझौते, हमने यह बात कही, इस प्रकार के नेशनल और इन्टर स्टेट समझौते, जिनके राइट फ्लो होता है 28 साल तक लगातार · · ·

(4.17 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

अनइन्ट्रप्टेड, की क्या सेंक्टिटी रहेगी। वह लॉ बन जाते हैं अपने आप में। जब अपने आपमें लॉ बन जाते हैं तो आपको राजस्थान के संबंध में वन फाइन मोर्निंग पंजाब के अकाली दल को, इस प्रकार की मांग रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह अनजस्टिफाइड भी नहीं है लेकिन उनकी डिमाण्ड मेलेसियस है। अगर

(श्री परसराम मदेरणा)

इस केस को रखने के लिए हम दिल्ली चले गये और हमने इस केस को रखा। मैं सदन को कांफीडेंस में लेना चाहता हूं और मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही तो रिट्रेट करना चाहता हूं कि राजस्थान के हितों की सुरक्षा के लिये जहां कहीं पर, जिस किसी भी फोरम में हमको जहां पर मौका मिला है हमने राजस्थान के मत, राजस्थान के व्यू पाइन्ट को बहुत दृढ़ता से रखा है, उस पर अडिग हैं और आगे भी काम पड़ा तो अडिग रहेंगे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन अकालियों ने इसमें सोमरसाल्ट किया है और सोमरसाल्ट करके, पूरे के पूरे पानी के संबंध में 6 मांगें रखी हैं। उन मांगों में यह है कि आज राजस्थान का युटिलाइजेशन है जिसको हम कहते हैं कि करीब करीब 6 एम.ए.एफ. हो गया है और कम से कम आज अगर युटिलाइजेशन करने की पोजिशन में हैं तो 7 एम. ए. एफ. कर सकते हैं। हमारा पोटेंशियल हर महीने हर टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है। टोटल सरप्लस वाटर कभी भी 11 पोइन्ट मुख्य मंत्री जी ने आंकड़े बताये थे, हमने कहा कि हमारे पास में आज भी पानी आता है 17.17 और 15.80 हर साल, वहां पर पड़ा हुआ नहीं है। थीन डैम नहीं बनेगा तो 6.2 कुछ मिलियन पानी वहां पर है एम. ए. एफ., उसका टोटल पानी वहां पर है वह 6.43 एम. ए. एफ पानी थीन में इम्पाउण्डमेंट होगा। उसका एक बन्धा बन रहा है। जब तक वह नहीं बनता है तो स्टोरेज नहीं होता और स्टोरेज नहीं हो रहा है तो लोग ठीक कह रहे हैं कि केवल बरसात के दिनों में तो पानी छोड़ने को तैयार हो जाते हो जब न तुमको जरूरत है न हम को जरूरत है। लेकिन जब आवश्यकता होती है तो कहते हैं कि हमने यह बात रिट्रेट की ट्रीपार्टाइट कांफ्रेंस में भारत सरकार के मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य बैठते थे। यह हैड वर्क्स का मामला है स्टेट्यूटरी प्रोवीजन्स है, यह पार्लियामेंट का एक एक्ट है। इतने लम्बे अरसे तक शायद पार्लियामेंट की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि इस तरह का एक्ट 17 साल तक, अभी तक इम्पलीमेंट नहीं हुआ यह इल्जाम है भारत सरकार पर। हैड वर्क्स ट्रांसफर किये जाने चाहिए। बिना हैड वर्क्स के ट्रांसफर किये हुए, यह हमारा मामला नहीं, आपने मांग रखी या नहीं रखी, भैरोंसिंह जी ने मांग रखी थी मैं नहीं कहता लेकिन उनसे पहले हमने भी रखी थी, कांग्रेस सरकार ने, हर फोरम में हम रखते चले आये हैं लेकिन मांग रखने के बाद में उसका इंप्लीमेंटेशन भारत सरकार के द्वारा नहीं हुआ। हमने दुबारा निवेदन किया। उनसे हमने आग्रह किया कि सैक्शन 79 जब तक जिन्दा है तब तक भारत सरकार के ऊपर कानून इस बात की जिम्मेदारी सौंपता है कि आप हैड वर्क्स बी. बी. एम. बी. को ट्रांसफर कर दीजिए। जब तक आप हैड वर्क्स बी.बी.एम.बी. को ट्रांसफर नहीं करेंगे। वहां पर कई तरह की बातें आ रही थी, कई तरह के मसौदे आ रहे थे, हमने कहा कई मसौदे ला रहे हो, हमारा अमेंडमेंट लिखो हैड वर्क्स पर—

····Statutory provisions under the Punjab Re-organisaton Act as regards the transfer of headworks·

(श्री परसराम मदेरणा)

shall be implemented without further delay....'

तो हम बराबर इस बात को रख रहे हैं। लेकिन बॉल भारत सरकार के कोर्ट में है मैं कुछ ज्यादा नहीं कहते हुए जो कुछ भी केस राजस्थान का है जो यहां रखा गया है पूरी अपोजिशन पार्टी के नेता राष्ट्रीय स्तर के हैं वे एक राय के थे कि डिस्प्यूट में नहीं है, पानी के बंटवारे के मामलों में भी राजस्थान का हिस्सा है। यह पंजाब और हरियाणा के बीच का इन्टरसी मामला है। इसलिये यदि राजस्थान को इस प्रकार के किसी भी ट्रिब्यूनल में भेजना चाहते हो तो राजस्थान को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। इस प्रकार राजस्थान के केस के प्लीडिंग के लिए, एडवोकेसी के लिये ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस हमको बुलाती है, हम तो आप लोगों के भी बराबर साथ रहे है, हम सब एक मत थे, सभी पार्टियों के नेता एक ही बात रख रहे थे कि राजस्थान को बहुत बड़े इतिहास के बाद जो अधिकार मिला है उस अधिकार से हमको इस स्टेज पर वंचित रखने की बात सोचते हैं तो यह राजस्थान के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि राजस्थान देशी रियासतों से बना हुआ प्रान्त है और इसके वे एण्ड मीन्स की पोजीशन बहुत कमजोर है अकाल हमेशा पड़ता रहता है। इसलिये इस राजस्थान जैसे प्रान्त जो, समृद्धिशाली नहीं है, में 600 करोड़ की विनियोजन हो जाए, इन्वेस्टमेंट हो जाए, उसके बाद में यह सोचा जाये तो इसका मतलब यह है बिरदवाल के हैड के आगे साढ़े 18 हजार क्यूसेक्स पानी की नहर, जो शायद दुनिया में सब से बड़ी तो नहीं है एक 20 हजार क्यूसेक्स की है। लेकिन है कोई 30-40 किलोमीटर ही। संसार की इतनी बड़ी नहर, जिसकी लम्बाई 600 किलो मीटर तक हो, इतनी बड़ी नहर जिसका नेट वर्क 6500 किलोमीटर हो, दुनिया में नहीं है। जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसका निर्माण सेंट्रल सैक्टर के अन्दर नहीं हो रहा है और राजस्थान का एक एक नागरिक उसके अन्दर पैसा दे रहा है, टैक्स दे रहा है। ऐसी सूरत में कोई भी पानी के बंटवारे का मामला दुबारा खोला गया तो राजस्थान के हिस्से के पानी के संबंध में विचार का मामला किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हम एग्री करने वाले नहीं है, हम यह मानने को तैयार नहीं है। यह स्पष्ट कोई ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस में ही हमने नहीं किया, जहां मुख्यमंत्री जी और मैं दोनों बैठे हुये थे और सिर्फ भारत सरकार की केबिनेट की सब कमेटी थी। शायद मैं समझता हूं और मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, हमने ज्यादा मजबूती से केस को केबिनेट सब कमेटी के सामने रखा था। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1981 को असेल करने की आपने बात सोची, और अकाली दल को इसको रिजाइन करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है जनाब एक और दूसरा बी. बी. एम बी. का कंट्रोल जो सेंट्रल अथोरिटी है सतलज-व्यास के जो प्रोजेक्टस हैं उस पर है, हमने 1981 के एग्रीमेंट में रावी के पानी के कंट्रोल, डिस्ट्रिब्यूशन और रेगुलेशन को भी परव्यू में लिया है। रिलेवेंट पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग बहुत पढ़े हुए है, इस 1981 के एग्रीमेंट

Page No 118

(118)

(श्री परसराम मदेरणा)

से लोगों को बहुत स्नेह है। एक एक वर्ड उन्होंने बिटविन दी लाइन पढ़ा होगा इसको मैं निश्चित तौर पर जानता हूं। इसलिए पहली दफा रावी-व्यास का डिस्ट्रिब्यूशन और रेगुलेशन बी.बी.एम.बी. के पास में आया है। मैं यहां यह निवेदन करूंगा कि जो हमारा वहां स्टेंड रहा है। इस सदन का भी एक मत है और एक आवाज में जो प्रस्ताव के सम्बन्ध में समर्थन है वह सही है कि हमारा अन्तर्राज्यीय समझौता आज नहीं अस्टेंब्लिहाइल पंजाब के साथ 28 साल पहले हुआ था। 28 साल के समझौते के बाद में जो राइट्स फ्लो किये है, हम समझौते के फलस्वरूप उसका उपयोग करते चले आ रहे हैं। यह बात की गई थी, 1925 के समझौते में लिखी है कि इस पानी का जो एलोकेशन हुआ है, जो सरप्लस पानी है उसके लिए अलग-अलग सरकारें अपने प्रोजेक्ट प्रारम्भ करेंगी। इसलिए हमने भाखरा में भी हिस्सेदारी रखी, और पोंग-व्यास में भी हिस्सेदारी रखी। हम राजस्थान कैनाल के मार्फत उस पानी को यहां लाना चाहते हैं। हमने अकालियों से यह कहा था आपकी टेरिटरी में आप जो 110 किलोमीटर लम्बी फीडर बना रहे थे वह पानी ले जाने के लिये थी या कोई साफ्ट बॉल का गेम खेलने के लिए थी? उसकी केपेसिटी जब 18,500 क्यूसेक्स रख रहे थे, एक दफा कहा था, तो इतनी बड़ी वह नहर नहीं है दरिया है जैसे। एक दफा कहा था, पंजाब में एक इरिगेशन मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में पंजाब के सिंचाई मंत्री कह रहे थे। मेरा चार्ज था कि तुम वाटर रिलीज नहीं करते हो और हैड वर्क्स तुम्हारे पास रहने की वजह से हमारा पानी तुम हड़प जाते हो। उन्होंने कहा कि मैं तो पंजाब का रहने वाला हूं, पांच नदियों का नाम पांच-आब, दरिया हैं हमारी पांच लेकिन यह तो एक छट्टी दरिया इन्होंने खड़ी कर दी है यह कोई कैनाल थोड़ी है यह तो एक दरिया है। दरिया के बनाने में राजस्थान ने इतना ज्यादा अमाउन्ट इन्वेस्ट कर दिया है। इस वक्त चिन्ता का विषय है कि कोई बात हो जाये तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए और इस सदन की सोडलेरिटी से भारत सरकार को अवगत किया जाना चाहिए। यही निवेदन इस समय मैं करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

एक माननीय सदस्य : समाप्त करें।

श्री अध्यक्ष : अभी बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या काफी है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

श्री अध्यक्ष : अलग-अलग दलों के माननीय नेता महोदय बोल लें, तत्पश्चात् आपको अवसर देंगे।

श्री नाथूसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, अभी जब आप अन्दर पधारे थे तो मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था...

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय......

व्यवस्था का प्रश्न

दिये गये नोटिस के प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति

श्री नाथूसिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है दो मिनट ठहर जाइये।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नाथूसिंह : जब आप अन्दर पधारे थे इस विषय पर मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। आसन से आश्वासन मिला था, कि उसके बाद इसको व्यवस्था दी जायगी (व्यवधान), यह जो मामला चल रहा है इसके संबंध में कई माननीय सदस्यों ने पूर्व में नोटिस दिया था विभिन्न रूल्स के अन्तर्गत। वे इतना जरूरी समझते थे इस मामले को, जो इस पर चर्चा करना चाहते थे सदन में, उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते थे। इस हाउस को कन्डक्ट करने के जो रूल्स बने हुए हैं उसके अन्तर्गत हमने नोटिस दिये, लेकिन जब यह प्रस्ताव आया उस पर मुख्य मंत्रीजी अपने विचार प्रकट कर रहे है, तब जिन्होंने इस पर नोटिस दिए हैं उन सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : उनको अवसर दिया जायेगा। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उनको अवसर देंगे।

शासकीय संकल्प

अन्तराज्यीय नदी जल विवाद

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में ऐसे मामले पर चर्चा की जा रही है जो राजस्थान के हितों से जुड़ा हुआ है। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी, सदन के नेता ने आज जो प्रस्ताव मूव किया है सदन के सामने उसका तो मैं स्वागत करता हूं इसके साथ साथ मैं इस सदन से इस संबंध में जो निष्क्रियता रही है उस संबंध में दो शब्द कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह प्रश्न या समस्या क्यों खड़ी हुई कि रावी-व्यास के पानी का 1955 का जो समझौता है और जो पानी हम को मिला है, उसका बंटवारा हो। या राजस्थान इसकी पार्टी क्यों बना? साफ तौर से यह कहा जा सकता है, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार की ढिलाई और कमजोरी की वजह से, कांग्रेस सरकार की असफलता की वजह से आज राजस्थान को पार्टी बनना पड़ा। राजस्थान को उसमें पार्टी बनाकर घसीटा जा रहा है। जब कि झगड़ा पंजाब और हरियाणा का है, पंजाब और हरियाणा जब एक था उस समय कोई झगड़ा राजस्थान के साथ नहीं था और जब पंजाब और हरियाणा बने तो इनके बंटवारे का झगड़ा, कोर्ट में जाना और सरकार का नोटिफिकेशन जारी करना और समझौते कराना इनकी बात थी। लेकिन इसका फायदा उठाकर अकालियों ने सर उठाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को भी कहना चाहता हूं और सदन के माननीय सदस्यों को भी इन्फार्मेशन देना चाहता हूं। आज इसके बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे यह शंका है, अध्यक्ष महोदय; आज अकाली जिस मांग को लेकर उठे हैं, केन्द्र की सरकार और राजस्थान की कांग्रेसी सरकार उनके सामने घुटने टेक चुकी है। हमारी पार्टी ने पहले यह मांग की थी कि यह नेशनल मसला है, राष्ट्रीय मसला है इसलिए जो भी नेशनल लीडर्स हों, नेशनल हैड हों, उनको बुलाकर बात की जाये लेकिन सेठी जी का एक लैटर आया हम लोगों के नाम, मतलब जो सदन के विपक्ष के नेता है उनके पास कि विधान सभा और लोक सभा में विरोधी पक्ष के नेता है, उन्हीं को बुलाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय विपक्ष के नेता ने अपनी बात रखी और यह कहा

Page No 120

(128)

(श्री मेघराज तावड़)

कि हम इस्तीफा दे देंगे या हम आन्दोलन करेंगे, जेलों में जायेंगे इस मसले को लेकर। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आन्दोलन करेगा तो वही किसान और मजदूर करेगा। इधर बैठने वाले हैं उनकी भी सरकार आयी थी, अध्यक्ष महोदय, लेकिन उन्होंने ढाई साल में केवल पत्र लिखें, उनकी भी सेंटर में कितनी पकड़ थी। आज भी पकड़ राजस्थान में कांग्रेस की नहीं है। यह तो मैं कहना चाहता हूं लेकिन उनकी भी पकड़ नहीं थी लेकिन आन्दोलन और जेलों में जाने की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जेलों में हम जायेंगे। जो . . . दुकान खोलेगा, दुकान खोलने वाला, टाइम पर व्यापार करने वाला हैं, वह कोई आन्दोलन नहीं कर सकता हैं और उधर गोटेवाला जी नहीं जा सकते......

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं जेल काहे को जाऊंगा। कमाल कर रहे हो।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक जो खतरा है वह खतरा यह है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस मसले को अलग अलग तरीके से अलग-अलग टैक्टिक्स से रखा जा रहा है माननीय विपक्ष के नेता भैरोंसिंह जी, बी. जे. पी, भारतीय जनता पार्टी के है, उनके नेता पंजाब में दूसरी बात कहते हैं। पंजाब में कहते हैं पंजाब के साथ अन्याय हुआ। पंजाब को गिरवी रख दिया और इन्हीं की पार्टी के नेता हरियाणा में कहते हैं कि हरियाणा के अधिकारों को छीना गया, बलि पर चढ़ा दिया गया। राजस्थान की विधान सभा में बी. जे.पी. के और विपक्ष के नेता भैरोंसिंह जी ने यह बात कही कि शिव चरण माथुर को इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने 1981 का समझौता करके राजस्थान के साथ कुठाराघात किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, इस तरह अलग-अलग जगह, अलग-अलग राज्य में अपने बयान देकर, यह अलग कहते हैं, हमारे यहां अलग कहते हैं कि राजस्थान का अहित हुआ है। पंजाब में कहते है पंजाब के साथ अहित हुआ है और हरियाणा में कहते हैं इन्ही के नेता कि उनके साथ अहित हुआ है। क्या इन्होंने एक बात कही ? मैं कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय मसला है, नेशनल मसला है इसलिए इसको टेबल पर सुलझाया जाना चाहिए, बातचीत के जरिये सुलझाया जाना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पंजाब में कुछ कहें, हरियाणा में कुछ कहें, राजस्थान में और कुछ कहें। यह साफ है, अध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोंसिंह जी ने यह बात कही थी। हमारा कम्युनिस्ट अखबार है, जिसमें छपा है- 'पंजाब के बी. जे. पी. नेताओं ने अपने बयानों में यह आरोप लगाया कि पंजाब के हितों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है लेकिन हरियाणा में उनके भाई बिरादर ने कहा कि हरियाणा के हितों को कुर्बान किया जा रहा है, और अध्यक्ष महोदय "राजस्थान की विधान सभा में विपक्ष के नेता बी. जे. पी. के भैरों सिंह जी शखावत ने राज्य के मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर से इसलिए फौरन इस्तीफा देने की बात की कि उन्होंने रावी ब्यास समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये", अध्यक्ष महोदय, बात सुलझाने की कोई नहीं करता, भाषण हम देदें। उलझाने की

(श्री मेघराज तावड़)

बात कर दें। वास्तव में राष्ट्र हित के लिए अगर हम एक बात कहते हैं। चाहे केन्द्र का नेता कहे, चाहे विधान सभा का एक नेता कहे चाहे सरपंच पंचायत का है वह एक बात कहें, मगर जो बात कहें वह नेशनल इन्ट्रेस्ट की बात कहें तब तो मानते है कि हम ईमानदारी से कुछ कह रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं की भी यह कमजोरी रही। अकालियों ने जब यह मांग उठायी थी तो पंजाब की कांग्रेस सरकार भी उसका खण्डन नहीं कर सकी; केन्द्र की सरकार उसका खण्डन नहीं कर सकी, जो उन्होंने मांग रखी आज इन्दिरा गांधी उनके सामने घुटने टेक चुकी है। इसलिये राजस्थान को पार्टी बना कर राजस्थान को भी खुश करने की बात कह कर केवल उनके सामने यह आत्मसमर्पण करने की बात करते हैं। राजस्थान को घसीटा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं अकाली दल की मांगे शुरू से कौन कर रहा है, कौन उठा रहा है? आज मांगें कहां से उठायी जा रही हैं? इनके पीछे प्रतिक्रियावादी ताकतों का हाथ है। अध्यक्ष महोदय, माथुर साहब आज इस बात को सुन लें। आज तो यह पानी का मसला है। हम भी वार्ता में शरीक थे उस समय गंगानगर की बात नहीं आई। लेकिन भविष्य में गंगानगर की बात आयेगी। ज्यों-ज्यों अकाली अपनी मांगों को लेकर केन्द्र के सामने जाते हैं, जनता के सामने जाते हैं त्यों—त्यों पर्दाफाश हो जायगा, तो अपनी मांगे अलग-अलग की उठवाने की बात करेंगें और गंगानगर को लेने की मांग करेंगे, अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय हित में, हमारे नेशन के हित में और राज्य के हित में किसी भी राज्य के अधिकार नहीं छीने जायं, किसी राज्य का अपना हक है उसको नहीं छीना जाये, यह भारत सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, अपना फैसला क्यों नहीं करती? क्यों कि पंजाब ने तो कोई पैसा नहीं दिया, उस समय पंजाब अलग था, न राजस्थान ने दिया तो फिर यह केन्द्र का पैसा है, केन्द्र के खजाने से दिया गया है पंजाब में भी इनकी सरकार है यह क्यों नहीं बोलती? मैंने पी. सी. सेठी के सामने, हमारे नेता महोदय और परसराम जी भी थे, यह बात रखी। मैंने कहा, पहले तो आप अपना दृष्टिकोण बताइये कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार का क्या दृष्टिकोण है, पंजाब में कांग्रेस के लोगों का क्या दृष्टिकोण है, राजस्थान में कांग्रेस के लोगों का क्या दृष्टिकोण है, और केन्द्र सरकार का क्या दृष्टिकोण है, उसके पहले आप हमारी बात को जानना चाहते हैं, हमारे दृष्टिकोण को जानना चाहते हैं। राजस्थान की सरकार निकम्मी रही है इस बात के लिए कि उसने कैनाल को पूरा नहीं किया.

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान की सरकार ने तो अपना दृष्टिकोण आपको बता दिया था।

श्री मेघराज तावड़ : मैं आप सबको कह रहा हूं आप अकेले नहीं हैं। इसलिए आप आदमखोर नहीं है, आपको मैं आदमखोर अकेले नहीं कहूंगा, बाकी सबको भी कहूंगा, क्यों कि त्रिलोक जी नहीं हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज केन्द्रीय सरकार

(श्री मेघराज तावड़)

और राजस्थान सरकार की यह कमजोरी है यह तो बेचारे ढाई साल ही रहे थे इन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन यह तो वापस आ गये। 30 साल तक रहें। 30 साल तक तो कुछ करके देखते। आज, माथुर साहब मेरी एक बात का जवाब दें। आप कहते हैं कि हम पानी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं इधर गंगानगर में लोग प्यासे मर रहे हैं, फसलें सूख रही हैं और दूसरी तरफ आपकी मछलियों के ठेकेदार है, पानी उसमें जाता है, मछलियों के ठेकेदारों के लिये पानी छोड़ रहे दूसरी तरफ फसलें सूख रही हैं। इंजीनियर वगैरह ठेकेदारों से मिले हुए हैं, मछली मार रह हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल को पूरा नहीं करने की जिम्मेदारी सरकार की है, मैंने पूर्व में भी यह कहा था कि केन्द्र की कमजोरी रही है, आपको, राजस्थान को पैसा नहीं दिया इसलिए राजस्थान कैनाल अधूरी पड़ी है. आज यहां धरती प्यासी है, फसलें सूखी जा रही हैं, उसका भी कारण यह है कि केन्द्र ने पैसा नहीं दिया। इसलिए केन्द्र सरकार राजस्थान को पैसा देकर युद्ध स्तर पर कैनाल को पूरा करायें, यह बात राजस्थान की मैंने वहां रखी।

अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के हितों का सवाल है। उन हकों को प्राप्त करने में हमारी पार्टी पीछे नहीं रहेगी लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह दो बातें मैंने कही, अकालियों से डरने या अकालियों के विरोध करने की। पंजाब में इनके लोग कहते हैं कि अकालियों का विरोध करेंगे, अकालियों का साथ नहीं देंगे तो कल हम हार जायेंगे। राजस्थान में यह स्थिति है, हरियाणा में यह स्थिति है मेरी तो इन्टरनेशनल पार्टी है, मानवता की पार्टी है.......

(व्यवधान)

और मानवता को ध्यान में रखते हुए, अपने नेशनल इन्ट्रेस्ट को ध्यान में रखते हुये मेरी पार्टी ने कहा कि टेबल पर बैठ कर हर राज्य का अपना जो हित है, अपना अधिकार है वह छीना नहीं जाय, टेबल पर बैठकर लिया जाय। सदन के नेता ने यह प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही यह जो बी. बी. एम. बी. हैड है इसके बारे में भी लिखा जाना चाहिए। अगर लिखा है तो इसको परश्यू करना चाहिये। जब तक बोर्ड इन हैड्स को अपने कन्ट्रोल में नहीं लेगा, तब तक हमारी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, चाहें हम कहीं भी होंगे हमको पानी इस तरह से नहीं मिलेगा, हमारी फसलें सूखती रहेंगी। पानी उस तरह नहीं मिलेगा, वह देंगे नहीं। जिनके हाथ में पानी है, वहीं रहेगा, तो अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा उसका समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जब आन्दोलन का वक्त आयेगा तो आन्दोलन सब से पहले, आप जानते हैं कि मजदूर और किसान ही कर सकते हैं, ताकड़ी तोलने वाला तो नहीं कर सकता। तो मैं इसका पूरजोर शब्दों में जो यह प्रस्ताव रखा उसका समर्थन करता हूं और सदन के माननीय सदस्यों को भी यह कहना चाहता हूं कि यह केवल राजनीतिक तरीके से ही नहीं सोचकर के एक मानवता के तरीके से, नेशनल इन्ट्रेस्ट में सोचें। यही कहता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद?

श्री अध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ चौधरी आप कृपया, माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें काफी समय हो गया है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, रावी-व्यास के पानी के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा उस पर विभिन्न दलों के माननीय नेताओं ने और सदस्यों ने करीब करीब सभी मुद्दे प्रस्तुत कर दिये हैं। इसलिये मैं विशेष ज्यादा समय नहीं लूंगा

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता था कि रावी व्यास जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का विभाजन हुआ था, तो सिन्ध नदी का जो बेसिन था उसको ध्यान में रखते हुए इस पानी का बंटवारा किया गया था और यह महसूस किया गया था कि किसी देश की सभ्यता पानी के सहारे चलती है और पानी एक रीढ़ की हड्डी है इसलिये इस चीज को मद्दे नजर रखते हुये जो पानी का बंटवारा हुआ था उस पानी के बंटवारे में 1955 का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके आधार पर 8 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान को मिला था। जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने भी कहा था कि बाद में हरियाणा और पंजाब का जब विभाजन हुआ, तो उनके लिये विवाद खड़ा हुआ कि उनका आपस में पानी का बंटवारा किस तरह से हो। जब यह विवाद खड़ा हुआ तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय हुआ था उसमें भी पंजाब को कोई अलग से इस मामले को प्रस्तुत किया हो और उन्होंने यह कहा हो कि हमें जो पानी मिला है, राजस्थान को पहले ज्यादा पानी मिल गया था इसलिये अब हमको मिलना चाहिये। वह पक्ष भी कभी उन्होंने पेश नहीं किया। उन्होंने जो पेश किया था उसका एक नोटिफिकेशन है जिसकी मैं 2-4 लाइनें पढ़कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनाना चाहता हूं :-

'At the time of signing the said treaty, the waters of the Sutlaj had already been planned to be utilised for the Bhakra-Nangal Project, the surplus flow of rivers Ravi & Beas, over & above the prepartition use was allocated by the agreement in 1955 between the concerned States as follows namely-

यह सारा बताया था कि पंजाब को 7.20 एम. ए. एफ इन्क्लूडिंग 1.30 एम ए. एफ फोर पेप्स, राजस्थान को 8 मिलियन एकड़ फीट और जम्मू कश्मीर को 0.65 इसके साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विवाद पैदा हुआ था जब पानी का बंटवारा हुआ था तो यह बिल्कुल स्पष्ट था कि जो पानी 1921 से 1945 के बीच में फ्लो हुआ था उस पानी की कैपेसिटी को देखकर 15.8 मिलियन क्यूसेक पानी मानकर बंटवारा हुआ था। इसके बाद पंजाब को दो साल का समय दिया गया था कि 1966 से 1968 तक कोई भी मुद्दा हो, तो भारत सरकार के सामने पेश कर दे कि उनका पानी कितना होना चाहिये……

श्री शिवचरण माथुर : आपस में फैसला करके।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आपस में फैसला करने के लिये। वह हरियाणा और पंजाब का मामला था। दो साल का समय देने के बाद भी जो कुछ उन्होंने पेश किया उसका आपस में बंटवारा भी हो गया है, उसमें राजस्थान कहीं बीच में नहीं आता। मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, पंजाब का अब यह कहना कि हमें पानी का बंटवारा पुनः हो और इस बात की सुनवाई की जानी चाहिए, इसका कोई कारण

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

नजर नहीं आता है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पानी एक रीढ़ की हड्डी है । पानी का बंटवारा उन्होंने कभी मांगा नहीं है। उन्होंने माना है समय-समय पर जो कुछ बंटवारा हो गया है उसमें राजस्थान के पानी के बंटवारे को कभी छेड़ा नहीं तो आज कोई कारण पैदा नहीं होता । पानी राजस्थान में जिन इलाकों में जा रहा है उन इलाकों के साथ में हमारे इलाके जुड़े हुए हैं और हम वर्षों से इस बात को देखते आ रहे हैं कि राजस्थान कैनाल जब पूरी होगी और राजस्थान के उन अछूते इलाके, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के इलाके, जो वीरान पड़े हैं में पानी जायेगा, तो आबादी बढ़ेगी, वहां पर उपजाऊ भूमि को पानी मिलेगा तो हमारी उपज बढ़ेगी, हमारे राजस्थान का विकास होगा और राजस्थान की वित्तीय स्थिति सुधरेगी । लेकिन इस तरह की बात अगर पैदा की है सिर्फ उन लोगों ने, राजनीतिक कारणों से, तो यह बिल्कुल समझने वाली बात नहीं है । जैसे कि विपक्ष के नेता महोदय ने भी यह बात कही थी कि जब उनका राज था 1977 में, तब उन्होंने यह बात पैदा नहीं की, उसके पूर्व भी पैदा नहीं की । अब अचानक जब वह हार गए, उनके पास कहने को कुछ है नहीं इसलिए अपनी राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक लाभ अपनी पार्टी को देने के लिए इस तरह का मुद्दा उन्होंने पैदा किया है । इसलिए मैं थोड़े ही शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर रीढ़ की हड्डी में से जरा सा हिस्सा भी निकाल दिया जाय तो आदमी किसी काम करने के लायक नहीं रहता है। इसलिए वह पानी थोड़ा हो या अधिक हो हम एक बून्द भी पानी देने को कभी तैयार नहीं हैं । आपने यह देखा होगा कि अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी ने यह कहा था कि व्यास और रावी के पानी के बंटवारे का काम बी. बी. एम. बी. को दे दिया गया है । यह बात तो सही है कि बी. बी. एम. बी. को दे दिया गया है और बी. बी. एम. बी. उस पानी का वितरण करती है लेकिन उसको भी पंजाब मानने को तैयार नहीं है उन्होंने कई बार वाल रिजोल्यूशन दिए हैं। मेरे पास इसकी एक सूचना है :—

Distribution of Ravi Board supplies as per formulations provided by the Board—

उसमें भी Punjab has refused to honour the distribution and formulatoin done by the Bhakhra and Beas Management Board.

तो यह हालत है और इस हालत के कारण से पिछले वर्ष 1980-81 के अन्दर जो हमको पानी दिया गया उस पानी में 1-12-1979 से लेकर 20-5-1980 तक 2.815 एम. ए. एफ. हमको मिला था और उसमें भी 3.01 पानी पंजाब वाले बीच में खा गये क्योंकि हैड उनके पास में है, पानी खोला नहीं और राजस्थान को नहीं दिया । इसी प्रकार से 21-5-1980 से लेकर 30-9-1980 तक बी. बी. एम. बी. से 2.153 एम. ए. एफ. हमको पानी मिला उसमें पंजाब वालों ने 0.320 बीच में रोक लिया और हमको फार्मूलेट करके आगे दिया नहीं । तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बी. बी. एम. बी. के पास है और बी. बी.

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

एम. बी. पानी हमको देने के लिये पंजाब को मजबूर इसलिए नहीं कर सकता कि हैड उनके पास है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस प्रश्न को पुनः खोलने का तो प्रश्न ही नहीं होता है चाहे राजस्थान के सभी एम. एल. एज. को जेल जाना पड़े और एम. एल. एज. को दिल्ली जाकर धरना देना पड़े, चाहे सारे एम. एल. एज. को इस्तीफा देकर वहां बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े किसी भी कीमत पर, मैं हर एम. एल. एज. से निवेदन करता हूं ऐसा लगता है कि इस बात के लिए सदन तैयार है लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जो हैड उनके पास है, जिस वाटर को फॉर्मुलेट वह करते हैं, बी. बी. एम. बी. को सुपुर्द करने के बाद भी उसको मानते नहीं है। यह बात भारत सरकार के पास विचाराधीन है। इस बात को परश्यू करके मनाया जाय कि जितना उपलब्ध वाटर वहां है उस रेशो प्रपोर्शन से पानी हमको मिले, वह सारा पानी राजस्थान में आना चाहिए, इस धरती को मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल :।

(व्यवधान)

एक-एक माननीय सदस्य को ही समय दे सकता हूं। सभी सदस्यों को साथ समय दे नहीं सकता। सभी माननीय सदस्यों को अवसर दे दूंगा। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक भी विषय पर पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन बड़ा गम्भीर मसला है·····

(व्यवधान)

एक घंटा नहीं। रिपीटेशन तो नहीं करूंगा।

मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि यह जो मसला है, इस पर सदन में चर्चा चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज का दिन राजस्थान के इतिहास में एक मोड़ देने वाला दिन होगा। आज जो फैसला हम यहां लेंगे, आज जो प्रस्ताव या संकल्प यहां पास किया जा रहा है उसकी क्रियान्विति के लिये हमारी क्या दिशाए होंगी और अगर उसको हम क्रियान्वित करा सकेंगे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस सदन की बैठक की अध्यक्षता आप कर रहे हैं वह राजस्थान के इतिहास में एक माइल स्टोन सिद्ध होगी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सारे मसले पर जब चर्चा कर रहे हैं कुछ पिछली कमियां हमको नजर आती हैं, कुछ पिछली गलतियां हमको नजर आती है, हमारी राजनीतिक उदासीनता, हमारी राजनीतिक निष्क्रियता और हमारी सतर्क रह कर अपने पानी के अधिकार को प्राप्त नहीं करने की हमारी भूलें रही हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी व्यवस्था है। मैं पूछना चाहता हूं, एक तर्क दिया गया था यहां पर, और तर्क दे रहे थे माननीय सिंचाई मन्त्री जी, यह इसलिए मैं रेफर करना चाहता हूं कि क्या इस तरह के तर्कों के आधार पर आपकी लड़ने की तैयारी है? यह फैसला, पंजाब के जिस फैसले की आप यहां चर्चा कर रहे थे और उसमें आपने कहां था अगर फैसला हमारे खिलाफ होता तो आज अकाली उसको स्क्रैप करने की मांग क्यों कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, सिंचाई मन्त्री जी तो बिराज

(श्री कैलाश मेघवाल)

नहीं रहे, माननीय मुख्य मन्त्री बिराज रहे हैं कि यह समझौते में पार्टी पंजाब था या अकाली दल ? हालत क्या है ? अकाली दल कह क्या रहा है ? अकाली दल इसलिए इसको स्क्रेप करने के लिए कह रहा है, इस समझौते की पार्टी हरियाणा भी है जो अकालियों की दृष्टि से ज्यादा पानी ले रहा है जिसको वह बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अकालियों का यह बिन्दू भी है कि राजस्थान को जो पानी मिल रहा रहा है राइटेरियन लांज के आधार पर उस पानी का हमको पैसा मिलना चाहिये, उस पानी को हम उनको नहीं लेने देंगे और इसलिए आज ...

(4.53 म. प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

अकाली दल ने यह मांग की है। मुझे अफसोस है, माननीय सिचाई मन्त्र जी कह रहे थे, स्क्रेप करने की मांग अकाली क्यों कर रहे हैं। अकाली आपके इस समझौते की कभी पार्टी नहीं थे। इस समझौते की पार्टियां हैं तीन, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि 3 दिसम्बर, 81 को की गई एक गलती को बार-बार यहां दोहराया जाता है। एक गलती हुई उसको स्वीकार कर लेना चाहिये, किसी भी परिस्थिति में हुई हो, क्योंकि उसको किसी भी आधार पर सही नहीं कहा जा सकता सभापति महोदय, मैं इस बिन्दू को इसलिए कह रहा हूं कि आपका यह सारा समझौता, 31 दिसम्बर, 1981 को जिस डाक्युमेंट पर राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने दस्तख्त किये हैं, सभापति महोदय, सबने पढ़ा होगा, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी तो पढ़ा होगा उसमें सारा:—

Whereas the dispute is between Haryana and Punjab whereas the dispute is of water distribution, whereas the distribution of this and that. whereas the dispute of this and that...

सारा कहीं पर भी तो पंजाब और हरियाणा के अलावा व्हेयर एज आज यहां नाम नहीं है दस बिन्दुओं का इसमें वर्णन करने के बाद राजस्थान आता है। क्या जरूरत है राजस्थान को इसमें आने की, मैं पूछना चाहता हूं ? अब वह गलती स्वीकार करने की स्थित में हैं या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हुं, माननीय सभापति महोदय, इसमें राजस्थान यह सब व्हेयर एज आ गये उसके बाद, उस स्थान पर आता है जहां पर कि राजस्थान को, यह वेअर एज के जो आठ-दस पैरेग्राफ है कहीं पर भी पंजाब और हरियाणा का नाम नहीं है, माननीय सभापति महोदय,

Whereas discussion have been held by the Prime Minister of India and Union Minister of Law, Justice and Company Affairs with the Chief Ministers of Haryana, Punjab and Rajasthan.

यह डिस्कशन में आप आये थे। क्या कारण था ? और इस डिस्कशन के बाद निर्णय क्या लिया गया कि राजस्थान का जो पानी है सरप्लस वाटर, वह सरप्लस वाटर राजस्थान का है, जब तक राजस्थान अपने यहां उसका उपयोग करने की स्थिति में नहीं आ जाता, तब तक पंजाब उसका उपभोग

(श्री कैलाश मेघवाल)
करेगा, यह निर्णय है, माननीय सभापति महोदय। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह वह मिसचीव थी, जिस मिसचीव के आधार पर आज हमको ये सारी चर्चायें करनी पड़ रही हैं, आज ये सारे प्रस्ताव पास करने पड़ रहे हैं, आज सारे राजनीतिक दलों को हर मंच पर इस बात के लिए आन्दोलित होना पड़ रहा है कि हमारे हकों पर कुठाराघात हुआ है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, पंजाब और हरियाणा आज जिस स्थिति में हैं और अकाली, उन्होंने 81 को आधार बनाकर एक रास्ता खोल दिया। एक सेक्रेड ट्रीटी, एक पवित्र हमारा समझौता जो 1955 में था उस समझौते को किसी आधार पर नहीं छुआ जा सकता था लेकिन यह 31 दिसम्बर, 1981 का जो फैसला हुआ है उसके आधार पर उसको छुआ गया है। तो मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं

(व्यवधान)

आखिर क्या निवेदन है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नेशनल इन्टेग्रेशन।

श्री कैलाश मेघवाल : नेशनल इन्टेग्रेशन की बात आप करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं नेशनल इन्टेग्रेशन का स्वागत करता लेकिन पंजाब का रुख हमारे प्रति क्या रहा है ? माननीय मुख्य मन्त्री जी विराजे हैं, माननीय सिंचाई मन्त्री जी भी सुन रहे होंगे, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि हर स्तर पर, हर दिशा में और हर मौके पर राजस्थान के पानी को कम करने की जिसने कोशिश की हो। मैं पूछना चाहता हूं, यह जो आपकी गंगनहर बनी है, माननीय सभापति महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय बन्धु इस बात को जानते होंगे, और आज मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, सतर्क करना चाहता हूं हुकूमत किसकी रहती है और किसकी नहीं रहती लेकिन अगर गंगानगर आज अपने अधिकारों के प्रति सतर्क नहीं हुआ, माननीय सभापति महोदय, पांच-दस सालों के अन्दर वहां सूखा पड़ने की स्थिति आ जायगी। क्यों आयेगी ? वे स्वयं जानते हैं ? उनकी आत्मा जानती है, राजस्थान के मुख्य मन्त्री इस बात को जानते हैं, राजस्थान के सिंचाई मन्त्री इस बात को जानते हैं कि गंगनहर जो आई है उसका पहला हिस्सा जो हरियाणा और पंजाब में है, उस हरियाणा और पंजाब का जो हिस्सा है उसको बीकानेर नहर कहते हैं, उस बीकानेर नहर की क्या हालत है। मैं इसलिए, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं वह बीकानेर नहर, जो राजस्थान में आने के बाद गंगनहर कहलाती है, गंगनहर राजस्थान में घुसने तक बीकानेर नहर के नाम से जानी जाती है जो हरियाणा और पंजाब में बनी हुई है। राजस्थान.....

(व्यवधान)

आप समय बढ़ाइये।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ा दिया जाय और साढ़े पांच बजे मुख्यमन्त्री जी की रिप्लाई प्रारम्भ करेंगे।

श्री सभापति : क्या इस पर सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृति)

सदन का समय एक घण्टे तक के लिये बढ़ाया गया।

शासकीय संकल्प अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

श्री कैलाश मेघवाल : पूरी चर्चा होगी, माननीय खेतसिंह जी, इतना जल्दी नहीं निकल सकते। यह बड़ा उलझाया है आपने। एक तो उलझाया और दूसरा जल्दी भागना चाहते हो। कुछ तो हमको बताओ, क्या करोगे, क्या आपकी घोषणा है, क्या आपकी विल है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, मैंने आपके सामने एक समस्या रखी। अगर साहस हो राजस्थान की सरकार में, तो वह तथ्य इस सदन के सामने रखे कि जब पंजाब और हरियाणा से बीकानेर नहर को ठीक करने की बात की गई, वह ठीक नहीं करने देते, उसके मेन्टीनेन्स पंजाब और हरियाणा में कोई खर्चा नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, जब यह कहा गया कि यह ठीक नहीं हो सकती, हम इसके पेरेलल एक नहर और बना लें। अगर वे नहर नहीं बना सके तो यह जो गंगनहर में पानी आ रहा है यह पानी नहीं आ सकेगा। हरियाणा और पंजाब उसके लिये सहमति नहीं दे रहे हैं। यह हरियाणा और पंजाब का, माननीय भाटी साहब जो हैं हमारे जेल राज्य मन्त्री, वे जो यह कह रहे थे नेशनल इन्टेग्रेशन, हरियाणा और पंजाब से पूछिये। अपने स्वार्थों पर कहीं चोट नहीं, ज्यादा से ज्यादा अधिकार वे लेना चाहते हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह आपकी गंगनहर में तो पानी सतलज का आ रहा है। सतलज का जो कुछ हिस्सा आपको मिला हुआ है 2700 क्यूसेक्स वाटर के लिए आपका हिस्सा है और आज उससे आप केवल 2200 क्यूसेक्स ले पा रहे हैं। यही हालत रह गई तो धीरे-धीरे आपको वह पानी नहीं मिलेगा। सतलज का प्रिपार्टीशन, जो रावी-व्यास से कोई सम्बन्ध नहीं रखता जो दूसरे समझौते के आधार पर राजस्थान में पानी आ रहा है उस पानी पर भी चोट करने की आज हरियाणा और पंजाब कोशिश कर रहे हैं, उसको भी समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीकानेर कैनाल इसी हालत में रहती है, ठीक नहीं होती है, उसके साथ एक पेरेलल कैनाल नहीं बनती है, तो माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह गंग नहर आपकी खाली हो जायगी, गंगनहर से जो राजस्थान का हिस्सा लाभान्वित हो रहा है वह राजस्थान का किसान दुखी हो जायगा। यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आपके सामने, आज एक स्थिति और बनी है, और बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, सभापति महोदय, अगर इस तरह की मांगे उठी इस देश में, और इस तरह की मांगों के प्रति सबमिशन किया गया इस तरह की मांगों को खोलने की इजाजत दी गई, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आज जिस ढंग से राजस्थान 30 सितम्बर, 81 को उलझा है इस सारे मसले में 1955 में हमारा फैसला हुआ था। सबको यह मालूम था 1954 से पहले मालुम था कि तीन नदियां मिलने वाली हैं। 1955 के उस समझौते के आधार पर हमने एक राजस्थान की कल्पना की थी। हमारी राजस्थान नहर की कल्पना उस 1955 के समझौते के आधार पर हुई थी और उस राजस्थान नहर में 1.6 मिलियम एकड़ फीट हमने पानी लाने की योजना बनाई थी। सभापति महोदय, 173 मील या 178 माइल तक जो राजस्थान फीडर बनाया, किसने बनाया? जो पंजाब में

Page No 129

(129)

(श्री कैलाश मेघवाल)

होकर आई है राजस्थान की सीमा में घुसती है, जो कि राजस्थान नहर को पानी देती है, वह राजस्थान फीडर पंजाब मे बनाई थी, राजस्थान के खर्चे पर बनाई थी । आज वही पंजाब कहता है कि 1.6 मिलियन एकड़ से राजस्थान का पानी कम करो । मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमने कुछ योजनायें बनाई, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिये हो जाता है कि आज तो भारत सरकार नेशनल ग्रिड की बात कर रही है, सारी पावर को लेकर उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, आज एक फैसला देती है । भारत सरकार आज इस बात की बात कर रही थी कि नेशनल वाटर रिसोर्सेज का एक कामन पूल तैयार किया जाये और उस पूल के आधार किस प्रकार पानी दिया जाये इसका वह फैसला देगी । इस फैसले के बाद अगर उस फैसले के आधार पर योजनाएं बनाकर उसकी क्रियान्विति कर दें, उसके आधार पर सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दें और उसके बाद अगर उस फैसले को बदला जाता है, अगर उसका आधार नष्ट हो जाता है, तो उस राज्य की हालत क्या होगी, जिसने अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में, इतनी पूंजी लगाई है, अपने विकास की कल्पना की है, सारी योजनाओं का उसको आधार बनाया है । माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं वही पंजाब, जिसने 1.6 मिलियन एकड़ फीट के हिसाब से राजस्थान फीडर का 178 मील तक निर्माण किया, राजस्थान कैनाल तक जोड़ने के लिए आज मना करना चाहता है हमको । मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, यहां कई बार राजनीति की बात की गई....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, और भी बोलना चाहते हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे मालूम है ।

श्री सभापति : आप जो अभी कह रहे हैं वह तो रिपीट हो गया है ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह रिपीट नहीं हुआ है । दूसरे संदर्भ में मैं कह रहा हूं । इस संदर्भ में कि आखिर आज हमारी स्थिति क्या है ?

श्री सभापति : कृपया, जल्दी समाप्त करें ।

श्री कैलाश मेघवाल : बड़ी बातें हुई । अभी हमारे गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं, राजनीति । उधर के माननीय सदस्य कहते हैं कि विरोधी पक्ष इसमें राजनीति लाना चाहता है । सारा मसला राजनीति का है । हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा राजनीतिक निर्णय था । उसके बाद इन्डस ट्रीटी राजनीतिक निर्णय थी । उसके बाद जो आधार है इस सारे झगड़े मसले के, वह दूसरे निर्णय हुए राजनीतिक थे । 1976 में जो डिटरमिनेशन आर्डर दिया, चाहे केन्द्रीय सरकार ने, 76 का वह आर्डर भी तो एक राजनीतिक आधार पर था । पंजाब का कहना क्या, है कि हरियाणा को जितना पानी नहीं मिलना चाहिए था उतना पानी दिया गया, चूंकि केन्द्र में उस समय उसके नेता थे बंसीलाल, वह एक शक्तिशाली नेता थे । आज मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज माथुर साहब ... हुए हैं या नहीं, सदन क्या प्रस्ताव रखता है । आज राजस्थान के

(श्री कैलाश मेघवाल) ...

इस हाउस की पोलिटिकल विल अगर पावरफुल नहीं हुई, तो हमको मटियामेट कर दिया जायेगा, जिस तरह से उलझाया गया है और जिस तरह की बातें आज की जा रही हैं, मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, बिना बलिदान के उपलब्धि नहीं आती। उपलब्धियां लेनी हैं उनमें आज रुकावट है। राजस्थान के सदन के नेता जो प्रस्ताव यहां से पास करवाकर ले जा रहे हैं, जिस जोश और बुलन्दी के साथ कि सदन की प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति उनके साथ है, यह टकराहट, यह राजस्थान की पोलिटिकल विल केन्द्र में श्रीमति इन्दिरा-गांधी की पोलिटिकल विल से टकरायेगी। इस टकराहट में कौन जीतेगा, उसके आधार पर राजस्थान का भविष्य तय होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो राजनीतिक मसले हों, उसमें पोलिटिकल विल अधिक से अधिक पैदा करें, राजस्थान में उस पोलिटिकल विल के आधार पर उस मसले पर हम लड़ें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मसला आसान नहीं है। अगर इसमें कोई परिवर्तन आता है, अगर यह फैसला किसी भी तरह से आगे बढ़ती है रिवर ट्रीटी 1955 में जो समझौता हुआ उसका उल्लंघन होगा, 1956 में जो स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो एक्ट, रिआर्गेनाइजेशन बना उसका उल्लंघन होगा, 1960 में जो इंडस ट्रीटी हुई उसका उल्लंघन होगा। और 1966 में जो पंजाब हरियाणा रिआर्गेनाइजेशन एक्ट बना है उसका उल्लंघन होगा। एक के बाद एक का उल्लंघन ही उल्लंघन होता जायेगा और उसके बाद आप राष्ट्रीय हितों की बात कर रहे थे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : 81 वाला आप भूल गये ?

श्री कैलाश मेघवाल : 81 में तो आप उलझा दिए गए थे। राजस्थान का 1981 का वह मिसचीफ है जिसके आधार पर आज सारी बातें की जा रही हैं। अगर 81 का वह फैसला नहीं किया जाता।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जिसको माननीय सदस्य मिसचीफ फर्मा रहे हैं, क्या आप चाहते थे कि वह पानी जो एक्सेस है, पाकिस्तान में चला जाता ?

श्री यदुनाथसिंह : वह हमें मिला।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपको तो पता ही नहीं है। आपका तो राजस्थान में इंट्रेस्ट ही नहीं है। आपकी पॉलिसीज तो, हमें पता है, यू. पी. से होती हैं।

श्री यदुनाथसिंह : आपका तो दिल्ली में इंट्रेस्ट है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री हैं आप तो, आप बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हैं ? आप मौका लेकर आप बोल लीजिए, फिर गाइड कर दीजिए। मिस-गाइड क्यों करते हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय सदस्या, पहले मैं सदस्य बना, उसके बाद मंत्री बना। आपको तो यह भी याद नहीं कि कैनाल कहां से शुरू होती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे क्या

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

पता है, क्या नहीं पता, उसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते । आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जयपुर की नालियों को साफ करवाइए, आप फीडर की बात न करें ।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : तुम तो असमर्थ हो, वह भी नहीं करोगे । उनने भी मुंह ही दोगे तुम ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं जेल राज्य मंत्री से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो तथ्य है, जो आंकड़ों में लिखे हैं . . .

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं इतना इम्प्रैस हुआ कि आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, आप भूल गये 81 को ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन कर रहा हूं या तो कागजों की सच्चाई मान लें या इसी मन्त्रिमण्डल के एक माननीय उप-मंत्री बोल रहे थे, गंगा नगर के विधान सभा क्षेत्रों से आने वाले विधायक जब बोल रहे थे, उन्होंने बार-बार एक ही बात कही है कि हमको जितना पानी चाहिए, जो तय होता है वह भी नहीं मिलता है, आज तक पूरा पानी कभी हमको नहीं मिला । अगर यह बात सही है तो सरप्लस वाटर है कहां ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरी पार्टी और मेरी पार्टी की नेता ने कभी भी राजस्थान के इंट्रेस्ट का कम्प्रोमाइज न तो किया है, न करेंगी ।

श्री यदुनाथसिंह : आपका नेता कौन है, राजीव गांधी या इन्दिरा गांधी ?

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : यह क्या तमाशा है, हम रावी-व्यास पर बोल रहे हैं, या मेरी पार्टी का सवाल है ? यह तमाशा बन्द करिये ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया, शान्त रहें । माननीय सदस्य, आप चालू रखिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं, सभापति महोदय, माननीय जेल राज्य मंत्री जी की जो भावना है उसकी कद्र करता हूं लेकिन जेल राज्य मंत्री जी, जो आप भाषण सुन रहे हैं, आपने अभी कहा कि क्या पानी पाकिस्तान में जाने देते । माननीय जगतारसिंह जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या सरप्लस वाटर था पाकिस्तान में जाने के लिए ? माननीय आत्माराम जी बोले हैं, माननीय सुनील जी बोले हैं, एक-एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमको जितने पानी की आवश्यकता थी वह भी भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के हाथ में हैड वर्क्स का कंट्रोल नहीं होने की वजह से पूरा नहीं मिला । सरप्लस था कहां ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इतने वैल वर्स्ड आदमी हैं, सदस्य हैं आज, आप होम वर्क पूरा नहीं करके आये हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : आज तो होम वर्क पूरा करके आया हूं । आपके तर्क का जवाब है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : 81 एग्रीमेंट तो आपने पढ़ा नहीं ?

श्री कैलाश मेघवाल : 81 का ? पूरा पढ़ा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : 81 के एग्रीमेन्ट में सरप्लस वाटर का जो क्लाज है वह आप पढ़ दीजिए।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : until such time as Rajasthan is in a position to utilise its full share Punjab should be free to utilise the water surplus to Rajasthan's requirements राजस्थान की आवश्यकताओं का सरप्लस था क्या 81 में ? और अगर नहीं था..

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय कैलाश जी, इसमें गलत क्या है, आप बता दें।

श्री कैलाश मेघवाल : इसमें गलत यह है कि न तो सरप्लस वाटर था, न उसमें सरप्लस वाटर तब बह रहा था। यह सारी स्थिति मानते हुए केवल पंजाबियों के तुष्टिकरण की नीति थी, अकाली दल की जो मांगें उठ रही थीं वह किसी तरह शान्त हो जाये और राजनीति के आधार पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राजस्थान के मुख्य मंत्री को जिस तरह दबाया उसके आधार पर यह हस्ताक्षर हुए हैं। कोई भी साधारण आदमी, एक भी आदमी, कह दे कि 1981 में सरप्लस वाटर था। गंगा नगर के आपके दल के सदस्य बैठे हैं वह कह दें। 1981 में सरप्लस वाटर था ही नहीं। राजस्थान की रिक्वायरमेंट्स पूरी ही नहीं हो रही थीं। बार-बार यह बात उसी पक्ष से कही गई है एक माननीय मंत्री कह रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जो फण्डामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, मैं वह समझाना चाहता हूं। क्यों क्रिटिसाइज करें 81 का एग्रीमेंट ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बैठिये।

श्री सभापति : मंत्रीजी को इन्टरवीन करने का राइट है। अगर डिबेट में कुछ कहना चाहें तो उनका अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : कोई दखल नहीं बर्दाश्त होगा।

श्री यदुनाथसिंह : आप इनको बोल लेने दें।

श्री त्रिलोकसिंह : सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : जो भी यह कहना चाहें, यह कह सकते हैं लेकिन मौका आने के बाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह जिस तरह से टुकड़ों में अपनी बात कहना चाह रहे हैं, शायद इनका मन्त्रिमण्डल इन्हें स्वतन्त्र रूप से बोलने के लिए मना कर रहा है। इस तरह से इन्टरवीन करकर बात कहना चाहते हैं। अनुमति ले लीजिए। बोल लीजिएगा आप भी। बीच में क्यों बोलते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, इस विषय पर इस सदन में जितनी बार इतनी विस्तार से चर्चा हुई है अगर यहां इसको ध्यान से सुना गया हो तो भी सारे तथ्य बिल्कुल

(श्री कैलाश मेघवाल)

सामने रहते हैं। इसलिए जो कुछ मैं समझा उसी के आधार पर मैं यह निवेदन कर रहा हूं और उसी के आधार पर अगर कोई भी क्वैरी, कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न हो उसका भी मैं उत्तर देने को तैयार हूं। लेकिन मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह यह है, जैसा कि विपक्षी के नेता महोदय ने कहा कि आज हम अकालियों से हारेंगे कि नहीं। इसमें बिल्कुल शंका नहीं, अकाली पानी नहीं ले सकते। आज अगर हम हारेंगे तो उस इच्छा शक्ति के कारण उस राजनैतिक इच्छा शक्ति के कारण, हारेंगे जो राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे मुख्य मंत्री और हमारे मुख्य मंत्री जी के सहयोगियों में नहीं है। इसलिये बार-बार यह कहा गया। डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य यद्यपि बाद में कांग्रेस (आई) में सम्मिलित हुए लेकिन मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी को इस भावना पर बलिदान देना पड़ेगा राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी को राजस्थान की पोलिटीकल विल का प्रतिनिधित्व कर दिल्ली में खड़ा होना पड़ेगा। अगर उसके आधार पर वह खड़े हो गये तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक बूंद पानी नहीं लिया जा सकता। आखिर इसमें है क्या? सभापति महोदय पार्टी को कौनसा मसला था? चार चार एक्ट आपके पास पड़े थे जो स्टेट रीआर्गेनाइजेशन एक्ट सन् 56 का बना उसके आधार पर आपके इस 1955 के समझौते को लीगल प्रोटेक्शन था। उसके बाद सन् 66 का एक्ट बना उसमें मसला केवल हरियाणा और पंजाब का था। और झगड़ा क्या? जब सन् 76 में फैसला दिया, फैसला देने के बाद पंजाब चला गया सुप्रीम कोर्ट में, हमको कम हिस्सा मिला है और हरियाणा चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा यह जो हिस्सा है इसको क्रियान्वित करो। 1976 के फैसले का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। पेशियां बदलती रहीं और बदलते रहने के साथ जब राजनैतिक आधार पर वाइड पोलिटिकल विल में खड़ी हुई, वहां की भी राजनीति है पंजाब की सरकार भी इस सब के समर्थन में है। पंजाब की कांग्रेस (आई) की राजनीति को आरक्षित करने के लिये अकालियों ने कुछ अधिक मांगें रखी हैं। उसके आधार पर आज अकाली लड़ रहे हैं, अकाली आज आन्दोलन की धमकी दे रहे हैं, अकाली आज खून-खच्चर करने की धमकी दे रहे हैं। अकालियों ने सारे पंजाब को सर पर उठा रखा है और हमारी पोलिटिकल विल केवल इसलिए कि हम कमजोर हैं, हम फंस गये उनकी मिसचीफ में। एक लाइन काफी थी इस तरह की कि हमारा कोई संबंध नहीं, हरियाणा और पंजाब का बस मसला है। हमारा सरप्लस वाटर क्या है और क्या नहीं, हम इस समझौते में नहीं जाना चाहते। यह अगर कह दिया जाता राजस्थान की ओर से तो आज हमको यह वाद-विवाद करने की नौबत नहीं आती।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करे।

श्री कैलाश मेघवाल : इसलिये कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह राजस्थान नहर बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। माननीय जेल राज्य मंत्री जी तो जानते होंगे क्योंकि बोर्डर क्षेत्र से आते हैं।

(श्री कैलाश मेघवाल)

पाकिस्तान की इच्छुगिल जो नहर है उसकी डिफेन्स के हिसाब से उसी तरह से हमारे यहां उपयोगिता आपको मालूम होगी। पाकिस्तान में इच्छुगिल नहर के डिफेन्स के हिसाब से जितनी उपयोगिता है राजस्थान नहर हिन्दुस्तान की डिफेन्स में उतनी ही उपयोगिता रखती है। आज उस राजस्थान नहर को किसी भी तरह से प्रभावित करने वाले किसी भी निर्णय से हमारे देश की सुरक्षा खतरे में होगी, यह आप मानने को तैयार हैं, कि नहीं ? और अगर यह मानते हैं तो सभापति महोदय, आपकी भृकुटि में नहीं चाहता, ज्यादा समय लूं। । मेरे दूसरे सहयोगी मित्रों को बोलना है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हमारी जो पोलिटिकल विल है। राजस्थान के हितों को कुचलने के लिए और हमारे राजस्थान के हितों पर चोट डालने के लिए या राजस्थान को किसी भी तरह का घाटा पहुंचाने वाली कोई भी शक्ति हो, उससे टक्कर लें। इस निर्णय के साथ अगर हमने आज यह प्रस्ताव पास किया तो राजस्थान के भविष्य की प्रगति का नक्शा साफ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कुर्सी पर विराजमान थे और अब आप हैं। आपके सदन में जो फैसला लिया जायेगा और उसके अनुसार राजस्थान क्रियान्विति करेगा, अपनी राजनैतिक इच्छा शक्ति के आधार पर आन्दोलन करेगा, उसके आधार पर राजस्थान की प्रगति, खुशहाली, राजस्थान की समृद्धि, वैभव, गौरव और राजस्थान की फ्यूचर जनरेशन का भविष्य निर्भर करेगा। यह बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री चन्द्रवीरसिंह।

श्री त्रिलोक सिंह : सभापति महोदय, विरोधी पक्ष से मुझे बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : जैसलमेर के हैं, इनका एरिया इफेक्ट होगा ज्यादा। आपको भी चांस दिया जाएगा।

श्री त्रिलोक सिंह : सभापति महोदय, कब देंगे मुझे ? देने का कोई सवाल नहीं, बिना कायदे के। कायदा तो यह होगा चाहिये जब मुख्य मंत्री ने अपनी बात रखी, प्रस्ताव रखा....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको मौका मिलेगा। चन्द्रवीरसिंह जी का नाम ले लिया है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मुझे अपनी बात कहने दें। मैं तो दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको भी मौका मिलेगा।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : सभापति महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है कि रावी-व्यास के जल के बंटवारे की समस्या राजस्थान के सामने उत्पन्न हुई है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिमी राजस्थान होता है। खास तौर से जैसलमेर। पश्चिमी राजस्थान में भीषण अकाल की स्थिति हर साल बनती रहती है। सदन इससे भली भांति परिचित है। आज जैसलमेर की स्थिति यह है कि

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

तीस-तीस किलोमीटर दूर से लोग एक एक घड़ा पानी लेकर आते हैं। राज्य सरकार का हर साल अकाल के तहत हजारों रुपये पेयजल के तहत खर्चा होता है। सभापति महोदय, आज की तारीख में 300 गांवों को टेन्कर्स से जल उपलब्ध कराया जाता है। इस सारी समस्या का हल पश्चिमी राजस्थान के लिये और जैसलमेर के लिये केवल एक चीज है वह है राजस्थान नहर।

सभापति महोदय, इस जिले की पशु-धन संख्या 16 लाख है। पूर्व में अकाल पड़ते रहते. थे जिससे माननीय मंत्री जी भी परिचित है लेकिन इन्डसबेसिन खुला था। हमको माइग्रेशन जो करना पड़ता था तो वह केवल 80 किलोमीटर या 100 किलो मीटर ही करना पड़ता था। लेकिन आज की तारीख में अगर हमारे मवेशी का माइग्रेशन करना है तो एक हजार मील जाना पड़ता है, सभापति महोदय, इस पशुधन के लिए और पश्चिमी राजस्थान के पेयजल की समस्या के निवारण हेतु केवल एक मार्ग है और वह है एक राजस्थान नहर जिसको, और शीघ्र पूर्ण करा के इसमें अपने जल का पूरा हिस्सा लेना चाहिये। 27 वर्षों से जैसलमेर की जनता एक टक राजस्थान नहर की तरफ देख रही है। वह इसलिये नहीं देख रही है कि मेरे यहां कब फसल खड़ी होगी, कब होगी, कब गेहूं होगा वह केवल इसलिये देख रही है कि मेरे को कम से कम पीने का तो पानी सही रुप में उपलब्ध होगा और मेरे मवेशी का पालन-पोषण मैं अच्छी तरह से कर सकूंगा। सभापति महोदय, अगर हमको यथोचित मात्रा में, पानी प्राप्त हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जो क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान का, वह सारे उत्तरी भारत की आवश्यकता जितना अनाज पैदा कर सकता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में बातचीत नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: सभापति महोदय, इसके साथ साथ एक बात और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भूतपूर्व जैसलमेर रियासत के किसानों को खातेदारी राइट्स अब तक नहीं दिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से, मुख्य मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि इस खातेदारी राईट्स का फैसला तुरन्त करा जाए और वहां के पीढ़ी दर पीढ़ी जो काश्तकार है उनको खातेदारी राइट्स देकर, जो विकट समस्या उनके सामने है। उसका निवारण कराया जाय।

सभापति महोदय, डिफेंस के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। मैं ज्यादा डीटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना जरुर याद दिलाना चाहता हूं कि जब सन् 1965 में पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया तो जैसलमेर की आठ हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन पाकिस्तान ने हड़प ली थी। उसका यही कारण था कि सारी बन्जर भूमि पड़ी है। आज नहर की महत्ता है, जैसा कि माननीय कैलाशजी ने बताया कि इच्छुमिल नहर की महत्ता है उससे ज्यादा राजस्थान केनाल की हिन्दुस्तान के लिये महत्ता है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो गायों की चोरी का प्रकरण है। बी. एस.

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

एफ लगी हुई हैं, पुलिस लगी हुई है, हजारों की मात्रा में गायें पाकिस्तान में चोरी होकर जा रही हैं। वह क्यों जा रही है, सभापति महोदय, इसका कारण यही है कि हम अपने इस बोर्डर को प्रोपरली डिफेन्स नहीं कर सकते क्योंकि यह 650 मील लम्बा बोर्डर है। सभापति महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को भी कि अगर पंजाब में अकाली दल कोई आंदोलन करके 60 हजार लोगों से जेल भर सकते है तो पश्चिमी राजस्थान के 6-लाख आदमी जेल भर देंगे।

एक माननीय सदस्य : जैसलमेर की पापुलेशन कितनी है ?

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : जैसलमेरकी पोपूलेशन दो लाख 39 हजार है। मैं पश्चिमी राजस्थान का जिक्र कर रहा हूं माननीय सदस्य, हम शांतिप्रिय हैं, हम झगड़ा नहीं करना चाहते है, हम चाहते हैं कि जो भी समझौता हो एक्रोस दी टेबल बैठकर सोहार्द्रपूर्ण भाव में हो। लेकिन अगर हमको कोई दल और अकाली दल कृपाण दिखाकर डराना चाहेगा तो पश्चिमी राजस्थान का बच्चा-बच्चा तलवार लेकर तैयार रहेगा। इस आंदोलन के लिए सभापति महोदय, आज अकाली दल के लोग अपने सदस्यों को लोकसभा, राज्य सभा और विधान सभा से इस्तीफा दिलाकर, हमको या भारत सरकार को इस दबाव में डालना चाहता है तो इन इस्तीफों मे हम ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे।

माननीय सभापित महोदय, यह पहले भी जिक्र हो चुका है। इस्तीफे ही अगर देने का सवाल है, किसी भी आन्दोलन का अगर सवाल है तो पश्चिमी राजस्थान का एक-एक बच्चा, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को विश्वास और आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान का एक-एक बच्चा आपके साथ रहेगा। जहां तक इस्तीफे का सवाल है, मेरा स्वयं का इस्तीफा मेरे नेता महोदय को देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री त्रिलोकसिंह।

(5.22 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

श्री त्रिलोक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव रावी-व्यास के बारे में है इसके ऊपर आने से पेश्तर राजस्थान की हालत पर मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। यह ठीक है कि राजस्थान के हिस्से का पानी चाहे वह रावी का हो, चाहे व्यास का हो, वह चाहे पंजाब हो, यू. पी. हो या हरियाणा हो, हमारा पानी जिससे हमारा इलाका खुशहाल बनता हो, खेत लहलहाते हो, लोगों को पीने का पानी मिले, वह दूसरों को नहीं दिया जाना चाहिए, पर मैं इन तमाम बातों से पहले यह पूछना चाहूंगा सदन से कि हमारी सरकार इस काबिल है क्या ? जो देश के लोगों को आज तक पानी नहीं दे सकी। हमारे दो जिलों को छोड़ दीजिए। खाली डेढ़ जिले गंगानगर जिला और बीकानेर जिले का कुछ हिस्सा इसके अलावा हमारे 26 जिलों को, आज तक खेतों को पानी देना तो दूर की बात रही, लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता ...

श्री अध्यक्ष : आज तो बहस रावी-व्यास-सतलज पर है।

श्री त्रिलोकसिंह : ठीक है, उसी से ताल्लुक रखना है। रावी-व्यास के लिए अकेला गंगानगर इलाका नहीं लड़ सकता हमारे 27 जिलों को खड़ा करना है। और जब 27 जिलों को खड़ा करना है पंजाब के खिलाफ, पंजाब के उन लोगों के खिलाफ जो कि हमारा पानी छीनना चाहते हैं तो 27 जिलो के लोगों को साथ लेना पड़ेगा। साथ लेना पड़ेगा तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमने 35 साल के अरसे में उन लोगों के साथ क्या किया। मैं पूछना चाहता हूं, यह ठीक बात है यह जोश होना चाहिए, जोश के मामले में मैं किसी से पीछे नहीं हूं लेकिन हमारे यह दस जिले, जिनकी खेती बिजली के बिना सूख जाती है, हम बरबाद हो जाते है. इस सरकार के पास उसके लिए क्या उपाय है······

श्री अध्यक्ष : विषय से हट रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोकसिंह : नहीं नहीं, यह सब विषय हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके लिए तो वह विषय मान्य है।

श्री त्रिलोकसिंह : मेरे लिए नहीं है। अगर पानी के लिये लड़ना है और रावी व्यास का पानी लेना है तो उनको हमको साथ लेना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं 35 साल के अरसे में रावी का पानी, व्यास का पानी, सतलज यमुना के लिंक का पानी सीकर शेखावाटी को दिया जा सकता था, सीकर शेखावाटी को नहीं बल्कि चूरू को दिया जा सकता था, नागौर को दिया जा सकता था भरतपुर और अलवर को दिया जा सकता था, आज हम 80 लाख लोगों की जिन्दगी पर क्या असर हो रहा है? यह गंगानगर के भाई जो आज बड़ा जोश दिखाते हैं—ठीक है, जोश होना भी चाहिए मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब लड़ेगा राजस्थान, तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हमारी पार्टी पीछे नहीं रहेगी। पर मैं पूछना चाहता हूं कि जिनका माल्टा खाने से भेजा फूल गया, कभी उन्होंने ख्याल किया है कि राजस्थान के उन दूसरे जिलों को पानी नसीब नहीं होता। हम पानी के लिए मरते रहते हैं, कभी हमारी बात का सपोर्ट किया ? कभी कहा है कि सीकर शेखावाटी के लोगों को भी, चूरू के लोगों को भी, झुंझुनू के लोगों को भी, बाड़मेर के लोगों को भी, नागौर और जैसलमेर और जोधपुर के लोगों को भी पानी मिलना चाहिए? यह कभी नहीं सोचा। यह इस सरकार की काबलियत का नमूना है जो आज जोश दिलाना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल साफ कि यह फिजूल की बात यहां हम नहीं सुनना चाहते कि अकाली पानी लेना चाहते हैं। छोड़ो चक-चक की बात। अकालियों से हमारा झगड़ा महज पानी का है। अकालियों का जो आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव है वह आप लोगों ने देखा नहीं है। वह आॅटोनोमी मांगते हैं। वह कहते हैं कि हम राइस पैदा करते हैं, [illegible] पैदा करते हैं, नामा पैदा करते हैं और दिल्ली में बनिये उसकी कीमत करते डरते हैं। उस बात के लिए हमारा झगड़ा नहीं है अकालियों से हम कतई लड़ना नहीं चाहते, रावी-व्यास के पानी के लिए लड़ना चाहते हैं। यहीं नहीं, जो सरकार हमें साथ लेकर कूच करना चाहती है पंजाब के बार्डर पर, गंगानगर के बार्डर पर, जो

(श्री त्रिलोकसिंह)

राजस्थान का पानी बचाना चाहती है उसका सलूक देखिये विपक्ष के साथ सलूक ठीक है, आप लोग खुश हो गए होंगे। भैरोंसिंह जी ने जोश की बात कह दी। क्या मिल गया? या और किसी ने कह दी होगी। इससे काम नहीं चलेगा। हमें राजस्थान की 4 करोड़ जनता को साथ लेना पड़ेगा। हमें भरतपुर और अलवर को साथ लेना पड़ेगा, हमें चूरू को साथ लेना पड़ेगा, झुंझुनूं को साथ लेना पड़ेगा। नागौर और जोधपुर को साथ लेना पड़ेगा। हमें जयपुर को भी साथ लेना पड़ेगा। क्या ऐसी हालत में साथ आ जायेंगे लोग? आपकी सरकार का क्लास करेक्टर तो देखिए। विपक्ष की खुली धज्जियां उधेड़ा करती है हम स्कूल के लिए जाते हैं तो तीन-तीन घंटे आपके मिनिस्टर के बाहर खड़े रहते हैं और वह बात ही नहीं करना चाहते हैं। आज वह बड़ा जोश दिखाते हैं कि वह पंजाब को उलट देंगे यह करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं अगर उनके पास इतनी बड़ी ताकत है कि राजस्थान के अवाम के बिना वह कुछ कर दें तो हमें बहुत खुशी होगी....

श्री अध्यक्ष : आज तो केवल प्रस्ताव ही पारित करना है। उसको तो अपन कर ही सकते हैं।

श्री त्रिलोकसिंह : अवाम को साथ लेना है, जनता को साथ लेना है, किसान को साथ लेना है लड़ेगा कौन? बात तो यह बनायेंगे और लड़ेंगे हम क्यों?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसीलिए एक है।

श्री त्रिलोकसिंह : देखिये भाटी साहब, यह नाकाबिले बर्दाश्त होगा। मुझे आप पर हमला करना पड़ेगा। आप देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हमने हिन्दुस्तान को आजाद कराया, खून देकर हमारे बच्चों ने लड़ाई लड़ी, तब आप पाकिस्तान के साथ थे। राजस्थान के सब राजा और नवाबों ने और जागीरदारों ने यह कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं आज भी मैं जैसलमेर होकर आया हूं....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं तो बैकवर्ड क्लास में हूं।

श्री त्रिलोकसिंह : आज भी मैं जैसलमेर होकर आया हूं। वहां कितनी खुराफात है। वहां की जनता नहीं जागीरदार राज कर रहे हैं। तो मैं आपके क्लास करेक्टर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इस राजस्थान की सर जमीन पर 40 साल से उन लोगों के खिलाफ लड़ा हूं जो किसानों के दुश्मन हैं, जो मजदूर के दुश्मन हैं। आपके वर्ग को मैंने जगह-जगह ललकारा है। आप नहीं जानते कि त्रिलोकसिंह कौन है। आपको पता नहीं है बैठ जाइये, मेहरबानी करके बैठ जाइये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसलिए आप इन्सपिरेशन चाईना से लेते हैं।

श्री त्रिलोकसिंह : यह सवाल हमारे राज्य की इज्जत का है। यह सवाल हमारे प्रदेश के पानी का है। ठीक है, राजस्थान की सरकार ने भाखड़ा नहर बनाई, राजस्थान नहर भी लाये वह किस के बूते पर लाये, हमारे

Page No 139

139

(श्री त्रिलोक सिंह)

बलबूते पर लायी, हमने कुर्बानी दी। 26 जिलों ने अपना श्रम दिया, पैसा दिया। आपको पता है हम कौन हैं ? हम उन इलाकों के किसान हैं जो मुल्क की आजादी के लिए लड़े, मुल्क की हिफाजत के लिए आज भी हमारा बेटा बैठा है वहां पाकिस्तान की बार्डर पर, वहां बैठा है नेफा के बार्डर पर वहां बैठा है हाजीपीर में। आप लोगों की तरह तस्करी नहीं करते, खून देते हैं। सीकर, शेखावाटी, चूरू नागौर के एक नहीं लाखों लोगों ने खून दिया····

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक कहावत सुनी आपने····

श्री त्रिलोक सिंह : नहीं नहीं, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : "हम लोग वह है "प्रोटेक्टर आफ वर्ल्ड पीस।"

श्री त्रिलोकसिंह : यह निकम्मी सरकार है जो आप लोगों को लिया,। अगर पीपुल्स गवर्नमेन्ट होती तो मैं जंगली जन्तु के हवाले कर देता और आप लोगों को मिटा देता, आप लोगों को कमरों से निकाल कर अरब सागर में डाल देता। आप लोग अब भी मुंह दिखाने लायक हो ? आप लोगों ने गांव जलाए, बच्चे मारे, औरतें मारी। ऐसे कातिल लोगों को भी शर्म नहीं आती, कुछ कहने की हिम्मत करते हैं।

(व्यवधान)

ठीक है, मुझे बोलने दीजिये। बीच में दखल मत कीजिए।

एक माननीय सदस्य : आप सबजेक्ट पर बोलिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह : बीच में दखल मत करिये।

इसलिये हम कहना चाहते हैं हमारे मुख्य मंत्री जी से, दुनिया की कोई भी ताकत जब किसी से मुकाबला करती है तो अपने घर को दुरुस्त करती है, घर के लोगों को साथ लेती है, पड़ौसियों को साथ लेती है। अगर यही व्यवहार आपका रहा तो ठीक है, इस सदन के 200 आदमी, हम आपके साथ चलेंगे लेकिन जनता का साथ जाना मुश्किल हो जायेगा। आप अपने व्यवहार को दुरुस्त करिये। आम लोगों को साथ लीजिये, आम लोगों को समझाइये कि जो पानी सतलज और व्यास का है वह हमारी जिन्दगी है। उसका हमारी जिन्दगी से ताल्लुक है, हमारे खेतों की जिन्दगी से ताल्लुक है। मैं पूछना चाहता हूं, हमने दो साल पूर्व यह रावी व्यास का मसला यहां उठाया था, दो साल से लगातार, हम यह कह रहे हैं कि हमारे पानी को बेचा जा रहा है, हमारे पानी का सौदा किया जा रहा है। कह रहे थे वह पानी हम कैसे खर्च करते, कहां ले जाते। मैं आप को बताऊं, एक नहर बनाते वहां भाखड़ा के पास, हनुमानगढ़ के पास राजस्थान नहर सीकर, शेखावाटी और चूरू को देते। कहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने बात की मुख्य मंत्री जी से और सिंचाई मंत्री महोदय चौधरी परसराम जी से, तो मुझसे बोले, दस अरब रुपया चाहिए, पानी कहां से आवे ? मैंने पूछा, दिल्ली में तमाशा किया जब तक 30 अरब खर्च कर दिया। अरे, दिल्ली के तमाशे के बिना हम जिन्दा रह सकते थे। ठीक है, रावी-व्यास के पानी के बिना हम जिन्दा नहीं रह

(श्री त्रिलोकसिंह)
सकते पर दिल्ली के तमाशे के बिना हम जिन्दा रह सकते थे। मुल्क की इज्जत को दांव पर रखा गया और 30 अरब रुपया खर्च किया गया। अब कहते हैं सीकर को पानी नहीं दे सकते, शेखावाटी को पानी नहीं दे सकते, चूरू को पानी नहीं दे सकते, नागौर को पानी नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूं वह भील जिसे जन्म से लेकर आज तक आपने लूटा है जिसका शोषण किया है आज भी उसकी मां-बहिनें नंगी फिरती हैं। यह तस्वीर है आपके राजस्थान प्रदेश की। इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान है या पंजाब है? आज भी क्या हाल है? अरे छोड़ दीजिये सीकर-शेखावाटी, उदयपुर को ले लीजिये। डूंगरपुर को ले लीजिये, भीलवाड़ा को ले लीजिये, वहां के लाखों भील नंगे घूमते। है यह तस्वीर है राजस्थान की।

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा में भील ही कहां है?

श्री त्रिलोकसिंह : नंगे घूमते हैं। आदमी नंगे नहीं घूमते, मां बहिनें नंगी घूमती हैं। अपनी इज्जत ढकने के लिये उनके पास एक एक चद्दर तक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : मुद्दे पर आ जाये।

श्री त्रिलोकसिंह : तो मैं कहना चाहता हूं यह तमाम बातें, आप लोगों का पाप कमाया हुआ है यह सब पाप इस कांग्रेसी हकूमत ने कमाया है। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे मुख्य मंत्री श्री शिव चरण माथुर, चौधरी परसरामजी जेल जायेंगे फिर हम सब जेल जायेंगे। अगर यह नहीं गये तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के लोग पीछे नहीं आयेंगे। दूसरी बात सुन लीजिये। यह मुद्दे की बात सुनिये। आज भी मुझे डर है, आज भी मुझे आशंका है कि आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि आपका मुद्दत से क्लास करेक्टर अजीबोगरीब है। दिल्ली की सरकार जब दबायेगी, आप लोग हथियार डाल देंगे। हमारा क्या होगा? हमारे इस प्रस्ताव का क्या होगा? मैं दुबारा आपसे यकीन चाहता हूं, सदन को यकीन दिलायें कि हम दिल्ली की सरकार के आगे हथियार नहीं डालेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम पंजाब के आगे हथियार नहीं डालेंगे। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जहां मेरे प्रदेश का नुकसान होगा, जहां मेरे प्रदेश का फायदा होगा, मैं सब के साथ कन्धे से कन्धा लगाकर लड़ूंगा। पर यह आप की जानवराना हरकत, भेदभाव की हरकत...

एक माननीय सदस्य : चाइना...

श्री त्रिलोक सिंह : अरे चाइना की बात छोड़ दीजिये, पिद्दी से लोग, और चाइना की बात करते हैं। बात तो यहां की करिये जहां जिस इलाके में बसते हैं। आपको पता नहीं वहां के जन-साधारण, खेती करने वाले मजदूरों के साथ क्या गुजरती है। कल यहां 20 हजार मजदूर आये थे, कल यहां 50 हजार किसान आये थे और आप की सरकार ने इस बात की हैंकड़ी दिखाई, उनसे सलाम नहीं की। मैंने कहा सरकार से, अरे, यह हमारी सरकार जाय अन्नदाता आया है, इस सरकार का अन्नदाता से सलाम कहें। परन्तु आज भी उनमें सामन्ती जरूर हैं। वह नहीं ठहरेगा, निकल जायेगा, वह जमाना आ रहा है। तूफान आयेगा। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, यह यकीन

(श्री त्रिलोकसिंह)
चाहता हूं, इन पंजाबी, इन हमारे गंगानगर के मेम्बरान से, सदस्य लोगों से मैं यकीन लेना चाहता हूं कि क्या आपकी सरकार लड़ेगी, कहीं बीच में हथियार नहीं डाल दे ?

एक माननीय सदस्य : जी नहीं ।

श्री त्रिलोकसिंह : इस बात का भरोसा नहीं होता । भरोसा इस बात से होगा कि सबसे पहले हमारा मुख्य मंत्री स्तीफा देगा, जेल जायेंगे, उसके बाद चौधरी परसरामजी जेल जायेंगे, तीसरा त्रिलोकसिंह जेल जायेगा । इस हालत के साथ आपका जो प्रस्ताव है बहुत ही कमजोर जुबान में है, वजनदार जुबान में नहीं है, उसमें वह बात नहीं है जो जो राजस्थान के आम लोगों को अपील कर सके । एक बहुत दबी हुई बात है । उसके बावजूद भी मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं और मेरी पार्टी प्रदेश के लोगों के साथ है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया ।

व्यवस्था का प्रश्न

नियम 131 के तहत दिये गये प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति ।

श्री नाथूसिंह : आन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दूंगा । एक दफा इस तरफ से, एक दफा ......

श्री नाथूसिंह : मेरा पोइन्ट आफ आॅर्डर सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : पोइंट आॅफ आॅर्डर उठाना बड़ा कठिन काम है

श्री नाथूसिंह : कठिन काम है, मैं कठिन काम ही कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पोइन्ट आॅफ आॅर्डर नियम 131 ...

श्री अध्यक्ष : 131 में जब मैं अवसर दूं, प्रस्ताव को स्वीकार करूं तब होता है । लेकिन आपको बोलना है, बोलने दूंगा ।

श्री नाथूसिंह : नहीं, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं । किसी भी प्रस्ताव पर बोलने के लिये किसी विषय को सदन में उठाना चाहते हैं, कुछ नियम बने हुए हैं सदन की कार्य प्रणाली चलाने के लिये । वे नियम है 131,50, 119,123 जिनके तहत हम किसी विषय को उठाना चाहते है तो उस विषय से सम्बन्धित पहले आपको सूचना देनी पड़ती है, हाउस में ।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा मुझे कोई नियम बतायें आप जब चाहें जब इच्छा हो उस वक्त मुझे बोलने की इजाजत देनी पड़ेगी वह कोई बता दें ।

श्री नाथूसिंह : ऐसा नहीं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रस्ताव पर तो बहस हो नहीं रही । क्योंकि आपने एक ऐसा प्रस्ताव दे रखा है, इसलिए ......

(व्यवधान)

मैंने आपसे निवेदन कर दिया ... मैं आपको अवसर दे दूंगा ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, रावी व्यास का सबजेक्ट हाउस के अन्दर आया

(श्री नाथूसिंह)
मुख्य मंत्री जी की तरफ से प्रस्ताव तैयार होकर आया···

श्री परसराम मदेरणा : Rule 131 is for calling attention motion, Have you submitted notice ?

श्री नाथूसिंह : Yes, I have submitted·

श्री परसराम मदेरणा : स्पीकर साहब से जाकर पहले परमिशन लीजिए । Under 131, you can not raise any thing in this house.

श्री नाथूसिंह : I have submitted that calling Attention notice.

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, इधर से एक माननीय सदस्य बोल लें, उसके बाद···

(व्यवधान)

इसमें तो फिर यह बतायें कि जब आप चाहे तब आपको बोलने दूं ·····

श्री नाथूसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, इस सबजेक्ट पर मैंने नोटिस दे रखा है

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । नियम यह है कि जब एक दफा किसी माननीय सदस्य का प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाता है तो वह सदन की संपत्ति बन जाती है। उस पर आसन को यह अधिकार है कि किन-किन माननीय सदस्यों को कितने-कितने समय के लिये इजाजत दें। मैंने आपसे निवेदन कर दिया ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : इसका मतलब यह हुआ जो आप निवेदन कर रहे है, वह नहीं है । ऐसा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अब आप जिद कर रहे है उसका तो कोई इलाज नहीं है । मैंने सीधा सा हल बता दिया आपको कि मैं आपको अवसर·····

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर कतई नहीं बोलना चाहता । लेकिन आपको मुझे सुनना पड़ेगा । इसलिये सुनना पड़ेगा । मेरे इलाके में मान लीजिए मर्डर हो गया और रूल के तहत मैं उठाना चाहता हूं और मैंने नोटिस दिया । यदि सत्ता पक्ष ने कोई प्रस्ताव रख दिया तो स्पीकर उस मर्डर पर, उस मोशन पर मुझे नहीं बोलने दें इसका मतलब तो यह है कि मैं नहीं बोलने दूंगा आपको, कोई इजाजत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : न बोलने के लिये मैंने नहीं कहा है । मैं आपको अवसर दूंगा । पहले उनको······

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने नोटिस दिये इस सबजेक्ट पर, उन लोगों को पहले आपने बोलने की इजाजत नहीं दी । आपने आसन की मर्जी पर, मैं आप पर लांछन नहीं लगाना चाहता ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस विषय पर एक शासकीय संकल्प आ गया । अब उसमें कौन कौन हिस्सा लेंगे ? जिन माननीय सदस्यों ने अन्य तरीके से अन्य प्रस्ताव दिये है उनको भी अवसर दे रहा हूं । लेकिन यह तो

(श्री अध्यक्ष)

हो नहीं सकता कि आप जब चाहें तब बोलने की इजाजत दें दूं।

श्री नाथूसिंह : इस सबजेक्ट पर जो जो बोलना चाहते हैं, या किसी सबजेक्ट पर, मैं नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन आइन्दा के लिये मैं रूलिंग चाहूंगा कि किसी भी, इस तरह के प्रस्ताव पर बोलने के लिये कौनसा प्रोसीजर अपनायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। मैं इसको निरस्त करता हूं।

श्री नाथूसिंह : इस पुस्तक में है, माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : पुस्तक सब मेरी पढी हुई है।

(व्यवधान)

आप यह चाहते हैं, जब आप बोलना चाहे तब आपको बोलने दूं। यह नहीं हो सकता है।

श्री नाथूसिंह : मैंने यह नहीं कहा कि मैं चाहूं जब बोलने दे। अध्यक्ष महोदय इतना सीरियस सबजेक्ट हैं मैंने नोटिस दिया है। इसको मतलब यह है कि आइन्दा कोई प्रस्ताव आये तो नोटिस नहीं दें उसका ? इसका तो तात्पर्य यही हुआ।

श्री अध्यक्ष : यही आप करके देख ले। नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है फिर आप बोल देना।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इतने आवेश में नहीं आये।

श्री नाथूसिंह : आवेश में इस लिए आ रहा हूं, जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है उनको तो आप बोलने की इजाजत नहीं देते हैं। मैंने नोटिस दिया है इस पर।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने, चार माननीय सदस्योंने नोटिस दिये हैं आपको यह मालूम नहीं है आप गलत फहमी में है। नोटिस दिया हुआ है श्री कैलाश मेघवाल का, नोटिस दिया हुआ है श्री चन्द्रवीर सिंह का, नोटिस दिया हुआ है श्री देवीसिंह भाटी का, नोटिस दिया हुआ है श्री नाथूसिंह का। मेरे पास सबकी सूची है। उनमें से तीन माननीय सदस्यों को मैंने अवसर दे दिया। अब, एक तरफ से ही यदि अवसर दे दिया जाए तो डिबेट रोचक नहीं रहती है। डिबेट का नियम यह है कि .

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : इस सबजेक्ट पर मैंने सब से पहले 131 का नोटिस दिया है, दुबारा पत्र लिखा इसके लिए कि मुझे इस पर अवसर दिया जाए। दोपहर से आप ××× कर रहे है, मुझे नहीं बोलने देना चाह रहे है।

श्री अध्यक्ष : शब्द कार्यवाही से हटाये जाय। माननीय सदस्य, नाराज होने की बात नहीं है। सभी माननीय सदस्यों को एक साथ में अवसर दे नहीं सकता मैंने निवेदन कर दिया . . .

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। बैठ जाय, कृपया बैठ जाये। कृपया बैठ जायें . . . । नाम से सम्बोधित करता हूं . . .

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नाथूसिंह : नहीं, यदि आप बाहर निकालना चाहें तो मैं स्वयं चला जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : चले जाइये आप ।

श्री नाथूसिंह : इसमें, अध्यक्ष महोदय, डराने की क्या आवश्यकता है ? आपको घबराने की क्या आवश्यकता है, मैं चला जाता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, डराता चाहें, आप, मुझे हाउस से निकाल दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कोई अवसर पैदा करेंगे तो यह भी किया सकता है ।

श्री नाथूसिंह : लोकतन्त्र की यही व्यवस्था है क्या ?

श्री अध्यक्ष : लोकतन्त्र का मतलब यह है कि जब आप बोलना चाहे तब बोलने दू ?

श्री नाथूसिंह : यह तरीका नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आप चले जाइए कृपया । इसमें आवेश में आने की, नाराज होने की क्या बात है? सभी पक्षों के माननीय सदस्यों को अवसर देना है। कितने दल हैं उसके बाद सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी बोलना चाहेंगे । फिर कुछ जो जिले प्रभावित हैं बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर है, उसके माननीय सदस्यों को भी अवसर देना है। इसमें गुस्सा होने की कौनसी बात है । मैंने फिर भी समय सीमा निर्धारित नहीं की। सदन का समय साढ़े पांच बजे के लिये कहा गया था और यह कहा गया था कि साढ़े पांच बजे सरकार का उत्तर दिया जायगा, उसकी भी मैंने अवहेलना की । मैं माननीय सदस्यों को अवसर देना चाहता था । मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि यह दो- चार मिनट बोलेंगे उसके बाद आपको अवसर दे दूगा । इसमें नाराज होने की क्या बात है ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : नियम के अन्तर्गत है।

श्री अध्यक्ष: नियम वगैरह आपके- हमारे सबके पढ़े हुए है ।

शासकीय संकल्प

अन्तराज्यीय नदी जल विवाद

श्री जय देव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने रावी और व्यास नदियों के जल के बंटवारे पर अकाली दल की मांग के सन्दर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका मनसा-वाचा-कर्मणा समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं । वैसे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के विभाजन के वक्त दोनों देशों के बीच में नदियों के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में निर्णय हो चुका था नदियों के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में निर्णय हो चुका था और उस जल का मुआवजा तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू ने भारत सरकार की ओर से भी उनको दिया । आज रावी और व्यास के पानी को लेकर जो विवाद अकाली दल की तरफ से है यह पानी का विवाद नहीं है, गिद्ध की दृष्टि की तरह गंगानगर की तरफ उनकी नजर है । वह गिद्ध दृष्टि मात्र मृग मरीचिका की तरह रहेगी क्योंकि आज जो गंगानगर है उसकी स्थिति में और जब वह अपनी

(श्री जयदेवप्रसाद इन्दौरिया)
पुरानी स्थिति में था जब उसका नाम रामनगर था उसमें बहुत फर्क है। वह फ़र्क इसलिये आया कि बीकानेर रियासत के तत्कालीन महाराजा श्री गंगासिंह जी ने गंग नहर लाकर उस जमीन को पानी दिया, सिंचित की। उससे उपज बढ़ी उससे बहबूदी हुई। लेकिन इसमें पंजाब का कोई लेना देना नहीं है।

मैं आपको इस अवसर पर यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि तत्कालीन महाराजा गंगासिंह जी ने जो गंग नहर बनाई उसमें चूरू जिले का बहुत बड़ा योगदान है। चूरू जिले की जन शक्ति का श्रम लगा है और चूरू जिले में रहने वाले सेठ साहूकारों ने मुक्त हस्त से वहां पैसा दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि गंग नहर के निर्माण में चूरू जिले के सेठ-साहूकारों ने जो पैसा दिया वह आज भी उनकी पुरानी बही में इन्द्राज है। गंगानगर के बनाने में वहां के लोगों का ही नहीं, उस वक्त जो बीकानेर स्टेट थी, जिसके कि आज तीन जिले हुए हैं बीकानेर, गंगानगर और चूरू, उसके सभी लोगों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं जल विवाद के इस प्रश्न पर इसलिये निश्चिंत हूं कि जो यह प्रश्न है वह बहुत सबल मुख्य मंत्री के हाथ में सुरक्षित है। उन्होंने और हमारे सिंचाई मंत्री जी दोनों ने मिलकर राजस्थान के प्रश्न को बहुत मजबूती के साथ बहुत ही दृढ़ता के साथ वहां रखा है। मुझे उम्मीद है, जैसा कि उनका चरित्र रहा है, वे एक बहुत ही स्वाभिमानी आत्माभिमानी व्यक्ति हैं और अपनी कही हुई बात को पूरा करेंगे और उस पर दृढ़ रहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। हाउस से यह प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया है, वह सर्व सम्मति से पास कर दिया जाय। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दौरिया : नाथूसिंह जी आप तो बिना मतलब ही घबरा रहे थे। मैं तो दो मिनिट बोलने वाला व्यक्ति हूं।

श्री नाथूसिंह : सवाल बोलने, नहीं बोलने का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है।

श्री अध्यक्ष : अब आप नाराज हो गये नहीं तो व्यवस्था में आपको अवसर देने का था मैं अकेला दिन भर उपस्थित भी नहीं रह सकता। इसमें कई कठिनाइयां पैदा हो जाती है।

श्री नाथूसिंह : (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी····

श्री अध्यक्ष : आप सब बात भूल कर जितनी तैयारी करके लायें हों, उस हिसाब से बोले।

श्री नाथूसिंह : नहीं, मुझे तो दो मिनट बोलना है।

श्री अध्यक्ष : नहीं किताबें है, ज्यादा समय लेंगी।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी यह प्रस्ताव लाये हैं, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यह जो मजबूत इरादा मुख्यमंत्रीजी ने आज दिखा- जब से यह मुख्यमंत्री बने हैं यदि तब से दिखाते तो यह समस्या ही सामने नहीं आती। जैसे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी अभी

(146)

(श्री नाथूसिंह)

स्वीकार किया था और विरोधी दल के नेता माननीय ने भी कहा था कि 1955 के बाद आज तक यह समस्या किसी भी स्टेज पर न केन्द्रीय सरकार के द्वारा, न पंजाब सरकार के द्वारा और न राजस्थान के द्वारा कभी भी इस पानी के डिस्प्यूट को लेकर इस विषय में यह मुद्दा उठाया गया। इसलिए नहीं उठाया कि उस समय राजस्थान के जितने भी नेता थे, जितने भी मुख्य मंत्री थे वह इस बात के लिए सक्षम थे, वह हमेशा केन्द्र के सामने झुकते नहीं थे। केन्द्र सरकार भी उनको, राजस्थान को इस तरह की वार्ताओं में समिलित नहीं करती थी। न कहती थी कि राजस्थान का जिसमें मतलब हीं नहीं है, उसमें भी राजस्थान आकर बात करे। पहली बार जब 1981 का समझौता हुआ और मुख्य मंत्री जी को दिल्ली में एक कमरे में बुला कर हस्ताक्षर करवायें दवाब डालकर तो, अध्यक्ष महोदय, केन्द्र को भी यह पता लग गया कि राजस्थान का मुख्य मंत्री दब सकता है। पंजाब के नेताओं को भी यह पता लग गया कि राजस्थान का मुख्य मंत्री केन्द्र के सामने घुटने टेक सकता है, दिल्ली की देवी के सामने झुक सकता है। अध्यक्ष महोदय, जब वार्तायें में हो रही थीं पंजाब के साथ दिल्ली में, उस समय एक आम चर्चा सैन्ट्रल हाल में अकाली लोग कर रहे थे, पंजाब की सरकार के लोग कर रहे थे कि यदि इन्दिरा गांधी बुलाकर के राजस्थान के मुख्य मंत्री को कह दें कि इस पर हस्ताक्षर करो तो राजस्थान के मुख्य मंत्री में यह दम नहीं है, यह साहस नहीं है कि वह उस पर हस्ताक्षर नहीं करे और उनकी बात को नहीं माने। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सब से पहले यह जो समस्या पैदा हुई है, इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार यदि कोई है तो माननीय श्री शिवचरणजी माथुर, 1981 में जो इन्होंने बुजदिली दिखाई, 1981 का समझौता कमजोरी में आकर कुर्सी के हित में जो इन्होने किया, उसका एक परिणाम था कि जो पहले उन्होंने अंगुली पकड़ी और अंगुली पकड़ने के बाद आज वह हाथ पकड़ने की तैयारी करने लग गये अभी माननीय नरेन्द्र सिंह जी भाटी कह रहे थे कि उस 81 के समझौते में राजस्थान का क्या नुकसान हो गया। राजस्थान का यह नुकसान हुआ, माननीय भाटीजी, आप पढ़ लें, उस समझौते को, 1981 का समझौता करने के पश्चात्, आपने पंजाब को यह छूट दे दी कि 1.6 मिलियन एकड़ फीट पानी, 5पाइण्ट समथिंग तो हम यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर का पानी जब तक हम यहां पर राजस्थान केनाल पूरी नहीं करें, इस तरह के अरेन्जमेन्टस नहीं कर लें तब तक वह यूज कर लें।

श्री **परसराम मदेरणा**: यह उस एग्रीमेन्ट में लिखा हुआ है?

श्री **नाथूसिंह** : यही तो है उसमें। और आल्टरनेटिव का मतलब क्या है।

(व्यवधान)

यह देखिये, आल्टरनेटिव, मैं बताता हूं आपको।

श्री **शिवचरण माथुर**: पहले पढ़िये उसको।

श्री **नरेन्द्र सिंह भाटी**: मैं तो इसलिए इन्टरवीन नहीं कर रहा था कि वह आदमी जो बोल रहे थे थोड़े इन्टेलीजेन्ट थे, पढ़कर आये थे कि सरप्लस वाटर क्या होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मन्त्री महोदय उनको बाधा नहीं पहुंचायें। काफी देर में तो अवसर मिला है और फिर आप समय ले रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एड्रेस किया तो मैंने कहा कि इनको अवगत करा दूं।

श्री नाथूसिंह : मै बोल रहा हूं।

"Until such time as Rajasthan in a position to utilise its full share, Punjab shall be free to utilise the waters Surplus to Rajasthan's requirements. As Rajasthan will soon be able to utilise its share Punjab shall make adequate alternative arrangements.

यह क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी आप ज्यादा समझते हैं मुझसे? इसका मतलब क्या है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बिल्कुल। आप इन्टरप्रेट करें न।

श्री नाथूसिंह : इन्टरप्रेट कर लिया न। इसका मतलब यही है।

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न यूटिलाइजेशन और 1.6 के बीच का सब पानी दिया जाय, यह कहां लिखा हुआ है?

श्री नाथूसिंह : ऐसा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : तो फिर क्या है? यही तो बात कही थी अभी।

श्री नाथूसिंह : देखिये, मैं बताऊं जितना हम पानी यूज कर रहे हैं........

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, यूज नहीं उसमें भी लिखा हुआ है.....

श्री नाथूसिंह : क्या लिखा हुआ है?

श्री परसराम मदेरणा: आप पढ़े तो, इसी एग्रीमेंट में है।

श्री नाथूसिंह : आप बता दीजिए। यह है कि नहीं, इस समझौते में जो मैंने पढ़ा है?

श्री परसराम मदेरणा : पाइन्ट 60 है ट्रांजीशनल के लिए जब तक राजस्थान का पोटेंशियल 8 तक हो जाय तब तक उनको टेम्प्रेरेली दिया है और वह भी पानी अगर 17-17 हो तो फार्मूलेशन होगा वह तो 8-6 होगा।

श्री अध्यक्ष : इसमें यह सम्भावना है, वह जो पानी 3.5 उनके जिम्मे रखा है, उसको वह पहले काट लें, राजस्थान को बचा हुआ ही मिलेगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, 3.5 का तो प्रश्न ही नहीं है। पाइन्ट 60 का मामला है। 8 एम. एफ के बारे में तो इस पूरे एग्रीमेन्ट में उल्लेख ही नहीं है। और वह भी एक एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन दिया है वह मैटर आफ इन्टरप्रेटेशन है जो आप कर रहे हैं। और इसी एग्रीमेण्ट के क्लाज में आखिरी पैरा के अन्दर जहां इन्टरप्रिटेशन में बीच में मतभेद होगा वह भारत सरकार को रेफर होगा। हमने रेफर कर दिया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : इस एग्रीमेन्ट की जरूरत कहां पड़ी?

श्री ग्रात्माराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है, अगर पानी फालतू है, राजस्थान कैनाल का ग्रोर जैसा कि एग्रीमेन्ट में है तो फिर हमारे यहां रोटेशन से क्यों चल रहा है, बारीबन्दी से क्यों चल रहा है ? पानी रेगुलर क्यों नहीं चल रहा है? राजस्थान में पानी बारीबन्दी से रेगुलर क्यों नहीं चल रहा है ? यह तो कम से कम बतायें । चल रहा है या नही चल रहा है ? पानी रेगुलर चल रहा है या बारीबन्दी से चल रहा है ? बारीबन्दी से चल रहा है तो क्यों चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें । श्री नाथूसिंह ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा शेयर 52.6 पर्सेन्ट है और जितना पानी वह हमें दे रहे हैं, उसमें से भी 15-20 पर्सेंट कम दे रहे है । जितना बता रहे हैं उसमें से भी कम दे रहे हैं । जब एक मकान एक ग्रादमी किराये लेता है वह खाली नहीं करता ग्राजकल, तो उनके कन्ट्रोल में पानी है, ग्रापको कैसे दे देंगे ? सवाल इस बात का है । इसलिए, ग्रध्यक्ष महोदय, वह भी जब जरूरत पड़ती है, ग्रापको, तब तो देते नहीं हैं । मैंने एक प्रश्न पूछा है मेरा जवाब ग्रायेगा, तब पता लगेगा, कितना पानी कम है, कितना ग्राप उनसे मांगते हैं, कितना छोड़ते हैं, किस-किस समय कितना मांगते हैं, वह उससे स्पष्ट होगा । तब ग्रापकी सेवा में निवेदन करूंगा । लेकिन उस समझौते का लाभ क्या हुग्रा, 81 के समझौते का उससे ग्रापकी कमजोरी जाहिर हुई सब जगह एक इम्प्रेशन दिया उस समझौते ने कि राजस्थान के मुख्य-मंत्री पर केन्द्र ने दबाव डालकर इस समझौते पर हस्ताक्षर करा लिये । यह सारे समाचार पत्रों में छापा है कि मुख्य मंत्रीजी को बुलाया, इन्दिरा जी के धवन ने फोन किया ग्रौर बुलाकर इनके हस्ताक्षर करा लिये कमरे में बन्द कराकर । यह सब समाचार पत्रों में ग्राया है यह बिल्कुल सही है....

एक माननीय सदस्य : यह ग्रापने छपवाया है ।

श्री नाथूसिंह : नहीं, हमने नहीं छपवाया है । मुख्य मंत्रीजी ने उसका कन्ट्राडिक्शन नहीं दिया । इसलिए, ग्रध्यक्ष महोदय, यह जो समस्या खड़ी हुई है, यह मुख्य मंत्रीजी के मजबूत इरादे की कमी के कारण खड़ी हुई है । यदि मुख्य मंत्रीजी इन्दिरा जी के कदमों पर चलते, जो इनकी नेता मानती हैं, दूर-दृष्टि, पक्का इरादा, यदि दूर-दृष्टि ग्रौर पक्के इरादे से काम करते तो यह स्थिति ग्राज इनके सामने पैदा नहीं होती । तो ग्राज पंजाब को....

एक माननीय सदस्य : ग्राप तो मानते हैं ?

श्री नाथूसिंह : हम यह नीति नहीं मान रहे हैं । मुख्य मंत्रीजी । यही तो बात कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर । बातें नहीं करें, माननीय सदस्य ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नाथूसिंहजी हृदय की बात बाहर ग्राती है ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : ग्राती है । ग्राप तो जरूर मानते हैं उसको । ग्रध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राज

(श्री नाथूसिंह)

स्थिति यह है, पहले यह देखना पड़ेगा कि पंजाब में पानी की कितनी आवश्यकता है और कितना पानी मिल रहा है, हरियाणा को कितने पानी की आवश्यकता है और कितना पानी मिल रहा है, राजस्थान में पानी की कितनी आवश्यकता है और कितना पानी मिल रहा है। आवश्यकता के अनुसार नेशनल इन्ट्रेस्ट के हिसाब से.....

सदन की कार्यवाही विधानसभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। समय बढ़ाना है। सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घन्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

शासकीय संकल्प अन्तर्राज्य नदीजल विवाद

श्री **नाथूसिंह** : यदि हम देखें तो राजस्थान को जितने पानी की आवश्यकता है, शायद किसी स्टेट को उतने पानी की आवश्यकता नहीं है। पंजाब में आज वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हो गयी। वहां पर उससे जो जमीन खराब होती है उसके कारण उसको ठीक कराने में करोड़ों रुपये पंजाब और हरियाणा खर्च कर रहे हैं। तो आज उनको उतने पानी की आवश्यकता नहीं है, जितनी हमें आवश्यकता है। इस आधार पर जितने प्रोजेक्ट्स हैं, इनका नेशनल करेक्टर हो उस आधार पर भी इस मुद्दे को उठाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए केन्द्र ने भी कई बार अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है इस सम्बन्ध में। जब अध्यक्ष महोदय, इण्डस वाटर ट्रीटी हो रही थी उस समय लोक सभा में जो मंत्री थे स्वयं उन्होंने भी जब यह मुद्दा सामने आया, अपने भाषण में जिक्र किया और कहा :

"So, as far as Rajasthan is concerned, I assure the Hon. Members of the House that Rajasthan Canal will be constructed, that Rajasthan will get water, Rajasthan will get irrigation, that Rajasthan will get whatever as has been proposed for it."

और प्रपोज किया गया 1955 के एग्रीमेंट में तो जितना प्रपोज किया गया उसके लिए भी केन्द्रीय सरकार ने भी अपना रुख उस समय स्पष्ट कर दिया कि जितना प्रपोज किया गया है उतना राजस्थान का शेयर राजस्थान को मिलेगा। फिर इस सम्बन्ध में आज केन्द्रीय सरकार को क्या आवश्यकता पड़ गई राजस्थान को बुलाने की यह बात मेरी समझ में नहीं आती। केन्द्रीय सरकार कह चुकी है कि राजस्थान को उसके हक का पानी मिलेगा। आज पंजाब सरकार कोई समस्या नहीं उठा रही है। अकाली दल उठा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी पहले यदि अपनी ताकत वहां प्रदर्शित कर देते और पहले पंजाब वालों को यह स्थिति मालूम हो जाती कि दिल्ली की देहरी के सामने माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं झुकेंगे, उनको यह विश्वास होता तो यह समस्या खड़ी नहीं होती। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी, आज इस समय आप में ताकत है। शुरू-शुरू में आप कुर्सी पर बैठे थे, आप में ताकत नहीं थी, हम मानते है उस समय आप में कोंफिडेंस नहीं था लेकिन आज तो आपके साथ सारा सदन है, सदन

(श्री नाथू सिंह)

की ताकत आपके साथ है, राजस्थान की जनता की ताकत भी आपके साथ है। इन शक्तियों का प्रयोग करके तो आप में इतनी शक्ति आ गई होगी कि दिल्ली की देहरी के सामने आप घुटने नहीं टेकेंगे। इतनी शक्ति तो आप में आ गई होगी। इसलिए आप सदन में स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि केन्द्र भी दबाव डालेगा तो आप नहीं झुकेंगे। पंजाब से आगे किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे इस सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय, कई बार कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह डिबेट लोक सभा की पढ़ रहा था उसमें कई जगह जिक्र आया है कि वैस्टर्न पार्ट आफ राजस्थान, उसमें गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह है, वहां पर हिस्टोरिकल हिसाब से कुछ नदियां इधर आती थीं और उसमें जिक्र है सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी के लिए यह कहते हैं बाद में पता नहीं कहां लुप्त हो गई, कोई कहते हैं, कहां चली गई। उस हिसाब से भी राजस्थान का जो यह वैस्टर्न पार्ट था जिसकी सिंचाई होती थी उस समय यह लोक सभा की डिबेट में किसी माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि उस समय उस पानी से सिंचाई होती थी वैस्टर्न राजस्थान की। यही कारण है कि आज जैसलमेर और बाड़मेर के लोग······

श्री अध्यक्ष : सरस्वती को ही वापस ला रहे हैं यह राजस्थान कैनाल।

श्री नाथूसिंह : लेकिन मुख्य मंत्रीजी बार-बार दिल्ली जाकर के डर जाते हैं, सवाल इस बात का है। पंजाब जो बार बार यह मुद्दा उठा रहा है कि राजस्थान पानी का यूज ही नहीं कर रहा है उसके लिए मुख्य मंत्री जी, आपसे निवेदन करूंगा कि रावी व्यास के पानी के युटिलाईजेशन की गति को आप तीव्र करें, और ज्यादा तीव्र करें। राजस्थान नहर को जितना जल्दी हो सके और पैसा इधर-उधर से डायवर्ट करके पूरा करें। यह नहीं हो कि आप इतना पैसा लगाते जा रहे हैं और वहां पर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि काम आगे नहीं बढ़ रहा है ऐसा तो कम से कम नहीं हो। इसके अलावा राजस्थान नहर की लिफ्ट योजनायें आपने बनाई थीं उनको आप हाथ में लें और उनको शुरू करें तो मैं ज्यादा इस पर नहीं कह कर क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा कर ली······

श्री अध्यक्ष : अब समय भी काफी हो गया है।

श्री नाथूसिंह : मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मैं तो केवल यह कहूंगा मुख्य मंत्री जी मजबूत इरादा रखें, जैसा इन्होंने कहा था उसी हिसाब से। राजस्थान की जनता की ताकत इस समय इनके साथ है, दिल्ली को भी बता दें कि चाहे मेरी कुर्सी चली जाय मैं नहीं झुकूंगा जिस समय, मुख्य मंत्रीजी आप दिल्ली में जाकर प्रधान मंत्री को यह बोल देंगे उस दिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कि आप केवल यह बात बोल दो, आपको न इस्तीफा देने की जरूरत होगी न जेल जाने की जरूरत होगी जैसा माननीय सदस्य ने कहा न आन्दोलन करने की जरूरत है। आप तो केवल प्रधान मंत्री जी और राजीव गांधी को कह दीजिए कि मैं इस पानी के लिए सब कुछ कर सकता हूं आप लोगों के सामने नहीं झुकूंगा। बस इतना कह दीजिये, आगे हम सम्भाल लेंगे। पंजाब की और केन्द्र

(श्री नाथूसिंह)

की हिम्मत नहीं कि राजस्थान के पानी की एक बूंद की तरफ भी वह आंख उठाए।

इन्हीं शब्दों के साथ इन्होंने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री देवदत्त तिवाड़ी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुकी हूं। आप मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करें। दो मिनिट दे दें। इनके बाद दे दें।

श्री अध्यक्ष: अब समय हो गया है इसलिए माननीय सदस्य अपने भाषण दस से पन्द्रह मिनट की सीमा में ही सीमित रखें।

श्री देवदत्त तिवाड़ी: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सब तरह से देखने से यही प्रतीत होता है कि जो कुछ भी इसमें कहा गया है राजस्थान का पक्ष बिल्कुल सबल है। केवल एक 1981 का एग्रीमेंट है वह जरूर कोई एम्बीग्युअसली वर्डेड है, जिसका यह भी इण्टरप्रिटेशन हो सकता है और वह भी इण्टरप्रिटेशन हो सकता है। मेरा तो आप से इतना ही कहना है कि इस जल की व्यवस्था में जो आज आप कर रहे हैं उसमें तो दो विवाद चल रहे हैं, कुछ लोगों को पानी नहीं मिलता है और कुछ यह कहते हैं कि पानी अपने पास सरप्लस है। यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं है कि पंजाब इस तरह से पानी नहीं मांगे। आज आप इतने के वर्षों बाद भी इस स्कीम को पूरा नहीं कर पाए और आने वाले पचास साल में आप अगर न कर पाओ तो फिर क्या होगा। अभी पंजाब नहीं तो हरियाणा मांगेगा, कोई दूसरा मांगेगा लेकिन चाहे बक्स में हो चाहे दूसरी तरह से हो, अगर आपके पास पानी सरप्लस होगा और वह बर्षों वर्षों तक पड़ा ही रहेगा सरप्लस तो फिर आपको किसी न किसी जगह या तो लगाना पड़ेगा या देना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी यह निवेदन किया था, जैसा अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे, सरस्वती नदी नहीं, वी. ए. स्मिथ ने अपने हिस्ट्री में लिखा है कि 1837 ईस्वी तक वह नदी, जिसका कि नाम घाघरा था, सतलज की निकली हुई एक शाखा थी जो जैसलमेर में से होकर बाड़मेर में से होकर लूणी में मिल कर कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती थी। मैंने कई दफा हाउस का इस ओर ध्यान दिलाया, अपने इंजीनियर्स का ध्यान भी इस ओर दिलाया लेकिन इंजीनियर्स लोग भी इस ओर ध्यान नहीं देते और न हाउस कोई इस बात का ध्यान करता है। मैं अब भी कहता हूं कि इतनी बड़ी स्कीम, जो पहले बनी थी, उस स्कीम से यह दूसरी स्कीम है। पहले जो स्कीम बनी थी उस स्कीम के अन्दर नेविगेवल स्कीम थी और उस स्कीम के अन्दर पानी कच्छ की खाड़ी में गिरता था। ठीक था। आज संसार में कोई ऐसी नहर नहीं बनी है, इंजीनियर्स मुझे बता दें वह कौन सी नहर है जो अन्त में किसी नदी में या किसी समुद्र में नहीं गिरती है। यह अब जो आपने प्लान बनाया है जिसको आप रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ रहे हैं वह एक अनुठा ही प्रोग्राम है जिसका कोई आउटलेट नहीं है। इनका नियम बना हुआ है, इसका साइंस भी एक नियम है, कोई भी बधां बनावें, कोई भी डेम बनावें उसका आउट लेट होना चाहिए, ओवर फ्लो होना चाहिये।

(व्यवधान)

(152)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

कोई भी उपनिषद की बात नहीं है यह ज्ञान की बात है।

तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी कैनाल नहीं है कि इस तरह अनूठी कैनाल बने। मैंने इनसे यह कहा कि यह पानी पहले बहता था जैसलमेर में हो करके, और उसको आप फाइण्ड आउट करें। अभी जो स्कीम बनाई है वह एरियल सर्वे करके बनाई गई है जिसके अन्दर कोई जगह ऐसी हो सकती है जो कि उसमें बराबर नहीं आई हो। तो जहां तक आपका पानी आया है उस कैनाल के अन्दर, उस चालू नदी के अन्दर डाल दें जहां पर नेचरल फ्लो पड़ा हुआ है तो कोई सरप्लस पानी का प्रश्न ही नहीं रहेगा। हम कह सकते हैं कि हमारे जितने कुए हैं उनको सरसब्ज करने के लिए, इनको हरा करने के लिए हमारा जितना भी पानी है वह लाओ। न होगा बांस न बजेगी बांसुरी तो इस तरह से यह लोग करते नहीं हैं, तब अपने, आप ही प्रश्न उठता है. अभी जो प्रश्न सामने है वह यही है। चाहे कैसे भी हमने 1981 में कोई भी प्रस्ताव एग्रीमेंट किया है, हाउस में सबकी भावनाएं हैं, जो प्रस्ताव पेश किया है, पुरजोर शब्दों में इसका समर्थन करते हूं और चाहते है कि राजस्थान सरकार को अपना स्टैण्ड मजबूत रखना चाहिये,

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपचन्द : जी बोलना चाहते थे। उसके बाद में आप ! आप बोलना चाहते हैं।

श्री दीपचन्द : बोलना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, रावी व्यास के मामले को लेकर सदन में बहुत लम्बी-चौड़ी चर्चा चल चुकी है। मैं दो बात कहना चाहता हूं सिर्फ, माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाली दल के इरादे खतरनाक हैं, अकाली दल ने 28 साल के समझौते को भंग कर दिया, आंख मीचकर कहा, इसको स्वीकार हम नहीं करते है, बार-बार आन्दोलन की धमकी देते हैं, और आन्दोलन चला रखा है, उसके बावजूद भारत सरकार सहानुभूतिपूर्ण रुख अपना कर पंचायती फैसले के लिये बार-बार निमंत्रण दे रही है। उसके बावजूद भी अकाली दल के नेता कहते हैं अगर फैसला नहीं हुआ तो सड़को पर फैसला करेंगे। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं वे जैसे चेतावनी देते है कि हम सड़क पर फैसला करेंगे, तो पहले तो सड़क पर फैसला कर लेना चाहिये, उसके बाद पंचायती फैसला करना चाहिये।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, ××× वरना राजस्थान के पानी की नहीं, देश की मांग करेंगे, खालिस्तान होना चाहिये, कल हाउस की मांग करेंगे, यह हमारे पंजाब में होना चाहिये, बेहूदी बातें हैं, उनकी मांग नामंजूर करनी चाहिये। धार्मिक भावना की बात हो, धार्मिक मामले की बात हो तो उनकी मांग मंजूर करनी चाहिये, लेकिन 28 साल के पहले समझौता हुआ, उसको पता ही नहीं है राजस्थान प्यासा मर रहा है, देश की जनता भूखी मर रही है, जो राष्ट्रीय आदमी है, हिन्दुस्तानी आदमी हैं, पाकिस्तानी नहीं है, वह कहते हैं। सड़क पर फैसला करेंगे। मैं अकाली दल के नेताओं से यह कहता हूं कि सड़क पर फैसला करना हो तो पाकिस्तान से करो तुम्हारे नजदीक पड़ता है। पाकिस्तान में लाहौर में जाओ

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दीपचन्द)

और पाकिस्तान ले लो। लेकिन हिन्दुस्तान की जनता का सवाल है, भारत की प्रधान मंत्री सहानुभूतिपूर्वक, प्रेम से प्यार से कहती है, वह इसलिये कि सिख राष्ट्रीय कौम है, सिखों ने देश की आजादी के अंदर, देश के अन्दर, जब-जब युद्ध हुआ है, समय-समय पर बलिदान दिया है। इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री, उनकी भावनाओं को देख कर, उनकी त्याग और तपस्या को देख कर, अकाली दल को नहीं, सरदारों की बात देखकर नरमाई पकड़ रही है। मैं मुख्य मंत्री से और भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन ××× इस लिये सख्ती के साथ निपटो और उनकी धार्मिक मांग मंजूर करो। यह मने मंजूर है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की विधान सभा में समस्त पार्टियों की ओर से रावी-व्यास जल बंटवारे के संबंध में यह प्रस्ताव रखने की जरूरत इस लिये पड़ी कि केन्द्र सरकार अगर चाहे तो भी हमारे राजस्थान के हितों पर कुठाराघात नहीं हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के ऊपर अकाली लोग पिछले 6 माह से दबाव डाल रहे हैं। हमारे देश की प्रधानमंत्री और केन्द्रीय नेताओं ने लगातार उनके दबाव के बावजूद उनकी एक भी बात, सिवाय धार्मिक बात के नहीं मानी, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी केन्द्रीय सरकार और हमारे देश की प्रधान मंत्री, इंदिरा गांधी राजस्थान के हितों के प्रति जागरुक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल हमारे केन्द्रीय नेता और देश की प्रधान मंत्री राजस्थान के हितों के प्रति जागरुक हैं इससे काम चलने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदर, इसके लिये केन्द्र सरकार और देश की प्रधान मंत्री के ऊपर इस बात का दबाव, प्रेशर, जन आन्दोलन और जन समर्थन की शक्ति का प्रदर्शन भी करना पड़ता है। इसलिये आज हमारी विधान सभा की समस्त पार्टियों के सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की। यह विवाद का प्रश्न कहां है, माननीय अध्यक्ष महोदय? यह तो एक प्रस्ताव है, सर्वसम्मत प्रस्ताव करना है रावी-व्यास के जल बंटवारे को पुनः नहीं खोलना चाहिये, यह मामला है। लेकिन अगर आपने जन आंदोलन नहीं किया, हालात और परिस्थितियां पैदा नहीं की, तो केन्द्र सरकार को भी मजबूर होना पड़ सकता है अकालियों की मांगों का समर्थन करने में। इसलिये मैं माननीय नेता महोदय, ने 81 का जो समझौता किया, मैं नहीं समझता उन्होंने कोई दुर्भावना या हक को छोड़ कर किया हो, लेकिन हालात है और परिस्थितियां हैं कुछ दबाव भी हो सकता है, केन्द्र सरकार की मजबूरी हो सकती है, हमारे मुख्य मंत्री और नेता की मजबूरी हो सकती है। पार्टी के डायरेक्शन मानने पड़ सकते हैं। इसलिये, माननीय नेता महोदय, मैं आपको घर में निवेदन करना चाहूंगा, इससे पहले कि आपके ऊपर केन्द्र का दबाव पड़े हालांकि मैं नहीं समझता केन्द्र उनकी मांगों के सामने झुक

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

सकता है, उसके पहले आपको समस्त जिलों के कार्यकर्त्ताओं, समस्त प्रकार की पार्टियों को आगाह कर देना चाहिए। वह हालात और स्थितियां इस प्रकार की पैदा कर दें कि केन्द्र सरकार को हमारे हकों के ऊपर कुठाराघात करने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, कैसे फैसला हुआ, क्या मामला हुआ, इससे क्या राजस्थान को फायदा होगा, पंजाब क्या चाहता है, अकाली लोग क्या चाहते हैं, जब एक बात उनकी मानी जायेगी, आज जल के बंटवारे के मामले को लेकर वह आंदोलन कर रहे हैं, चण्डीगढ़ के मामले के लिये करेंगे, फिर तीसरी बात और पैदा करेंगे, गंगानगर जिले की बात पैदा करेंगे। इसलिये आपको सब प्रकार से सजग होकर इसका मुकाबला करना चाहिये। 1 करोड़ 50 हजार की आबादी का पंजाब अगर इतना बड़ा बावेला खड़ा कर सकता है तो आज साढ़े तीन करोड़ राजस्थान की जनता और हरियाणा की जनता उसका बड़े सुनियोजित ढंग से मुकाबला कर सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है, मेरा प्रस्ताव है, आइन्दा हमारे नेता महोदय को कोई मजबूर होना पड़े 1981 के समझौते के विरुद्ध, उसके पहले हालात और परिस्थितियां इस प्रकार की पैदा कर देनी चाहिये कि केन्द्रीय सरकार हमारे ऊपर जोर ही नहीं डाले।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार, शब्द कहना चाहूंगी, वह यह है कि अकाली और मित्र उनके जो भी थे वहां के, तो यह लॉबी क्रियेट कर सके कि हमारा जो पानी है, वह स्पेयर है, वह उसे लें। यहां तक कर लिया उन्होंने जो भाखरा, ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, उससे 6 करोड़ रुपया लेकर एक नहर भी बना ली और स्पेयर पानी को अपने यहां ले जाने की योजना बना ली। हम लोग सोते रहे। हम लोगों ने उस पर निगाह नहीं रखी। जो पहरेदारी हमें सौंपी गई थी, जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी अपने यहां पानी लाने की, उस पर हमने निगाह नहीं रखी, उस लॉबी में हम भी घुस गये। हमको यह लगने लगा कि हमारे पास पानी बहुत ज्यादा है, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर की नहर में जहां बंदी आनी चाहिये, मैंने खुद अपनी आंखों से सूखी हुई देखी उन्होंने कहा कि हमने बंदी दे दी, बंदी वहां नहीं पहुंची। बीच में पानी तोड़ कर वापस चला गया। यह मैं कहना चाहूंगी, गई बार 16 फरवरी को मैंने खुद जाकर उन मोघों को देखकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था। हमारे भाइयों ने भी रखा था गंगानगर के, जिस पर मुख्य मंत्री ने कहा था, मैं कोई ऐसा समझौता नहीं करूंगा। और समझौता कर आये। मैं कहना चाहूंगी, हमारे यहां इतना असिंचित क्षेत्र है, पंजाब में पानी की कमी नहीं है, नहरों का जाल बिछा हुआ है, ट्यूब वैल्स का जाल बिछा हुआ है. वह हमारे हिस्से का भी पानी ले जाना चाहते है। लोगोंवाला कहते हैं, इस पानी पर तो केवल पंजाब का अधिकार है। यह अखबार की कटिंग है जो उन्होंने घोषणा की है, केवल उनका ही अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं रखा है तो यह लगता है कि हम कहीं कमजोर पड़ते हैं। मैं कहना चाहूंगी, केवल इतना ही नहीं है इससे लगी हुई हमारी लिफ्ट योजनायें कितनी है। अगर हमने अपना पानी पूरा न लिया, अपनी पहरेदारी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पूरी नहीं की, तो यह निश्चित बात है, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर बिल्कुल शुष्क हो जायेंगे, जो हमारी कामना और कल्पना है, उनको हरा-भरा करने की, सरसब्ज करने की, वहां के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की या जीवन देने की, जीवित रखने की, वह हम भूल जायेंगे। मान्यवर मुख्य मंत्री महोदय, मैं आप से कहना चाहूंगी कि आप पूरी जिम्मेदारी से आगे आयें। इस मामले में राजस्थान का एक भी नागरिक पीछे रहने वाला नहीं है यदि आप अपनी पहरेदारी में पक्के रहेंगे। लेकिन पूर्व में जैसा जेल मंत्री कह रहे थे कि हमारे पास स्पेयर पानी है। घर के ताले क्यों लगाता है आदमी, घर की पहरेदारी क्यों करता है। यह तो नहीं लगता जब घर से जाता है कि आज ही चोर आयेगा चोर से पहरेदारी पहले से रखनी पड़ती है। आपने काफी छूट पहले उन्हें दे दी। राजस्थान के प्रशासन ने काफी छूट पहले उन्हें दे दी। अभी भी संभलने की बात अगर नहीं हुई, गये साल होती तो आज यह नौबत ही नहीं आती, मान्यवर। मैं कहना चाहूंगी, जिम्मेदारी से आप लड़े, आपके साथ पूरा राजस्थान है। वरना तो राजस्थान ही क्या रह जायेगा। गंगानगर जिला वह ले जायेंगे, फिर कहीं से कुछ और ले जायेंगे। इतना ही नहीं, आगे के लिये मैं कहना चाहूंगी कि...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं एक शब्द और कहना चाहूंगी इतना ही नहीं हमें तो यह चाहिये कि हमारी जो नदियां बरसात में उफनती है उनका पानी भी जाया न होने दें, एक-एक बूंद पानी से अपने क्षेत्र को सिंचित करें। आगे अपनी नदियां पूरी लें, जितना क्यूसेक्स पानी हमको चाहिये इन धोरों में, उस पर अधिकार करें, एक बूंद न छोड़ें। जो शिकायत आई हैं, बार-बार आ रही हैं उसकी तरफ तवज्जोह देकर अपना हक लेकर आयें। मैं इसी बात के साथ आपके इस संकल्प का समर्थन करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम (अनुपस्थित)।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राज्यीय जल योजना के संबंध में मुख्यमन्त्रीजी ने जो संकल्प पेश किया है उसका मैं तो समर्थन करता हूं। इसके समर्थन के साथ साथ मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सभी परिस्थितियां पैदा क्यों हुई? राजस्थान सरकार का किसानों के साथ जो लगाव होना चाहिये उसको कतई ध्यान में नहीं रखा, जिसकी वजह से ही राजस्थान नहर का काम अभी तक कम्पलीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम अपना पानी ले नहीं सकते। इसको काम में नहीं ले सकने की वजह से अतिरिक्त पानी को देख कर पंजाब वाले इसे पंच फैसले के लिये लेना चाहते हैं, यह सब जो हो रहा है वह इसी वजह से हो रहा है कि हम लोगों ने कतई इसकी तरफ तवज्जह नहीं दी। आज अन्तर्राज्यीय या रावी-व्यास हो, या पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में हमारी तरफ से जो कन्स्ट्रक्शन वर्क में स्टाफ वगैरह जो लगा हुआ है वह भी इस तरह से लगाया हुआ है जो इस पर कतई ध्यान नहीं देता

(156)

(श्री महाराम चौधरी)

हैं। या जो इग्नोर्ड स्टाफ है वह उन योजनाओं पर लगाया हुआ है उनको राजस्थान से कोई दिलचस्पी नहीं है या पंजाब की तरफ से आये हुए आदमी राजस्थान सरकार में नौकरी में आ गये और फिर बाद में वापस उस क्षेत्र की तरफ जाने की तवज्जोह लगाई इसलिये वह भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। दूसरा, आपका जो भाखरा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, मैनेजमेंट बोर्ड का जब कि भारत सरकार का फैसला हुआ है 1966 में और आज तक इंम्पलीमेंट नहीं हुआ तो क्या सरकार की कोई लापरवाही नहीं रही ? अगर लापरवाही रही है तो सिर्फ इसकी वजह यही है कि किसानों के साथ, राजस्थान के पश्चिमी इलाके में रहने वाले आदमियों के साथ सरकार का कोई लगाव दिखाई नहीं देता है। अध्यक्ष महोदय, परिस्थिति ऐसी है, आज किसी तरफ से मुख्य मंत्री महोदय और सिंचाई मंत्री महोदय इस तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं वह यों का यों कंटीन्यू रखें तो नागौर, चूरू और जोधपुर के इलाकों को इरिगेशन का पानी तो शायद नहीं दे सकते। इतनी क्षमता नहीं लेकिन पीने के पानी तक की व्यवस्था करायें तो पश्चिमी राजस्थान के जिलों के किसान, टेक्निकल एडवाइस तो सरकारी आदमियों की और मैटेरियल सरकारी और हमारे खेती करने का आफ सीजन रहता है उस वक्त में श्रमदान करके पीने के पानी लाने को तैयार हैं। खेती के अन्दर ऑफ टाइम तीन महीने का होता है उसके अन्दर श्रमदान से अतिरिक्त करने की अगर नौबत आती है तो हम तैयार हैं। बाकी अकालियों वगैरह की तो ऐसी हिम्मत ही नहीं है जो उनका सामना कर सकें। अगर काश्तकारों को छुट्टी दे देते हैं। उन्हें हमारा पानी लाने की छुट्टी दे दो तो जिस प्रकार टेल पर रहने वाला आदमी हैड से पानी लाकर अपने खेतों को पिला देता है।

(6.24 म.प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

उसी तरह से अपनी सीधी कार्यवाही करने में समर्थ हैं। आम किसान सदन की भावना और मुख्य मंत्री के साथ है लेकिन अगर आप इसमें तत्परता नहीं दिखायेंगे, आपके अधिकारी अगर इसमें तत्परता नहीं दिखायेंगे तो आप किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदमियों को छुट्टी दे दीजिए तो पानी तो क्या भाखरा को लेकर यहां आ जायें। बस मैं इतना ही निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : सभापति महोदय, आज मुख्य मन्त्री द्वारा रावी-व्यास जल संबंधी विवाद पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है इसके संबंध में अपने विचार आपके माध्यम से प्रकट करूंगा। सभापति महोदय, आज राजस्थान के जन जीवन के लिए पानी का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर सभी सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए और सब की यही भावना परिलक्षित हुई है कि मुख्यमन्त्री जो इस प्रश्न पर दृढ रहें और प्रदेश के हितों का किसी भी दबाव में आकर या किन्हीं भी परिस्थितियों में कहीं पर कुठाराघात न होने दें।

सभापति महोदय, जो त्रिपक्षीय वार्ता दिल्ली में हुई थी उसमें दल के द्वारा अधिकृत मैं भी एक भाग लेने वाला था। सभा-

(सुश्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

सभापति महोदय, यह आशंका जो सभी पक्षों ने प्रस्तुत की है कि कोई दबाव या कहीं कोई ऐसा षड़यन्त्र हो मुख्य मन्त्री जी को विचलित करने का, यह आशंका निर्मूल नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपको इसके लिए वहां वार्तालाप का सारांश बताऊंगा। कुछ सदस्यों की तरफ से, केन्द्रीय मन्त्रिमंडल के सदस्यों की तरफ से जो प्रश्न या तर्क प्रस्तुत किये गये थे उनमें यह स्पष्ट परिलक्षित होता था कि उन लोगों की भावना इस तरह की है कि किया तो कुछ प्रिजुडिस्ड हैं। उनकी तरफ से एक तर्क एक सवाल प्रस्तुत किया गया था किसी ने कहा है राई-पेरियन रटेस्ट के बारे में आपका क्या विचार है। राजस्थान उस केटेगरी में नहीं आता। वैसे विपक्ष के नेता महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इसका यहां पर कोई सवाल नहीं उठता परन्तु उस शब्द के उठने मात्र से इस बात का सवाल उठ खड़ा होता है कि उनकी नीति क्या है।

सभापति महोदय, आज इस बीमारी की जड़ सिर्फ एक बात में है कि अगर केन्द्रीय सरकार, जिसकी नियत में कुछ शंका दिखती है, साफ़ नियत से और दृढ़तापूर्वक कोई निर्णय ले तो आज यह सवाल उठ ही नहीं सकता क्योंकि कोई भी न्यायसंगत बात है उसको हर व्यति को मानना ही पड़ेगा है। सभापति महोदय, यह प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि 1965 में जब पानी का बंटवारा हुआ उसमें राजस्थान का सबसे मुख्य हिस्सा था क्योंकि उसके पीछे जो 1948 से नदियों के विवाद का मामला चला आ रहा था उसमें हमारे विशेषज्ञ ने जब अपना पक्ष प्रस्तुत किया उसमें मुख्य मुद्दा यही था कि राजस्थान जो एक रेगिस्तानी है, पीछे से थार का रेगिस्तान आगे बढ़ता आ रहा है। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि हिमालय की तलहटी तक पहुंच सकता है। इसको रोकने का एकमात्र उपाय है कि रेगिस्तान को सरसब्ज बनाया जाय। इसके लिए पानी की आवश्यकता है। पानी की पूर्ति इन तीन नदियों से ही हो सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिये राजस्थान को एक मुख्य मुद्दा बना कर, ढाल बनाकर यह पानी लिया गया। परन्तु आज वह पंजाबी शिखण्डी इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, यह न्याय संगत और तर्कसंगत बात नहीं है। इसको यह सदन और सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्य कभी मंजूर नहीं करेंगे। सभापति महोदय, यह कैसा मजाक है कि जिसके नाम से आपने पानी लिया आज उसी के लिये कहते हैं कि नहीं उन के पास कोई क्षमता नहीं है। यह नियोजित षड़यंत्र था, इसको बनाने में पंजाब और केन्द्रीय मन्त्रिमंडल के कुछ सदस्यों का हाथ हो सकता है। जिसकी वजह से एक लोबी क्रियेट करदी गयी कि राजस्थान के पास तो ऐसे साधन नहीं है कि वह पानी का पूरा उपयोग कर सके। परन्तु वहां पर हम सभी लोगों ने मुख्यमन्त्री जी ने, विपक्ष के नेता, सभी ने इस पक्ष को प्रस्तुत कर दिया था कि यह बात बिल्कुल गलत है, हमारी क्षमता जो है, आज 8 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया जाय तो हम उसका उपयोग कर सकते है। क्योंकि अभी तो बातचीत सिर्फ गंगानगर, बीकानेर, चूरू और जैसलमेर की होती है परन्तु झुन्झुनू और सीकर में भी ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर इस पानी का उपयोग किया जा सकता है ज्यादा कोई खर्चा किये विना ही।

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय सभापति महोदय, आज प्रश्न यह है कि केन्द्र के द्वारा अगर कोई इस तरीके का दबाव आता है तो मुख्य मन्त्रीजी की क्या भूमिका रहनी चाहिए। मैं इस बारे में यह महसूस करता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी अपना पक्ष भूल चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में मुख्य मन्त्रीजी ने अपने मन्त्री पद से इस्तीफा दिया था। आज अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जो इस प्रदेश के हितों से जुड़ा हुआ है तो उनको उसका डटकर मुकाबला करने के लिए पुरानी पृष्टभूमि याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है निश्चित रूप से उस भावना, जो उनमें उस वक्त थी, को पुनर्जाग्रत करना चाहिये और भले ही वह इन्दिरा गांधी हो, चाहे ज्ञानी जैल सिंहजी हों, कोई भी हो उनको निश्चित रूप से राजस्थान के हितों का खयाल करना चाहिए। उसके लिए भले ही उनको कुर्सी जाय, चाहे कुछ भी हो एक बात है जब तक त्याग और बलिदान नहीं होता है तो इस संसार में अजर अमर कोई आदमी हो नहीं सकता। इसलिये उनको कठिन से कठिन रुख अपनाना पड़ेगा और हमारे प्रदेश के हितों को इस सदन के नेता के रूप में उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा। परन्तु इसके बारे में एक शंका है मेरे को माननीय सभापति महोदय, इसी सरकार ने केन्द्र में एक नाटक किया है। आसाम के बारे में, विपक्षी दलों से वार्ता की, यह किया वह किया परन्तु बाद में उन्होंने इतना बड़ा नर-संहार करवाया और अन्तरिक्ष में छुपी हुई भावना थी उसके अनुरूप चुनाव करवाये इतना बड़ा नरसंहार हुआ जिसको कभी भूलाया नहीं जा सकता है। आने वाला समय बतायेगा कि इसके क्या रिजल्ट होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे को लगता है कि इस नाटक के पीछे श्रीमती इन्दिरा गांधी की यही भावना है वही पंजाब में खून की होली खेलना चाहती है। परन्तु आपके दल के सदस्य हैं उस दल के सदस्य के रूप में मैं चाहता हूं मेरे पार्टी की जो नीति है, जो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नीति है, अहिंसावादी, इसके द्वारा मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी निर्णय हो या कोई भी वार्ता हो वह अहिंसावादी होनी चाहिए अहिंसा के द्वारा चलाया गया आन्दोलन निश्चित् रूप से सफल होता है। क्रांति के द्वारा नरसंहार के द्वारा कोई भी चीज का आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी रूप में हमारे दल का कोई सहयोग चाहेंगे, मुख्य मंत्री को दिया जायेगा क्योंकि इस प्रश्न पर हमारे उनके विचार एक हैं यह प्रदेश की उन्नति का, प्रदेश के जन-जीवन का सवाल है। मैं यही कह कर मेरे दल की तरफ से, मेरी तरफ से, माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदय, यह सही है कि मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है वह काबिले स्वागत है। मैं प्रस्ताव का स्वागत करती हूं। लेकिन मुख्य मंत्री जी, मैं भी अपने और साथियों की तरह निश्चित् रूप से कहना चाहूंगी कि भारत सरकार को कोई हक नहीं पहुंचता कि वे 1957 के पहले की ट्रीटी को वापस खोल दे बशर्ते कि हम

(सुश्री पुष्पा जैन)

साहस के साथ उनके सामने खड़े हो जायें सिर उठा कर तो किसी क़ीमत पर उन ट्रीटीज को खोला नहीं जा सकता। सभापति महोदय 1955 में जल के बंटवारे के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में जो समझौता हुआ था 1956 में स्टेट रि-आर्गनाइजेशन एक्ट बना, उसमें यह प्रावधान रखा गया था कि 1955 के पहले की जितनी भी ट्रीट्री हैं उनको किसी कीमत पर खोला नहीं जायेगा। इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, मैं स्टेट रि-आर्गनाइजेशन एक्ट की धारा 108 की तरफ थोड़ासा गौर दिलाना चाहूंगी।

"Any agreement or arrangement entered into between the Central Government and one or more existing States or between two or more existing States relating to (a) the administration, maintenance and operation of any project executed before the appointed day, or (b) the distribution of benefits such as the right to receive and utilise water or electric power to be derived as a result of the execution of such project."

सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी, जैसा कि मेरे साथियों ने कहा, अगर-हिम्मत से भारत सरकार के समक्ष अड़ गये कि राजस्थान की जनता के लिये मैं एक बूंद भी पानी किसी को देने नहीं दूंगा तो निश्चित् रूप से राजस्थान की सारी जनता उनके साथ होगी। मैं यह याद दिलाना चाहूंगी, मुख्य मन्त्रीजी, आप पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन थे। माननीय सभापति महोदय, आप भी उस कमेटी के चेयरमैन थे और मेरे यहां कई बैठे हुए साथी भी थे। मुख्य मन्त्री जी, यह भी पी.यू.सी. की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में आपने एज ए चेयरमैन जो रिकमण्डेशन दी है, गवर्नमेंट को जो रिफारिशें की है, मेरी समझ में नहीं आता कि आज मुख्य मन्त्री बनने के बाद आप भूल कैसे गये। भूल जाना शब्द मैं इसलिये इस्तेमाल कर रही हूं, क्योंकि 1981 में समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, आपने इस सदन में यह कहने का दुःसाहस कैसे किया कि पानी को खर्च करने की हमारी क्षमता नहीं लिहाजा यह पानी हमारे देश के किसी दूसरे प्रदेश को दे दिया जाता है तो क्या हर्ज है, अन्यथा क्या इस पानी को पाकिस्तान ले जाता। मेरी समझ में नहीं आता कि पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी का एक साहसी चेयरमैन इस बात को कहने की जुर्रत कैसे कर गया। आपको याद होगा, मुख्य मंत्री जी, मैं खास तौर से आपको याद दिलाना चाह रही हूं आप पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी . . .

(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीजी, मेरी बात सुन लें यह बड़ी काबिले गौर है, आपके लिए, सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहती हूं मुख्य मंत्रीजी जब पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इस प्रोजेक्ट की स्टडी के लिये पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी का टूर इन स्टेट्स में स्टडी के लिये ले गये थे, उस समय भाखरा नांगल हम रात को पहुंचे, सतलज सदन में हमको रुकना था, वहां पर गये क्योंकि वहां के कुछ अधिकारियों ने बताया कि सतलज सदन में आप लोग नहीं रुक सकते, क्योंकि वहां पर पंजाब सरकार के कोई बड़े अधिकारी अपने परिवार के साथ रुके हुऐ है, मुझे फख्र होता है कि उस बात को आप पब्लिक अण्डर टेकिंग में कहा था याद

(सुश्री पुष्पा जैन)

करके, उस समय इसी मुख्य मंत्री ने एंव चेयरमैन, आफ पब्लिक अण्डर टेकिंग ने कहा था इनका खून खौल गया था उस समय, इन्होने कहा, नहीं सतलज सदन को बनाने में राजस्थान ने भी उतना ही खर्च किया है जितना कि दूसरी स्टेट्स ने किया है लिहाजा मेरी कमेटी का कोई भी सदस्य इस सतलज सदन से बाहर नहीं जायेगा जब तक आप सतलज सदन में लगे खर्चे के हिसाब से उतने कमरे खाली नहीं करते है। धूम मच गयी थी, रातों-रात चारों तरफ वायरलैस घूमें थे, मुख्य मंत्रीजी, आपको याद होगा, वह दिन, उसी समय अधिकारी वहां आयें और रात को दो कमरे उस पंजाब के अधिकारी को खाली करने पड़े, तब जाकर आपने हमको वहां पर सेटल किया, इसके बाद चैन की सांस ली, कहां गया वह साहस आपका। 1981 में आपने साइन कर दिये यह कह कर बच गये कि पानी को खर्च करने की हमारी क्षमता नहीं, लिहाजा पानी पंजाब को दे दिया जाय। मुख्य मंत्रीजी आज आपको निश्चित रूप से अहसास हो रहा होगा, यदि इन शब्दों को आपने अपने मन से निकाल कर 1981 के समझौते पर हस्ताक्षर न किये होते तो आज प्रस्ताव को लाने की कोई जरूरत नहीं होती। खैर कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाये तो वह भूला नहीं कहलाता। मुख्य मंत्रीजी, उसी साहस की दुहाई देते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि राजस्थान की जनता कोई डरने वाली जनता नहीं है। अरे, हम उस धरती के लोग हैं जहां महाराणा प्रताप पैदा हुए, जिन्होंने घास की रोटी को खाना मंजूर किया या किसी की गुलामी करना मंजूर नहीं किया। लिहाजा मुख्य मंत्रीजी, अगर आपने इस समझौते के तहत अपना सिर नहीं झुकायेंगे, अपनी कुर्सी की खातिर राजस्थान का बलिदान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की सभी जनता तन मन धन से आपके साथ होगी। मुख्य मंत्रीजी, मैं यह भी आपको याद दिलाना चाहूंगी बी.बी.एम.बी. की मीटिंग के जो मिनिट्स रिकार्ड किये गये, उसकी दो लाइनों की ओर मैं खासतौर से आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी हमारे राजस्थान के चीफ इंजीनियर ने आपको लिखा है

"The Decision of the Bhakhra Management Board and its committees are not cared for at all by the Punjab."

ऐसी सूरत में क्या उन लोगों को हक पहुंचता है कि हमारे हितों को वह आघात पहुंचाये मुख्य मंत्रीजी, अगर पंजाब के लोग यह कह सकते हैं कि पंजाब के पानी की एक बूंद भी राजस्थान को गई तो वे खून खच्चर कर देंगे, हम कोई गीदड़ है? आपको यह सबत देना होगा कि राजस्थान की जनता कोई गीदड़ नहीं। राजस्थान की जनता किसी कीमत पर सिर झुकाने वाली नहीं हैं क्योंकि यह हमारी मजबूरी है कि वहां भारत सरकार के समक्ष हमारा नेतृत्व करने आप जा रहे हैं इसलिये हम आपको बारबार यह साहस दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तन मन धन से सारे भेदभावों को भूल कर, सारे राजनैतिक गठबन्धनों को भूल कर आपके साथ है बशर्ते कि आप 1981 की तरह अपना सिर झुकाकर, दिल्ली की नादिरशाही के सामने, सिर झुकाकर वापस न आ जायें। आपको अगर इस खातिर, जैसा कि मेरे साथियों ने कहा, चाहे जिन्दगी का कोई बलिदान करना पड़े, आप बिना किसी मोह के उस बलिदान को देदें याद रखें, मुख्य

(सुश्री पुष्पा जैन)
मंत्री जी, राजस्थान की इस धरती के लिए, राजस्थान की जनता के लिए अगर एक कतरा भी आपके खून का गया तो राजस्थान के हम सभी लोग, राजस्थान की जनता, अपने प्राणों का बलिदान आपके खातिर कर देगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आभारी हूं। इसके साथ ही मुख्य मन्त्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा, उसका समर्थन करती हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : मेरा अनुरोध है, काफी चर्चा हो गयी है। अब मुख्य मन्त्री जी का का जवाब ····।

(व्यवधान)

आप बोल लिए काफी। आपके दल की तरफ से 5 सदस्य बोल चुके हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : आज तो दल का भेदभाव मिटाकर बोल रहे हैं। दल कहां है आज, आज दल बिल्कुल नहीं है, दिल है।

श्री सभापति : 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री भंवर लाल जी शर्मा।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आज सुबह से हम इस पर विचार कर रहे हैं कि रावी-व्यास का पानी राजस्थान को मिलना चाहिए। इसमें सारे तर्क लोगों ने दिये हैं। इन तर्कों के आधार पर यदि निर्णय हो तो दुनियां की कोई ताकत नहीं है कि इन नदियों का पानी राजस्थान से कोई भी ले जाये। लेकिन इस समय तर्कों से काम चलने वाला नहीं है। आपके पास दौलत है, आप रास्ते में जा रहे हैं। डाकू मिल गये, आपको कहते हैं माल रखो, फूलन के गिरोह के मिल गये या आपके गिरोह के मिल गये, और कहें कि माल रखो। अब अगर कानून दिखायें कि भई, प्रापर्टी का अधिकार मेरा है, मेरे कब्जे में है, मेरी कमाई हुई है, आप इसे नहीं छीन सकते। तो उस कानून से उन डाकुओं से बच नहीं सकते। इसलिए अपने यहां कहा है कि "जर, जमीन, जोरू जोर की, और जोर हटे और की।"

तो यदि पानी पर अपना कब्जा करना है तो केवल कानून से काम नहीं चलेगा, यह तर्क हमको पानी नहीं दिला पायेंगे। हमको अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा ताकत के बलबूते पर यदि कोई इस पानी को ले जाने की बात करेगा तो उसका मुकाबला करना होगा। इसलिए आपने जो प्रस्ताव रखा उस समय आपकी भावना यह थी, आप यह चाहते थे कि सारा सदन इस बिंदू पर एक होकर खड़ा हो जायें। आज दिन भर की चर्चा से यह बात तो प्रमाणित हो गयी कि किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, इस बिन्दू पर आपके साथ है। यह मंथन तो खूब हो चुका है। अब तो बारी आपकी है। आप बतायें कि हम से क्या चाहते हैं ?

(6.42 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरे बाद आप बोलने वाले हैं, आप हाउस को बतायें, प्रदेश की जनता को

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बतायें कि ग्राप इस बिंदु पर हमारी कौनसी मदद लेना चाहते हैं? ग्रापका ग्रगला कदम कौनसा होगा जिसमें हम आपके साथ हैं? इन सारे विचारों में, इन सारे प्रस्तावों में हम निश्चित रूप से ग्रापके साथ रहे, हैं यह तो ग्राज प्रत्येक बोलने वाले व्यक्ति के विचारों से प्रकट हो गया है। अब हम ग्राप से यह चाहेंगे कि ग्रागे ग्राप कौनसा कदम उठायेंगे? ग्रब ग्रापके सामने इस समय दो घोड़े खड़े हैं और सवार होना है एक पर आपको। या तो कुर्सी या राजस्थान की जनता का हित····

श्री ग्रध्यक्ष : कुर्सी छोड़ने के बाद तो सब साधारण नागरिक हो जायेंगे फिर क्या मतलब है?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह ग्रसाधारण हो जायेंगे कुर्सी छोड़ देंगे तो। ग्रगर यह कुर्सी छोड़ेंगे तो ग्रसाधारण नागरिक बनेंगे यह।

इसलिए आपके सामने ग्रब दो घोड़े हैं, आप किस पर बैठना चाहते हैं। यह ग्रापकी मर्जी की बात है, दोनों घोड़ों पर बैठोगे तो फिर घोड़े भी निकल जायेंगे ग्रौर ग्राप भी डूब जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन यह है······

एक माननीय सदस्य : ग्रौर हाथ पांव तुड़वा लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह भी हो सकता है, इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, सारा प्रदेश ग्रापके साथ है तो डरने की क्या बात है। सारा प्रदेश ग्रापके साथ है तो, माननीय मुख्य मंत्री जी, डरने की क्या बात है। किस बात से डरते हैं ग्राप? कुर्सी का ही तो डर है। ग्रगर ग्रापने इस बिंदु पर कुर्सी छोड़ भी दी तो ग्राप ग्रकेले ही नहीं, जिसको चाहोगे राजस्थान में जिताकर ले ग्राग्रोगे। चिन्ता क्यों करते हैं ग्राप। ग्राप वैसे बड़े साहसी थे पहले तो उपर यह बोझ पड़ा है प्रधान मंत्री का ग्रौर मुख्य मंत्री का, तब से पता नहीं, ग्रापकी कमर क्यों झुकी है। इसलिए मेरा ग्रापसे निवेदन है, मैं आपका व्यक्तिगत हितैषी हूं, यह भी आपको पता है और यह प्रदेश का हित भी है, इसलिए मेरा विनम् निवेदन है कि समय ग्रधिक नहीं है ग्रौर ग्रब तो बड़े सक्त हमारे ग्रध्यक्ष महोदय ग्रा गये हैं, ज्यादा बोलने नहीं देंगे। इसलिए मेरा ग्रापसे निवेदन यह है कि ग्राप जरा मजबूत रहिये। ग्राप हम से क्या चाहते है, यह ग्रापके भाषण में बताइये कि राजस्थान की जनता से ग्राप क्या चाहते हैं? मेरा सुझाव यह कि इश्यू पर लड़ने के लिए ग्राप ग्रकेले बड़े कमजोर पड़ोगे, इसलिए ग्राप विरोधी दल के जितने हमारे यहां लोग है, नेता है, उनकी कोई ऐसी समिति बना दीजिये जो ग्रापको समय-समय पर मदद करती रहे, ग्रौर ग्रापको जहां कभी भी ऐसी कमजोरी लगे, ग्राप उसको ग्रागे कर दीजिए, जहां ग्राप ग्रागे नहीं जा सकते हैं, उसका उपयोग करते रहिये। ऐसे बड़े-बड़े वीर योद्धा ग्रापके पास मौजूद हैं, फिर ग्रापके डरने की कौन सी बात है? मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि ग्राप मजबूत रहिये, हमको प्रोग्राम दीजिये, जितने भी विरोधी दल के लोग हैं, उनसे मिलकर कोई ऐसी समिति बनाइये, जो ग्रापके इस काम के ग्रन्दर मदद करती रहे, ग्रापका साहस बढ़ाती रहे ग्रौर समय पर ग्रापकी मदद करती रहे।

धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी।

श्री **शिवचरण माथुर** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, रावी-व्यास के जल के विवाद के संबंध में जो प्रस्ताव मैंने इस सदन में आज पेश किया उस पर काफी लम्बी चर्चा हुई है। करीब 24-25 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। जहां एक तरफ प्रस्ताव के समर्थन की बात कही गयी, वहां विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने 1981 के समझौते के बारे में काफी चर्चा की है। मैं समझता हूं कि उस चर्चा का तार्किक उत्तर तथ्यों के साथ में, घटनाओं के विस्तृत विवरण के साथ में हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी ने बहुत विस्तार से दे दिया है। उसके बाद उसकी आवश्यकता रहनी नहीं चाहिए थी। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के पीछे जिस तरह की भावना निहित थी, ज्यादा अच्छा होता कि हम अपनी दृढ़ता को, मजबूती को बढ़ाने की बात ज्यादा कहते, लेकिन शायद हर जगह राजनीतिक लाभ उठाने का लोभ हम लोग संवरण नहीं कर पाते। वही बात यहां पर भी की गई, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि 1981 के एग्रीमेंट के बाद जो लगातार यात्रा की गयी है, सिंचाई मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, 1981 का समझौता हमने किया वह 1955 के समझौते का रीट्रेशन था। उसमें जगह-जगह इस बात को कहा गया है कि 1955 का जो समझौता हुआ और जितना पानी राजस्थान के हिस्से में आया, उसके बाद में जो फ्लो सीरीज रिवाइज हुई 40 साल की, उसमें 15.85 मिलियन एकड़ फीट के बजाय 17.17 मिलियन एकड़ फीट की अवेलेबिलिटी हुई। उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना होता है इसका स्पष्ट जिक्र किया गया। माननीय सदस्यों को, शायद यदुनाथसिंहजी यहां पर नहीं है, उनको भ्रम था कि 8.6 मिलियन एकड़ फीट जो हमारा तय किया गया उसमें हमारा 52.60 पर्सेन्ट नहीं बनता है। वह इस बात को भूल जाते हैं कि 17.17 मिलियन एकड़ फीट का जब पर्सेन्टेज निकालने का प्रश्न आता है तो उसमें से आपको 0.85 मिलियन एकड़ फीट कम करना पड़ेगा। 17.17 में से 0.85 कम करके, 16.32 मिलियन एकड़ फीट बचता है उसका 52.60 पर्सेन्ट राजस्थान का हिस्सा 8.6 मिलियन एकड़ फीट आता है इसलिए यह कहना कि वह पर्सेन्टेज 1981 के एग्रीमेन्ट में पूरा राजस्थान को मिला नहीं है, यह गलत है। जो आधार 15.85 को बांटने का रखा गया, वही आधार 17.17 को बांटने का रखा गया। राजस्थान को उसके हिस्से के मुताबिक पूरा पानी का प्रावधान इस 1981 के एग्रीमेन्ट में भी किया गया।

मैं एक बात और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र सिंचाई मन्त्रीजी ने किया कि 1981 के एग्रीमेंट में जैसा कि मैंने आपको बतलाया, 17.17 की अवलेबिलटी हुई। उसमें राजस्थान का जो हिस्सा बनता है इसका बहुत साफ तौर पर जिक्र किया गया। और यह बात भी तय की गई कि जो हमारा 1966 का पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट था उसमें केवल व्यास के पानी को पहुंचाने का जो कैरियर सिस्टम है उसके जो हैड वर्क्स थे उन पर कन्ट्रोल बी. बी. एम. बी. का था। लेकिन एक

(श्री शिवचरण माथुर)

और बढ़ोतरी 1981 के एग्रीमेंट में, यह हुई, रावी-व्यास के जो हैड वर्क्स हैं उनके सम्बन्ध में बी. बी. एम. बी. के कन्ट्रोल को स्वीकार किया गया। पहले का 1956 का जो रिआर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें केवल व्यास के अण्डर में आने वाले हैड वर्क्स हैं, उन्हीं पर कन्ट्रोल बी. बी. एम. बी. को सौंपा गया था लेकिन इसमें जो क्लाज है 1981 के एग्रीमेंट का उसमें रावी और व्यास के वाटर को भी जो हैड वर्क्स रिलीज करेंगे उन पर भी बी. बी. एम. बी. का कन्ट्रोल स्वीकार किया गया। मैं समझता हूं कि यह 1981 के एग्रीमेन्ट की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जानी जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, रावी के पानी को भी पूरी तौर से नहीं बांधा गया। रावी के पानी को बांधने के बाद में शायद 17.17 मिलियन एकड़ फीट इम्पाण्ड होगा। अभी भी रावी का करीब 6.43 मिलियन एकड़ फीट पानी बांधना बाकी है। थीन डेम के बनने के बाद में यह पानी उपलब्ध सारे सिस्टम को होगा, तो यह मानना कि पूरा 17.17 मिलियन एकड़ फीट आज हमको अवेलेबल है, यह भ्रम है। मैंने अपने आंकड़ों के साथ में बताने की चेष्टा की थी कि आज तक जितनी भी फ्लो सीरीज हमारे पास अवेलेबल है उसमें 12 मिलियन एकड़ फीट से कभी पानी अधिक नहीं मिला और 12 मिलियन एकड़ फीट पर जितना पानी का हिस्सा हमारा आता है उसकी केपेसिटी हमारी आज डवलप्ड है यह मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। 1981 के एग्रीमेन्ट में यह कभी भी बात नहीं कही गई कि यदि आपकी केपेसिटी 8 मिलियन एकड़ फीट की बन जाय उसके बाद भी पंजाब को 8.61 मिलियन एकड़ फीट मिलता रहेगा। वह एक उदाहरण के तौर पर वहां पर जिक्र किया गया है कि जब राजस्थान की 8 मिलियन एकड़ फीट से अधिक पानी, 17.17 मिलियन एकड़ फीट की अवेलेबिलिटी पर, 17.17 मिलियन एकड़ फीट की अवेलेबिलिटी महत्वपूर्ण है। आपको उस संदर्भ में इस बात को देखना पड़ेगा कि 17.17 मिलियन एकड़ फीट की अवेलेबिलिटी होगी उस वक्त में राजस्थान की 8 मिलियन एकड़ फीट से केपेसिटी कम होती है, तो उस सूरत में आरजी तौर पर पंजाब के उस पानी के उपयोग ट्रांजिशनल पीरियड में करने की एक बात इसमें कही गई है। मैं एक बात आपसे और कहूं, इसमें यह बात भी कही गई कि जो पानी आज रावी के बिना पर गये हुये आज भी पाकिस्तान को जाता है। आप यह नहीं कह सकते, विरोधी दल के माननीय नेता वहां पर मौजूद थे, दूसरे दल के नेता भी उस मीटिंग में मौजूद थे, वहां पर सिंचाई सचिव व भारत सरकार ने कुछ फिगर्स बतलाये थे, उसमें साफ बतलाया था कि करीब 10 साल के अन्दर 8 मिलियन एकड़ फीट के करीब पानी पाकिस्तान में गया है और पांच साल के पीरियड में करीब 6 सम मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान को जाता है। आज भी कुछ पानी पाकिस्तान को जा रहा है। जब तक वह पाकिस्तान को जाने के लिये पूरी तौर से सरजाम रावी पर नहीं कर लेते या और दूसरा इन्तजाम नहीं हो जाता तब तक उस पानी का कुछ आरजी तौर पर ट्रांजिशनल पीरियड के लिये अगर पंजाब उपयोग करता है तो मैं समझता हूं कि उस पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कोई एतराज नहीं होना

(श्री शिवचरण माथुर)

चाहिये । वही बात स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

एक मिनट । मुझे पहले कहने दीजिये । साथ में एक बात और 1981 की उपलब्धि कही जा सकती है। वह यह कि हमने 1981 के समझौते में यह बात कही कि जब ट्रांजिशनल पीरियड हमारा खतम होगा, उस ट्रांजिशनल पीरियड की समाप्ति के पहले पहले पंजाब, जो उसने ऑलरेडी सिंचाई के साधन बना लिये हैं उनके लिये ऑल्टरनेटिव सोर्सेज बनाने के लिए इंतजाम करेगा, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस एग्रीमेन्ट की कही जा सकती है। मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब ने इस एग्रीमेन्ट के पहले और इसके ठीक बाद में एक बड़े पैमाने पर रिआर्गेनाइजेशन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पानी का उपयोग करने के लिये योजनायें बनाई हैं, जिसका जिक्र पंजाब के मुख्य मंत्रीजी ने कई बार किया है और जब यह एग्रीमेन्ट हो रहा था, उस समय भी इस बात का जिक्र आया था। तो यह बात कहना कि उस समय कोई दबाव में आकर इस बात को स्वीकार किया गया। न तो कोई दबाव था। भारत सरकार के सामने समस्यायें आती हैं और जैसा कि सिंचाई मंत्रीजी ने कहा, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में बात-चीत का सिलसिला आपको हमेशा स्वीकार करना पड़ता है; यदि कोई डिस्प्यूट्स आते है, विवाद उत्पन्न होते हैं, अन्तर्राज्यीय विवाद आते हैं, या राष्ट्र के स्तर पर कोई विवाद उपस्थित होते है, उस समय भारत सरकार उन सारे विवादों को, उन और डिस्प्यूट को डिफ्यूज करने के लिये, समस्याओं को डिफ्यूज करने के लिये सम्बन्धित पार्टियों से बात करती है। उसी बात के आधार को लेकर के तीनों पार्टीज को बुलाया गया था। बहुत खुल कर के सब बातें हुई थीं।

बी. बी. एम. बी. के कन्ट्रोल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्लाज 3 है, उस क्लाज 3 में साफ स्वीकार किया गया है कि जितने भी कान्टेक्स्ट पाइन्ट्स होंगे, उन सब कान्टेक्स्ट पाइन्ट्स को देखने का अधिकार बी. बी. एम. बी. को होगा। उनके मेजरमेन्ट करने का अधिकार होगा और जो फारमुलेशन्स बी. बी. एम. बी. तय करेगा उन फार्मुलेशन्स के आधार पर जो तीनों पार्टनर स्टेट्स हैं, उसका उपयोग करेगी। यह सारी बातें बहुत विस्तार में उसमें कही गई हैं। मुझे समझ में नहीं आता, कहां तो दबाव आ गया और कहां मजबूरी आ गई। हमने कहीं पर भी राजस्थान के हित को वहां पर गिरवी नहीं रखा। राजस्थान के हित को कभी भी एक तरफ रख कर, कोई बात नहीं की। उस समय भी राजस्थान का हित हमारे सामने सर्वोपरि था और आज भी मैं कहना चाहता हूं, बहुत दावे के साथ में और दृढ़ता के साथ मैं, जितनी चिन्ता राजस्थान के हितों की है उससे कहीं ज्यादा राजस्थान के हितों की हमको चिन्ता है, क्योंकि आप तो इस सदन में बैठने वाले कुल मिलाकर शायद 52-53 है, हम लोग 147-148 हैं। राजस्थान के ज्यादा लोगों ने हमको विश्वास दिया है, इसलिये राजस्थान के हितों का जितना ध्यान आपको है उससे कहीं अधिक दुगुना, तिगुना ध्यान हमारी पार्टी को है। तो यह बात कहना कि आप ही केवल एकाधिकार रख कर के राजस्थान के हितों का दावा कर सकते हैं यह बिलकुल गलत है। हमें भी राजस्थान के हितों का उतना ही ध्यान है। मैं एक बात और नम्रता से कहना चाहता हूं

(श्री शिवचरण माथुर)

इसको आप बहुत सफाई से सुन लीजिये कि राजस्थान की इस वक्त भी जो अभी बात-चीत चली जिसको कि ट्रीपार्टाइट हम पारलेज कहते हैं जिसमें कि विरोधी दल के सदस्यों को बुलाया गया, भारत सरकार ने पालियामेंट के अन्दर भी जितने भी अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स हैं उन सबको बुलाया, और न केवल दिल्ली के पालियामेंट के माननीय नेताओं को बुलाया बल्कि सम्बन्धित रियासतों के, सम्बन्धित प्रदेशों के जितने भी विरोधी दल पार्टीज के नेता थे उन सबको आमन्त्रित किया, आपको भी आमन्त्रित किया, और जितने भी पार्टीज आफ अदर स्टेट्स, उन सबको भी वहां पर कहा, आप लोग जानते हैं कि वहां पर हमने एक ही बात कही थी कि राजस्थान के हित का सवाल है, सब लोग एक बात स्वीकार करते थे। आप लोग इस बात को मानेंगे कि सारे देश के अपोजिशन पार्टी के नेता और हमारी केबिनेट सब-कमेटी के मेम्बर्स इस बात को स्वीकार करते थे कि राजस्थान के हिस्से का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, राजस्थान के हिस्से को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जैसा कि सिंचाई मंत्रीजी ने कहा, यह पहली बार 20 फरवरी को हुआ, हम तो पहले अलग-अलग स्टेट के तौर पर तीनों पक्षों से बात करते थे, लेकिन पहली बार 20 फरवरी को जो अकाली दल का प्रतिनिधि मण्डल था उसके सामने राजस्थान की बातचीत हुई, उसमें सबसे पहले खुल कर जब बात सामने आई तो सब लोगों ने कहा कि सबसे पहले अकाली दल के नेताओं के साथ वार्ता हुई थी, उस समय अकाली दल के लोगों ने भी कहा था कि राजस्थान के हिस्से का कोई सवाल नहीं है, आज तो आप उससे क्यों बदलते हैं ? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमने वहां पर भी दृढ़ता से बात कही। विरोधी पक्ष के नेता इस बात को स्वीकार करेंगे कि 20 तारीख के दिन जब अकाली दल नेताओं से अपनी बात-चीत हो रही थी, उस समय अकाली दल के प्रतिनिधि मंडल के नेता बरनाला साहब, जो किसी जमाने में जब आपकी सरकार थी उस समय भारत सरकार के इरिगेशन मंत्री थे, ने अपने भाषण में एक बात कही, एक फार्मूला उन्होंने दिया और उसमें उन्होंने कहा कि आज जो वाटर का यूटिलाइजेशन है राजस्थान का 4.9 मिलियन एकड़ फीट, हरियाणा का 1.9 मिलियन एकड़ फीट, और पंजाब का 3.9 मिलियन एकड़ फीट, उसमें उन्होंने यह कहा था कि मान लिया जाय कि आपके हिसाब से 5.8 मिलियन एकड़ फीट पानी है तो भी जब हिसाब उन्होंने लगाया तो उन्होने 8.6 मिलियन एकड़ फीट का जिक्र किया था, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, उन्होंने यह कहा था कि 5.8 मिलियन एकड़ फीट यदि पानी का उपयोग आज राजस्थान कर रहा है और 8.6 मिलियन एकड़ फीट में से 5.8 मिलियन एकड़ फीट को भी निकाल दिया जाय तो जो 3.5 मिलियन एकड़ फीट है इस पानी को एक ट्रिब्यूनल को रेफर करने वाली बात उन्होंने कही थी। तो वहां पर भी उन्होंने 8.6 मिलियन एकड़ फीट को कभी भी डिस्प्यूट नहीं किया। उन्होंने यह कहा कि जो पानी आज राजस्थान उपयोग नहीं कर रहा है उस पानी को शेयर आफ राजस्थान में से घटा करके उपयोग करने की बात को ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया जाय। तो सिद्धान्ततः उन्होंने 8.6 मिलियन एकड़ फीट जो हमारा फार्मूला था और जो हमारा फिगर था। उसको अकाली दल के लोगों

(श्री शिवचरण माथुर)

भी एक प्रकार से अस्वीकार नहीं किया था लेकिन उन्होंने एक अजीब तरीके का फार्मूला रखा जिसको हमने वहीं पर, उन्हीं के सामने अस्वीकार कर दिया। हमने यह कहा कि यह बात भी कभी सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं की जा सकती कि जो पानी का उपयोग आज हम कर रहे हैं वहां तक तो एक प्रकार से उसे सुरक्षित रख दिया जाय और जो अन-यूटिलाइज्ड वाटर है हमारा, उसको ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया जाय हम कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं सकते। बहुत कैटेगरीकली . . .

(व्यवधान)

टाइम बढ़ा दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : स्वयं ही बढ़ा देंगे।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय इस संकल्प के पारित होने तक के लिये बढ़ाया जाता है।

शासकीय संकल्प

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

श्री शिवचरण माथुर : हमने यह भी कहा, इसको भी विरोधी दल के माननीय नेता जानते हैं, मैंने आंकड़ों के साथ में बताने की कोशिश की कि राजस्थान आज भी अपने पानी को यूटिलाईज करने की ज्यादा क्षमता रखता है उसमें आज राजस्थान का जितना हिस्सा है, आज अवेलेबिलिटी है, उसको यूज करने की आज हमारी क्षमता है। लेकिन सवाल यह है कि आज जिसके हाथ में हैड वर्क्स हैं। अगर हमारा हिस्सा, मान लीजिये, 10 मिलियन एकड़ फीट भी कागज में लिख दीजिये, लेकिन अगर हैड वर्क्स जिस आदमी के पास रहते है, जिस व्यक्ति के पास रहते हैं, वह हैड वर्क्स से पानी नहीं छोड़ता है तो फिर उसका मतलब क्या होता है, यह मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को जब भी, जिस भी मीटिंग में बात आई सबसे पहले रखा है। हमने आज भी इस प्रस्ताव में भी हैड वर्क्स की बात को यहां पर कहा है। मैं समझता हूं कि जब हमारा दिमाग बहुत स्पष्ट है इस बात में और भारत सरकार का इसमें कोई दबाव का सवाल नहीं है, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, भारत सरकार की जो केबिनेट सब-कमेटी थी उन्होंने सदैव इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान का हिस्सा अनडिस्प्यूटेड है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है डिस्प्यूट का, विरोधी दल के नेताओं ने स्वीकार किया और उन्होंने कहीं पर भी यह नहीं कहा कि अकाली दल की जो मांग है उसको आप इस प्रकार से स्वीकार कर लीजिये, बल्कि कल भी जब हमको बुलाया गया तो हमने साफ तौर से यह कहा कि अकाली दल की बात कुछ भी कहिये, अकाली दल कुछ भी बात आपके सामने रखे, हमारा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। हमारा दृष्टिकोण आपके सामने है, जो कुछ भी बात हम उस दिन महसूस करते थे वह बात आज भी हम आपसे कहना चाहते हैं। तो भारत सरकार की केबिनेट सब-कमेटी के मैम्बर्स ने यह कहा कि ठीक है, आपका जो दृष्टिकोण है हमने समझ लिया है और हम सामने वाली पार्टी को यह कह देना चाहते हैं कि राजस्थान भी अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ है, हरियाणा वाले भी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं इसलिए अब पार्लियामेंट में, मैं समझता हूं, हो सकता है कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट सामने आये और उसमें निश्चित रूप से जो हमारा

(श्री शिवचरण माथुर)

दृष्टिकोण हमने भारत सरकार के सामने रखा था वह दृष्टिकोण साफ तौर से सामने आयेगा। अखबारों में भी कल की जो रिपोर्टिंग देखी होगी, आज जो अखबारों में आई है उसमें भी साफ तौर से इस बात को अखबार वालों ने भी कहा है इसलिए यह बात कहना और निरन्तर एक के बाद दूसरे माननीय सदस्य इसी बात को रिपीटेडली कहते गये, अन्त में जाकर यह जरूर कहते है कि हम आपके साथ हैं, हम ये हैं, वह हैं, लेकिन एक बात उन्होंने रिपीटेडली कही हैं, 1981 के एग्रीमेंट के बारे में उन्होंने बहुत शंका प्रकट की। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1981 का एग्रीमेंट राजस्थान के हितों से कहीं पर भी कोई अलग करने वाली बात नहीं, राजस्थान के हित में वह था और उसमें राजस्थान को उपलब्धि मिली है। आज जैसा कि सिंचाई मन्त्रीजी ने कहा, अगर व राजस्थान के हित में नहीं होता तो आज अकाली दल उसका रिवाइज वाली बात क्यों कहता। जो 6 पाइन्ट फार्मूला अकाली दल ने दिया है, 6 पाइन्ट जो दिये हैं उन्होंने उसमें यह कहा है कि 1981 का एग्रीमेन्ट रिवाइज कर दिया जाय। अगर वह अकाली दल के लिए कुछ लाभदायक बात होती और दूसरी स्टेट के बारे में उसको कोई एतराज होता, तो अकाली दल रिवाइज करने वाली बात क्यों कहता? अकाली दल ने उसको रिवाइज करने वाली बात कही है। माननीय भैरोंसिहजी जानते हैं कि हमने और भी पत्रों द्वारा भी जो भारत सरकार को कहा, उसमें एक बात बहुत साफ लिखी है कि हमारा जो 1955 का एग्रीमेन्ट है वह सेक्रोसान्ट है और उसी हिसाब से राजस्थान के हिस्से को आप मानियेगा। अगर आपको करना है तो 1976 का जो नोटिफिकेशन है भारत सरकार का उसमें जो पंजाब और हरियाणा को अलग अलग तौर से जो पानी का बंटवारा किया गया है उसको आप कहीं पर भी रेफर कीजिये हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन जहां तक राजस्थान के 1955 के एग्रीमेन्ट के हिसाब से जो हमारे हिस्से का सवाल है जिसको कि 1981 में रीएट्रेट किया गया, और हमारे हिस्से को प्रोरोटा बेसिस पर रिडिफाइन किया गया उसमें कहीं पर भी न तो कोई दूसरी बात है और न कोई राजस्थान के हितों को ताक में रख देने की बात का सवाल आता है। मैं एक बात आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि न तो भारत सरकार, इन्दिरा गांधी और उनके सहयोगी मन्त्रीगण राजस्थान के हितों की अवहेलना करना चाहते हैं। उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्थान के हित सर्वोपरि हैं और उनसे कोई इन्कार नहीं कर सकता। भारत के तत्कालीन प्रधान मन्त्री जवाहर लालजी का उद्धरण मैंने आपके सामने पढ़ करके सुनाया। इन्दिराजी से भी हम जब जब भी मिले उन्होंने कहा कि राजस्थान के पानी का कोई प्रश्न नहीं है, पंजाब, हरियाणा का सवाल आयेगा, तब उनसे अलग बात कर लेंगे। केबिनेट सब-कमेटी के मैम्बर्स ने भी, जब जब भी हमसे बातचीत की है, प्रस्ताव अकाली दल के, यह हमको जरूर कहा कि ये उनके प्रस्ताव हैं इस पर आपका अभिमत क्या है, यह अभिमत जानने वाली बात उन्होने हमेशा कही है लेकिन कोई अपनी तरफ से यह बात कही हो कि आप इस बात को मान लीजिये, मैं समझता हूं कि यह बात बिल्कुल

(श्रीशिवचरण माथुर)

निराधार है निर्मूल हैं और आपकी शंका राजनैतिक आधार पर आप भले ही यहां कहें, आपकी मर्जी है लेकिन उस वार्ता में तो विरोधी दल के माननीन सदस्य भी वहां पर मौजूद थे और जिस हालत में जिस परिवेक्ष में और जिस भावना में वहां पर चर्चा हुई है उस सबसे आप परिचित हैं। उसके बाद भी यहां पर दूसरी बात कह करके और उसका दूसरा राजनैतिक मतलब निकालें, यह आपकी मर्जी है। मैं तो चाहता था, इस प्रस्ताव को हम उसी भावना से सबका एक मत है इस बारे में कि राजस्थान के हितों का जहां तक प्रश्न आता है हम एक मत हो करके दृढ़तापूर्वक यह कहना चाहते हैं कि यदि अकाली दल कुछ दबाव डाले, आन्दोलनों का या और धमकी दे तो उसमें राजस्थान के लोग सब एक हैं, किसी के सामने झुकने का प्रश्न नहीं है। इसी बात को ले करके राजस्थान की जनता की भावनाओं को व्यक्त करने का प्रश्न ले करके मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन के सामने आया था। मैं समझता हूं कि उसी भावना से यदि आपने उसको समर्थन दिया होता, समर्थन तो आपने दिया लेकिन कन्डीशनल दिया, सशर्त दिया, 1981 के फार्मूले को आपने राजनैतिक दृष्टि से तोड़ मरोड़ने की कोशिश की, उसके अलग-अलग पहलुओं को समझने की चेष्टा नहीं की और अलग-अलग तोड़ मरोड़ करके और कन्डीशनल सपोर्ट देने वाली बात की, मैं समझता हूं इसकी ग्रेस थोड़ी बहुत तो कम हुई है। अगर इस प्रस्ताव की एक भावना से हम एक मत से यह कह करके कि 1981 में जो भी हुआ है वह राजस्थान के हितों के अनुकूल हुआ है, आज उससे ज्यादा हितों के अनुकूल बात हम कह कर आये हैं, यदि आप यह बात कहते तो ज्यादा ग्रेस रहती लेकिन जो भी हो, आपने एक मत से इस प्रस्ताव का समर्थन किया है इसके लिये मैं आपका आभार मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक मामूली से संशोधन का प्रस्ताव मैं करना चाहता हूं, वह इसलिए जरूरी है कि जितने भी पुराने एग्रीमेंट्स हैं उसमें सबमें वर्ड अलोकेशन आया है इसलिए प्रस्ताव का जो पहला पैराग्राफ है—

"The people of Rajasthan are greatly agitated on the demand made by the Punjab Akali Dal for a judicial review of distribution of Ravi- Beas Waters............."

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि—

Judicial review of allocation of Ravi-Beas Waters कर दिया जावे।

इस संशोधन के साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को आप लोग सर्वसम्मति से पास करें और राजस्थान के हितों के सन्दर्भ में सब लोग एक होकर के इस स्थिति का मुकाबला करने की तैयारी रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, नहीं जवाबी जवाब नहीं है, कोई सवाल पूछना है न कुछ कहना है। मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि हमने इसको सशर्त समर्थन दिया है। ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने रिजर्वेशन्स रखे थे और रिजर्वेशन्स इस नाते से रखे थे, मेरी यह मान्यता अब भी है कि 1981 का समझौता करके आपने ठीक नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, एक ही मिनट में, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहता लेकिन आपने जो कुछ इस सदन में कहा उससे यदि आपको कन्फ्रन्ट करूं आज के दिन तो स्थिति सारी साफ होती है।

श्री अध्यक्ष : यह अवसर उपयुक्त नहीं है उसके लिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं सारी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता—डिटेल्स में जाऊंगा तो हो सकता है कि इसका लाभ दूसरी पार्टी उठाये। आप यह समझ कर मत चलो कि उसके तर्क नहीं है या उसकी स्थिति दूसरी है लेकिन राजस्थान के हित में, मैं उन चीजों को सामने नहीं with my reservations on this subject मैंने उसका समर्थन किया है और जो आपने लिखा है उसका समर्थन हम कर रहे हैं। उसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है इसलिए आप उसको सशर्त कर करके कमजोर बनाना चाहें प्रस्ताव को तो आपकी मर्जी की बात है, आप इसको कमजोर ले लें वरना हमने तो जिस दिल से, मन से, तन से, जिस प्रकार का सहयोग करने की घोषणा की है उसके बाद में तो आपको अभिभूत होना चाहिए और इसकी पूरे दिल से प्रशंसा करनी चाहिये। लेकिन प्रशंसा की जगह कुछ ऐसा लगा कि आप तो यह हमारी जो बात कहने वाली है वह कुछ अच्छी नहीं लगी। तो, मुख्य मंत्री जी, हम चापलूसी करने के लिए तो यहां नहीं है। सही बात हाउस में कही जाय, उसके लिए तो हैं। समर्थन करना प्रस्ताव का, यह एक ऐतिहासिक घटना है, उस ऐतिहासिक घटना के लिए आपको विरोधी पक्ष को एप्रिशिएट करना चाहिए और एक 1981....

श्री अध्यक्ष : ताकि मिलावटी नहीं लगे प्रस्ताव भी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री अध्यक्ष : संकल्प मिलावटी नहीं लगें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, इसलिए बुराई कर रहे हो, तो आपत्ति नहीं है।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से और सिंचाई मन्त्री महोदय से थोड़ी शंका है वह समाधान करना चाहता हूं। 20 फरवरी को अपनी त्रिपक्षीय वार्ता के अन्दर अपन अकालियों के साथ भी बैठे थे तो उस समय हरिकिशन-सुरजीत ने जो प्रस्ताव रखा था कि 1981 को स्क्रेप कर दिया जाय, अपनी भी यह राय थी और 76 का नोटिफिकेशन था, उसको भी रद्द कर दिया जाय और 55 को छेड़ा नही जाय तो यह करीब-करीब तय हो गई थी और ठीक है समाप्त हो जायगा और अकाली भी तैयार हो जायेंगे तो फिर यह बात कैसे खड़ी हुई, मैं यह मुख्य मंत्री जी जानना चाहता हूं।

श्री आत्माराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात बीच में ही रह गई। यह 17-18 साल से कानून बन गया है। पंजाब रिआर्गेनाईजेशन का, वह यह कन्ट्रोल का कब तक हल कर देंगे ? उसके बारे में क्या प्रयत्न करेंगे ? इसके बारे में स्पष्ट हो जाय।

श्री अध्यक्ष : दूसरे अवसर पर आप कहें।

(व्यवधान)

श्री आत्माराम चौधरी : इसकी वजह से

(श्री आत्मा राम चौधरी)
कितना नुकसान हो रहा है, वह मेरे ख्याल से मैं समझा नहीं सका।

श्री अध्यक्ष : दूसरे किसी अवसर पर इस का जवाब दिलायेंगे।

प्रश्न यह है कि संकल्प में जो संशोधन मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें भी बहुमत नहीं है, वह भी सर्व सम्मति से है।

श्री अध्यक्ष : सर्व सम्मति से संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संकल्प सदन के नेता ने प्रस्तुत किया है उसको संशोधन सहित अभिस्वीकृत किया जाय।

(स्वीकृत)

संकल्प सर्वसम्मति से अभिस्वीकृत किया गया सभा की कार्यवाही कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 7.17 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 24 फरवरी, 1983 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या ४४ की सूची

प्रशिक्षित व्यवस्थापकों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रशिक्षित व्यवस्थापकों की संख्या	क्र. सं.	जिले का नाम	प्रशिक्षित व्यवस्थापकों की संख्या
1.	अजमेर	103	15.	झालावाड़	160
2.	अलवर	255	16.	सिरोही	35
3.	बाड़मेर	190	17.	उदयपुर	94
4.	बीकानेर	69	18.	टोंक	93
5.	बून्दी	112	19.	सवाई माधोपुर	213
6.	भीलवाड़ा	104	20.	श्री गंगानगर	180
7.	भरतपुर	305	21.	चित्तौड़गढ़	109
8.	बांसवाड़ा	33	22.	जैसलमेर	30
9.	कोटा	258	23.	जोधपुर	189
10.	सीकर	94	24.	डूंगरपुर	29
11.	झुन्झुनूं	101	25.	पाली	153
12.	जालौर	90	26.	जयपुर	203
13.	नागौर	203		[illegible]	3520
14.	चूरू	115			

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 91 की सूची

अलवर संभागान्तर्गत विभिन्न आगारों में कार्यरत निगम वाहनों की सूची:—

क्र. सं.	आगार का नाम	निगम वाहनों की संख्या
1.	अलवर	115
2.	भरतपुर	66
3.	धौलपुर	30
4.	कोटपूतली	56
	कुल योग ..	267

अलवर संभागान्तर्गत विभिन्न आगारों में कार्यरत अनुबन्धित वाहनों की सूची:—

क्र. सं.	आगार का नाम	अनुबन्धित वाहनों की संख्या
1.	अलवर	10
2.	भरतपुर	8
3.	कोटपुतली	5
4.	धौलपुर	शून्य
	कुल योग ..	23

अलवर संभागान्तर्गत निगम की जिन वाहनों में शीशे या पर्दे नहीं हैं उनकी सूची:—

क्रम संख्या	वाहनों के नम्बर	
1	2	
	अलवर आगार	
1.	आर. एस. जी.	79
2.	आर. आर. एम.	391
3.	आर. आर. जी.	1870
4.	आर. आर. जी.	2194
5.	आर. एस. जी.	2373
6.	आर. एस. जी.	2374
7.	आर. आर. जी.	2925
8.	आर. आर. जी.	2990
9.	आर. एस. जी.	3002
10.	आर. एस. जी.	2721
11.	आर. एस. जी.	3110
12.	आर. एस. जी.	3225
13.	आर. एस. जी.	3340
14.	आर. आर. जी.	4083
15.	आर. एस. जी.	5546
16.	आर. एस. जी.	5927
17.	आर. एस. जी.	5562
18.	आर. एस. जी.	5981
19.	आर. एस. जी.	7161
20.	आर. एस. जी.	7196
21.	आर. आर. जी.	7912

174

1	2	
22.	आर. आर. जी.	8693
23.	आर. आर. जी.	7210
24.	आर. आर. जी.	8694
25.	आर. आर. एम.	8499
26.	आर. आर. जी.	9698
27.	आर. आर. जी.	8720
28.	आर. आर. जी.	9058
29.	आर. आर. जी.	9061
30.	आर. आर. जी.	9068
31.	आर. आर. जी.	9069
32.	आर. आर. जी.	9070
33.	आर. आर. जी.	9073
34.	आर. आर. जी.	6206
35.	आर. आर. जी.	9072
36.	आर. आर. जी.	8717
37.	आर. एस. जी.	2722
38.	आर. आर. जी.	2103
39.	आर. आर. जी.	8687
40.	आर. आर. जी.	8130
41.	आर. एस. जी.	7408
42.	आर. एस. जी.	2110
43.	आर. आर. जी.	9076

भरतपुर आगार

1.	आर. आर. जी.	6796
2.	आर. आर. जी.	6794
3.	आर. आर. जी.	4914
4.	आर. एस. बी.	7771
5.	आर. आर. जी.	3188
6.	आर. एस. जी.	2378
7.	आर. एस. एम.	9920
8.	आर. एस. एम.	9228
9.	आर. आर. जी.	3833
10.	आर. एस. जी.	5923
11.	आर. एस. एम.	8502
12.	आर. एस. के.	2246

धौलपुर आगार

1.	आर. एस. जी.	6227
2.	आर. एस. जी.	5424
3.	आर. आर. जी.	9238

कोटपूतली आगार

1.	आर. आर. जी.	8688
2.	आर. आर. जी.	7213
3.	आर. आर. जी.	8697
4.	आर. आर. जी.	2304
5.	आर. आर. जी.	8712
6.	आर. एस. जी.	3148
7.	आर. आर.जी.	8679
3.	आर. आर. जी.	8676
9.	आर. आर. जी.	8194
10.	आर. आर. जी.	8680
11.	आर. आर. जी.	8696
12.	आर. आर. जी.	8681
13.	आर. आर. जी.	8690
14.	आर. आर. जी.	8686

(175)

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 96 का विवरण

प्रपत्र "क"

राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर-8 के अन्तर्गत अब तक ली गई भूमि की चौड़ाई

क्र.सं.	किलोमीटर	ली गई भूमि की चौड़ाई
1.	107 से 145	45.072 मीटर
2.	146 से 185	27.00 मीटर
3.	186 से 203	45.072 मीटर
4.	204 से 244	27.0 मीटर
5.	245 से 250	45.72 मीटर
6.	250/0 से 250/800	60.00 मीटर
7.	256/800 से 262/600	90.00 मीटर
8.	262/600 से 271	जयपुर शहर की सड़क
9.	271/0 से 330/0	45.72 मीटर
10.	330/0 से 348/0	60.00 मीटर
11.	348/0 से 360	30.00 मीटर
12.	368/6 से 370/0	20.00 मीटर (किशनगढ़ शहर)
13.	370/0 से 382/0	30.00 मीटर
14.	382/0 से 384/0	45.00 मीटर
15.	384/0 से 392/0	30.00 मीटर

नोट:—उपरोक्त किलोमीटरों का जीरो दिल्ली पर स्थित है।

16.	0/0 से 5/0	अजमेर शहर (जीरो अजमेर पर)
17.	5/0 से 90/0	30.00 मीटर
18.	90/0 से 142/400	30.00 मीटर
19.	142/400 से 278/0	45.00 मीटर
20.	273/0 से 389/0	60.00 मीटर

———

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

डूंगरपुर के ग्रामीण मार्गों का राष्ट्रीयकरण

97. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में 80-90 प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है जब कि किसी भी अन्य जिले में ऐसा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या इस राष्ट्रीयकरण से उक्त जिले के गांवों की जनता काफी परेशान है ?

(3) क्या सरकार डूंगरपुर जिले में भी अन्य जिलों की भांति प्राइवेट बसोंको परमिट देने की इच्छा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

बगडून्दा (गोगुन्दा) स्कूल की क्रमोन्नति

99. श्री मेघराज तावड (गोगुन्दा): शिक्षा (प्राथमिक एव माध्यमिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गोगुन्दा तहसील में बगडून्दा मिडिल स्कूल कौन से वर्ष से है ? क्या सरकार इसे सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने का इरादा रखती है ?

(2) क्या पूर्व में इस स्कूल को सैकण्डरी स्कूल बनाने के लिये आदेश भी हुए थे ? यदि हां, तो अब तक क्यों नहीं क्रमोन्नत किया गया ?

उत्तर

(1) गोगून्दा तहसील में बगडून्दा- मिडिल स्कूल वर्ष 1968-69 से सन् 1983-1984 में नये माध्यमिक विद्यालय- खोले जाने की स्थिति में ही विचार किया जा सकेगा ।

(2) जी नहीं ।

राजगढ़ (चूरु) तहसील के ग्राम पंचायत मुख्यालयों का सड़क से सम्पर्क

100. श्री दीपचन्द (सार्दुलपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या चूरू जिला योजना समिति ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राजगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत गालड़, भगेला, नवां एवं तुहद के मुख्यालयों को पक्की सड़कों से जोड़ने के प्रस्ताव विभाग को भेजे थे ?

(श्री दीपचन्द)

(2) क्या विभाग ने प्रस्तावों को स्वीकृति देकर उक्त सड़कों के निर्माण कार्य शुरु करने हेतु अधिशाशी अभियन्ता, चूरू को निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक स्वीकृति जारी कर दी जायेगी ।

उत्तर

(1) जी नहीं, 20 सूत्री कार्यक्रम में सड़क निर्माण का कोई सूत्र नहीं है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला पाली में अकाल राहत कार्य

101. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले में इस वर्ष अकाल राहत के तहत कितने कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं एवं विभिन्न कार्यों पर कितने श्रमिक कार्यरत हैं ? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पाली जिले में इस वर्ष अकाल राहत व्यवस्था के अन्तर्गत अब तक 113 कार्य प्रारम्भ कर दिये हैं जिन पर 11839 श्रमिक कार्यरत हैं इनकी पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

राजस्थान सरकार

सहायता विभाग

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	सिंचाई कार्य		भू-संरक्षण कार्य	
		संख्या कार्य	श्रमिक संख्या	संख्या कार्य	श्रमिक संख्या
1.	पाली	5	870	1	92
2.	रोहट	6	1060	1	67
3.	रानी	5	398	4	343
4.	मारवाड़ जंक्शन	8	927	3	98
5.	सोजत	9	1049	3	224
6.	रायपुर	3	370	3	82
7.	जैतारण	9	1452	10	503
8.	देसूरी	8	477	3	205
9.	वाली	9	854	2	87
10.	सुमेरपुर	5	793	5	339
	योग:–	67	8,250	35	2,040

उपरोक्त के अतिरिक्त 11 सा. नि. विभाग के सड़क कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जो निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	नाम कार्य	श्रमिक संख्या
1.	रोहट, जालौर सड़क	102
2.	देवान्दी से गेलावास सड़क	109
3.	रामसिया-नाडोल सड़क	89
4.	वरद्धपाली-सिरोही सड़क	240
5.	बिजापुरा-गोरिया सड़क	200
6.	नाना से भिमाना सड़क	99
7.	वरपाली-सिरोही सड़क	249
8.	सोजत-राजोला-सरदार समंद	162
9.	सोजत से वभाना, धुन्धला	84
10.	जैतारण से पाटवा	125
11.	बैरवा कालीघाट	90
	योग	1549

बीकानेर आगार का तेल प्रकरण

162. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर-आगरा में 30-11-1981 को भारतीय तेल निगम से प्राप्त आंयल के ड्रम तेल के बजाय पानी से भरे पाये गये ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले की रिपोर्ट डी. एम. ई. (संभागीय यांत्रिक अभियन्ता) को भी दी गई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? नहीं तो, क्यों ?

(3) क्या इस मामले की विभागीय जांच हुई ? यदि हां, तो इसमें दोषी कौन पाये गये और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं । वास्तविकता यह है कि दिनांक 28-11-81 को प्राप्त हुए ड्रमों में से, दो ड्रमों में कुछ पानी मिला पाया गया ।

(2) जी हां । सम्भागीय यांत्रिक अभियन्ता, बीकानेर द्वारा विक्रय प्रबन्धक भारतीय तेल निगम, बीकानेर को सूचना दी गई और निरीक्षण करवाया गया । बैरल रिप्लेशमेंट करवाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) विभागीय जांच का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

कामकाजी महिलाओं को होस्टल सुविधा

103. **श्रीमती विद्यापाठक** (सांगानेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा

(श्रीमती विद्या पाठक) करेंगे :—

(1) राज्य में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में कामकाजी महिलाओं के लिए कितने होस्टल्स स्वीकृत किये गये और प्रत्येक को क्या क्या व किस प्रकार के साधन सहायता अथवा सुविधा दी गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त होस्टल्स में से वर्तमान में कितने चालू हैं एवं कितने बन्द हैं और कहां-कहां ? होस्टल्स के बंद होने के क्या-क्या कारण रहे ?

(3) कामकाजी महिलाओं को होस्टल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की अब क्या योजना है ?

उत्तर

(1) कामकाजी महिलाओं के छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृतियों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती।

(2) इन छात्रावास भवनों में से केवल अजमेर का भवन ही पूर्ण हो चुका है। शेष निर्माणाधीन है।

(3) कामकाजी महिलाओं के छात्रावास भवन निर्माण हेतु केन्द्र सरकार (समाज-कल्याण कार्य में लगे) स्वयं सेवी संस्थाओं या पब्लिक ट्रस्टों को केवल भवन निर्माण हेतु 75 प्रतिशत सहायता दी जाती है।

———

राजस्थान में कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास भवनों की स्वीकृति की सूचना—

क्र. सं.	स्थान	संस्था का नाम जिसको स्वीकृति दी गई व वर्ष	केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कुल राशि व वर्ष	वास्तव में भुगतान की गई राशि	माह दिसम्बर, 1982 तक का व्यय	भवन निर्माण की प्रगति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलवर	बाल हित शिक्षा समिति, अलवर	6,13,900 / 1981	4,60,425	5,06,000	प्लास्टर हो कर लकड़ी बिजली, नल लगाने का कार्य शेष है।	चूंकि भवन अभी रहने योग्य नहीं हुआ है अतः छात्रावास प्रारंभ नहीं हुआ है।
2.	श्री गंगानगर	श्री गुरू नानक खालसा कालेज व स्कूल, श्री गंगानगर	7,17,748 / 1981	5,38,311	4,99,515	ग्राउण्ड फ्लोर का कार्य पूर्ण हो चुका है। फर्श, सेनेटरी, बिजली फिटिंग आदि का कार्य शेष है तथा प्रथम मंजिल में भी यही स्थिति है।	,, ,,
3.	वनस्थली	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	11,35,500 / 1981	4,67,750	7,63,328	ग्राउण्ड फ्लोर का चूने, मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा प्रथम मंजिल का कार्य प्रगति पर है।	,, ,, ,,

4.	भूसावर	श्री आर्य विद्यापीठ सोसायटी, भुसावर	8,57,248 / 1982	4,28,624	6,00,000	कुल 3 ब्लाक बनाने थे । एक ब्लाक पूर्ण हो गया । दूसरे का प्लास्टर, सेनेटरी व बिजली का कार्य शेष है । तीसरे में पत्थर का कार्य प्रारम्भ हो गया है ।	चूंकि भवन अभी रहने योग्य नहीं हुआ है, अतः छात्रावास प्रारम्भ नहीं हुआ है ।
5.	अजमेर	किंग एडवर्ड सप्तम मेमोरियल रेस्ट हाउस सोसायटी, अजमेर	1,30,260 / 1971–72	1,30,260	1,65,000	—	भवन पूर्ण हो चुका है किन्तु प्रचार के बावजूद भी इस भवन के उपयोग हेतु कामकाजी महिलायें नहीं आई । अतः भारत सरकार की अनुमति से भारतीय बाल कल्याण परिषद् को उपयोग हेतु किराये पर दिया गया है ।
6.	जयपुर	बाल मन्दिर, जयपुर	1,80,936 / 1976–77	1,80,936	—	—	संस्था ने 1,80,936 की पूर्ण राशि समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को दिनांक 18-11-80 को

Page No 182

1	2	3	4	5	6	7	8
							डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा वापस लौटा दी है। इसका कारण यह रहा कि निर्माण कार्य की कीमत बढ़ जाने के कारण संस्था ने अधिक राशि की मांग की, जो स्वीकृत नहीं हुई।
7.	सांगरिया	मीरा शिक्षा समिति, सांगरिया	12,47,516 1982–83	3,11,879	—	स्वीकृति माह नवम्बर, 1982 के अन्त में प्राप्त हुई है। कार्य प्रारम्भ करने हेतु सामग्री जुटायी जा रही है।	

चितलवाना (सांचोर) को सब-तहसील बनाना

104. **श्री कनक राज मेहता (सांचोर):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार सांचौर तहसील की घनी आबादी व ग्रामों की संख्या को देखते हुए सांचौर तहसील के ग्राम चितलवाना में सब-तहसील खोली जानी आवश्यक नहीं समझती ?

(2) यदि हां, तो उक्त ग्राम में अब कब तक सब-तहसील खोली जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

पंचायत समिति, बालोतरा के पशु-आहार केन्द्र

105. **श्री अमरा राम (पचपदरा) :** क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष पंचायत समिति, बालोतरा में पशुओं के लिये घास और पशु आहार के कुल कितने केन्द्र खोले गये हैं ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त केन्द्रों से कुल कितना घास पशु पालकों ने खरीदा जिस पर सरकार की ओर से कितनी राशि की सहायता, अनुदान दिया गया ? कृपया, विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) इस वर्ष पंचायत समिति, बालोतरा में 9 पशु पोषण केन्द्र खोले गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं:—

क्र. सं.	नाम पशु पोषण केन्द्र
1.	कल्याणपुरा
2.	बागलोप
3.	नेबरी
4.	ढोली
5.	पारलू
6.	कितनोद
7.	बडीबाड़ा
8.	टापरा
9.	कालूडी

अभी घास की बिक्री के लिये कोई केन्द्र नहीं खोले गये ।

(2) अभी घास की बिक्री हेतु कोई केन्द्र नहीं खोले गये । घास की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु पंचायत समिति, बालोतरा को 50,000 रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत किये गये हैं जिससे वह चारा खरीदकर बिक्री की व्यवस्था करे । इस घास पर 10 रु. प्रति क्विन्टल की दर से अनुदान दिया जावेगा जिससे परिवहन आदि का व्यय पशु पालकों पर न पड़े एवं पशु पालकों को सस्ती दर पर चारा मिल सके । पशु पोषण केन्द्रों हेतु राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ 2 किलो पोषाहार जिसका मूल्य रु. 2.50 होगा । प्रति पशु प्रति दिन की दर से उपलब्ध करायेगा। इसमें से 1.50 रु. राज्य सरकार अनुदान देगी एवं एक रुपया पशु पोषण संस्था देगी जिसमें पशु पालकों का हिस्सा 80 पैसा एवं उस संस्था का हिस्सा 20 पैसा होगा ।

Page No 184

(184)

कोल विद्युत परियोजना में राज्य का हिस्सा

106. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) व श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या हिमाचल प्रदेश की ओर से राज्य सरकार को कोल विद्युत परियोजना में साझीदारी का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो राज्य सरकार का इस हिस्सेदारी के बारे में क्या विचार है ?

उत्तर

जी हां। इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा रखने के बारे में राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों में सहमति हो चुकी है। परियोजना की लागत में राजस्थान का हिस्सा 60 प्रतिशत तथा उत्पादित विद्युत में राजस्थान का हिस्सा 51 प्रतिशत रखा जाना प्रस्तावित है।

उदयपुर के ऋषभदेव मन्दिर के कर्मचारियों को वेतन

107. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर के भगवान ऋषभदेव मंदिर में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और प्रत्येक को कितना वेतन दिया जाता है एवं कितने घन्टे कार्य लिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि जो वेतन उन्हें दिया जाता है, वह अति अल्प है ? यदि हां, तो इसे बढ़ाने के लिए विभाग क्या प्रयत्न कर रहा है एवं कब तक कितना वेतन बढ़ा दिया जायेगा ?

(3) क्या देवस्थान विभाग ने अपने कामगरों को वेतन देने का कोई मापदण्ड तय कर रखा है ? यदि हां, तो कृपया, उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय, आत्मनिर्भर मंदिर श्री ऋषभदेवजी, ग्राम धूलेव, जिला उदयपुर में कुल 133 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों में से नियमित 74 कर्मचारियों से नियमानुसार 8 घण्टे कार्य लिया जाता है तथा शेष अंशकालिक कार्यकर्ताओं से आवश्यकतानुसार काम लिया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी को देय वेतन एवं महंगाई का मानचित्र सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। मन्दिर के कर्मचारियों को वेतन उनके कार्यभार उदाहरणार्थ अंशकालिक/पूर्ण-कालिक की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मन्दिर के स्वीकृत बजट के प्रावधानों के अनुसार देय होता है। जहां तक वेतन बढ़ाने का प्रश्न है मन्दिर की आय को दृष्टिगत रखते हुये समय पर बढ़ाया जाता रहा है। अन्तिम वेतन वृद्धि दिनांक 1-4-81 से की गई है।

(3) देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यभार मन्दिरों के पूर्ण कालीन कर्मचारियों का वेतन समय समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित वेतनमानों के अनुसार देय होता है, किन्तु राजकीय आत्मनिर्भर मन्दिरों के पूर्णकालिक कर्मचारियों को उन मन्दिरों की आय पर आधारित स्वीकृत बजट के प्रावधानों के अनुसार वेतन निश्चित कर चुकारा किया जाता है। अंशकालिक कर्मचारियों को वेतन उनके कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए मंदिर के बजट में प्रावधान रख कर भुगतान किया जाता है।

राजकीय प्रात्म-निर्भर मंदिर श्री ऋषभदेव जी धूलेव, उदयपुर में कार्यरत कर्मचारियों को देय वेतन का मानचित्र

क्र.सं.	पद	पदों की संख्या	वेतनमान	वेतन	महंगाई	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रभारी अधिकारी	1	500-15-575-20-675	625	75	700
2.	अधिकारी फोर्स	1	425-15-500-20-600	425	125	550
3.	नामेदार, केशियर कामदार सराय	3	175-8-215-10-315	315X3	75X3	1,170
4.	पेशकार	1	,, ,,	285	75	360
5.	कामदार, केशर संभाल, सराय सम्पदा, रेकर्ड कीपर, अलमद धवेल	6	150-5-175-8-255	255X6	50X6	1,830
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्म.	1	100-5-125-8-205	133	50	183
7.	जमादार	2	140-5-165-8-245	155X2	50X2	410
8.	हवलदार	8	,, ,,	140X8	50X8	1,520
9.	सिपाही	38	130-5-155-8-235	130X38	50X38	6,840
10.	चौकीदार	13	100-5-125-8-205	105X13	50X13	2,015
11.	विविध पद :					
		9	,, ,,	105X9	50X9	1,395
		27	,, ,,	100X27	50X27	4,050
		1	,, ,,	133	50	183
	पुजारी	1		65	15	80
	नगारची	5		75X5	35X5	550
	नगारची	1		60	25	85
	धोबी	1		80	25	105
	धोबी	1		75	30	105
	हरिजन	7		90X7	30X7	840
	हरिजन	1		40	—	40
	जमादार	1		95	30	125
	प्याऊ वाला	1		55	10	65
	हरिजन	1		70	10	80
	धोबी	1		85	20	105
	प्याऊ वाली	1		55	25	80
		133				

पटवार मण्डलों का पुनर्गठन

109. श्री **राम किशोर मीणा** (सिकराय) व श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई व अन्य सुविधाओं के विकास के कारण पटवार मण्डलो पर बढ़े बोझ को हल्का करने के उद्देश्य से पटवार मण्डलों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस पुनर्गठन को करने हेतु सिफारिश करने के लिये राजस्व मण्डल के सदस्य श्री के. बी. शंकरन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था ?

(3) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने इसकी क्रियान्विति हेतु क्या क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) पटवार मंडलों में बढ़े हुए कार्यभार को देखते हुए पटवार मण्डलों का पुनर्गठन करने का काम हाथ में लिया है। अब तक राज्य के 14 जिलों के पटवार मण्डलों का पुनर्गठन किया जा चुका है। शेष 13 जिलों में कार्य प्रगति पर है।

भीनमाल के ग्रामों का विद्युतीकरण

110. श्री **सूरजपालसिंह** (भीनमाल) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीनमाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कुल कितने गांव विद्युतीकृत कर दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भीनमाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कितने गांव ऐसे हैं, जिनको विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है एवं काश्तकारों ने विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किये हुए हैं परन्तु उन गांवों में लाइनें नहीं खींची हुई होने से विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं ?

(3) भीनमाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कितने गांवों की एस. पी. ए. स्कीम बनाई जा चुकी है एवं शेष गांवों की एस. पी. ए. स्कीम कब तक बना दी जायेगी ?

(4) भीनमाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों की कितनी-कितनी फाइलें पेन्डिग हैं ? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) भीनमाल की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सभी 59 गांव विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) भीनमाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 18 ग्राम नोन-पोटेंशियल ग्राम हैं जिन्हें विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है लेकिन वहां कृषि कनेक्शन

(ऊर्जा मंत्री)

नहीं दिये गये हैं। इन ग्रामों में से 6 ग्रामों के कृषकों द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु मण्डल के निर्धारित प्रोग्राम में उक्त कार्य हेतु प्रावधान नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है। शेष 12 ग्रामों में कृषकों द्वारा अभी कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) भीनमाल की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के 23 विद्युतीकृत ग्रामों में 530 कुओं को ऊर्जीकरण करने हेतु एक एस. पी. ए. योजना कार्यरत् है जिसके अन्तर्गत 452 कुए ऊर्जीकृत किए जा चुके हैं। शेष ग्रामों की अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है, अतः निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है।

(4) भीनमाल की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत 47 गांवों की 1025 कृषि फाइलें पेन्डिग हैं। वर्षवार पेन्डिग फाइलों का विवरण सूची "ब" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

सूची (अ)

पंचायत समिति भीनमाल की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत गांव/विद्युतीकृत गांवों की सूची:—

क्र. संख्या	ग्राम का नाम	कोड नम्बर	विद्युतीकरण की दिनांक
1	2	3	4
1.	भागल भीम	17/4/59	1-1-76
2.	जूजानी	58	29-2-76
3.	गासेडी	83	1-1-76
4.	नरता	56	31-3-76
5.	कोट-कासता	87	..
6.	भागल सेपटा	55	31-3-76
7.	नासोली	54	31-3-76
8.	कावतरा	42	31-3-76
9.	अरनू	41	31-3-76
10.	सेवडी	36	24-8-76
11.	बागावास	39	24-8-76
12.	कोरा	45	15-10-76
13.	दासपां	44	30-9-76
14.	जैरण	37	23-11-76
15.	राह	25	30-12-76
16.	भन्डावास	38	30-1-77
17.	भाडवी	35	30-1-77
18.	बोरटा	53	27-2-77
19.	लेदरमेर	86	23-2-77
20.	लूनावां	24	28-2-77
21.	कालेटी	23	21-3-77

188

1	2	3	4
22.	दामन	22	31-3-7
23.	जेलू	43	26-7-7
24.	जोगाऊ	32	28-9-7
25.	नरसाना	26	30-9-7
26.	थांवाऊ	31	28-10-7
27.	सारियाना	37	30-10-7
28.	धुम्बडिया	21	29-2-7
29.	भालनी	17/ 4/ 19	31-3-7
30.	गावडी	20	19-6-78
31.	डूगरवास	27	17-9-78
32.	मेडा ब्राह्मण	28	30-12-78
33.	कूका	30	30-12-78
34.	चैनपुरा	15	31-3-79
35.	राऊता	13	31-3-79
36.	सागोडा	8	31-3-79
37.	मोरसीम	17	31-3-80
38.	भीमपुरा	52	6-8-79
39.	चक जेरन	40	6-3-79
40.	मीरपुरा	57	6-3-79
41.	कीरवाडा	136	6-3-79
42.	खेड़ा पुरिया	29	6-6-79
43.	जैसावास	6	6-6-79
44.	कुडा धवेचा	7	6-6-79
45.	नादिया	9	6-6-79
46.	बीछावाडी	10	6-6-79
47.	नवापुरा	11	6-6-79
48.	बाटेरा	12	6-6-79
49.	गूजवाड़ा	14	6-6-79
50.	सरथला	47	6-3-79
51.	रुचियार	46	18-7-81
52.	चांदपान	48	18-7-81
53.	बाली	18	19-1-81
54.	लाखनी	16	28-2-81
55.	मगला	1	18-7-81
56.	छालता	3	18-7-81
57.	बिजलिया	2	18-7-81
58.	मोवडावास	4	18-7-81
59.	कोरी धवेचा	5	18-7-81

Page No 189

(189)

सूची (ब)

भीनमाल (ग्राविनि) के अन्तर्गत जिन जिन गांवों की कृषि विद्युत फाइले पेंडिंग हैं उनका वर्षवार विवरण इस प्रकार है

क्र. सं.	गांव का नाम	बकाया कृषि आवेदन-पत्रों की स्थिति वर्षवार					
		1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दामण-	5	9	3	20	..	37
2.	भागल भीम	..	..	1	1	2	4
3.	धासेडी	..	2	11	..	1	14
4.	मेडा ब्राह्मण	..	..	2	..	..	2
5.	जुजाणी	1	26	13	11	5	56
6.	कोट काश्तान	..	1	2	.	1	4
7.	भागल सेफटा	1	17	..	5	13	36
8.	नवापुरा	..	8	..	..	..	8
9.	नरता	..	..	4	5	7	16
10.	बोरटा	1	3	6	5	3	18
11.	कावतरा	1	3	5	5	4	15
12.	मीरपुरा	..	5	1	1	..	7
13.	नासोली	.	..	..	2	2	4
14.	अरनू	..	..	5	..	2	7
15.	कूका	1	1	..	1	..	3
16.	सेवडी	15	11	26	18	3	73
17.	वाटेरा	..	5	..	..	..	5
18.	बागावास	..	..	6	12	..	18
19.	दासपा	..	2	34	10	18	64
20.	थोबाऊ	..	..	33	..	1	34
21.	कोरा	..	4	8	..	3	15
22.	कीरवाड़ा	..	9	1	..	..	10
23.	जेरण	..	1	25	17	13	56
24.	बागोड़ा	..	2	5	1	..	8
25.	डूगरवा	2	9	12	4	11	38
26.	राह्	..	..	8	8	1	17
27.	सारियाणा	..	1	15	3	..	19
28.	सरअला	..	5	9	..	2	16
29.	नरसाना	..	..	29	7	2	38
30.	भालनी	..	5	22	15	..	42
31	भाडवी	..	..	44	30	2	76
32	मींडावास	1	5	11	2	..	19
33.	लेदरमेर	7	..	..	..	3	10
34.	जोगाउ	..	..	10	..	4	14

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	कालेडी		1	20	..	..	21
36.	धुम्बडिया		1	21	4	1	27
37.	गांवड़ी		..	21	1	6	28
38.	जेतू		1	4	3	2	10
39.	लूणाबास		..	15	1	..	16
40.	राउता		10	..	..	..	10
41.	चैनपुरा		..	1	22	..	23
42.	बिछावाडी		..	4	..	..	4
43.	मोरसीम		..	17	12	..	29
44.	भीमपुरा		..	..	1	2	3
45.	बाली		..	38	1	..	39
46.	लाखणी		..	4	6	..	10
47.	रुचियार		..	..	..	2	2
	योग..	35	147	496	231	116	1025

बयाना में सब-डिपो खोलना

111. श्री जगनसिंह (बयाना) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बयाना कस्बे में पथ परिवहन निगम का सब-डिपो खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही हुई है और अब किस स्तर पर कार्यवाही चल रही है ? यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) वर्तमान में बयाना में केवल 10 वाहनें प्रति दिन संचालित होती है तथा केवल 7 वाहनें वहां रात्रि विश्राम करती हैं। अतः मात्र 10 वाहनों की संचालन व्यवस्था हेतु बयाना में पृथक् से उप-आगार स्थापित करना अनार्थिक है । आगार की स्थापना के लिये उस स्थान से 30 या उससे अधिक सेवाओं का संचालन आवश्यक है ।

काश्तकारों से रूपान्तरण शुल्क की वसूली

112. श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर); क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कावा; पंचायत समिति, मंडोर ने वर्ष 1959 में ग्राम सूथला के 40 व्यक्तियों को उनके [illegible]यों से कब्जा शुदा आवासीय मकानों के [illegible]ख. नं. 95, 97, 98, 99, 970, 971, 972, 973, 974, 976 में जारी किये थे ? यदि हां, तो अब इन गरीब काश्तकारों को भूमि रूपान्तरण अधिकारी, जोधपुर, रूपान्तरण शुल्क जमा करवाने के लिये क्यों बाध्य कर रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि नगर सुधार

(श्री नरपतराम बरवड़)
न्यास, जोधपुर ने अपने प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 7-8-1982 के जरिये नगर परिषद सीमा में आयी सारी पंचायतों के पट्टों को मान्यता दे दी है? यदि हां, तो क्या ग्राम सूथला के पंचायत के पट्टे धारियों को रूपान्तरण शुल्क से मुक्त किया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

यह सही नहीं है कि ग्राम पंचायत, चोखा; पंचायत समिति, मंडोर में वर्ष 1959 में ग्राम सूथला के 40 व्यक्तियों को आवासीय मकान के पट्टे जारी किये गये। इनमें से केवल 30 व्यक्तियों को 30-8-59 को पट्टे जारी किये गये। इनमें से 15 पट्टे खसरा नं. 97 आबादी में दिये गये एवं 15 पट्टे खसरा नं. 95 व 99 सिवाय चक में दिये गये।

(2) जिन व्यक्तियों को आबादी भूमि में पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये उनके विरुद्ध कोई रूपान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। अन्य व्यक्तियों को क्योंकि राजकीय सिवाय चक भूमि पर पट्टे दिये गये थे उनके विरुद्ध रूपान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) नगर सुधार न्यास ने अपने प्रस्ताव में मान्यता अवश्य दी है परन्तु भूमि का रूपान्तरण नहीं कराया अतः इस संबंध में कार्यवाही चल रही है।

कन्टल का पार (बाड़मेर) में पटवार मण्डल बनाना

113. श्री अमीन खां (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत, कन्टल का पार में तीन ग्राम हैं जो तीन पटवार मंडलों में बंटे हुए हैं?

(2) क्या यह सही है कि एक पंचायत के तीन ग्रामों में तीन पटवारी होने से प्रशासन को, पंचायत को व किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार कन्टल का पार पंचायत के लिये एक नया पटवार मंडल बनायेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में कन्टल का पार नाम की कोई पंचायत नहीं है बल्कि यह ग्राम बूठिया पंचायत का संभाग है।

(2) पटवार मण्डल का गठन पंचायतवार नहीं किया जाता। इस संबंध में राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित नार्म्स के अनुसार पटवार मण्डलों का गठन किया जाता है। बाड़मेर जिले के पटवार मण्डलों के पुनर्गठन का मामला अभी विचाराधीन है।

बाड़मेर मुख्यालय को 132 के. वी. लाइन से जोड़ना

114. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बाड़मेर जिले के मुख्यालय, बाड़मेर को 132 के वी. लाइन से अभी तक नहीं जोड़ा जा सका है? इसके क्या कारण हैं? इसे अब कब तक अन्तिम रूप से 132 के. वी. लाइन से जोड़ दिया जावेगा?

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

(2) बाड़मेर क्षेत्र के बायतू नगर को, जो कि समिति का मुयालय भी है, बिजली कब तक पहुंचाई जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिला मुख्यालय को अभी तक 132 के. वी. लाइन से नहीं जोड़ा जा सका है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार बाड़मेर में 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन का कार्य अप्रेल, 1983 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) पंचायत समिति मुख्यालय, बायतु का विद्युतीकरण दिनांक 19-2-1983 को किया जा चुका है।

अन्तर्राज्यीय विद्युत् परियोजनायें

116. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार नाथपा-झाकड़ी, मुकेरिया, आनन्दपुर साहिब, थीन डेम व कोल पारवती विद्युत् परियोजनाओं में किन-किन योजना का कितना-कितना निर्माण कार्य सम्पन्न हो चुका है ?

(2) उक्त योजनाओं की अनुमानित लागत कितनी-कितनी है और इनमें प्रत्येक में कितनी-कितनी विद्युत् उत्पादन क्षमता है ?

(3) इन योजनाओं से उत्पादित विद्युत में राजस्थान को कितना-कितना हिस्सा प्राप्त होगा ?

उत्तर

(1) उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुकेरियन, आनन्दपुर साहिब एवं थीन डेम का प्रारम्भिक कार्य शुरू हो चुका है। नाथपा-झाकड़ी, कोल डेम एवं पार्वती विद्युत् परियोजनाओं का निर्माण कार्य अभी चालू नहीं हुआ है। नाथपा-झाकड़ी में सर्वेक्षण का कार्य करीब-करीब पूरा हो चुका है।

(2) इन परियोजनाओं की वर्तमान में अनुमानित लागत व प्रस्तावित विद्युत् उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार है :—

1. नाथपा-झाकड़ी विद्युत् परियोजना
2. मुकेरियन विद्युत् परियोजना
3. आनन्दपुर साहिब विद्युत् परियोजना
4. थीन डेम विद्युत् परियोजना
5. कोल डेम विद्युत् परियोजना
6. पार्वती विद्युत परियोजना

वर्तमान में अनुमानित लागत	विद्युत् उत्पादन
रु. 533.88 करोड़	1028 मे. वा.
रु. 75.5, करोड़	207 मे. वा.
रु. 29.00 करोड़	110 मे. वा.
रु. 250.00 करोड़	480 मे. वा.
रु. 395.00 करोड़	600 मे. वा.
रु. 1000.00 करोड़	1900 मे. वा.

(3) कोल परियोजना से उत्पादित विद्युत में राजस्थान का हिस्सा 51 प्रतिशत प्रस्तावित है। मुकेरियन, आनन्दपुर साहिब व थीन डेम परियोजना में विद्युत् उत्पादन में राजस्थान के हिस्से का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है। नाथपा-झाकड़ी परियोजना में राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है। पार्वती परियोजना में राजस्थान का हिस्सा अभी तय नहीं हुआ है।

तहसील बहरोड़ के ग्रामों का विद्युतीकरण

117. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार तहसील बहरोड़ के ग्राम नामगबास, माजरी खुर्द, पोरूला, परतापुर चक नं. 1, 2, 3, ईश्वरी सिंह पुरा आदि का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां । इन ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत है । वर्ष 1983-84 का कार्यक्रम बनाने पर ही यह पता लग सकेगा कि किन-किन गांवों का आगामी वर्ष में विद्युतीकरण संभव होगा ।

(१७८)

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 72 की सूची

सूची शिकायतें जो तहसीलदार, सिकराय के विरुद्ध प्राप्त हुई

क्रमांक 1	प्राप्ति की तारीख 2	सूक्ष्म विवरण 3
1.	11-5-82	शिकायत विरुद्ध तहसीलदार, सिकराय द्वारा श्री छोटेलाल पटवारी बाबत नाजायज रूप से परेशान करना।
2.	27-6-82	शिकायत विरुद्ध तहसीलदार, सिकराय द्वारा श्री मूलचन्द बोहरा, प्रधान, पंचायत समिति, सिकराय बाबत राजनैतिक पार्टी में भाग लेने व सरपंचों को नाजायज दबाव देकर परेशान करना।
3.	14-7-82	शिकायत विरुद्ध तहसीलदार, सिकराय द्वारा श्री मुरारीलाल, निवासी सिकराय, पट्टे की नकल न देने व रिश्वत मांगने बाबत।
4.	1-8-82	शिकायत विरुद्ध तहसीलदार, सिकराय द्वारा ग्राम जनता, सिकराय व छोटूलाल, पटवारी बाबत गलत डायरी भरने, फर्जी टी.ए. बिल लेने। सीलिंग नियम के अन्तर्गत आवंटित भूमि के आवंटियों को 500/- अनुदान की राशि में 250/- देने तथा 500/- की रसीद कराने।
5.	1-8-82	शिकायत विरुद्ध तहसीलदार, सिकराय द्वारा सिकराय तहसील प्रगतिशील युवक संघ बाबत अनियमितताये, अभद्रता, राजनीति में भाग लेने।
6.	1-8-82	शिकायत विरुद्ध तहसीलदार, सिकराय द्वारा ग्रामवासी बाबत मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, जमाबन्दियों के तैयारी, गलत सूचना भेजने, गीजगढ़ पटवार भवन की राशि का गबन करने, तेल का गलत लाइसेंस जारी करने, नियम विरुद्ध पेड़ कटवाने। सरपंचों को अपमानित करने। कम पेनल्टी लगाने, कर्मचारियों को गाली-गलोच करने।
7.	1-8-82	शिकायत विरुद्ध तहसीलदार. सिकराय द्वारा ग्राम जनता, सिकराय बाबत रजिस्ट्रेशन को 10/- तस्दीक करने के लेने व कांग्रेस का सेवक होने।
8.	19-7-82	शिकायत विरुद्ध तहसीलदार, सिकराय द्वारा श्री बंशीधर यादव, पटवारी बाबत बिना वजह थाने पर ले जाने व डॉक्टरी जांच कराने।
9.	30-9-82	शिकायत विरुद्ध तहसीलदार, सिकराय द्वारा श्री रामकिशोर मीणा, विधायक, सिकराय बाबत राजनीति में सक्रिय भाग लेने, अधीनस्थ

Page No 195

1	2	3
		कर्मचारियों को परेशान करने, गाली-गलोच करने, पटवारघर, गीजगढ़ के निर्माण में अनियमितता करने, रजिस्ट्री व वसीयत-पत्र के तस्दीक करने में 10/- रिश्वत मांगने आदि।
10.	10-10-82	शिकायत विरुद्ध तहसीलदार, सिकराय द्वारा ग्राम वासी बाबत अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने, झूठे आरोप लगाकर परेशान करने आदि।
11.	7-1-83	शिकायत विरुद्ध तहसीलदार, सिकराय द्वारा श्री राम किशोर मीणा, विधायक बाबत अन्यत्र स्थानान्तरण व निलम्बन करने।
12.	14-2-83	शिकायत विरुद्ध तहसीलदार, सिकराय बाबत कर्मचारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार करने के फलस्वरूप अन्यत्र स्थानान्तरण करने हेतु द्वारा राजस्थान पटवार संघ, जयपुर।

———

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 73 की सूची

विचाराधीन अतिक्रमियों के मामलों की सूची, तहसील, दीगोद

क्रम संख्या 1	नाम अतिक्रमी मय वल्दियत 2	ग्राम 3	खसरा रकबा 4	— रकबा	तारीख/ दायरा 5
1.	कन्हैयालाल आत्मज माधोलाल गूजर, साकिन खेड़ली, काल्या	डूंगरज्या	396	1(11)	96/ 7-10-82
2.	मांगीलाल आ. कालू शाह फकीर, साकिन, सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	169 360	1(13) 17(1)	आर.पी.ए. से स्टे. 431/ 7-10-82
3.	गुलाब आ. मो. मुसलमान, मोरवा	शाहपुरा	41	6	499/ 13-10-82
4.	मन्नामाथ आ. चतरा नाथ, साकिन पीपल्दा, समेल	पीपल्दा समेल	125	15(11)	93/ 4-1-83
5.	मथुरालाल आ. प्रभुलाल लुहार, साकिन मोरपा	मोरपा	1016	1(1)	477/ 13-10-82
6.	मोहनलाल आ. पाथूलाल नायक, मोरपा	,,	689	2(1)	7/ 18-1-82
7.	बद्रीलाल आ. धूलीलाल तेली, सा. मोरपा	,,	915	4	16/ 18-1-82
8.	रामनारायण आ. मथुरा गुजर, रामनगर	मोराना	396	1	67/ 4-1-82

9.	गोपाल श्रा. जग्गा गूजर	मोराना	866	1(1)	138/ 15-4-82
10.	रामकरण श्रा. भंवरलाल बलाई, मोराना	मोराना	452	4	19/ 1-1-82
11.	भैरूलाल श्रा. धन्नालाल एवं किशना गूजर	,,	413	11	139/ 15-4-82
12.	भैरूलाल श्रा. किशनगोपाल ब्राह्मण, चारहेडो	चारहेडी	16/ 4	3(12)	387/ 1-9-82
13.	नेनगा श्रा. भोलूकीर, साकिन पीपल्दा सांड	पीपल्दा सांड	21	8(2)	..
14.	भैरू श्रा. भंवरिया भील, साकिन पीपल्दा	,,	23/ 4 125 574	13(112) 1(4)	84/ 4-1-83 85/ 4-1-83
15.	देवकरण श्रा. नन्दलाल जाट, खेडली धटा	खेडली घटा	4	20	80/ 12-3-82
16.	काली वेवा धन्ना जाट ,,	,,	4	20	85/ 12-3-82
17.	बजरंगलाल जाट श्रा. लक्ष्मीनारायण जाट	,,	4	20	86/ 12-3-82
18.	मांगीलाल श्रा. सीताराम जाट, खेडली घटा	,,	1.2.3	126(3)	89/ 12-3-82
19.	राधाकिशन श्रा. रामनाथ एवं मथुरालाल श्रात्मज रामनाथ, सा. रोछा/ हुंडी	,,	383	5( )	99/ 12-3-82
20.	मथुरालाल श्रा. मंगला बलाई, सुल्तानपुर	खेडली घटा	239	2(13)	94/ 12-3-82
21.	महमूदा बेगम पुत्री अहमद खाँ	,,	449	2(3)	101/ 7-8-82

197

1	2	3	4	5
22.	रामकरण ग्रा. चतुर्भज मीणा, झोंपड़ियां	पीपल्दा सांड 696	2	141/ 15-4-82
23.	घनश्याम ग्रा. नृसिंहदास, मण्डावरा	,, 604	11	140/ 15-4-82
24.	नारायण ग्रा. नन्दा बलाई, सा. झोपड़िया	,, 600	1	44/ 12-3-82
25.	धूल्या ग्रा. माधोकीर, पीपल्दा सांड	,, 692	1(11)	
26.	रामकिशन ग्रा. रामनारायण मीना, झोंपड़ियां	,,		
27.	भेरिया ग्रा. मन्ना चमार, सा. मण्डावरा	,,		
28.	बद्रीलाल ग्रा. मांगीलाल कोर	,,		
29.	देवीलाल ग्रा. रोडू मीणा	,, 593	4 बि.	3/ 1-1-82
30.	मथुरा ग्रा. धूलीलाल गूजर	,, 593	(14) बि.	2/ 1-1-82
31.	किशनदास ग्रा. भंवरलाल मीणा	,, 696	(11) बि.	143/ 20-4 82
32.	सूरजमल ग्रा. गोरधंन धाकड़, झोंपड़ियां	,, 706	(1) बिस्वा	155/ 15-4-82
33.	मथुरालाल ग्रा. जगन्नाथ मीणा, झोंपड़िया	,, 706	(1) बिस्वा	144/ 15-5-82

34.	छीतर ग्रा. गोपाल मीणा, झोपड़िया	,,	706	1 बि.	145/ 15-4-82
35.	छोगालाल ग्रा. भंवरलाल मीणा, झोपड़िया	,,	696	11 बि.	142/ 15-4-82
36.	भंवरलाल ग्रा नारायण मीणा, झोपड़िया	,,	462	23/ 113 बि.	14-1-82
37.	छोटया ग्रा. देवा माली, मण्डावरा	,,	445	1/बीघा	13/ 1-1-82
38.	सूरजमल ग्रा. राधा किशन कोर	,,	135	1/ 1 बि.	16/ 1-1-82
39.	नाथू ग्रा. गणेश मीणा, सा. झोपड़िया	,,	611	1/	15/ 1-1-82
40.	जगन्नाथ ग्रा. गणपत मीणा	,,	602	1/ 11 बि.	62/ 12-3-82
41.	नाथू गणेश ग्रा. कालूमीणा, झोपड़िया	,,	611	1/ 11 बि.	61/ 12-3-82
42.	रूघनाथ ग्रा. माधो बलाई, झोपड़िया	,,	600	1/ बीघा	73/ 12-7-82
43.	केशरीलाल रामकल्याण जगन्नाथ हीरालाल सूरजमल, ग्रा. देवलाल मीणा	खेड़ली	9	1/ 9 बि.	7/ 1-1-82
44.	छोटूलाल ग्रा. देवा गूजर, झोपड़िया	झोपड़खेड़ी	148	2/ 1 बि.	71/ 12-3-82
45.	नन्दा ग्रा. देवा गूजर, सा. देह	,,	148	5 बीघा	69/ 12-3-82
46.	रामकरण ग्रा. रामसुख माली	,,	648	1 बि.	60/ 12-8-82
47.	मथुरा ग्रा. गणपत गूजर, खूमला	रामपुरिया	28	1/ 13 बि.	8/ 1-1-82
48.	बृजेन्द्र कुमार दादूपन्थी	मण्डावर	683	111 बि.	152/ 15-4-82
49.	हीरा ग्रा. गिरधारी चमार	सांगाहेड़ी	83	6 बीघा	47/ 1-3-82
50.	केशरी लाल ग्रा. कजोड़ीलाल	,,	36	4 बीघा	6/ 1-1-82
51.	किशना ग्रा. देवा मीणा	मदारिया	429	1 बीघा	56/ 12-3-82
52.	धन्ना ग्रा. घासी मीणा	,,	390	3 बीघा 11 बि.	56/ 12-3-82
53.	मोतीलाल ग्रा. घासी लाल मीणा	,,	390	3 बी. 11 बि.	55/ 12-3-82
54.	जगन्नाथ ग्रा. शंकर गूजर	मोराना	353	15 बीघा	17/ 1-1-82
55.	सूरजमल ग्रा. कजोड़ गूजर	मंदारिया	342	11 विस्वा	18/ 1-1-82
56.	धन्ना ग्रा. माधोलाल	,,	385	2 बीघा	58/ 12-3-82
57.	मांगीलाल, गेन्दीलाल ग्रा. चतुर्भुज मीणा	रामनगर	255	29/11 बि.	20/ 1-1-82
58.	मांगीलाल, गेन्दीलाल ग्रा. चतुर्भुज	रामनगर	255	13/4 बि.	70/ 12-3-82
59.	किशनलाल ग्रा. नन्दमाली	टाकरवाड़ा	261	/113 बि.	157/ 12-4-82

* अस्पष्ट ।

Page No 200

(200)

1	2	3	4		5
60.	किशनदास ग्रा. नन्दा माली		206	/11 बि	155/ 15-4-82
61.	भैरूं ग्रा. भंवरलाल, टाकरवाडा	टाकरवाड़ा	1	/1 बिस्वा	11/ 1-1-82
62.	गेन्दी लाल ग्रा. गोपाल गूजर	जियाहेड़ी	194	9/ 11 बि.	10/ 18-6-82
63.	गेन्दी लाल ग्रा. गोपाल गूजर	,,	195	3 बी.	9/ 15-1-82
64.	कल्याण ग्रा. प्रभू मीणा	झाडगांव	52	/11 बि.	148/ 15-4-8
65.	खेमराज ग्रा. बिरधा मीणा	,,	52	111बि.	147)/ 15-4-82
66.	लक्ष्मीनारायण ग्रा. रामदेव बलाई	,,	18	1/ बी. 7 बिस्वा	67/ 12-3-82
67.	भैरूंसिह ग्रा. मन्शा मीणा	,,	107	1 बीघा 9 बिस्वा	68/ 12-3-812
68.	रतना ग्रा. ओंकार मीणा; नि. कथौनी	,,	पाडलिया	3 बीघा 11 बि.	319/ 5-10-8
69.	बिरधीलाल ग्रा. गोपाल मीणा	पाडलिया	125 का 148	4/ बी.	321/ 5-10-82
70.	वाल्या ग्रा. धन्ना कुम्हारावत	,,	524, 526, 529	5/ 1 बिस्वा	320/ 5-10-82
71.	किशनदास ग्रा. ओंकारदास बैरागी	डगारिया	101	6 बी.	*
72.	छीत्या ग्रा. रामचन्द्र कुम्हार नन्दकिशोर ग्रा. बद्रीलाल ग्रा.	पोलाईकलां	526	5/ 10 बि.	
73.	हरिमोहन ग्रा. गोकुल महाजन	,,	550		
74.	रामेश्वर ग्रा. बजरंग लाल धाकड़, हरिपुरा	भटखेड़ी	39	2 बी.	732/ 26-11-82
75.	यादूराम ग्रा. जगन्नाथ धाकड़	जालपुरा	25	6 बि.	317/ 5-10-82
76.	बिरधी लाल ग्रा. भैरूंलाल नाई	चौमा बाबू	23	6 बी.	731/ 26-11-82
77.	प्रहलाद ग्रा. मांगीलाल मीणा	,,	56	1/ 10 बि.	726/ 26-1-82
78.	रतना आत्मज रोडू मेहर, चोमा	रनमंडी	57	1 /18 बि.	734/ 26-11-82
79.	काना ग्रा. भंवरिया मेहर, सदेडी	सदेडी	116	8 बीघा	108/ 26-11-82
80.	गोपीलाल ग्रा. नेनगा कलाल, धोरी	धोरी	114, 112	10 बीघा	603/ 23-11-82
81.	इकरामुद्दीन ग्रा. छोटे खां मुसलमान जनकपुर	,,	526	1/ 5 बि.	692/ 23-11-82
82.	नन्हे खां मुसलमान, जनकपुर	धोरी	526	1 बीघा	691/ 20-11-82
83.	जगदीश ग्रा. गोपाल बलाई	,,	112	2 बीघा	679/ 23-11-82

* अस्पष्ठ

84.	देवीलाल ग्रा. लटूर माली	रेल	919	(3) वि.	653/ 23-11-82
85.	गोपाल ग्रा. लटूर माली		919	(3) वि.	652/ 23-11-82
86.	सूरजमल ग्रा. गन्दा माली गोपाल ग्रा. किशोर गूजर	रेल	321	(5) बीघा	88/ 23-11-82
87.	मांगीदास ग्रा. नन्दादास, कामड़	रेल	323	(8) बीघा	89/ 23-11-82
88.	जसवन्त सिंह ग्रा. केशोलाल जाट	निमोदा	1506	(91) बीघा (15) बिस्वा	242/ 15-6-82
89.	कान्ता बाई पुत्री केशोलाल जाट, सा. गरड़ा	निमोदा	1492	(80) बीघा	703/ 24-11-82
90.	जसवन्त सिंह ग्रा. केशोलाल जाट	,,	1507, 1508 1509, 1510, 1109	(68) 1 वि.	702/ 24-11-82
91.	रामकिशन ग्रा. कन्हैयालाल गूजर	शोली	441	(15) बिस्वा	765/ 26-11-82
92.	कर्मसिंह करतार सिंह ग्रा. वीरसिंह सिक्ख	शोली	255	(7) 13	767/ 26-11-82
93.	देवीलाल ग्रा. परमा खारवाल, शोली	,,	396	(2) 10	124/ 26-11-82
94.	कन्हैयालाल ग्रा. किशन लाल मीणा	देवपुरा	188, 814, 815	(3) 17 वि.	116/ 26-11-82
95.	सुन्दरा ग्रा. ग्यारसी लाल कुम्हार	दीगोद	1385	(8) बिस्वा	35/ 23-10-82
96.	टल्ला ग्रा. विरधा बलाई, सां. दीगोद	,,	1428	(2) 15 वि.	418/ 16-10-82
97.	काना ग्रा. धन्ना माली, दीगोद	,,	1167	(5) 11	419/ 16-10-82
98.	रामेश्वर सिंह ग्रा. दलवीर सिंह जाट सिक्ख, साकिन दीगोद	,,	1173, 305, 306 326, 341	(13) बीघा	34/ 23-10-82
99.	धन्ना ग्रा. कालू, बोला, हनोतिया	भाण्डाहेड़ा	385	(11) 4 वि	458/ 23-10-82
100.	सोहन ग्रा. नाथू गिरा गुसाई	वृजपुरा	52	(5)	455/ 23-10-82
101.	नन्दा दास प्रभू ग्रा. भोलू मीणा, बरगू	बरगू	108	(2)	65/ 23-10-82
102.	भैरू ग्रा. बिरधा मीणा	,,	76	(5) 4	644/ 23-10-82
103.	रामनारायण, गणेश ग्रा. हीरो मिणा., बरगू	बरगू	336	(15) वि.	640/ 23-11-82
104.	रमजानी ग्रा. वजीर मुसलमान, कोढसुवा	कोढसुवां	116	(6)	476/ 20-11-82
105.	टोलू ग्रा. धन्ना मीणा, कोढ सुवा	कोढसुवा	602, 610, 679, 718, 720	(9) बीघा	477/ 20-11-82
106.	लटूर ग्रा. लछमा बलाई, मण्यावरी	मण्डावरी	27	(3) बीघा	81/ 20-11-82
107.	मथूरालाल गिरराज नन्दकिशोर पुत्र विशना माली	,,	61	(3) 7 बि.	492/ 20-11-82

Page No 202

(202)

1	2	3	4	5	6
108.	श्रवण ग्रा. लालू बलाई, मण्डावरी	,,	26	3)	79/ 20-11-82
109.	शान्ता ग्रा. धन्ना मीणा, उदयपुरिया	प्रतरालिया	308, 309	1) 113	मि. 608/ 22-11-82
110.	देवा ग्रा. घासी धाकड़, चन्द्रावला	,,	123, 166	2) 11	20/ 22-11-82
111.	काना ग्रा. मोती गूजर, चन्द्रावला	,,	129	2)	677/ 22-11-82
112.	छोटू, चतुर्भुज पि. रामनाथ मीणा साकिन, बालापुरा	बालापुरा	44,66,250	20) बीघा 16 वि.	मि. नं. 594/ 22-11-82
113.	देवराज नंदन पि. रामकरण मीणा	,,	293, 299	8) बीघा	589/ 22-11-82
114.	भेरुग्रा, देवलाल नायक, बालापुरा	,,	250	5 बीघा	577/ 22-11-82
115.	बिरधा ग्रा. भैरु नायक, नीमोदा	चन्द्रावला	329	1) 10 वि.	541/ 22-11-82
116.	छीतर ग्रा. मोडू मीणा	उदयपुरा	391, 398, 431, 433	13) 6 वि.	539/ 22-11-82
117.	रामकरण ग्रात्मज केशरा खाती	उदयपुरा	389	5)	540/ 22-11-82
118.	मोहन ग्रा. केशरा खाती	,,		10 बी. 15 वि.	538/ 22-11-82
119.	रामचन्द्र पुत्र सुखदेव खाती	उदयपुरा	379, 368, 398, 393	12 बी. 18 वि.	536/ 22-11-82
120.	रामसुखा पुत्र मगना मीणा	उदपुरा	374, 379 393	13 बी 9 वि.	534/ 22-11-82
121.	गजानन्द पुत्र हरबक्श मीणा	चन्द्रावला	188	1 बी. 10 वि	558 /22-11-82
122.	रामचन्द्र पुत्र धन्ना धाकड़	,,	188, 189	2 बीघा	559/ 22-11-82
123.	धन्नालाल पुत्र रामनाथ धाकड़	,,	289	10 वि.	506/ 22-21-82
124.	रामकरण पुत्र धन्नालाल धाकड़	,,	154	1 बी. 11 वि.	533/ 22-11-82
125.	धन्नालाल पुत्र रामनाथ धाकड़	,	314, 315 316	2 बीघा 3 वि.	548/ 22-11-82
126.	श्योजी पुत्र नन्दा कुम्हार, चन्द्रवाल	,,	197	6 बी.	502/ 22-11-82
127.	प्रभूलाल पुत्र चतुर्वेज ब्रा., ऊदपुरा	,,	277, 383 375	2 बी. 3 वि.	537 /22-282
128.	धन्नालाल पुत्र नन्द लाल तेली, मोरपा.	बम्बूलिया	413	1 बी. 1 वि.	448 /18-9-82
129.	रामावतार पुत्र ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल ब्रा., दीगोद	उम्मेदपुपुरा	142	5 बीघा 2 वि.	645/ 11
130.	मथुरा, चुतरा व रघुनाथ पुत्र भागीरथ मीणा	सनीजा बाबड़ी	2, 95, 300	16 बी. 4 वि.	10/ 10-82

131.	मेघराज पुत्र श्री प्रतापसिंह राजपूत	खेड़ली तवरान	280	3 बीघा 6 वि.	110/ 28-11882
132.	अमरा/ गोगा चमार, तोरण	तोरण	115, 102,106	3 बीघा 15 वि.	4/ 1-82
133.	स्वरुप सिंह पुत्र बन्तासिंह	उकल्दा	205	1 बीघा 3 वि.	6/ 1-10-82
134.	नन्द किशोर पुत्र धन्नालाल ब्रा.	कल्याणपुरा	61	1 बीघा	15/ 1-10-82
135.	प्रभू पुत्र गोटू मीना, करीर का खेड़ा	करीर का खेड़ा	547	4 वि.	32/ 1-10-82

भू - राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत विचाराधीन मामलों की सूची, तहसील सांगोद

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी वल्दीयत मय सकूनत	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकवा	कब से
1	2	3	4	5	6
1.	श्री गोपी पुत्र मनसा माली, नि. सांगोद	सांगोद	771	10 बीघा	1-1-82
2.	श्री घासी पुत्र ग्यारसीराम, नि. सांगोद	सांगोद	743/ 1860	2 वि.	3-9-82
3.	श्री श्रीया पुत्र ग्यारसीराम माली, नि. सांगोद	,,	743/ 1860	5 वि.	3-9-82
4.	श्री किशन पुत्र देवीराम मीना, रकसपुरा	,,	1031	1 बीघा	10-12-82
5.	श्री रमजानी पुत्र बक्शू मुस., सांगोद	सांगोद	142	5 बीघा	10-12-82
6.	श्री कान्हा पुत्र सुक्खा बेरवा, ढीमली	टोंक	2	15 बीघा	10-12-82
7.	श्री गजानन्द, रामगोपाल, मोहनलाल पुत्र पन्नालाल छीपा, नि. ढीकोली	ढीकोली	11	1 वि.	1-1-82
8.	श्री प्रेमलाल पुत्र मन्ना मीना, आल्याहेड़ा	ढीकोली	124	1 वि.	10-12-82
9.	श्री प्रभूलाल पुत्र जगन्नाथ नाई, खजूरी	ढीकोली	119	1 वि.	10-12-82
10.	श्री रामकिशन पुत्र भंवरलाल ब्रा., ढीकोली	ढीकोली	124	2 वि.	10-12-82
11.	श्री काना सिंह पुत्र विरधीसिंह राजपूत, सा. ढीकोली	ढीकोली	120	1 वि.	10-12-82
12.	श्री गोरधन पुत्र नन्दा माली, ढीकोली	ढीकोली	124	2 वि.	10-12-82
13.	श्री गजानन्द, रामगोपाल, मोहनलाल पुत्र पन्नालाल छीपा, ढीकोली	,,	124	1 वि.	,,
14.	श्री भैरया पुत्र मांगीलाल धोबी, ढीकोली	,,	75	15 वि.	,,

2-3

1	2	3	4	5	6
15.	श्री अब्दुल सत्तार पुत्र अब्दुल लतीफ मुस, ढीकोली	ढीकाली	100/ 118	5 बी.	10-12-82
16.	श्री राजमल पुत्र मोतीलाल पटवा, ढीकोली	,,	119	1 बी.	,,
17.	श्री कल्याण पुत्र भंवरलाल माली, ढीकोली	,,	1	1 बी.	,,
18.	श्री रामनारायण पुत्र गोपीलाल माली, ढीकोली	,,	100/ 119	1 बी.	,,
19.	श्री पीरू पुत्र पन्ना सुनार, ढीकोली	,,	124/	1 बी.	,,
20.	श्री इमामुद्दीन पुत्र सुबानशाह मुस, ढीकोली	,,	124/ 100/ 190	2 बी.	,,
21.	श्री मथुरालाल पुत्र शंकर चमार, सा. देवली	देवली	553	10 बी.	,,
22.	श्री माधो पुत्र बिरधा बलाई, देवली	,,	553	2 बीघा	,,
23.	श्री रामकुमार पुत्र भंवरलाल खाती, देवली	,,	442	1 बी.	,,
24.	श्री हीरा पुत्र काना मीना, देवली	,,	442	10 बी.	,,
25.	श्री घनश्याम पुत्र रोडू माली, देवली	,,	479	1 बी.	,,
26.	श्री मोहनलाल पुत्र छोटू माली, देवली	,,	553	10 बी.	,,
27.	श्री हीरालाल नन्दकिशोर पुत्र नेनगा माली, सा. देवली		553	10 बी.	,,
28.	श्री मोतीलाल पुत्र नारायण धाकड़, श्यामपुरा	श्यामपुरा	8	32 बीघा 2 वि.	2-8-82
29.	श्री रतना पुत्र रोडू धाकड़, धीराहेड़ा	धीराहेड़ी	77	3 बीघा 5 वि.	3-9-82
30.	श्री प्रताप चतुर्भुज पुत्र दल्ला मीना, नि. नागलहेड़ा	नांगलहेड़ा	83	4 बीघा 14 वि.	,,
31.	श्री कंवरया पुत्र बालकिशन, मेहर	,,	107	8 वि.	3-1-82
32.	श्री ग्यारसा पुत्र गोपाल नायक, हण्डया	हण्डया	104	8 वि.	,,
33	श्री जोधा पुत्र हीरा गूजर, हण्डया	,,	20	6 बीघा	,,
34.	श्री माधो पुत्र मथुरा नाथ, श्यामपुरा	,,	50	3 बीघा 19 वि.	,,
35.	श्री गोपी पुत्र कंवरलाल धाकड़, कराडिया	,,	240	3 बीघा	,,
36.	श्री गणेश पुत्र अकरया माली, सांगोद	लक्ष्मीपुरा	308	60 बीघा 19 वि.	,,
37.	श्री कान्हा पुत्र घनश्याम धाकड़, लक्ष्मीपुरा	,,	53	14 बीघा 18 वि.	15-1-82
38.	श्री याकूब पुत्र मजू मुस, सांगोद	,,	308	30 बीघा 8 वि.	,,

39.	श्री इब्राहिम मुस, सागोद	,,	92	2 बीघा 10 वि.	3-1-82
40.	श्री भैरुलाल पुत्र रामचन्द्र, कराड़	,,	284	1 बीघा	,,
41.	श्री भैरुलाल पुत्र घासी कराड़, लक्ष्मीपुरा	,,	281	5 बीघा	,,
42.	श्री सयैद अहमद पुत्र निहाल अहमद मस, सागोद	,,	212, 715	7 बीघा 8 वि.	,,
43.	श्री रामकरण पुत्र पन्ना छीपा, सागोद	लक्ष्मीपुरा	276, 281	10 बीघा 1 वि.	3-1-85
44.	श्री केशरीलाल पुत्र भैरुलाल कराड, कोटड़ी	कोटड़ी	405	1 बीघा 10 वि.	,,
45.	श्री अयूब पुत्र वहीदखां मुस., सागोद	माछल्या	68	5 बीघा 10 वि.	,,
46.	श्री मुस्तफा पुत्र शकूर बेग मुस, ,,	,,	93	3 बीघा 3 वि.	,,
47.	श्री फारुख पुत्र बशीर बेग मुस, ,,	नरसिंहपुरा	60	35 बीघा	,,
48.	श्री ख्वाजू पुत्र रहीमबख्श मुस, ,,				
49.	श्री अब्दुल रऊफ, अब्दुल मारुफ, अब्दुल मशरम, अब्दुल मगरफ पुत्र वहीद खां मु. सागोद	,,	74 225	20 बीघा	,,
50.	श्री शिवराम, श्री लाल पुत्र देवलाल मीना, साकिन वपावर खुर्द	लोलाहेड़ा	62, 63, 64, 67 70, 67	56 बी 16 वि	2-8-82
51.	श्री हरिसिंह, गोरधन सिंह राजपूत, चतरपुरा	चतरपुरा	336	13 वि	2-9-82
52.	श्री प्रभुलाल, तुलसीराम, जगन्नाथ पुत्र किशनलाल कराड, नि. दिल्लीपुरा	दिल्लीपुरा	270	19 बी.	12-10-82
53.	धन्नालाल पुत्र जगन्नाथ कराड	,,	97	19 बी.	
54.	श्री जगन्नाथ पुत्र किशन लाल कराड	,,	119/ 314	1 बी. 17 वि.	,,
55.	श्री प्रभुलाल पुत्र किशन लाल कराड	,,	119/ 314	1 बी. 17 वि.	,,
56.	श्री मांधोलाल पुत्र देवीलाल कराड	,,	201	7 बी. 18 वि.	,,
57.	श्री प्रभु पुत्र गंगा कराड, दिल्लीपुरा	,,	201	7 बी. 10 वि.	,,
58.	श्री हीरा पुत्र भैरु कराड़, दिल्लीपुरा	,,	119	26 बी. 17 वि.	,,
59.	श्री द्वारका लाल पुत्र दौलत राम कराड	,,	119/ 314	1 बी. 16 वि.	,,
60.	श्री तुलसी राम पुत्र किशन लाल कराड	,,	97	19 बी.	,,
61.	श्री विरधीलाल पुत्र प्रभु लाल कराड	,,	97/ 19	26 बी. 10 वि.	,,
62.	श्री जेमना लाल पुत्र जगन्नाथ कराड	,,	46		
63.	श्री भंवर लाल पुत्र अमर लाल बलाई	,,	119	9 बी.	1-1-83

1	2	3	4	5	6
64	श्री जानकी लाल पुत्र नाथू लाल मीना, तालछी	तालछी	2	2बी.	1-1-83
65	श्री चतुर्भुज पुत्र नाथू लाल मीना, तालछी	,,	20	5 बी.	,,
66	श्री कन्हैया लाल पुत्र हीरालाल मीना	रकसपुरा बोरदा			
67	श्री मथुरालाल पुत्र धूली लाल चमार, बोरदा	,,	136	3 बी.	,,
68	श्री केसरा पुत्र रघुनाथ लोधा, बोरदा	,,	240	6 बी.	,,
69	श्री धन्ना लाल पुत्र बिरधी लाल मीना.	डोबाडडोवडा	161	1 बी. 10 वि.	,,
70	श्री राधा किशन पुत्र मन्ना ब्रा., बपावरकलां	कोटडा	40	11 बी.	15-10-82
71	श्री ग्यारसीराम पुत्र बालक्या नायक, कोटडा	,,	23	10 बी.	23-11-82
72	श्री भंवरया पुत्र नेनगा चमार, कोटडा	,,	63	9/10 वि.	
73	श्री रामस्वरूप पुत्र मोड सिंह राजपूत, कोटडा	,,	40	11बी.	3-1-83
74	श्री कंवरलाल पुत्र जगन्नाथ गूजर, कोटडा	वरां	6	15 बी.	,,
75	श्री हीरा पुत्र रूपा चमार, वरां	,,	11	4 बी. 10 वि	,,
76	श्री गोरधन पुत्र धासी मीना, लवानिया	लवानिया	198,216,196 218,222	15 बी. 15 वि.	,,
77.	श्री चन्दा पुत्र भैरूलाल मीना; हनवतखेड़ा	बरा	214,217, 218,219	18 बी.	,,
78.	श्री देवलाल पुत्र जमनालाल गूजर, चरेल	चरेल	474	11 बी.	,,
79.	श्री अमरदान पुत्र भैरूदान चारण, दोरानी	,,	479, 490	15 बी.	,,
80.	श्री रामकिशन पुत्र हीरालाल गूजर, कुन्जेड़	,,	474	15 बी.	,,
81.	श्री भवरलाल हीरालाल, जमनालाल, बाबूलाल, नवल पुत्र रंगलाल गूजर, सा. वरेल	,,	364, 359		,,
82.	श्री भवरलाल पुत्र रंगलाल गूजर, सा. चरेल	,,	364,474	8 बी.	,,
83.	श्री मथुरालाल पुत्र भैरूलाल मीना, हनवतखेड़ा	हनवतखेड़ा	388,119	14 बी. 5 वि.	,,
84.	श्री कालू पुत्र श्योराम मीना, वपावर खुर्द	वपावरखुर्द	15	5 बी. 10 वि.	,,

Page No 207

85.	श्री मोतीलाल पुत्र बलदेव मीना ,,	,,	66,15	7 बी.	,,
86.	श्री दामोदर पुत्र रामनारायण नाई, कनवास	मोरकलां	70	2 बी.	2-8-82
87.	श्री रामचन्द्र पुत्र रंगलाल गूजर, मोरकलां	,,	52	17 बी.	6-1-83
88.	श्री किशनसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत, मोरकलां	मोरकलां	10	1 बी.	6-1-83
89.	श्री बालकिशन महाजन, मोई खुर्द	मोईखुर्द	70	1 बी. 5 वि.	,,
90.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र धोबी, ,,	,,	93	10 बी.	2-12-82
91.	श्री गजानन्द पुत्र भंवरलाल ब्रा., सांगोद	हरिपुरा	78	18 बी.	,,
92.	श्री मथुरालाल पुत्र नारायण बलाई, मोईखुर्द	चतरपुरा	320	1 बी.	,,
93.	श्री रामनारायण पुत्र जीवना मेहर, चतरपुरा	,,	320	1 बी. 10 वि.	,,
94.	श्री रामनारायण पुत्र बजरंगलाल मेहर, मोईकलां	मोईकलां	179,1710 1724	7 बी. 14 वि.	23-11-82
95.	श्री हरनारायण पुत्र मथुरा अहीर, डूंगरपुर	डूंगरपुर	209	2 वि.	18-12-82
96.	श्री रामरतन बालकिशन पुत्र रूपा धाकड़	,,	209,218	*	*
97.	श्री छोटू रामनारायण पुत्र श्रीकृष्ण धाकड़	,,	*	*	*
98.	श्री सीताराम पुत्र लाल गूजर, डूंगरपुर	,,	*	*	*
99.	श्री पन्ना पुत्र बूंचा बलाई, लसाड़ियाकलां	लसाड़ियाकलां			
100.	श्री प्रताप पुत्र हीरा बैरवा, रोसलिया	रोसलिया			
101.	श्री राधाकिशन पुत्र हीरालाल बलाई, सा. रोसलिया	रोसलिया	10	5 बी.	3-1-83
102.	श्री रामचन्द्र पुत्र गणपत बलाई	,,	7,10	12 बी.	,,
103.	श्री बिसना पुत्र गणपत बलाई	,,	7,10	11 बी.	,,
104.	श्री ग्यासरसी राम पुत्र भंवर लाल बलाई	,,	5,2	5 बीघा	,,
105.	श्री त्रिशना पुत्र रामा बलाई, लसाड़िया कलां	,,	279	4 बी. 8 वि.	,,
106.	श्री रतन लाल पुत्र गोपाल लाल बलाई	कमोलर	796	5 बी.	,,
107.	श्री राम प्रसाद पुत्र कजोड चमार	,,	796	10 बी.	,,
108.	श्री चन्द्रसेन पुत्र कन्हैयालाल, हरिसिंह मीना, बपावरखुर्द	बपावरकलां	102	4 बी. 15 वि.	,,

* अस्पष्ट

1	2	3	4	5	6
109.	श्री लाल पुत्र घूनीलाल मीना	वपावर कला	1205	4 बी. 15 वि.	3-1-83
110.	श्री मोतिया पुत्र पन्ना धाकड, सा. धाटीला	काल्याहेडा	21	9 बी. 1 वि.	,,
111.	श्री केसरा पुत्र नन्दा बेरवा	मकडावद	272 273	6 बी 3 वि.	7-1-83
112.	श्री कालू पुत्र श्रवण, कन्दारादेगन्या	,,	277	5 बी.	,,
113.	श्री जयलाल पुत्र बिरधीलाल गूजर	,,	181	5 बी.	,,
114.	श्री प्रभुलाल पुत्र देवलाल मीना, तहरोली	तहरोली	124	3 बी.	,,
115.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र नाथूलाल, सा. धटाल	धटाल	145, 148	7 बी. 2 वि.	,,
116.	श्री कस्तूर चन्द पुत्र भंवर लाल मीना, धटाल	,,	127, 182	2 बी.	,,
117.	श्री किशोर पुत्र रघुनाथ भोग्या, किशनपुरा	अतरालिया	199	4 बी.	,,
118.	श्री लटूर पुत्र फत्ता मेहर, आमली	आमली	84	5 बीघा	,,
119.	श्री राम कुमार पुत्र श्रीलाल मीना. आमली	,,	55	4 बी.	,,
120.	श्री माध्या पुत्र छगना खारवाल, झोपडिया देगना	लालाहेडा	221	3 बी.	,,
121.	श्री देवा पुत्र सुखा झोपडिया, देगना	,,	221	3 बी.	,,
122.	श्री सुन्दर लाल पुत्र वीरभान जाट	,,	221	3 बी.	,,
123.	श्री बद्री पुत्र मथुरा मीना, दर स्टेशन	,,	221	6 बी.	,,
124.	श्री कालू पुत्र लखा खारवाल, झोपडिया देगना	मण्डाप	213	8 बी.	,,
125.	श्री गोपी लाल पुत्र नेनेगा, खारवाल	,,	213	6 बी.	,,
126.	श्री रामस्वरूप पुत्र भूल्या, खारवाल	,,	213	4 बी.	,,
127.	श्री किशना पुत्र नेनगा खारवाल ,,	,,	213	5 बी.	,,
128.	श्री रामनारायण पुत्र छोटू, खारवाल	,,	213	6 बी.	,,
129.	श्री श्रीकृष्ण पुत्र मथुरालाल धाकड, करोरिया	करिरिया	40	2 बी.	,,
130.	श्री चतरा जीवन लाल पुत्र नाथूलाल धाकड़	,,	45	10 बी.	,,
131.	श्री लाल पुत्र नाथू धाकड, करिरिया	,,	12,57	5 बी.	,,
132.	श्री राम रतन पुत्र कान्हा बैरवा	,,	45,46	8 बी.	,,
133.	श्री कृष्ण कन्हैयालाल जगदीश पुत्र मथुरा धाकड़, करोरिया	,,	55	8 बी.	,,

134.	श्री विरधीलाल पुत्र नाथूलाल नायक, विनोट खुर्द	विनोदखुर्द	47	3 बी.	7-1-83
135.	श्री राम करण पुत्र श्रवण मीना, विनोद खुर्द	,,	49	8 बी.	,,
136.	श्री रामकरण पुत्र लाला मीना, मालीहेडा	मालीहेडा	220	3 बी.	,,
137.	श्री रत्या पुत्र मंगल्या चमार, मालोहेडा	मालीहेडा	199	2 बी. 9 वि.	,,
138.	श्री छीतरलाल पुत्र भंवर लाल मीना	,,	147	3 बी.	,,
139.	श्री अमरालाल पुत्र दुर्गाशंकर ब्राह्मण, विनोदखुर्द	,,	10	3 बी.	,,
140.	श्री लटूर पुत्र कल्याण मीना, मालीहेडा	,,	23, 220	3 बी. 2 वि.	,,
141.	श्री शिवराज सिंह पुत्र छीतरसिंह राजपूत, धाटोलिया	रोघाना	5	15 बी.	,,
142.	श्री जयलाल पुत्र विरधालाल बैरवा	,,	5	8 बी.	,,
143.	श्री भंरूलाल पुत्र मांगीलाल मेहर, रोलाना	,,	167	14 बी.	,,
144.	श्री भैरुसिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपूत	विनोदकलां	411	5 बी.	,,
145.	श्री वेद प्रकाश उर्फ लटूर पुत्र जगन्नाथ माली, रोलाना	रोलाना	46,69 86	10 बी. 9 वि.	,,
146.	श्री चम्पालाल पुत्र सुक्खा गुजर, कोगनिया	कांगनिया	221	10 बी.	,,
147.	श्री मथुरा पुत्र विरधीलाल माली, कोगनिया	,,	47, 62, 64	3 बी 8 वि.	
148.	श्री चन्दा पुत्र भंवरलाल बैरवा, घाटोलिया	,,	67	5 बी.	
149.	श्री राम दयाल पुत्र हीरा गूजर, बरखेडा	बरखेड़ा	402	4 बी.	1-8-81
150.	श्री लालया पुत्र भंवना चमार, बाछीहेड़ा	बाछीहेड़ा	194	1 बी. 10 वि.	16-10-81
151.	श्री मथरा पुत्र मीना, हिगोनिया	हिगोनिया	84	7 बी.	27-2-82
152.	श्री गोपाला पत्नी सुन्दर लाल धाकड, जगदीश पुरा	जगदीशपुरा	4	1 बी. 16 वि.	18-11-82
153.	श्री रामकिशन पुत्र गेन्दीलाल राजपूत, नि. माधोपुर	जगदीशपुरा	131	4 बी	6-1-83
154.	श्री विरधीलाल पुत्र पृथ्वीलाल कलाल, कनवास	,,	203	1 बी.	,,
155.	श्री हीरा पुत्र विरधा माली, किशनपुरा	किशनपुरा	102	3 बी.	,,
156.	श्री विरधा पुत्र महादेव किराड़, किशनपुरा	,,	782,78	3 बी. 2 वि.	10-12-83
157.	श्री केशरा पुत्र भैरू किराड़, नि. किशनपुरा	,,	102	7 बी. 5 वि.	,,
158.	श्री हरलाल पुत्र सोहन सिंह बंजारा	,,	71,102	7 बी. 11 वि.	,,
159.	श्री रामलाल पुत्र नेना बंजारा	,,	96	2 बी. 10 वि.	,,
160.	श्री चंदना पत्नी धन्ना बंजारा	,,	102	3 बी.	,,

Page No 210

1	2	3	4	5	6
161.	श्री मोहनलाल पुत्र प्रहलाद गूजर, मदारिया	मदारिया	238	5 बी.	10.12-83
162.	,, धन्ना पुत्र मोती गूजर, मदारिया		246	5 बी.	,,
163.	,, छीतर पुत्र नानू बंजारा, कांकरिया	कांकरिया	83	3 बी.	,,
164.	,, भैरूलाल पुत्र जगन्नाथ धाकड़, कांकरिया	,,	87	3 बी.	,,
165.	,, गेन्दीलाल पुत्र गोविन्दा खाकल, गिरधरपुरा	गिरधरपुरा	46	6 बी.	,,
166.	,, राजूलाल पुत्र प्रभूलाल मीना, टोल्या	टोल्या	83	4 बी.	,,
167.	,, श्रीलालु पुत्र चतख धाकड़, गरड़ाना	गरड़ाना	184	5 बी.	,,
168.	,, अलकूखां पुत्र शमशुद्दीन मुस., गरडाना	,,	109	2 बी.	,,
169.	,, स्लीम नियाज मो. पुत्र धासा खां मुस.	,,	80	10 बी.	,,
170.	,, रामबाबू पुत्र प्रभूलाल धाकड़, गरडाना	,,	179	5 बी.	,,
171.	,, रामा पुत्र जीवन बलाई, देवली	खड़ीपुर	170	5 बी.	,,
172.	,, प्रभूलाल पुत्र रतनलाल कन्हैयालाल माली, खड़ीपुर विरधीलाल	,, ,,	1	1 बी. 10 वि.	,,
173.	,, मोडू पुत्र नैनगा माली, खड़ीपुर	,,	170	5 बी.	,,
174.	,, गोविन्दलाल पुत्र कपरलाल माली	,,	170	1 बी.	,,
175.	,, गणेशराम पुत्र रत्तीराम माली ,,	,,	169	5 बी.	,,
176.	,, रामकिशन धन्ना रघुनाथ पुत्र देवया चमार	,,	169	1 बी.	,,
177.	,, रामनिवास पुत्र रामनारायण लुहार, खेडली	खेडलीकन्दफल	178	2 वि.	,,
178.	,, देवा पुत्र घासी गोपाल पुत्र देवा चमार	,,	178	7 वि.	,,
179.	,, केसरा पुत्र डूगा माली नि., खजूरी	खजूरी	895	1 बी. 5 वि.	,,
180.	,, मोहनलाल मांगीलाल दुर्गालाल पुत्र देवलाल माली, निवासी खजूरी	,,	869,890	27 बी. 11 बि.	
181.	,, लाखा जगन्नाथ पुत्र माधो माली नि., खजूरी	,,	861	7 बी. 3 वि.	,,
182.	,, कालू पुत्र हीरा माली नि., बन्दा	खजूरी	858	7 बी. 5 वि.	,,
183.	,, बालक्या पुत्र धन्ना माली नि., बन्दा	बन्दा	862,866	10 बी. 4 बि.	,,
184.	,, प्रभू पुत्र भंवरलाल माली नि., बन्दा	,,	859,866	7 बी.	,,

185.	,, बाबू पुत्र माधो हरिजन नि., कनवास	कनवास	292	10 बी.	6-1-83
186.	,, चन्द्रशेखर पुत्र रामस्वरूप ब्रा.,कनवास	कनवास	312	6 बी. 14 बि	6-1-83
187.	श्री रत्या पुत्र बाल्या भोग्या, नि., कनवास		289	5 बी.	,,
188.	,, गेन्दीलाल पुत्र बाला गूजर, नि., सावन भादो	गूजरियाहेड़ी	34	10 बी.	,,
189.	,, चतरा पुत्र हीरा गूजर, गूजरिया हेड़ी	,,	139	2 बी. 11 वि.	,,
190.	,, रामस्वरूप पुत्र चतरा गूजर, नि., ,,	,,	148	1 बी.	,,
191.	,, रामनाथ पुत्र रामबक्श खीरवाल, मोईखुर्द	किशोरसागर	118	3 बी. 3 वि.	,,
192.	,, हीरालाल पुत्र धन्ना गूजर	,,	169	3 बी.	,,
193.	,, देवलाल पुत्र सुक्खा गूजर नि., भाभोर	भाभोर	82	5 वि.	,,
194.	,, पन्ना पुत्र लछमन कहार नि., कलमण्डी	कलमण्डी	20	10 बी.	,,
195.	,, धन्नालाल पुत्र हीरा मीना, नि. कलमण्डी	,	58/ 1	6 बी.	,,
196.	,, भैरूलाल पुत्र कल्ला ओड़, नि. म गलपुरा	म गलपुरा	150,151	8 बी.	,,
197.	,, नारायण पुत्र गब्बा बंजारा ,,	,,	150,151	5 बी. 13 वि.	,,
198.	,, दीपा पुत्र शब्बा बंजारा नि., म गलपुरा	,,	150,151	5 बी.	,,
199.	,, मांगीलाल पुत्र गब्बा बंजारा नि. ,,	,,	150,151	5 बी.	,,
200.	,, भवानी सिंह पुत्र गब्बा ब जारा नि.,	,,	150	6 बी.	,,
201.	,, धन्ना पुत्र वल्लाहोड, नि., मंगलपुरा	,,	150,151	5 बी.	,,
202.	,, खेमराज पुत्र किशनलाल मीणा, पितास्बर हरीपुरा	हरीपुरा	1	3 बी.	,,
203.	,, सावल्या पुत्र वन्शा मीना,मं ननलिया हेड़ी	जालिमपुरा	101	35 बी.	,,
204.	,, माधो पुत्र गुलाब रेबारी, नि., जालिमपुरा	,,	58	6 बी.	,,
205.	,, सावल्या पुत्र भीमा रेबारी, नि., जालिमपुरा	,,	14	6 बी.	,,
206.	,, नैनगा पुत्र रतीराम बैरागी, नि., जालिमपुरा	,,	100	*	,,
207.	,, कोलू पुत्र धानामाली, नि., मामलियाहेड़ा	,,	38	*	,,
208.	,, कैलाश चन्द पुत्र रामकल्याण मीना	,,		*	,,
209.	,, छीतर पुत्र गोपीराम मीना, नि., तूमडा	तूमड़ा	*	*	,,
210.	,, भंवरलाल पुत्र कृष्णा माली नि., तूमड़ा	*	*	*	,,

* अस्पष्ट

1	2	3	4	5	6
211.	श्री लटूर पुत्र देवा मीना, नि. तूमडी	तूमड़ी	*	*	*
212.	श्री लटूर पुत्र देवा मीना, नि. तूमडी	,,	*	*	*
213.	श्री चद्रा पुत्र भंवरलाल बैरवा, नि. धाटोलिया	,,	*	*	*
214.	श्री छीतर पुत्र विशना धाकड़, अड़ूसा	अड़ूसा	298	9 बी.	13-1-83
215.	श्री काल्या, कल्याण पुत्र देवीराम बैरवा, नि. अड़ूसा	,,	36	6 बी.	13-1-82
216.	श्री जगन्नाथ पुत्र रामनारायण माली	मूड़क्या	145	5 बीघा	,,
217.	श्री रसूलखा. पुत्र पुन्देखां, वायेड़ा	बायेड़ा	119, 135	5 बी. 16	,,
218.	श्री द्वारका लाल पुत्र देवलाल धाकड़, नि. कराडियाकलां	कुराडियाकलां	95	4 बी. 14	,,
219.	श्री रामनारायण पुत्र छीतरा लाल, धाटोलिया	किशनपुरा	61	10 बि.	,,
		जागीर	61	1 बि.	,,
220.	श्री छीतरलाल पुत्र रामनारायण खाती धाटोलिया	,,			,,
221.	श्री मदनलाल पुत्र कन्हैयालाल मेहर	कुन्दनपुर	212	5 बीघा	,,
222.	श्री नन्दकिशोर पुत्र गोपाल धाकड़, खेड़ली गुड़ला	कु खेड़ली गुड़ला	45, 49	1 बी. 5 वि.	,,
223.	श्री प्रभूलाल पुत्र रामगोपाल मीना, खेड़ली	,,	49	1 बी. 8 वि.	,,
224.	श्री मोतीलाल पुत्र देवीलाल धाकड़	,,	45	10 वि.	,,
225.	श्री बशीर पुत्र मन्नेखां मुसलमान, कोटा जं.	खेड़ली गुड़ला	26	6 बी.	,,
226.	श्री नाथूलाल पुत्र भागचन्द मीना, सा. गुड़ला	,,	131/ 189	4 बीघा	,,
227.	श्री भैरूलाल पुत्र रामनाथ नायक, मड़ोता	मड़ोता	102	5 बीघा	,,
228.	श्री छोटू पुत्र बाल्या बलाई, मड़ोता	,,	196	2 बी.	,,

* अस्पष्ट ।

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 74 की सूचियां

जिला बाड़मेर में वर्ष 1982-83 में असहायों को सहायता तहसीलवार निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	नाम तहसील	संख्या
1.	पंचपदरा	194
2.	शिव	183
3.	चौहटन	262
4.	सिवाना	218
5.	बाड़मेर	749
6.	गुडामालानी	127

जिला बाड़मेर में प्रशासन गांवों की ओर अभियान में असहायों को सहायता तहसीलवार निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	नाम तहसील	संख्या
1.	बाड़मेर	122
2.	शिव	118
3.	चौहटन	98
4.	सिवाना	77
5.	पंचपदरा	92
6.	गुडामालानी	127

जिला जैसलमेर में असहायों को सहायता तहसीलवार निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	नाम तहसील	संख्या
1.	जैसलमेर	429
2.	पोकरन	386

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 77 की सूचियां

चालू खनन पट्टा सूची प्रधान खनिज दिनांक 31-1-83

सूची संख्या 1

क्रम संख्या	खनन पट्टा संख्या	पार्टी का नाम	खनिज	क्षेत्र का स्थान	क्षेत्र हैक्टेयर्स में	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	12/ 72	श्री अवनाश कुमार	गिलोसोराइट, कैलसाइट बरमिक्यूलाइट	सरसारी	40.87	23-11-72 से 20 वर्ष
2.	5/ 72	श्री अजमेर मिनरल्स	माइका, फैल्सपार, क्वाट्स	देवपुरा	70.50	12-3-72 ,,
3.	14/ 72	श्री अजमेर मिनरल्स	माइका, फैल्सपार, वरमीक्यू	डोराज एरिया	80.13	3-6-74 ,,
4.	15/ 71	,, ,,	ग्लोसटोरइट, कारसारी	कारसारी	32.27	29-12-72 ,,
5.	7/ 72	मैसर्स सी. सी. मिनरल्स	माइका, फैल्सपार क्वाट्स	किशनपुरा	57.40	13-12-74 ,,
6.	12/ 65	मैसर्स बोधन एण्ड कम्पनी	माइका फैल्सपार, क्वाट्स	कालाथखेरा	16.55	3-5-66 ,,
7.	46/ 75	भारतीया मिनरल्स	,, ,,	गुजरावारा	451.39	12-12-77 ,,
8.	1/ 67	श्री बाबू लाल	फैल्सपार क्वाट्र्स, एसवैसट्स	हैगलव	43.16	7-9-68 ,,
9.	15/ 64	श्री बाबू लाल	एसवैसटस	गडियार जुनपुरा	113.77	8-10-65 ,,
10.	13/ 66	श्री बाबू लाल	एसवैसटस	अर्जुनपुरा	38.62	22-5-67 ,,
11.	12/ 67	श्री बाबूलाल ,,	,,	भीमपुरा	32.67	23-4-68 ,,
12.	3/ 70	मैसर्स भारत मिनरल्स	ग्लोसोराइट	नन्द	37.41	15-4-68 ,,
13.	8/ 69	मैसर्स भारत मिनरल्स	,,	सरसारी	89.39	29-12-72 ,,
14.	12/ 64	,, ,,	एसवैसटस, बेरियल, मेग्नेसाइटिक फैल्सपार,	माकेरारा ,,	81.69	17-8-68 ,,

15.	22/ 67	मैसर्स भारत मिनरल्स	एसबेसटस फैल्सपार, क्वाट्स सोपस्टोन	माकेरास	40.12	6-5-70	से 20 वर्ष
16.	15/ 70	,, ,,	माइका ,,	धाती	38.26	11-5-70	,,
17.	23/ 69	,, ,,	,, ,,	पिपरोली	35.52	23-12-70	,,
			,,		34.52	13-2-70	,,
18.	8/ 68	,, ,,	,, ,,	लोहा	11.33	17-3-79	,,
19.	9/ 78	,, ,,	,, ,,	लोहारखारा	169.00	12-5-73	,,
20.	26/ 70	,, ,,	,, ,,	सारगोन		17-5-73	,,
21.	18/ 5	श्रीमती बनवारी देवी मि.	,, ,,	कालठेकर	6119.10	30-1-75	,,
22.	26/ 20	,, ,,	,, ,,	धानधरिया	31.37	24-3-75	,,
23.	8/ 67	भागचन्द सेठी	,, ,,	कादमपुरा	32.27	5-3-68	,,
24.	28/ 74	,, ,,	,, ,,	दादियाठेगरी	178.33	11-9-75	,,
25.	8/ 78	भागचन्द सेठी	,, ,,	तिहारी	146.44	14-11-80	,,
26.	8/ 78	,, ,,	,, ,,	उगन	32.37	19-10-79	,,
27.	49/ 76	बनवारी लाल सेठी	,, ,,	तिलाना	32.37	30-11-76	,,
28.	12/ 77	,,	,,	गंगापुरा	46.04	9-1-79	,,
29.	35/ 70	बनवारी लाल सेठी	फैल्सपार क्वाट्स	सोखलिया	102.30	3-4-80	,,
30.	34/ 78	बनवारी लाल सेठी	माइका फैल्सपार, क्वाट्स	डाल	32.37	29-2-80	,,
31.	26/ 77	श्री बसन्ती लाल तेला	,,	दशोक	,,	21-2-79	,,
32.	12/ 72	चन्द्रा एण्ड चन्द्रा मिनरल्स	फैल्सपार क्वाट्स सोपस्टोन गारेड	कुण्डल	143.31	16-4-79	,,
33.	27/ 74	,, ,,	,,	वाई	253.41	20-5-78	,,
34.	8/ 74	मैसर्स चांदमल एण्ड कम्पनी	,,	आकरी	34.52	8-11-76	,,
35.	72/ 75	श्री छोट भाई फकीर मोहम्मद	माइका फैल्सपार क्वांटस	रतनपुरा	83.2	29-2-70	,,
36	42/ 75	श्री सी. पी. पुरंग	माइका फैल्सपार क्वाटस	स्वस्थयसार	83.02	2-5-77	से 20 वर्ष
37.	26/ 76	मैसर्स सी सी मिनरल्स	,,	लाजलियावास	203.17	28-7-77	,,

Page No 216

1		2	3	4		5	6
38.	15/73	मैसर्स चांद मल एण्ड कम्पनी	फैलसपार क्वाट्स, सोपस्टन	चौसला	80.00	3-12-74	से 20 वर्ष
39.	10/74	श्री एफ. सी. प्रामजी	माइका फैलसपार, क्वाट्स, बेरियल	बसुन्दरी	207.06	18-2-63	,,
40.	1/78	श्री गंगा सिंह	,,	सोडा	35.69	26-12-78	,,
41.	5/78	मैसर्स गोलेछा पालावत	,,	जाबाजा	44.92	16-2-59	,,
42.	12/73	मैसर्स गोलेछा मालावत	,,	पनवरिया	33.07	24-3-77	,,
43.	16/69	मैसर्स गोपीलाल एण्ड सन्स	,,	जत्राजा	51.08	3-5-68	,,
44.	8/77	मैसर्स गणेन मिनरल्स	..	धोली	145.69	12-12-77	,,
45.	2/66	मैसर्स भारत मिनरल्स सप्लाई	,,	नन्द	47.41	24-3-72	,,
46.	22/77	मैसर्स गणेन मिनरल्स	,,	सरविना	161.70	30-6-79	,,
47.	21/77	मैसर्स गणपति खनन उद्योग	,,	थनीथोक	64.29	28-9-79	,,
48.	5/70	श्री हजारी सिंह कसाना	,,	सीनोद	34.69	30-12-70	,,
49.	9/73	श्री हजारी सिंह कसाना	,,	बोराड़ा	29.30	13-9-74	,,
50.	28/71	श्री हजारी सिंह कसाना	,,	बोराड़ा	32.37	19-10-72	,,
51.	23/78	श्री इन्दर लाल जोशी	एसबैसटस, ,,	कोटरा	40.58	18-5-79	,,
52.	31/78	श्री इन्दर लाल जोशी	,,	राजगढ़	73.00	13-2-80	,,
53.	3/79	श्री इन्दर लाल जोशी	,,	जेठाना	32.37	17-5-80	,,
54.	23/80	श्री इन्दर लाल जोशी	,,	लछियापुरा	53.95	30-6-81	,,
55.	16/79	श्रीमती इन्दिरा देवी भार्गव	फैलसपार, क्वाट्स एसबेसटस	लछियापुरा	38.57	23-1-70	,,
56.	12/70	श्रीमती इन्दिरा देवी भार्गव	,,	लछियापुरा	46.36	31-8-78	,,
57.	27/70	श्रीमती इन्दिरा देवी भार्गव	,,	गुढ़ा	47.25	8-5-72	,,
58.	46/70	श्री जे. के. सोनी	माइका, फैलसपार, क्वाट्स	नागालो	8.17.15	13-9-76	,,
59.	46/11	श्री जे. के. सोनी	ग्लोसाराइट	नागाली	8.1.0	18-9-76	,,
60.	48/9	श्री जे. के. सोनी	माइका, फैलसपार, क्वाट्स	रामसर	9.7.17	2-12-76	,,
61.	48/11	श्री जे. के. सोनी	,,	लोहरवा	4.00	17-10-66	,,
62.	2/79	मैसर्स जेठमल नन्दलाल सेठी	,,	कुमारिया	90.05	11-10-79	,,
63.	13/72	मैसर्स जैन मिनरल्स	,,	गोडियाना	34.52	12-3-76	,,

64.	4/ 73	मैसर्स जैन मिनरल्स	माइका फैल्सपार क्वार्ट्स	नयाखेड़ा	40.04	20-2-75	से 20 वर्ष
65.	24/ 71	मैसर्स जैन मिनरल्स	,,	जलिया	32.59	26-2-75	,,
66.	15/ 66	मैसर्स जैन मिनरल्स	,,	रवतमल	32.37	18-2-67	,,
67.	10/ 75	मैसर्स जैन मिनरल्स	,,	पुनेरा	58.28	23-12-72	,,
68.	7/ 71	मैसर्स बनवारी लाल सेठी	,,	मुडोती	32.37	20-11-80	,,
69.	11/ 75	मैसर्स जैन मिनरल्स	माइका, फैल्सपार, क्वार्ट्स, एसर्वसटस, सोपस्टोन एमरल्ड	राजगढ़	71.23	30-12-74	,,
70.	32/ 78	मैसर्स जे. जे. मिनरल्स	माइका, फैल्सपार, क्वार्ट्स	रावतमल	129.50	18-9-79	,,
71.	32/ 75	मैसर्स जगन्नाथ हेरलाल	,,	कनाखेरिया	64.75	21-9-76	,,
72.	2/ 76	जेठन जितेन्द्र कुमार आर्य	,,	जगपुरा	32.27	20-11-76	,,
73.	43/ 75	जयदेव प्रसाद शर्मा	मग्नेसाइट	कालीडूंगरी	129.50	24-2-77	,,
74.	23/ 77	जेठमल मदनलाल सेठी	माइका फैल्सपार, क्वार्ट्स	झरवासी	32.37	28-10-78	,,
75.	38.75	मैसर्स कल्याण मल टाक	,,	ठिलाना	32.70	22-11-76	,,
76.	2/ 67	मैसर्स कल्याण मल टाक	,,	ढाल	34.32	15-1-72	,,
77.	17/ 70	मैसर्स कल्याण मल टाक	केलसाइट सोपस्टोन, एसवैसट्स	राजगढ़	65.96	23-2-72	,,
78.	16/ 78	कल्याण मल टाक	माइका, फैल्सपार, क्वार्ट्स, वर्मीकुलाइट	चासुंख	80.94	30-6-80	,,
79.	4/ 77	श्रीमती कमला देवी शर्मा	,,	खारवा	32.37	22-3-78	,,
80.	48/ 75	श्री कानमल चौधरी	,,	छांधिया	32.37	10-3-77	,,
81.	25/ 78	श्री कानमल चौधरी	,,	छांधिया	63.33	8-11-79	,,
82.	10/ 74	मैसर्स खनिज उद्योग	,,	झिनिया	200.31	20-3-78	,,
83.	30/ 72	श्रीकांत प्रसाद	,,	रानीसागर	32.37	25-7-75	,,
84.	12/ 79	श्री जे. के. शर्मा	,,	रतनपुरा	71.93	6-3-80	,,
85.	14/ 63	श्री लक्ष्मीनारायण कुमावत	एसबैसट्स	अर्जुनपुरा	32.37	28-12-73	,,
86.	37/ 75	मैसर्स माइका मिनरल्स	एसवैसट्स सोपस्टोन	माकारेरा	131.50	30-11-75	,,

1	2	3	4	5	6	7	
87.	7/ 74	श्री माणक चन्द	,,	मंनधरिया	60.35	26-11-75	,,
88.	3/ 64	मानसिंह बागाले	माइका, फैल्सपार, क्वार्ट्स	माकाग्रेरा	80.82	19-8-64	,,
89.	4/ 62	श्री मानसिंह बागाले	,,	माराना	32.37	21-9-62	,,
90.	1/ 66	मूल चन्द कावरा	फैल्सपार, क्वार्ट्स, सोपस्टोन	नाखिरा	120.50	25-7-67	,,
91.	13/ 73	मारवाड़ मिनरल्स	माइका, फैल्सपार, क्वार्ट्स	अरतार	41.09	20-9-74	,,
92.	[illegible]/ 65	मंगलचन्द सेठी	,,	मराना	37.28	7-1-66	,,
93.	33/ 74	श्री मंगलचन्द सेठी	,,	गनिया	36.08	21-2-76	,,
94.	4/ 76	श्री मंगलचन्द सेठी	,,	अहेडा-भहेडा	32.37	5-4-77	,,
95.	16/ 76	श्री मंगलचन्द सेठी	,,	अकोडिया	34.40	7-5-77	,,
96.	8/ 76	श्री मंगलचन्द सेठी	,,	सांकलिया	91.42	20-7-77	,,
97.	41/ 75	मानकचन्द्र सेठी	,,	मानोत	42.66	11-3-77	,,
98.	28/ 69	मन्नालाल सुराणा	एमारल्ड आदि	बुबानी	36.00	17-11-70	,,
99.	5/ 77	श्री मन्नालाल सुराणा	क्वार्ट्स, एसबैस्टस आदि	मोहामी	64.75	18-6-77	,,
100.	14/ 77	श्री मन्नालाल सुराणा	,,	बुवानी	82.67	31-12-80	,,
101.	5/ 74	श्री मूल चन्द सेठी	एमरल्ड	राजगढ़		28-2-75	,,
102.	1/ 70	श्री मूल चन्द सेठी सानोद	माइका, फैल्सपार, क्वार्ट्स	खरादी	4.37	3-1-71	,,
103.	35/ 75	मैसर्स माइका मिनरल्स	,,	माकडा	42.10	12-10-76	,,
104	17/ 72	नन्दलाल शर्मा	,,	रसूलपुरा	61.86	6-6-74	,,
105.	36/ 79	मैसर्स ग्रोम माइका कम्पनी माइका	,,	तिहारी	34.10.1	18-10-80	,,
106.	12/ 75	मैसर्स ग्रोम माइका कं. माइका	,,	रामेश्वर	21.3.6	28-4-76	,,
107.	6/ 78	मैसर्स ग्रोम माइका कं. माइका	,,	मवेदा कालान	306.09	15-1-80	,,
108.	22/ 78	मैसर्स ग्रोम माइका कं. माइका	,,	कलेरा	145.96	3-6-80	,,
109.	27/ 67	श्री पी. एन. पाल	सोपस्टोन	अर्जुनपुरा	32.37	26-11-68	,,
110.	20/ 78	श्री पांचू लाल सेठी	माइका, फैल्सपार, क्वार्ट्स	मानोत	63.02	18-1-80	,,

Page No 219

111.	33/ 69	मैसर्स राजस्थान मिनरल्स	,,	देवपुरी	32.37	6-1-77	,,
112.	6/ 74	,,	,,	मोहनपुरा	91.32	14-1-75	,,
113.	30/ 74	,,	,,	पिलाना	287.41	29-9-76	,,
114.	21/ 72	श्री रामनिवास शर्मा	माइका, फैल्सपार, क्वार्ट्स	किरवानी	32.37	23-4-74	से 20 वर्ष
115.	18/ 65	मैसर्स आर. डी. मनिहार	,,	धाल	33.99	19-6-67	,,
116.	28/ 77	मैसर्स रीता मिनरल्स	,,	सोमालपुर	32.37	18-12-78	,,
117.	14/ 78	,,	,,	कानपुरा	64.75	3-10-79	,,
118.	20/ 75	मैसर्स रतन देवी के. डागा	,,	खावा	32.37	1-11-77	,,
119.	29/ 75	मैसर्स रीता मिनरल्स	,,	सुरिया	40.47	17-9-78	,,
120.	31/ 75	,,	,,	शाहपुरा	32.37	17-8-78	,,
121	31/ 75	श्री रामदेव	,,	दाताली	129.50	3-10-79	,,
122.	29/ 67	श्री सललाल गोयनका	सी सोपस्टोन	हट्न्डी	90.66	15-10-68	,,
123.	4/ 69	,,	एसबैट्स, सोपस्टोन	पुरागुरान	37.77	30-6-77	,,
124.	एक्स-सी/ 81	श्री सुजानमल पदमचन्द	माइका, फैल्सपार, क्वार्ट्ज	रामसर	6.60	31-3-76	,,
125.	8/ 73	श्री सुजानमल	,,	चामन्डिया	43.75	4-10-74	,,
126.	3/ 71	,,	,,	बराली	32.37	4-8-72	,,
127.	10/ 63	श्री एस. एन. माथुर	,,	जलियावास	80.78	26-12-73	,,
128.	20/ 67	श्री एस. एस. राघवन	सोपस्टोन एसबैसट्स	गुढा	32.37	25-1-71	,,
129.	44/ 79	श्री शान्ति लाल जैन	माइका, फैल्सपार, क्वार्ट्ज	सागोद	74.21	29-9-81	,,
130.	33/ 79	श्री सुरेन्द्र मिनरल्स	,,	आशापुरा	42.09	14-4-81	,,
131.	33/ 79	श्री सोहनलाल नागोरा	,,	सोवरी	43.38	9-10-79	,,
132.	27/ 71	श्री शान्ति लाल जैन	,,	लोहरवारा	67.50	27-4-72	,,
133.	24/ 76	,,	,,	,,	21.10,10	12-10-70	,,
134.	23/ 76	,,	,,	खान्दाव	49.63	10-4-78	,,
135.	47/ 75	,,	,,	दादिया	46.38	10-4-78	,,
136.	20/ 75	,,	,,	वारला	183.70	19-7-77	,,
137.	7/ 78	,,	,,	लोहरवारा	152.20	19-3-80	,,

(228)

1	2	3	4	5	6	7	
138.	18/ 78	मैसर्स शान्तिलाल जन	माइका, फैल्सपार, क्वाट्र्ज	बान्दरसिन्दरी	129.50	30-7-80	से 20 वर्ष
139.	10/ 73	मैसर्स टांक मिनरल्स	एसवैट्स, सोपस्टोन	घडिग्रर्जुनपुरा	151.37	19 12-74	,,
140.	3/ 74	,,	माइका, फैल्सपार, क्वाट्र्ज	तेलाना	37.76	19-12-74	,,
141.	6/ 76	,,	,,	मगरी राज	41.00	28-8-77	,,
142.	9/ 76	,,	,,	हनुबन्तिया	180.66	27-8-77	,,
143.	8/ 76	,,	,,	मडोती	72.52	6-9-78	,,
144.	20/ 74	,,	,,	मेकरवाली खेड़ा	48.91	13-8-79	,,
145.	23/ 75	,, प्रोप राइटर श्रीमती रतन देवी टाक	,,	ग्ररवार	32.37	15-9-76	,,
146.	146/	श्रीमती रतन देवी टाक	,,	मडोती	283.85	9-10-79	,,
147.	5/ 73	श्री उमाशंकर शर्मा	एसवैसटस, क्वाट्र्ज	ग्रर्जुनपुरा	32.37	22-10-73	,,
148.	,,	श्री बन्शीमल	माइक फैल्सपार, क्वाट्र्ज	सील	56.25	16-10-79	,,
149.	13/ 63	मैसर्स प्रताप कोमर्शिल	एसवेसटस	कोटडा	38.85	7-10-65	,,
150.	8/ 62	,,	,,	नाईखुर्द	45.30	9-7-63	,,
151.	5/ 64	,,	,,	ग्रासन	351.51	26-3-65	,,
152.	33/ 78	मैसर्स चर्टा मिनरल्स	चर्टा मिनरल्स, फैल्सपार क्वाट्र्ज	देराथ	32.37	9-6-80	,,
153.	37/ 79	मैसर्स मनिहार सैल्स को	,,	घालतेलान	63.45	3-7-80	,,
154.	42/ 79	मैसर्स जे. जे. मिनरल्स	,,	बांसवारा	32.37	21-6-80	,,
155.	13/ 78	श्री भवरलाल टाक	एसवैसटस कैलसाइट, गारनेट	जवाजा	64.75	18-9-80	,,
156.	15/ 79	मैसर्स रीता मिनरल्स	माइका, फैल्सफार	दोरई	64.75	9-12-80	,,
157.	40/ 79	,,	क्वाट्र्ज ,,	माताजी का खेडा	32.37	7-2-81	,,
158.	18/ 79	,,	,,	बारला	194.25	15-5-81	,,
159.	12/ 80	श्री शादिक मोहम्मद	,,	खटोदी	40.00	24-2-82	,,

160.	35/ 78	श्री ओमप्रकाश तेला	,,	धान	32.37	19-8-80	से 20 वर्ष
161.	11/ 79	श्री देवेन्द्र कुमार	,, कैलसाइट	सूर्या	32.37	23-9-80	,,
162.	39/ 78	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	,,	बोराडा	116.37	15-4-80	,,
163.	30/ 79	श्री राधेश्याम चवादा	,,	सूर्या	242.81	21-8-80	,,
164.	6/ 79	श्री कमलेश कुमार	माइका, फैल्सपार, क्वाटर्ज एसबे. सोप.	लचीपुरा	100.70	13-1-81	,,
165.	2/ 80	श्री सोभागमल गोलछा	,,	खोरमाल	32.37	29-1-81	,,
166.	25/ 77	श्री दिग्विजय सीमेन्ट	लाइम स्टोन केसरपुरा	केसरपुरा शिवराजपुरा सोपुरा	1स्वा.किलो.	28-8-78.	,, ,,
167.	5/ 79	श्री केलाश चन्द माथुर	माइका फैल्सपार, क्वाटर्ज	बाराल	34.67	5-10-80	,,
168.	22/ 80	श्री ,,	,,	,,	174.00	4-7-81	,,
169.	9/ 79	श्रीमती कमला देवी	माइका ,,	पालराना	155.04	10-6-80	,,
170.	27/ 79	श्री मोहनलाल शर्मा	फैल्सफार, क्वाटर्ज	धानारिया	65.75	20-7-81	,,
171.	38/ 80	श्रीमती शकुन्तला गुप्ता	माइका फैल्सफार, क्वाटर्ज	अरवार	150.34	19-8-81	,,
172.	15/ 81	श्रीमती भंवरी देवी	,,	पिशांगन	198.00	11-3-82	,,
173.	46/ 79	श्री मदनलाल कालवाड़	,,	दांतोली	64.75	29-8-80	,,
174.	8/ 80	श्री ए. के. सेठी	,,	वीरपालरान	42.00	23-10-81	,,
175.	17/ 81	श्री रतन लाल तेली	,,	तिखरानी	37.50	8-2-82	,,
176.	9/ 81	श्रीमती कान्ता देवी	,,	खेडरा खवास		15-2-82	,,
177.	35/ 80	श्री लादुलाल	,,	कानोत		30-1-82	,,
178.	39/ 79	मैसर्स श्रीम माइका कम्पनी	,,	सुरजपुरा	139.27	26-4-82	,,
179.	35/ 80	श्री मोहन लाल शर्मा	,,	धनरिया	57.25	17-2-82	,,
180.	49/ 80	श्री भागचन्द अजमेरा	,,	बारना	32.37	17-4-82	,,
181.	6/ 80	श्री भंवरी लाल सेठी	,,	किशनपुरा	240.27	16-2-82	,,
182.	43/ 80	श्री बहादुर खाँ	,,	अरवार	50.00	13-1-82	,,
183.	47/ 80	श्री बिरदी चन्द	,,	खांचारिया	75.00	2-2-82	,,
184.	40/ 80	मैसर्स दिलीप ब्रादर्स	,,	किरप	259.00	27-2-82	,,
185.	7/ 79	श्री कैलाश चन्द्र माथुर	कैलसाइट	जेलिवास	8.69	27-2-82	,,
186.	45/ 80	श्री पारस मल गंगवाल	,,	काकरवाडा	186.95	11-5-82	,,

Page No 222

1	2	3	4	5	6	7	
187.	19/ 81	श्रीमत मुखिला बाबूलाल	कैलसाइट	झारावासा	38.85	18-2-82	से 20 वर्ष
188.	44/ 80	श्यामसुन्दर सोगानी	माइका, फैल्सफार, एसबैसट्स सोपस्टोन, मग्नीसाइट	राजगढ	42.36	5-5-82	,,
189.	4/ 80	श्री सुरेशकुमार खर्ती	माइका फैल्सफार, क्वार्ट्ज	देवगढ	38.85	31-12-81	,,
190.	400/ 78	श्री चन्दनलाल	,, एसबैसट्स	मारधाना	200.00	26-5-82	,,
191.	11/ 81	श्री सुभाष चन्द पुदीर	,, कैलसाइट	मडोती	115.12	25-1-82	,,
192.	6/ 81	श्री शाहबुदन	,,	रामशर	44.76	24-4-82	,,
193.	3/ 80	श्री लादुलाल	,,	लोहरवारा	32.37	12-5-82	,,
194.	25/ 80	श्री ज्ञानसिंह		सूरजपुरा	32.37	26-5-82	,,
195.	46/ 80	श्री कैलाश चन्द्र माथुर		पुनेरा	44.97	19-7-82	,,
196.	8/ 81	श्री शिवदयाल चौधरी	,,	सादोलिया	171.28	9-7-82	,,
197.	16/ 81	श्रीमती सशीकला	,,	थानोर	215.95	7-9-82	,,
198.	14/ 81	श्रीमती कंचनदेवी व्यास	,, एसबैसट्स	कालेसरा	151.24	17-8-82	,,
199.	7/ 81	,,	,, सोपस्टोन	घडीअर्जुनपुरा	35.00	17-8-82	,,
200.	26/ 79	श्री मोहनलाल शर्मा		धामनिया	259.00	6-8-82	,,
201.	13/ 81	श्री रामेश्वर लाल	,,	कलेरा	53.83	6-8-82	,,
202.	18/ 80	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	,,	पालना	44.00	19-7-82	,,
203.	27/ 80	श्री सेठी मिनरल्स	,,	बेरखेडा	160.00	19-10-82	,,
204.	9/ 80	श्री कल्याण मल टाक	मैग्नीसाइट ,,	नाज खुर्द	80.64	30-12-82	,,
205.	22/ 82	श्री रामप्रसाद अग्रवाल	माइका ,,	माकडवाली	811.05	23-12-82	,,
206.	54/ 81	श्री गौरीनारायण मै. खनिज उद्योग	कैल. मैग्नी.	भीनडी खेड़ा	150.73	30-12-82	
207.	18/ 81	श्री कन्हैया लाल	माइका, फैल्सपार, क्वार्ट्ज	जोनिया	60.00	22-9-82	,,
208.	46/ 81	श्री रमेश चन्द बंसल	,,	देलवाड़ा	168.75	21-10-82	,,
209.	35/ 81	श्री जगमोहन सक्सेना एण्ड सन्स	,,	सोकलिया	120.00	29-11-82	,,

Page No 223

223

210.	39/81	श्री खर्ती मिनरल्स	,,	लामाना	80.00	2-12-82	,,
211.	22/81	खेतड़ी मिनरल्स	,, एसबेसटस	एसबे भीमपुरा	90.00	2-12-82	,,
212.	33/81	किशनकान्त शर्मा	फेल्सपार	शाहपुरा	328.63	2-12-82	,,
213.	36/81	श्री बनवारी लाल सेठी	माइका फैल्सपार क्वार्ट्स	जमालसी	54.85	30-12-82	से 20 वर्ष
214.	15/80	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल		गोधाना	48.56	19-7-82	
215.	41/79	श्रीमती कंचन देवी व्यास	एसबेसटस, सोपस्टोन, मेग्नीसाइट	अर्जुनपुरा	57.42	27-12-80	
216.	13/77	श्रीमती कचंनदेवी व्यास		भीमपुरा	22.75	20-2-78	

सूची संख्या 2

वर्तमान में चालू अप्रधान खनिज के खनन पट्टों की सूची दिनांक 31-1-83 तक

क्र.सं. 1	पट्टेधारी का नाम 2	क्षेत्र 3	स्थान 4	खनिज 5	अवधि 6
1.	श्री अमर सिंह	30×120मी.	सोजलीया का नाला	बजरी	12-12-78 से 12-2-83 तक
2.	श्री नेमीचन्द रेगर	30×120 मी.	सराणा	,,	12-5-78 से 11-5-88 तक
3.	श्री काना राम	30×120 मी.	सराणा	,,	6-5-80 से 5-5-90 तक
4.	श्री भोलाराम	60×60 मी.	कालीडूंगरी	लाईमस्टोन	8-6-81 से 10 वर्ष तक
5.	श्री गफूर खां	3716 वर्ग मी.	रलावता	,,	7-6-78 से 5 वर्ष तक
6.	श्री चम्पालाल छापरवाल	500×500 फीट	रलावता	,,	28-7-78 से 10 वर्ष
7.	श्री चम्पालाल छापरवाल	500×500 फीट	,,	,,	,,
8.	श्री चम्पालाल छापरवाल	500 × 500 फीट	,,	,,	,,
9.	श्री चम्पालाल छापरवाल	500 × 500 फीट	,,	,,	,,
10.	श्री सत्तारखां	60×60 मी.	कालीडूंगरी	,,	26-5-79 से 10 वर्ष तक
11.	श्री सुखदेव	60×60 मी.	कानाखेडी	लाईम स्टोन	16-9-80 से 10 वर्ष तक
12.	श्री लखु पुत्र मोती	60×60 मी.	कायमपुरी	,,	5-2-82 से 10 वर्ष तक
13.	श्री चांदमल जैन	75×60 मी.	नारेली	,,	21-1-83 से 10 वर्ष तक
14.	श्री भगवती लाल माली	60×70 मी.	मदार	चुनाई पत्थर	17-2-81 से 10 वर्ष तक

1	2	3	4	5	6
15.	श्री बन्शीलाल रेगर	60×75 मी.	मदार	चुनाई पत्थर	18-4-78 से 5 वर्ष तक
16.	श्री बन्ना लाल रेगर	60×75 मी.	रसूलपुरा	,,	17-6-80 से 10 वर्ष
17.	श्री चन्द्रकांत गढवाल	60×60 मी.	तारागढ	,,	28-7-80 से 10 वर्ष तक
18.	श्रीमती चन्द्रावती	60×60 मी.	परवतपुरा	,,	6-5-80 से 10 वर्ष
19.	श्री छीतर रावत	60×60 मी.	भणाबाय	,,	22-3-79 से 5 वर्ष
20.	श्री कालूराम	60×60 मी.	काला पहाड़	,,	31-12-80 से 10 वर्ष तक
21.	श्री लादुराम पुत्र कजा	60×60 मी.	नाहरपुरा	,,	28-1-78 से 5 वर्ष तक
22.	श्री महेन्द्र सिंह	60×60 मी.	कल्याणपुरा	,,	25-10-80 से 10 वर्ष तक
23.	श्री मांगीलाल	60×60 मी.	मदार	,,	5-12-80 से 10 वर्ष तक
24.	श्री नाथूलाल	60×60 मव.	अनमन्तियां	,,	24-10-79 से 10 वर्ष तक
25.	श्री पोखरमल रेगर	120×50 मी.	नरिली	,,	14-11-80 से 10 वर्ष तक
26.	श्री रतन लाल रेगर	60×60 मी.	मदार	,,	5-6-80 से 10 वर्ष
27.	श्रीमती पन्ना देवी	200×200 फीट	मेडीदागला	,,	6-8-77 से 5 वर्ष तक
28.	श्री रणजीतसिंह कच्छवाहा	60×60 मी.	भणाबाय	,	9-2-81 से 5 वर्ष तक
29.	श्री सत्यपाल सिंह गुप्ता	500×500 फीट	बराई डूंगरी	,,	17-11-78 से 5 वर्ष तक
30.	श्री सत्यपाल सिंह गुप्ता	500×500 फीट	बराईडूंगरी	,,	17-11-78 से 5 वर्ष तक
31.	श्री सत्य पाल सिंह गुप्ता	500×500 फीट	बराई डूंगरी	,,	17.11.78 से 5 वर्ष
32.	श्री सत्यपाल सिंह गुप्ता	500×500 फीट	बराई डूंगरी	,,	17.11.78 से 5 वर्ष
33.	श्री सादिक मोहम्मद	75×75 मी.	मोहनपुरा	,,	17.11.78 से 10 वर्ष
34.	श्री उतमा राम	60×60 मी.	मदारपुरा	,,	26.2.80 से 10 वर्ष
35.	श्री उतमाराम	60×60 मी.	वादिया	,,	5.2.80 से 10 वर्ष
36.	श्री विरमदेव भील	120×60 मी.	अर्जुनपुरा	,,	10.3.80 से 10 वर्ष
37.	श्री लक्ष्मण सिंह माली	120×60 मी.	भगामाय	,,	30.1.82 से 10 वर्ष
38.	श्री पनीराम	120×60 मी.	बीसठा	,,	3.6.82 से 10 वर्ष

39.	श्री रमेशचन्द्र	120×60 मी.	बडल्या	चुनाई पत्थर	30.1.82 से 10 वर्ष
40.	श्री बेडा रावत	500×500 फीट	डमोड़ा	,,	17.11.78 से 5 वर्ष
41.	श्री वरमा पुत्र जवारा भील	60×60 मी.	कोटोज	,,	17.8.82 से 16-8-92
42.	श्री हनुमान सिंह रावत	120×60 मी.	भणाभाय	,,	27.8.82 से 10 वर्ष तक
43.	श्री रामलाल रेगर	100×60 मी.	अनुमेतिया	,,	20.11.82 से 10 वर्ष तक
44.	श्री भंवर सिंह रावत	60×60 मी.	भणाभाय	,,	2.2.83 से 10 वर्ष तक
45.	मैसर्स लामाना ब्रिक्स इण्डस्ट्री	60×60 मी.	लीमाना	ईंट मिट्टी	15.4.82 से 10 वर्ष
46.	मैसर्स लामाना ब्रिक्स इण्डस्ट्री	60×60 मी.	लीमाना	ईंट मिट्टी	6.5.82 से 10 वर्ष
47.	श्री शंकर लाल राठी	60×60 मी.	राजपुरा	मार्बल	20.11.80 से 10 वर्ष
48.	श्री राजेन्द्र कुमार राठौड़	60×60 मी.	कायमपुरा	,,	27.7.81 से 10 वर्ष
49.	मैसर्स उदला वाडी एण्ड कम्पनी	60×60 मी.	कायमपुरा	,,	18.2.78 से 5 वर्ष
50.	मैसर्स उदला वाडी एण्ड कम्पनी	60×60 मी.	सराधना	,,	27.2.79 से 10 वर्ष
51.	श्री दीन मोहम्मद	120×30 मी.	कायमपुरा	,,	12.10.81 से 10 वर्ष
52.	श्री दीन मोहम्मद	60×60 मी.	मानपुरा की ढाणी	,,	21.10.81 से 10 वर्ष
53.	मैसर्स राजपूताना माईनिंग	240×60 मी.	मानपुरा की ढाणी	,,	5.6.78 से 4.6.88
54.	श्री राम किशोर तापडिया	90×50 मी.	कायमपुरा	,,	25.11.80 से 10 वर्ष
55.	श्री रामकुमार सारस्वत	60×60 मी.	,,	,,	24.11.80 से 10 वर्ष
56.	श्री शंकर सिंह	110×90 मी.	,,	,,	25.11.80 से 10 वर्ष
57.	श्री भंवर लाल मालाकर	90×70 मी.	,,	,,	22.11.80 से 5 वर्ष
58.	श्री हजारी सिंह कच्छावा	90×70 मी.	,,	,,	24.1.81 से 10 वर्ष
59.	श्री भंवरलाल पुत्र अमर चन्द	60×60 मी.	,,	,,	22.11.80 से 10 वर्ष
60.	श्री सामन्त राम माली	60×60 मी.	कायमपुरा	,,	18.2.80 से 10 वर्ष
61.	श्री चम्पालाल छापरवाल	3716 वर्ग मी.	मगरा	,,	6.10.77 से 5 वर्ष
62.	श्री भागीरथ तिवाड़ी	100×60 मी.	शैमरा	,,	9.2.79 से 10 वर्ष तक

Page No 226

1	2	3	4	5	6
63.	श्री राम लाल चौधरी	60×60 मी.	कायमपुरा	मार्बल	26-11-80 से 10 वर्ष
64.	श्री मुन्शी लाल जाट	60×60 मी.	,,	,,	9-1-81 से 10 वर्ष
65.	श्री भागीरथ चौधरी	75×50 मी.	,,	,,	6-2-81 से 10 वर्ष
66.	श्री रतन लाल माली	60×60मी.	कायमपुरा	,,	7-8-81 से 10 वर्ष
67.	श्रीमोहम्मद याकूब	60×60 मी.	कायमपुरा	,,	18-8-81 से 10 वर्ष
68.	श्री राम लाल चौधरी	60×30 मी.	पिंगलोद	,,	4-11-81 से 10 वर्ष
69.	श्रीमती सावित्री देवी	75×60 मी.	कायमपुरा	,,	31-12-81 से 10 वर्ष
70.	श्री सायरचन्द पारख	200×200 फीट	मकरेड़ा	,,	14-10-81 से 10 वर्ष
71.	श्री रामगोपाल बेग	120×60 मी.	आकरी	,,	18-2-82 से 10 वर्ष
72.	श्री प्रभूराम चौधरी	60×60 मी.	पिंगलोद	,,	26-10-81 से 10 वर्ष
73.	श्री घासी राम शर्मा	120×66 मी.	कायमपुर	,,	31-12-81 से 10 वर्ष
74.	श्री लख्खीराम जाट	60×60 मी.	सराधना	,,	19-12-81 से 10 वर्ष
75.	श्री मयूर अली	60×60 मी.	कायमपुरा	,,	15-4-80 से 10 वर्ष
76.	श्रीमती बेवेरान देवी	60×60 मी.	गढ़ी अर्जुनपुरा	,,	14-10-81 से 10 वर्ष
77.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	53X50 वर्ग मी.	काली डूंगरी	,,	12-6-80 से 10 वर्ष
78.	श्री भंवरलाल जाट	60×60 मी.	पिंगलोद	,,	18-12-81 से 10 वर्ष
79.	श्री रामावतार गुप्ता	90×60 मी.	आकरी	,,	17-10-81 से 10 वर्ष
80.	श्री वेंकट लाल कांबरा	120×60 मी.	कायमपुरा	,,	31-12-81 से दस वर्ष
81.	श्री अश्वनी कुमार	60×60 मी.	गढ़ी अर्जुनपुरा	,,	12-10-81 से दस वर्ष
82.	श्री रामकुमार	120×60 मी.	मानपुरा की ढ़ाणी	,,	17-2-82 से दस वर्ष
83.	श्री रोशन खां	3780 वर्ग मी.	कायमपुरा	,,	18-2-82 से दस वर्ष
84.	श्रीमती कमला रामचन्द्रानी	60×60 मी.	मानपुरा की ढ़ाणी	,,	8-12-81 से दस वर्ष
85.	श्री साबर मल जोशी	60×60 मी.	मानपुरा की ढ़ाणी	,,	14-5-82 से दस वर्ष
86.	श्री कुन्दन लाल शर्मा	80×60 मी.	गणेशपुरा	,,	6-9-82 से दस वर्ष

87.	श्री रतन लाल शर्मा	90×75 मी.	गणेशपुरा	,,	6-9-82 से दस वर्ष
88.	श्री श्याम सुन्दर इणानी	60×60 मी.	पिगलोद	,,	27-5-82 से दस वर्ष
89.	श्री रामगोपाल वेके	5661 वर्ग मी.	आखरी	,,	3-5-82 से दस वर्ष
90.	श्री रामलाल चौधरी	60×60 मी.	मानपुरा की ढाणी	,,	16-2-82 से दस वर्ष
91.	श्री विजय सिंह कछावा	90×60 मी.	कायमपुरा	मार्बल	17.2.82 से दस वर्ष
92.	श्रीमती लक्ष्मी देवी बॉगिड	3750 वर्ग मी.	कायमपुरा	,,	18.2.82 से दस वर्ष
93.	श्री अकबर खां	4100 वर्ग मी.	कायमपुरा	,,	17.2.82 से दस वर्ष
94.	श्री अकबर खां	60×60 मी.	कायमपुरा	,,	28.4.82 से दस वर्ष
95.	श्री भेरू लाल	75×60 मी.	बजपुरा	,,	18.2.82 से दस वर्ष
96.	श्री वंशराज	60×60 मी.	पिगलोद	,,	30.11.81 से दस वर्ष
97.	श्री मालचन्द गुप्ता	60×60 मी.	आखरी	,,	3.8.82 से दस वर्ष
98.	श्री भूंगलाल गहलोत	125×60 मी.	मानपुरा की ढाणी	,,	18.8.81 से दस वर्ष
99.	श्री बंकटलाल कांवरा	120×60 मी.	कायमपुरा	,,	29.6.82 से दस घर्ष
100.	श्री श्रवण कुमार गहलोत	60×60 मी.	कायमपुरा	,,	25.8.82 से दस वर्ष
101.	श्री सुभाष चन्द्रसिंह पुन्डिर	60×60 मी.	सराधना	,,	20.8.82 से दस वर्ष
102.	श्री बृद्धराज लाहोटी	60×60 मी.	कमलाई	,,	31.8.82 से दस वर्ष
103.	श्री रतनलाल शर्मा	60×60 मी.	घटयाली	,,	15.6.82 से दस वर्ष
104.	श्री राजेन्द्र कुमार सोनगरा	90×60 मी.	मानपुरा की ढाणी	,,	14.12.82 से दस वर्ष
105.	श्री फूलचन्द शर्मा	90×70 मी.	आखरी	,,	14.12.82 से दस वर्ष
106.	श्री कैलाश चन्द्र व ग	90×60 मी.	आखरी	,,	14.12.82 से दस वर्ष
107.	श्री प्रेम राज शर्मा	90×60 मी.	आखरी	,,	22.11.82 से दस वर्ष
108.	श्री श्रीचन्द बावजी	120×60 मी.	सावर	,,	11.12.82 से दस वर्ष
109.	श्री महेश कुमार शर्मा	100×70 मी.	सावर	,,	3.1.83 से दस वर्ष
110.	श्री पूसालाल ढाविया	60×60 मी.	वीर	,,	13.12.82 से दस वर्ष
111.	श्री सांवरलाल जोशी	60×60 मी.	मानपुरा की ढाणी	,,	13.1.83 से दस वर्ष
112.	श्री श्रवण लाल माली	60×60 मी.	मानपुरा की ढाणी	,,	17.1.83 से दस वर्ष
113.	श्री रामावतार गुप्ता	831.15 मी.	आखरी	,,	23.10.82 से दस वर्ष
114.	श्री अश्वनी कुमार रांकावत	165×60 मी.	गढ़ी अर्जुनपुरी	,,	27.1.83 से दस वर्ष

सूची–3

प्रधान खनिज के वर्तमान में स्वीकृत खनन पट्टों की सूची

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	खनिज	क्षेत्र	स्वीकृति दिनांक	अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री इन्द्रलाल जोशी	एसबेसटोस, सोपस्टोन, मैगनेसाईट	कोटडा	22-2-80	
2.	श्रीमती सोनी देवी	मायका, फैल्सपार, क्वार्ट्ज	कोटडा	31-12-80	
3.	श्री कल्याण मल टांक एण्ड सन्स	मायका, फैल्सपार, क्वार्ट्ज	कुराडी	25-7-81	
4.	श्री भंवरी लाल सेठी	फैल्सपार, क्वार्ट्ज,	कुराडी	12-8-81	
5.	श्री ओम प्रकाश तेली	मायका, फैल्सपार, क्वार्ट्ज	डसुक	20-8-81	
6.	श्री इन्द्र लाल जोशी	मायका, फैल्सपार, क्वार्ट्ज, सोपस्टोन एसबेसटस	अर्जनपुरा	8-9-81	
7.	श्री माईनिंग एण्ड मिनरल इण्डस्ट्रीज	मायका फैल्सपार, क्वार्ट्ज	रामपुरा	18-11-81	
8.	श्री कन्हैयालाल चौधरी	मायका, फैल्सपार, क्वार्ट्ज	शेरगढ़	13-4-82	
9.	श्री कन्हैयालाल चौधरी	मायका फैल्सपार, क्वार्ट्ज	भगतपुरा	13-4-82	
10.	श्री बृजमोहन गर्ग	मायका ,,	रारी	29-4-82	
11.	श्री बृजमोहन गर्ग	,,	चरली	21-4-82	संविधा पंजीयन के दिनांक से 20 वर्ष
12.	श्री कंचन ट्रेडर्स	फैल्सपार, क्वार्ट्ज, एसबेसटस	मंसुरी	14-5-82	
13.	श्री गोरी नारायणी खनिज उद्योग	एसबेसटोस, सोपस्टोन, क्वार्ट्ज, फैल्सपार	मंसुरी	3-5-82	
14.	श्री श्री सीमेन्ट कम्पनी	चायनाक्ले,	मायला	3-6-82	
15.	श्री अरविन्द मिनरल्स	क्वार्ट्ज	प्रतापपुरा	5-6-82	
16.	श्री जे. जे. मिनरल्स	मायका, फैल्सपार, क्वार्ट्ज	ढाडोला	7-6-82	
17.	श्री कंचन ट्रेडर्स	,,	जैठना	24-6-82	
18.	श्री कन्हैयालाल राठौड़	,,	केसरपुरा	30-6-82	
19.	श्री अरविन्द मिनरल्स	फैल्सपार, क्वार्ट्ज, ग्लूसारोईट	सरमरी	30-6-82	
20.	श्री रमेश चन्द्र बंसल	,,	पिपलाज	30-6-82	
21.	श्री जे.जे.मिनरल्स	माइका, फैल्सपार, क्वार्ट्ज	धोतली	29-7-82	

22.	श्री कृपा शंकर शर्मा	मायका	ओरावरपुरा	29-7-82	
23.	श्री ओम प्रकाश तेली	फैल्सपार क्वार्ट्ज ,,	वान्दरसिन्दरी	29-7-82	
24.	श्री वालमुन्कुद सोनी	केलसाइट, सोपस्टोन, फेल्सपार, क्वार्ट्ज एसबेसटोस	मलीवेरी	23-9-82	
25.	श्री शेर मोहम्मद	गोरनेट	सरवाडा	3-9-82	
26.	श्री कन्हैयालाल राठोड़	मायका, फेल्सपार, क्वार्ट्ज	रामपुरा	3-9-82	
27.	श्री अभयराज पदावत	,,	माधोगढ़	4-9-82	
28.	श्री अभयराज पदावत	मायका, फेल्सपार क्वार्ट्ज	देवगढ़	4-9-82	
29.	श्री गोरी नारायणी खनिज उद्योग	केलसाइट, मैगनेसाईट, फैल्सपार, क्वार्ट्ज	कण्डाल	7-9-82	
30.	श्री शिवराज माहेश्वरी	मायका, फेल्सपार, क्वार्ट्ज	अदयपुर खेडा	7-9-82	
31.	श्री कल्याण मल टांक एण्ड सन्स	एसबेसटस, सोपस्टोन, केलसाईट, फैलसपार/क्वार्ट्ज	बनेवड़ा	7-9-82	
32.	श्री गणपतलाल दम्दी	मायका, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, एसबेसटस केलसाईट, सोपस्टोन	ऊंटों का वाड़िया	24-9-82	अवधि संविधा पंजीयन की दिनांक से 20 वर्ष
33.	श्री खत्री मिनरलस	मायका, फेल्सपार, क्वार्ट्ज	देवलवाडा	27-9-82	
34.	श्री अभयराज पदावत	,,	नन्दी सबलपुरा	3-9-82	
35.	श्री भंवरलाल टांक	फेलसपार, क्वार्ट्ज, केलसाईट	मिन्डयाणी	30-9-82	
36.	श्री गोरीनारायणी खनिज उद्योग	फैल्सपार, क्वार्ट्ज, मायका, एसबेसटस, सोप स्टोन, केलसाईट	नाईखुर्द नाईकलां	30-9-82	
37.	श्री जे. जे. मिनरल्स	मायका, फेल्सपार, क्वार्ट्ज	तारागढ़	3-11-82	
38.	श्री ओम प्रकाश तेली	,,	वान्दरसिन्दरी	3-11-82	
39.	श्री कावरा मिनरल्स	फेल्सपार, क्वार्ट्ज, सोपस्टोन, मेगनेसाईट एसबेसटस	मकरेडा	3-11-82	
40.	श्री शान्ती लाल जैन	मायका, फेल्सपार, क्वार्ट्ज	दादिया देवपुरा	3-11-82	
41.	श्री अरविन्द कुमार गर्ग	मायका, फेल्सपार, क्वार्ट्ज	नोरली	3-11-82	

1	2	3	4	5	6
42.	श्री माइनिंग एण्ड मिनरल इण्डस्ट्रीज	मायका, फेल्सपार, क्वार्ट्ज	नयागांव	3-11-82	
43.	श्री सोहन लाल नागरा	मायका, फेल्सपार, क्वार्ज्ज	चापानेरी	3-12-82.	
44.	श्री सुशीला जैन	मायका, फेल्सपार, क्वार्ट्ज	पिलोदा	3-12-82	
45.	श्री महेश्वरी मिनरल्स	फेल्सपार, क्वार्ट्ज एसबेसटस, केलसाईट	पिसांगन	20-12-82	
46.	श्री झां झरी मिनरल्स	फेल्सपार, क्वार्ट्ज, सोप स्टोन, एसबेसटस	मुन्डोती	12-1-83	
47.	श्री रहीम बक्स	फेल्सपार क्वार्ट्ज, सोपस्टोन, एसबेसटस काईनाईट, केलसाईट	उत्तमी	12-1-83	
48.	श्री भावती मिनरल्स	मायका, फेल्सपार, क्वार्ट्ज	मानपुरा	12-1-83	

अप्रधान खनिज के स्वीकृत खनन पट्टों की सूची

सूची संख्या—4

क्र. संख्या	पट्टेधारी का नाम	क्षेत्र वर्ग मी. में	स्थान	खनिज	स्वीकृति दि.	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री महेश चन्द शर्मा	60×60	हुटुण्डी	मार्बल	31-8-82	
2.	श्री रामेश्वर शरण	60×60	''	''	31-8-82	
3.	श्री जगदीश चन्द्र कोटिया	150×75	सावर	''	3-11-82	
4.	श्री जगदीश चन्द्र कोटिया	100×75	सारव	''	3-11-82	
5.	श्री जगदीश चन्द्र कोटिया	120×60	''	''	3-11-82	संविदा पंजीयन
6.	श्री जगदीर सिंह	60×60	कवालाई	''	8-11-82	की दिनांक से 10
7.	श्री किशोर रेगर	60×60	पीपलाज	चुनाई पत्थर	6-12 82	वर्ष
8.	श्री नरेन्द्र कुमार रेगर	120×60	''			

		120×60	सावर	मार्बल	7-12-82	
		60×60	पणाभाय	चढ़ाई पत्थर	23-12-82	
11.	श्री वृजभूषण मित्तल	150×100	मोवता	मार्बल	7-12-82	
12.	श्री रतनलाल शर्मा	120×60	सावर	,,	31-12-82	
13.	श्री जगदीश सिंह कोटिया	280×130	सावर	मार्बल	30-12-82	
14.	श्री सावर लाल जाट	180×60	हदुण्डी	,,	1-1-83	
15.	श्री रहमान चतां	60×60	भोकिडवाली	चुनाई पत्थर	1-1-83	
16.	श्री हरदेव भील	60×60	केस	,,	14-1-83	
17.	श्री महेश्वरी मिनरल्स	90×90	कवलाई	मार्बल	18-1-83	संविदा पंजीयन
18.	श्री अमर जीत सिंह राठौड	90×90	,,	,,	18-1-83	की दिनांक से
19.	श्री राम विलास वरवढ	120×120	,,	,,	18-1-83	10 वर्ष
20.	श्री राम विलास वरवढ	90×90	,,	,,	18-1-83	
21.	श्री मदत्त शर्मा	90×90	,,	,,	18-1-83	
22.	श्री मधु सुदन सिंह	90×60	कावरा	,,	18-1-83	
23.	श्री हजारी सिंह नायक	90×30	वजपुरा	वजरी	18-1-83	
24.	श्री शक्ति सिंह तेली	60×60	मार्कंडवाली	चुनाई पत्थर	18-1-83	
25.	श्री रतन लाल शर्मा	90×60	घटायाली	मार्बल	18-1-83	
26.	श्री ओंकार नाथ व्यास	150×100	हटुण्डी	,,	18-1-83	
27.	श्री बलदेव प्रसाद कानोजिया	60×60	तवीजी	,,	18-1-83	
28.	श्री कमल शर्मा	75×60	,,	,,	18-1-83	
29.	श्री रमेश चन्द शर्मा	75×60	तवीजी	मार्बल	18-1-83	
30.	श्री हजारी नायक	60×60	सावंतसर	चुनाई पत्थर	18-1-83	
31.	श्री अनिल कुमार जैन	75×60	तबीजी	मार्बल	18-1-83	
32.	श्री राजीव माथुर	120×110	मियापुर	मार्बल	18-1-83	
33.	श्री श्रवण कुमार दलाल	60×60	कवलाई	,,	18-1-83	
34.	श्री फुलचन्द शर्मा	120×75	,,	चुनाई पत्थर	18-1-83	
35.	श्री बुधालाल बैरवा	60×60	कल्याणीपुरा	मार्बल	18-1-83	
36.	श्री कैलाश चन्द्र बंग	120×75	कवलाई	,,	18-1-83	

1	2	3	4	5	6	7
37.	श्री फूलचन्द शर्मा	150×75	कवलाई	मार्बल	18-1-83	
38.	श्री कैलाश चन्द बंग	150×75	,,	,,	20-1-83	
39.	श्री सैयद मोहम्मद जमील चिश्ती	8109 व.मी	ककलाना	,,	20-1-83	संविदा पंजीयन
40.	श्री राम गोपाल बंग	120×60	कचीन	,,	20-1-83	की दिनांक से
41.	श्री अमरजीत सिंह राठौड़	90×90	कवलाई	,,	20-1-83	10 वर्ष
42.	श्री रामगोपाल बंग	120×60	कधील	,,	20-1-83	
43.	श्री दौलत नारायण माथुर	4007 व. मी.	आखरी	,,	20-1-83	
44.	श्री रतन लाल जैन	100×90	केशवपुरा	,,	21-1-83	
45.	श्री अभय कुमार जैन	60×60	,,	,,	21-1-83	
46.	श्री श्री चन्द जैन	100×90	,,	,,	21-1-83	
47.	श्री राम गोपाल बंग	60×60	सुरसुरा	,,	21-1-83	
48.	श्री उगमा राम चौधरी	60×60	पिगलोद	,,	17-2-83	

लिस्ट ऑफ करंट शोर्ट टर्म परमिट

सूची संख्या 5

क.सं. 1	परमिटधारी का नाम 2	खनिज 3	क्षेत्र 4	मात्रा 5	अवधि 6
1.	श्री सोम दत्त शर्मा	बजरी	नसीराबाद घाटी	120 क्यूम	7-2-83 से 6-8-83
2.	श्री सोम दत्त शर्मा	बालित	नाल	60 क्यूम	7-2-83 से 6-3-83
3.	श्री सोम दत्त शर्मा	बिल्डिंग स्टोन	नाल	200 क्यूम	[illegible]

4. मै. रामकिशोर कन्सट्रक्शन कं.	बजरी	नसीराबाद घाटी	100 टन	29-1-83 से 28-2-83
5. मै. रामकिशोर कन्सट्रक्शन कं.	बालिस	कल्याणपुरा	200 टन	29-1-83 से 28-2-83
6. मै. रामकिशोर कन्सट्रक्शन कं.	बिल्डिंग स्टोन	कल्याणपुरा	300 टन	29-1-83 से 28-2-83
7. मैसर्स आसूदान कन्सट्रक्शन कं.	बजरी	मदार	50 क्यूम	”
8. मैसर्स आसूदान कन्सट्रक्शन कं.	बालिस	मदार	300 क्यूम	29-1-83 से 14-3-83
9. मैसर्स आसूदान कन्सट्रक्शन कं.	बिल्डिंग स्टोन	मदार	400 क्यूम	29-1-83 से 14-3-83
10. श्री गिटुमल	मोरम	नसीराबाद घाटी	40 क्यूम	29-1-83 से 14-3-83
11. श्री गिटुमल	बालिस	कालड़ा	86 क्यूम	29-1-83 से 28-2-83
12. मै. कपूर कन्सट्रक्शन कं.	बिल्डिंग स्टोन	राजगढ़	80 क्यूम	29-1-83 से 28-2-83
13. मै. कपूर कन्सट्रक्शन कं.	बजरी	दोरा	85 क्यूम	21.1.83 से 5-4-83
14. मैं. कपूर कन्सट्रक्शन कं.	बिल्डिंग स्टोन	राजगढ़	150 क्यूम	21-1-83 से 5-4-83
15. श्री कमालुदीन ठेकेदार	बालिस	केकडी	40 क्यूम	21-1-83 से 5-4-83
16. श्री कमालुदीन ठेकेदार	बजरी	बस्ता	400 क्यूम	18-1-83 से 6-3-83
17. श्री कमालुदीन ठेकेदार	बिल्डिंग स्टोन	केकडी	20 क्यूम	”
18. श्री कमालुदीन ठेकेदार	मोरम	ललाई	500 क्यूम	”
19. श्री कमालुदीन ठेकेदार	गिट्टी	केकडी	100 क्यूम	”
20. श्री कमालुदीन ठेकेदार	बजरी	ललाई	15 क्यूम	”
21. श्री कमालुदीन ठेकेदार	गिट्टी	केकडी	15 क्यूम	”
22. श्री कमालुदीन ठेकेदार	बिल्डिंग स्टोन	ललाई	27 क्यूम	”
23. श्री कमालुदीन ठेकेदार	गिट्टी	केकडी	150 क्यूम	”
24. श्री आर. के. कासलीवाल	बजरी	भनाल	204 क्यूम	17-1-83 से 26-3-83
25 श्री आर. के. कासलीवाल	गिट्टी	नारेली	20 क्यूम	”
26. श्री आर. के. कासलीवाल	बिल्डिंग स्टोन	नसीराबाद घाटी	24 क्यूम	17-1-83 से 26-3-83
27. श्री आर. के. कासलीवाल	बालिस	नारेली	108 क्यूम	17-1-83 से 26-2-83

1	2	3	4	5	6
28.	श्री आर. के. कासलीवाल	बजरी	नसीराबाद घाटी	24 क्यूम	17-1-83 से 26-2-83
29.	श्री नारायण अग्रवाल	मोरम	बस्ता	870 क्यूम	17-1-83 से 16-4-83
30	श्री नारायण अग्रवाल	वोल्डर	बस्ता	800 क्यूम	,,
31.	श्री दिनेश शर्मा	बलट	सिकरनी	1700 क्यूम	15-1-83 से 14-5-83
32.	श्री दुर्गा लाल टाक	सैण्ड	ग्रोल्ड ब्यावर	92 क्यूम	11-1-83 से 10.5.83
33.	श्री दुर्गालाल टाक	सैण्ड	ग्रोल्ड ब्यावर	48 क्यूम	,,
34.	श्री दुर्गालाल टाक	मोरम	गोला का खेडा	530 क्यूम	,,
35.	श्री दुर्गालाल टॉक	बेलास्ट	गोहाना	2200 क्यूम	11.1.83 से 10 5.83
36.	श्री बी. के. सुराना	बेलास्ट	खतौली	1400 क्यूम	4-1-83 से 2-6-83
37.	श्री बी. के सुराना	बेलास्ट	रलावता	1000 क्यूम	,,
38.	श्री जी. टी. आसुदानी	बेलास्ट	चोरसीया बासी	30 क्यूम	4-1-83 से 28-2-83
39.	श्री जी. टी आसुदानी	सैण्ड	चोरसीया बासी	40 क्यूम	,,
40.	श्री जी . टी. आसुदानी	बिल्डिंग स्टोन	अजय नगर	45 क्यूम	,,
41.	श्री जी. टी. आसुदानी	बेलास्ट	अजयनगर	30 क्यूम	,,
42.	श्री जी. टी. आसुदानी	सैण्ड	नला अजय नगर	20 क्यूम	,,
43.	श्री जी. टी आसुदानी	बिल्डिंग स्टोन	बन्डीया	100 क्यूम	,,
44.	श्री जी. टी. आसुदानी	बिल्डिंग स्टोन	भंगाभाई	140 क्यूम	4-1-83 से 28-1-83
45.	मैसर्स कोयल कन्स कं.	बिल्डिंग स्टोन	शिवपुरा	400 क्यूम	4-1-83 से 5-7-83
46.	मैसर्स कोयल कन्स. कं.	बेलास्ट	लाम्बा	250 क्यूम	,,
47.	मैसर्स कोयल कन्स. कं.	सैण्ड	ग्रोल्ड ब्यावर	300 क्यूम	,,
48.	श्री बी. के. सुराना	मोरम	सनवस्तर	400 क्यूम	24-12-82 से 19-3-83
49.	श्री केवलराम वासवानी	बिल्डिंग स्टोन	नाल	665 क्यूम	23-12-82 से 8-3-83
50.	श्री केवलराम वासवानी	मोरम	नाल	88 क्यूम	,,
51.	श्री हरदास आसुदानी	बिल्डिंग स्टोन	अजयनगर	500 क्यूम	23-12-82 से 22-3-83

52.	श्री हरदास आसुदानी	सैण्ड	अजयनगर	100 क्यूम	"
53.	श्री वी. के. सुराना	बेलास्ट	मण्डावरीया	1400 क्यूम	2-12-82 से 19-3-83
54.	श्री आर. टी. आसुदानी	बिल्डिंग स्टोन	कल्याणीपुरा	555 टन	13-12-82 से 12-4-83
55.	श्री आर. टी. आसुदानी	बेलास्ट	कल्याणीपुरा	87 टन	"
56.	श्री आर. टी. आसुदान	सैण्ड	फाईसागर	215 टन	13-12-82 से 12-4-83
57.	श्री गिट्टुमल	बिल्डिंग स्टोन	कल्याणीपुरा	94 क्यूम	8-12-82 से 22-2-83
58.	श्री गिट्टुमल	सैण्ड	फाईसागर	70 क्यूम	"
59.	श्री गिट्टुमल	बिल्डिंग स्टोन	कल्याणीपुरा	60 क्यूम	"
60.	श्री गिट्टुमल	सैण्ड	फाईसागर	30 क्यूम	"
61.	श्री गिट्टु मल	बिल्डिंग स्टोन	कल्याणीपुरा	100 क्यूम	"
62.	श्री गिट्टुमल	सैण्ड	फाईसागर	50 क्यूम	"
63.	श्री गिट्टुमल	बिल्डिंग स्टोन	कल्याणीपुरा	160 क्यूम	"
64.	श्री गिट्टुमल	सैण्ड	फाईसागर	27 क्यूम	"
65.	मै. श्री सीमेन्ट प्रा. लि.	बिल्डिंग स्टोन	आधरी देवरी माता	10,000 टन	6-12-82 से 5-6-83
66.	म. राज. कन्सट्रक्शन	बिल्डिंग स्टोन	कल्याणीपुरा	300 क्यूम	23-11-82 से 24-2-83
67.	मै. राज. कन्सट्रक्शन	सैण्ड	फाईसागर	400 क्यूम	23-11-82 से 24-2-83
68.	श्री चुन्नी लाल जैयसवाल	मोरम	गोआना	440 क्यूम	23-10-82 से 22-2-83
69.	श्री चुन्नीलाल जैयसवाल	बैलास्ट	गोआना	550 क्यूम	"
70.	श्री सुजान मल गोदिया	बिल्डिंग स्टोन	नाल	300 क्यूम	6.1.83 से 5.5.83
71.	श्री सुजानमल गोदिया	सैण्ड	नाल	125 क्यूम	6-1-83 से 5-5-83
72.	श्री मांगीलाल	बोल्डर	रूपनगर	3150 क्यूम	7-1-83 से 5-5-83
73.	श्री मांगीलाल	मोरम	रूपनगर	2000 क्यूम	"
74.	श्री वी. ग्रार. कॉन्ट्रेक्टर	वालिस	डूमादा	4000 क्यूम	24-12-82 से 23-5-83
75.	श्री वी. ग्रार. कॉन्ट्रेक्टर	वालिस	सराधना	4000 क्यूम	"
76.	श्री वी. ग्रार. कॉन्ट्रेक्टर	वालिस	परबतपुरा	4000 क्यूम	"
77.	श्री वी. ग्रार. कॉन्ट्रेक्टर	वालिस	सण्डारिया	4000 क्यूम	"
78.	श्री वी. ग्रार. कॉन्ट्रेक्टर	वालिस	परबतपुरा	4000 क्यूम	"
79.	श्री वी. ग्रार. कॉन्ट्रेक्टर	वालिस	वारलिया	4000 क्यूम	"

1	2	3	4	5	6
80.	श्री बी. आर. कॉन्ट्रेक्टर	बालिस	सैण्डारिया	4000 क्यूम	24-12-82 से 23-5-83
81.	श्री रतनलाल रामेश्वर लाल	बालिस	माताजी की डूंगरी	1000 क्यूम	8-12-82 से 7-3-83
82.	श्री रतनलाल रामेश्वर लाल	ग्रिट	ललाई	550 क्यूम	,,
83.	श्री रतनलाल रामेश्वर लाल	बीरड़ा	बुराड़ा	400 क्यूम	,,
84.	श्री रतनलाल रामेश्वर लाल	सैण्ड	दईरिवर	125 क्यूम	,,
85.	श्री रतनलाल रामेश्वर लाल	बेलास्ट	ललई	2500 क्यूम	,,
86.	श्री रतनलाल रामेश्वर लाल	मारम	केकरी	400 क्यूम	,,
87.	श्री रतनलाल रामेश्वर लाल	बेलास्ट सैण्ड	ललाई दईरिवर	2000 क्यूम	,,
88.	श्री रतनलाल रामेश्वर लाल	बेलास्ट	ललाई रामपाली क्वोरी	587 क्यूम	,,
89.	श्री रतनलाल रामेश्वर लाल	मोरम	रामपाली क्वेरी	192 क्यूम	,,
90.	श्री रतनलाल रामेश्वर लाल	सैण्ड	दईरीवर	60 क्यूम	,,
91.	मै. कुमावत एण्ड ब्रदर्स	ब्रिकअर्थ	सुरजपुरा	2100 टन	15-2-83 से 15-5-83
92.	श्री भगवतीलाल	सैण्ड	नसीराबाद की घाटी	400 टन	3-2-83 से 3-3-83
93.	श्री हस्तीमल जैन	मोरम	अजमेर रोड,ब्यावर	200 टन	29-1-83 से 3-3-83
94.	श्री सामसिंह	सैण्ड	फाईसागर	150 टन	14-1-83 से 30-3-83
95.	श्री खतवाणी ब्रिक्स	ब्रिक अर्थ	देवोदया	1350 टन	23-12-82 से 23-3-83
96.	श्री गिरधारी बलाई	बिल्डिंग स्टोन	सावंतसर	100 टन	21-12-82 से 21-2-83
97.	श्री खतवाणी ब्रिक्स	ब्रिक अर्थ	गुम्रालगढ़	900 टन	23-12-82 से 23-3-83
98.	श्री अब्दुल रफीक	ब्रिक अर्थ	मसूदा	100 टन	20-12-82 से 20-3-83
99.	श्री हरदेव	ब्रिक अर्थ	सुरजपुरा	2000 टन	6-11-82 से 28-2-83
100.	श्री कालूभाई रुस्तम बाई	ब्रिक अर्थ	देवरिया	2000 टन	29-10-82 से 25-2-83

237

सूची 6

क : पट्टाधारियों से आय

क्र. संख्या	खाता संख्या	नाम पट्टाधारी	खनिज का नाम	क्षेत्र	वर्ष 81-82 में प्राप्त आय	1-4-82 से 31-1-1983 तक प्राप्त आय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	15(1)	मै. प्रताप कामर्शियल, भीलवाड़ा	एसब्रसटस	कोटडी	1464-88	1456-88	
2.	5/ 7 (2)	मै. भूदान एण्ड कम्पनी	मायका, फैल्सपार, क्वार्ट् ज	खेडा	5450-00	2300-00	
3.	14/ 5 (3)	मै. कल्याण मल टांक	मायका, फैल्सपार, क्वार्ट् ज	राजपुरा	300-00	निल	
4.	17/ 5(4)	मै. जैन मिनरल्स	,,	रावतमाल	1682-31	608-94	
5.	18/ 5	श्री भंवरी लाल सेठी	,,	तिलाना	31-40	,,	
6.	21/ 5	श्री भागचन्द सेठी	,,	पदमपुरा	1820-82	606-94	
7.	23/ 5	श्री जे. के. सोनी, अजमेर	सेटेलाइट	नागलोव	1521-80	266-00	
8.	24/ 5	जे. के. सोनी	गैसेलाइट	नागलोत	355-11	24-48	
9.	25/ 5	श्री मूलचन्द नेमीचन्द	एग्रेडी	वतानी	212-00	109-31	
10.	25/ 5	श्री लक्ष्मीनारायण कुमावत	मायका, फैल्सपार क्वार्ट् ज	,,	4088-00	6768-00	
11.	27/ 5	श्री बाबूलाल माइन्स ओनर	एसबसटस	अर्जुनपुरा	957-75	978-75	
12.	31/ 5	श्री गोपीलाल एण्ड संस	मायका, फैल्सपार, क्वार्ट् ज	,,	,,	,,	
13.	35/ 5	श्री आर. डी. सेठ मूलचन्द नेमीचन्द	एमरेल्ड सोपस्टोन	राजगढ़	1698-20	1000-00	
14.	36/ 5	श्री जितेन्द्र कुमार ओनर	मायका, फैल्सपार क्वार्ट् ज	जगपुरा	202-31	,,	
15.	37/ 5	श्रीमती भंवरी देवी	,,	काडिया	306-45	100-00	
16.	38/ 5	श्री जे. के. सोनी	,,	रामसर	1316-23	58-50	
17.	39/ 5	श्री जगन्नाथ हरलाल खीची	,,	कानाखेड़ी	1886-45	809-37	
18.	40/ 5	श्री जैन मिनरल्स	,,	गडियाना	916-76	440-50	
19.	42/ 5	श्री जगदेव प्रसाद शर्मा	मेग्नामाइट	कालीडूंगरी	,,	900-00	

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	48/5	श्री मंगल चन्द सेठी	मायका, फैल्सपार, क्वार्ट्ज	ग्राकोडिया	644-80	2050-50	
21.	49/5	श्री कान मल	,,	दादिया	213-64	207-32	
22.	51/5	श्री माणक चन्द सेठी	,,	सानोद	1233-12	2000-00	
23.	52/5	मै. ग्रजमेर मिनरल्स	ग्रेपलाईट	सरपुरी	409-62	1346-00	
24.	53/5	श्रीमती भंवरी देवी, नसीराबाद	मायका, फैल्सपार, क्वार्ट्ज	कलाखेरोडी	5250-00	2760-12	
25.	54/5	श्री मंगलचन्द सेठी	,,	ग्रहेडा, दहेडा	731-88	1150-50	
26.	56/5	हिन्दुस्तान माइका	,,	,,	—	—	
27.	59/5	मै. पी. सी. मिनरल्स	,,	डबारी	2431-00	—	
28.	60 5	सत्य मिनरल्स	मायका फैल्सपार, क्वार्ट्ज	सरवाड़ा	445—99	—	
29	61/5	श्री मंगलचन्द सेठी	,, ,, ,,	ग्रोखलिया	1148—50	2000--00	
30.	62/5	ई. सी. पामजी	यूरेनियम फैल्सपार	बिसन्दरी	13822—00	828—82	
31.	63/5	पी. एन. पाल	एसबेसटस सोपस्टोन	ग्रजयपुरा	1288-00	2200-00	
32.	64/5	मै. टांक ब्रदर्स	फैल्सपार, क्वार्ट्ज	मगरी	512-00	515-00	
33.	66/5	मै. टांक ब्रदर्स	मायका, फैल्सपार, क्वार्ट्ज	हनमतिया	670-50	710-50	
34.	66/5	श्रीमती मोहनी देवी	कपसनेट सोपस्टोन	लच्छीपुरा	—	2000-00	
35.	67/5	श्री ग्रार. सी. मनिहारी	मायका, फैल्सपार क्वार्ट्ज	ढाल	2248-00	1627-00	
36.	68/5	श्री धर्म लाल गोइनका	सोपस्टोन,	हटण्डी	2949-70	2241-20	
37.	69/5	श्री खजानमल पदमचन्द सेठी	मायका, फैल्सपार क्वार्ट्ज	रामसर	6104-03	37-88	
38.	70/5	मुतलाल गोइनका	एसबैसटस, मायकाफैल्स-पार क्वार्ट्ज	परागजरान	4663-70	722-00	
39.	73/5	मै. गोलछा, ग्राइडिंग ब्यावर		कवारिया	5371-00	14500-00	
40.	75/5	श्रीमती रतन देवी डागा	,,	खरता	2178-05	2150-00	
41.	76/5	गणेश मिनरल्स	मायका, फैल्सपार क्वार्ट्ज	धोली	140-00	125-00	
42.	78/5	शान्तीलाल जैन, नसीराबाद	,,	लोहखाड़ा	2648-38	1272-78	
43.	79/5	श्री पन्नालाल मूराणा	मायका, फैल्सपार, सोपस्टोन	महानी	809-38	810-00	

44.	80/5	हिन्दुस्तान माईका	मायका, फैल्सपार	लोहखाड़ा	402-00	447-50
45.	81/5	श्री भंवरी लाल सेठी	मायका, फैल्सपार क्वार्ट्ज	गंगापुर	3385-84	323-00
46.	82/5	श्री एन एस. राघवन	एसवैसटोस मायका फैल्सपार	गढ़ा	1400-00	3081-00
47.	84/5	श्री गोलछा मानावत	मायका, फैल्सपार क्वार्ट्ज	जताजा	30443-00	18500-00
48.	85/5	श्री वाबूलाल	एसबसटस	भीमपुरा	6061-00	8374-00
49.	87/5	मै. महावीर चन्द जैन	मायका, फैल्सपार	तनतेडी	1948-67	1120-00
50.	88/5	श्री उमाशंकर	एसबसटस	अर्जुनपुरा	5025-00	4860-00
51.	89/5	श्री मगन चन्द माथुर	मायका,फैल्सपार,क्वार्ट्ज	जालियावास	9045-58	5000-00
52.	92/5	भारत मिनरल्स	व्यासाराइट	नाथ	801-44	1004-73
53.	93/5	श्री मति कमला देवी	मायका, फैल्सपारक्वार्ट्ज	खरिवा	404-62	205-32
54.	94/5	श्री मानसिंह वागले	,,	मकरेड़ा	897-50	1240-88
55.	95/5	हिन्दुस्तान माइका	,,	खाण्डाच	501-38	310-20
56.	99/5	महावीरचन्द जैन	,,	तिलाना	1346-00	1775-00
57.	100/5	मै. भारत मिनरल्स	एसबेसटस	सकरेडा	1239-00	2255-00
58.	102/5	श्री मानसिंह वागले	मायका,फैल्सपार, क्वार्ट्ज	सराना	5494-00	5500-00
59.	105/5	श्रीमती रतन देवी के. डागा एसबसटस	,,	शाहपुरा	1662-00	1875-00
60.	106/5	मै. टाक बदर्स	मायका, फैल्सपार	मड़ोती	906-50	906-50
61.	107/5	मै. भारतीय मिनरल्स	मायका, फैल्सपार,क्वार्ट्ज	गुजरताडा	845-64	207-32
62.	108/5	श्री जेठमल मदनलाल सेठी	,,	जडवासा	430-16	717-14
63.	109/5	श्रीमती रतन देवी के. डागा	,,	सुरीया	780-00	10400-00
64.	110/5	श्री आर. डी. श्रीवास्तव	,,	समलपुर	250-00	941-32
65.	111/5	मै. ओम मायका कम्पनी	,,	रामसर	5363-00	894-00
66.	112/5	श्रीमती केरी देवी	,,	सनोद	662-50	1311-00
57.	113/5	श्री हजारी सिंह कसाना	,,	बोराज	835-00	1026-38
68.	114/5	श्री मंगल चन्द सेठी	,,	ससाना	20643-11	1250-00
69.	116/5	श्री गणेश मिनरल ग्राइण्डिग	,,	नाहरपुरा	1510.00	706-50
70.	117/5	श्री गंगासिंह राठोड़	,,	हकोदड़ा	506-00	500-00

1	2	3	4	5	6	7	8
71.	118/5	श्री बसंत तेली	मायका, फैल्सपार क्वार्टज	कोटडा	792-00	302-32	
72.	121/5	श्री इन्द्रलाल जोशी	,,	सरबीना	2100-00	986-80	
73.	123/5	श्री गणेश मिनरल्स	,,	लोहर ताडा	412-44	430-44	
74.	124/5	श्री भारत मिनरल्स	,,	मकरेडा	1519-08	1373-00	
75.	125/5	श्रीभारत मिनरल्स	,,	बेबनजा	700-00	,,	
76.	126/5	श्री मान सिंह वागले	,,	गठडा	15559-96	15477-00	
77.	128/5	श्रीमती इन्द्र देवी भार्गव	,,	रावतमाल	2043-44	828-38	
78.	129/5	मै. जे. जे. मिनरल्स	,,	लालीखेडी	2975-07	638-00	
79.	130/5	म. टांक बादर्स	एसबसटस, सोपस्टोन	धुनाधाके	4380-00	4500 00	
80.	131/5	मै. गणपति खनन उद्योग	मायका; फैल्सपार क्वार्टज	दातरी	2240-00	3100-00	
81.	132/5	श्री राम देव	,,	साबेरी	848-13	1166-00	
82.	133/5	श्री मोहन लाल नागोर	,,	पनेरा	2268-00	758-75	
83.	134/5	श्री जैन मिनरल्स	,,	,,	3628-00	3650-00	
84.	135/5	मै. चन्दा मिनरल्स	,,	सील	1073-00	50-00	
85.	136/5	श्री बंशीलाल	,,	कराडी	548.75	87-00	
86.	137/5	श्री मूलचन्द सेठी	,,	नोगेलात	1995-25	8000-00	
87.	139/5	श्री बाबूलाल साइन्स ग्रोनर	,,	कोरपुरा	12500-00	4078-00	
88.	140/5	दिग्विजय सीमेंट	लाइमस्टोन मायका	हड़ोती	922-00	230-00	
89.	142/5	श्रीमती रतन देवी	फेल्सपार क्वार्टज				
90.	143/5	श्री भागचन्द सेठी	,,	—	—	—	
91.	144/5	श्री एस. जी. प्राभजी	माइका, फेल्सपार कवार्टज	वसुन्दरी (ए)	4022—25	2110—45	
92.	145/5	श्री कानमल चौधरी	,,	दोदिया	407—81	405—81	
93.	146/5	श्री कृपाकिशन शर्मा	,,	रतनपुरा	4450—00	—	
94.	147/5	श्री जेठमल मदन लाल सेठी	,,	कतारिगा	1108—58	1783—60	
95.	148/5	श्री पाचूलाल सेठी	,,	सनोद	4630—00	1394—00	
96.	149/5	श्री आर. डी. श्रीवास्तव	,,	कासमपुरा	425—00	500—00	
97.	150/5	श्री इन्दूलाल जोशी	एसबसटस	राजगढ़	2031—00	912—50	

98.	152/5	श्री ओम माइका, केकड़ी	माइका फैल्सपार क्वार्टज	मेवदा कलां	287—97	—
99.	151/5	श्री भंवरी लाल सेठी	,,	ढाल	221—43	1153—74
100.	153/5	भारत मिनरल सप्लायर्स	एस्बेस्टोज ग्रेसलाइट	नाद	2331—91	530—00
101.	154/5	श्री रामनिवास	माईका, फैल्सपार क्वार्टज	किरानी	927—26	829—63
102.	155/5	श्री भंवरीलाल सेठी	,,	सोकलिया	250—00	493—72
103.	156/5	चिन्ना मिनरल्स	,,	डेराच	2296—08	2404—63
104.	157/5	श्री नरेन्द्र आर. मनिहार	,,	ढाल तिलीना	2200—00	2000—00
105.	158/5	जैन मिनरल्स	,,	बालापुरा	243—00	—
106.	159/5	श्रीमती इन्द्रा देवी भार्गव	,,	लच्छीपुरा	6052—60	4723—19
107.	160/5	श्री बाबूलाल माइन्स ओनर	,,	अर्जुनपुरा	4798—00	893—00
108.	161/5	भारत मिनरल्स	,,	पीपरोली	647—25	1294—50
109.	162/5	श्रीमती इन्द्रा देवी भार्गव	,,	लच्छीपुरा	4726—46	8000—00
110.	163/5	श्री कल्याण मल टाक	,,	रामसर	1665—00	1236—00
111.	164/5	श्री हजारी सिंह कछावा	,,	बोरोज	2380—00	1000—00
112.	165/5	श्री भागचन्द सेठी	,,	दादिया	7579—24	8000—00
113.	166/5	हिन्दुस्तान मायका	,,	लोहरवाडा	1289—21	1202—50
114.	167/5	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	,,	बोराज	275—00	1181—00
115.	168/5	श्री इन्दुलाल जोशी	,,	जेठाना	2962—32	404—63
116.	169/5	ओम माइका, केकड़ी	,,	कालेडा	1440—55	1821—12
117.	170/5	जे. के. मिनरल्स	,,	जडवासा	1075—21	202—31
118.	171/5	हिन्दुस्तान माइका	,,	जाद सुन्दरी	2442—03	3609—00
119.	172/5	श्री ओम प्रकाश टेली	,,	ढढ	500—00	1250—00
120.	173/5	श्री नाथूसिंह चौहान	,,	नया गांव	1361—00	—
121.	174/5	श्री राधेश्याम चावडा	,,	खरसा	6300—00	6500—00

1	2	3	4	5	6	7	8
122.	175/ 5	श्री भवर लाल टाक	माइका फैल्सपार क्वार्टज	वड़ाखेड़ा	394 60	828.00	
123.	176/ 5	श्री देवेन्द्र कुमार आर्य	,,	सूरया	586 04	—	
124.	177/ 5	श्री कैलाश चन्द माथुर	माइका फैल्सपार क्वाटर्ज	बारोल	8433 37	433 37	
125.	178/ 5	श्री भागचन्द सेठी	,,	तिहारी	936 63	1830 50	
126.	179/ 5	श्री भंवरीलाल सेठी	,,	मण्डोती	455.00	410 33	
127.	180/ 5	श्री चम्पालाल सोलंकी	,,	सूरजपुरा	4700 00	3000 00	
128.	181/ 5	श्रीमती कंचन देवी व्यास	एसबेसट्स	अर्जुनपुरा	3750 00	—	
129.	2/ 7	श्रीमती कमला देवी	माइका फैल्सपार क्वाटर्ज	पेलराना	1942 00	2300 00	
130.	3/ 7	श्री मूलचन्द काबरा	,,	कासीया	16459 85	12428 13	
131.	4/ 7	मै. भूदान एण्ड कम्पनी	,,	कलाखेडा	2200 00	4500 00	
132.	5/ 7	श्री सोभागमल गोलेछा	,,	सूरजपुरा	534 90	2009 09	
133.	6/ 7	श्री मन्ना लाल सुराना	,,	बूवानी	516 69	—	
134.	7/ 7	श्री नरेन्द्र मिनरल्स	,,	ओसापुरा	—	526 16	
135.	8/ 7	श्री कमलेश कुमार	,,	हीरापुरा	—	1258 78	
136.	9/ 7	मै. रीटा मिनरल्स	,,	दोराई	469 00	4500 0	
137.	10/ 7	मै. रीटा मिनरल्स	,,	खेडा	250 00	200 00	
138.	11/ 7	श्री कल्याण मल टाक	,,	डसक	515 88	1120 00	
139.	12/ 7	मै. रीटा मिनरल्स	,,	बरोल	—	2550.00	
140.	13/ 7	श्री चम्पालाल सोलंकी	,,	नयागांव	2000 00	2750 00	
141.	14/ 7	मै. अजमेर मिनरल्स	,,	देवपुरी	1625 38	2906 20	
142.	15/ 7	श्री कैलाश चन्द माथुर	,,	बरोल	3500 00	3175 00	
143.	16/ 7	श्री इन्दूलाल जोशी	,,	गच्छीपुरा	—	784 38	
144.	17/ 7	मै. ग्रोम माइका कम्पनी	,,	तिहारी	5081 75	193 88	
145.	18/ 7	श्री अवनीश कुमार	,,	सरसरी	940 00	—	
146.	19/ 7	मै. भारत मिनरल्स	,,	ढाणी	483 25	980 00	
147.	20/ 7	मै. भारत मिनरल्स	,,	सरगांव	1002 75	2020 00	
148.	21/ 7	मै. माइका मिनरल्स	,,	—	508.48	750 00	
149.	22/ 7	मै. माइका मिनरल्स	,,	मकरेड़ा	—	496 38	

150.	25/7	मै. सेठी एण्ड कम्पनी	मायका फैल्सपार क्वार्ट्स	चांदसेन	—	7528
151.	26/7	श्री मदन लाल कलवार	,,	भिनाय	—	2200.00
152.	27/7	श्रीमती शकुन्तला देवी	,,	अरवड	2600—00	1200 00
153.	28/5	श्रीमती कान्ती देवी	,,	कादेडा	—	400 00
154.	29/7	श्री मोहन लाल शर्मा	,,	घुआलियां	—	2750 00
155.	30/7	श्री सुजान मल पदमचन्द	,,	सनोद	—	550 00
156.	31/7	मै टाक ब्रदर्स	,,	अनजंपुरा	—	1008 00
157.	32/7	श्री कल्याण मल टाक	,,	तिलाना ढाल	—	530.00
158.	33/5	मै. जैन मिनरल्स	,,	जालियावास	—	520 00
159.	39/7	मै. श्याम सुन्दर सोमानी	,,	राजगढ	100—00	—
160.	40/7	श्री पारस मल गंगवाल	,,	काकलवाडा	—	250 00
161.	41/7	—		—	—	—
162	41/2	मै. भण्डारी मिनरल्स	,,	पीसांगन	—	1500.00
163.	45/7	मै. दलीप ब्रदर्स	,,	किराप	—	2700.00
164.	46/7	श्री कैलाश चन्द माथुर	,,	जालियावास	—	2000 00
165.	47/7	मै. ओसवाल एण्ड कम्पनी	,,	सनोद	100.00	400.00
166.	48/7	श्री भाग चन्द अजमेरा	,,	बरना	—	1450.00
167.	49/7	श्रीमती सुनीता पावोवाल	,,	जडवासा	—	500 00
168.	50/7	श्री बहादुर खां	,,	सरवाडा	—	312.50
169.	51/7	श्री सुभाष सिद्धुन्डिर	,,	मण्डेती	—	1150 00
		मै. राजस्थान मिनरल्स	,,	मनोहरपुरा	—	915.00
170.	54/7	श्री ज्ञान सिंह	,,	सूरजपुरा	—	2750 00
171.	55/7	श्रीमती शशिकला	,,	मेन्हार	—	800 00
172.	62/7	श्री कैलाशचन्द माथुर	,,	पनेरा	—	2000.00
173.	64/7	मै. खत्री मिनरल्स	,,	भीमपुरा	—	1250.00

1	2	3	4	5	6	7	8
174.	65/ 7	श्री गोरी नारायण खनि उद्योग	मायका, फैलसपार, क्वार्टज	नीमेडा खाडे	—	1250 00	
175.	66/ 7	श्री जगमोहन सिंह सक्सेना	,,	साकलिया	—	625 00	
176.	73/ 7	श्री खत्री मिनरल्स	,,	लामाना	—	50000	
177.	196/ 3	मै. टाक मिनरल्स	,,	अखड़	405 00	750 00	
178.	194/ 3	मै. चान्दमल एण्ड कं.	,,,	आखरी	647 25	425 00	
179.	193/ 3	मै. चन्दू मिनरल्स	,,	बाडिया	2516 00	863 00	
180.	190/ 3	मै. इन्दूलाल जोशी	,,	कोटाज	115 92	1275.00	
181.	189/ 3	मै. हिन्दुस्तान माइका कं.	,,	दादिया	2088 00	—	
182.	188/ 3	श्री चतुर्भुज	,,	सोमडी	540.00	907 76	
183.	187/ 3	श्री सुन्द्र मिनरल्स	,,	मिडयायनी	675 00	—	
184.	186/ 3	श्री एस. मानकचन्द पालीवाल	,,	सिन्दरिया	2545.76	—	
185.	184/ 3	श्री मंगलचन्द सेठी	,,	नार्दला	1320 00	—	
186.	183/ 3	मै. भारत मिनरल्स	,,	जडवासा	502.00	62 00	
187.	182/ 3	मै. भारत मिनरल्स	,,	सरपरी	3784.29	3000-00	
188.	179/ 3	श्री कान्ती प्रसाद	,,	रानीसागर	5378 90	—	
189.	177/ 3	श्री जैन मिनरल्स	,,	नयाखेड़ा	1550.00	11.00	
190.	171/ 3	श्री अब्दुल गनी	,,	जूनिया	1299 75	1079.50	
191.	170/ 3	श्री जैन मिनरल्स	,,	राजगढ़	750 00	347.50	
192.	164/ 3	श्री छोटेभाई फकीर मोहम्मद	,,	भीलरतनपुरा	536 00	2500-00	
193.	163/ 3	मै. टांक ब्रदर्स	,,	तिलाना	700 00	944 00	
194.	162/ 5	श्री गोपीचन्द रावल	,,	बादर सिन्दरी	—	400 00	
195.	160/ 3	मै.आनन्द मिनरल्स	,,	किशनपुरा	1350.00	—	
196.	156/ 3	मै. चांदमल एण्ड कं.	,,	चाढेला	817.00	435.00	

Page No 245

197.	151/ 3	मै. अजमेर कमनरल ग्राईडिंग	„	बोराज	2008 26	2055 00
198.	150/ 3	श्री नन्दलाल शर्मा	„	रसूलपुरा	1773 25	1600 00
199.	145/ 3	मै. प्रताप कार्मशियल	एसबेसटस	भासन	2064 00	1016 00
200.	141/ 3	मै. प्रताप कार्मशियल	मायका, फेल्सपार, क्वार्टज	नया खेड़ा	2968.64	—
201.	92/ 3	श्री जे. के. सोनी	मायका, फेल्सपार, क्वार्टज	लोहरवाड़ा	2,063.95	25.00
202.	3/ 6	श्री बशीर रेगर	चुनाई पत्थर	मदार पहाड़	500.00	9,80.00
203.	4/ 6	श्री नेमीचन्द	बजरी	सराणनदी	200.00	2,371.00
204.	5/ 6	श्रीमती फूलां देवी	चुनाई पत्थर	मेडीडागला	1,600.00	2,002.00
205.	6/ 6	श्री गोविन्दलाल	मारबल	कायमपुरा	720.00	—
206.	7/ 6	मै. राजपूताना माईनिंग	मारबल	कायमपुरा	938.00	—
207.	8/ 6	मै. राजपूताना माईनिंग	मारबल	मानपुरी की ढाणी	3,754.40	3,575.81
208.	9/ 6	श्री गफूर खां	चुनाई पत्थर	रलावता	1752.00	2,260.00
209.	10/ 6	श्री आर. के. गुप्ता	मारबल	सराधना	—	—
210.	11/ 6	मै. उदलाबाड़ी एण्ड कं.	मारबल	मानपुरा की ढाणी	2,518.00	1,39500
211.	12/ 6	मै. उदलावाड़ी एण्ड कं.	मारबल	„	2,820.00	1,185 00
212.	13/ 6	श्री भागीरथ	मारबल	श्योपुर	1,802.50	910 50
213.	14/ 6	श्री छीतर पुत्र लखा रावत	चुनाई पत्थर	मातड पहाड़ी	6,230.00	1,130 00
214.	15/ 6	मै. पीसांगन मारबल वर्क्स	मारबल	करनोग	—	—
215.	16/ 6	श्री बाखाराम पुत्र पूसाराम	मारबल	कायमपुरा	4,840.00	3,880.00
216.	17/ 6	श्री लादू पुत्र धीपा	चुनाई पत्थर	किशनपुरा	1,260.00	—
217.	18/ 6	श्री सत्तार पुत्र उदू खां	चुनाई पत्थर	काली डूंगरी	1,673.20	2,284 00
218.	19/ 6	श्री सिद्दीक मोहम्मद	चुनाई पत्थर	मोहनपुरा	1,00.00	7,30.25
219.	20/ 6	श्री सतपाल गुप्ता	चुनाई पत्थर	बराई डूंगरी	484.00	1,243 00
220.	21/ 6	श्री सांवर मल	चुनाई पत्थर	रलावता	200.00	2,426 77
221.	22/ 6	श्री सूर्य प्रकाश	मारबल	मानपुरा ढाणी	835.00	9,37.00
222.	23/ 6	श्री नीरू लाल	चुनाई पत्थर	हनवतियां	1,295.00	4,950.00
223.	24/ 6	श्री रामदेव पुत्र भूरा भांभी	चुनाई पत्थर	मयनियां	92 00	—
224.	25/ 6	श्री सुआलाल	बजरी	विजयनगर	871.05	—

Page No 246

1	2	3	4	5	6	7
225.	26/ 6	श्री रणा पुत्र देवा	चुनाई पत्थर	डसाडा	1368.00	827.00
226.	27/ 6	श्री रामकिशन दास	चुनाई पत्थर	कोसिया	—	—
227.	28/ 6	श्री उतमाराम पुत्र महेश	चुनाई पत्थर	बन्दिया	1635.00	930.00
228.	29/ 6	श्री वीमदेव	चुनाई पत्थर	गडडीअननपुरा	1260.00	1265.00
229.	30/ 6	श्री सांवन्तराम पुत्र भंवर राम	मारबल	कायमपुरा	1145.75	2002.00
230.	31/ 6	श्री उतमाराम शर्मा	चुनाई पत्थर	अर्जुनपुरा	630.00	1280.00
231.	32/ 6	श्री राजेन्द्र प्रसाद	मारबल	कालीडूगरी	1100.00	543.00
232.	33/ 6	श्री गफूर अली	मारबल	कायपुरी	233.15	3898.80
233.	34/ 6	श्री सुखादेव पुत्र घीसा	चुनाई पत्थर	कानाखेडा	1805.00	7400.00
234.	35/ 6	श्री वेंधा लाल	चुनाई पत्थर	रसूलपुरा	1158.00	636.30
235.	36 6	श्री काना पुत्र गोदू	बजरी	गुनरिया	1074.00	71363,71
236.	37/ 6	श्री कैलाश चन्द	मारबल	कायमपुरा	1082.00	,,
237.	38/ 6	श्री हजारी सिंह	मारबल	कायमपुरा	4802.00	4060.00
238.	39/ 6	श्री मांगी लाल	चुनाई पत्थर	मदार	,,	1000.00
339.	40/ 6	श्री मोहन लाल	चुनाई पत्थर	गहरपुरा	,,	682.00
240.	41/ 6	श्री पोखर लाल	चुनाई पत्थर	कल्याणपुरा	776.50	1300.00
241.	42/ 5	श्री राम लाल चौधरी	मारबल	कायमपुरा	4500.00	4000.00
242.	43/ 6	श्री राम लाल चौधरी	मारबल	कायमपुरा	,,	630.00
243.	44/ 6	श्री मुंशीलाल	मारबल	कायमपुरा	,,	275.00
244.	45/ 6	श्री कालूराम	चुनाई पत्थर	कालापहाड	,,	680.00
245.	46/ 6	श्री वाखाराम	चुनाई पत्थर	कालीडूगरी	450.00	2250.00
246.	47/ 6	श्री भागीरथ	मारबल	कायमपुरा	750.00	750.00
247.	48/ 6	श्री राणा पुत्र भोलू बलाई	चुनाई पत्थर	मोहन पुरा	263.00	1083.00
248.	49/ 6	श्री चमना लाल छापरवाल	चुनाई पत्थर	रलावतां	540.00	3210.00
249.	50/ 6	श्री चम्पालाल छापरवाल	चुनाई पत्थर	रलावतां	320.00	3257.50
250.	51/ 6	श्री रतन लाल	मारबल	भवलरा	3000.00	3574.00
251.	52/ 6	श्री मोहम्मद याकूब	मारबल	कायमपुरा	720.00	1020.00

252.	53/6	श्री रामा अवतार गुप्ता	मारबल	आखरी	270.00	1350.00
253.	54/6	श्री भंवर लाल	मारबल	कायमपुरा	169.00	2226.00
254.	55/6	श्री शंकर सिंह	मारबल	कायमपुरा	373.00	4070.00
255.	56/6	श्री रतन लाल	चुनाई पत्थर	मदार	—	7613.00
256.	57/6	श्री राम गोपाल	मारबल	आखरी	—	9000.00
257.	59/6	श्री राम गोपाल	मारबल	आखरी	—	3000.00
258.	60/6	श्री विजय सिंह	मारबल	कायम पुरा	—	810.00
259.	61/6	श्री राम कुमार	मारबल	मानपुरा की ढाणी	—	2197.00
260.	62/6	श्री रमेश घासी लाल	चुनाई पत्थर	श्री नगर	—	945.00
261.	63/6	श्री वंकट लाल	मारबल	कायमपुरा	—	2070.00
262.	64/6	श्री लेख पुत्र मोती भील	मारबल	कायमपुरा	1056.00	5900.00
263.	65/6	श्री दीन मोहम्मद	मारबल	पिंगलोद	720.00	1530.00
264.	66/6	श्री राम लाल	मारबल	कायमपुरा	820.00	—
265.	67/6	श्री अकवर खां	मारबल	गडडी. अर्जनुरा	220.00	—
266.	68/6	श्री अश्विनी कुमार	मारबल	पिंगलोद	720,00	737.00
267.	69/6	श्री प्रभुराम	मारबल.	काममपुरा	756.00	,,
268.	70/6	श्री रोशन खां	मारबल	कायमपुरा	750.00	,,
269.	71/6	श्रीमती लक्ष्मी देवी	मारबल	कायम पुरा	750.00	,,
270.	72/6	श्री सांवर लाल	मारबल	कायमपुरा	—	720.00
271.	73/6	श्री भीम लाल	मारबल	विरजपुरी	900.00	,,
272.	74/6	श्री सागर चन्द	मारबल	मकरेडा	720.00	1430.00
273.	75/6	श्रीमती कमला रामचन्दानी	मारबल	मानपुरा की ढाणी	720.00	720.00
274.	76/6	श्रीमती नोरतन देवी	मारबल	मही अर्जुनपुरा	720.00	—
275.	77/6	श्री राम लाल चौधरी	मारबल.	मानपुरा की ढणी	720.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8
276.	78/ 6	श्रीमती सावित्री देवी	मारबल	कायमपुरा	900.00	—	
277.	79/ 6	श्री लक्ष्मण सिंह	चुनाई पत्थर	मणभाय	360.00	—	
278.	80/ 6	श्री मन्नीराम	चुनाई पत्थर	तिला	315.00	360.00	
279.	81/ 6	श्री बंकटलाल काबरा	मारबल	,,	,,	32.00	
280.	82/ 6	श्री रतन लाल शर्मा	मारबल	मठियाली	270.00	350.00	
281.	83/ 6	श्री रतन लाल शर्मा	मारबल	पिगलोद	720.00	—	
282.	84/ 6	श्री श्याम सुन्दर	मारबल	मणाभाय	315.00	315,00	
283.	85/ 6	श्री हनुमान सिंह	चुनाई पत्थर	क्वलाय	720.00	1300.00	
284.	86/ 6	श्री बुद्धा राम	मारबल	क्वलाय	720.00	—	
285.	87/ 6	श्री वन राज	मारबल	पिगलोद		720.00	
286.	88/ 6	मै. लक्ष्मी ब्रिक्स	लामाना ब्रिक्स लामाना	लामना	560.00	—	
287.	89/ 6	श्री दीन मोहम्मद	मारबल	मानपरा की ढाणी	720.00	—	
288.	90/ 6	श्री भूरालाल	मारबल	मानपुरा की ढाणी	375.00	400-00	
289.	91/ 6	मै. लामाना ब्रिक्स	ब्रिक्स लामाना	लामाना	360-00	—	
290.	92/ 6	श्री धरमा	चुनाई पत्थर कोटाज	कोठोज	680.00	—	
291.	93/ 6	श्री रतन लाल	मारबल	[illegible]	3705.0	—	
292.	94/ 6	श्री मालचन्द	मारबल	ग्राखरो	261.00	300-00	
293.	95/ 6	श्री श्रवण कुमार	मारबल	कायमपुरा	720-00	—	
294.	96/ 6	श्री लखी राम	मारबल	सराधना	720.00	4800.00	
295.	97/ 6	श्री सुभाष सिंह पुन्डिर	मारबल	सराधना	720.00	—	
296.	98/ 6	श्री कानमल	मारबल		900.00	—	
297.	99/ 6	श्री भंवरलाल	मारबल	पिगलोद	720.00	300.00	
298.	100/ 6	श्री रामावतार गुप्ता	मारबल		416.00	500.00	
299.	68/ 7	श्री सत्यपाल गुप्ता	चुनाई पत्थर	बराई डूंगरी	313.75	1323.00	
300.	61/ 2	श्री चम्पालाल छापरवाल	चुनाई पत्थर	रलावतां	440.50	526.00	
301.	60/ 2	श्री चम्पालाल छापरवाल	चुनाई पत्थर	रलावतां	2617.00	1102.00	
302.	197/ 2	श्री अमर सिंह	बजरी	[illegible]	[illegible]		

303.	121/ 2	श्री भंवरलाल अमरचन्द	मारबल	कायमपुरा	25381.50	4612.50
304.	195/ 2	श्री दीपचन्द नाहटा	मारबल	कायमपुरा	729.70	813.20
305.	105/ 2	श्री शंकरलाल राठी	मारबल	सराधना	—	1170.00
306.	191/ 2	श्री लादू कज्जा भील	चुनाई पत्थर	नाहरपुरा	171.00	59.00
307.	91/ 2	श्रीमती चन्द्रावती	चुनाई पत्थर	परबतपुरा	2028.00	1010.00
308.	69/ 2	श्री सत्यपाल गुप्ता	चुनाई पत्थर	बराई डूंगरी	446.60	441.00
309.	109/ 2	श्री महेन्द्र सिंह बुटी राम	चुनाई पत्थर	कल्याणपुरा	1285.00	1677.00
310.	125/ 2	श्री रणजीतसिंह	चुनाई पत्थर	भणाभाय	4000.00	2500.00
311.	96/ 2	श्री चन्द्रकान्त झड़पाल	चुनाई पत्थर	तारगढ़	1800.00	283.15
312.	128/ 2	श्री भगवती लाल माली	चुनाई पत्थर	मदार पहाड़	1450.00	1120.00
313.	114/ 2	श्री राम कुमार सारस्वत	मारबल	कायमपुरा	221.00	1133.00
314.	113/ 2	श्री राजकिशोर तापड़िया	मारबल	कायमपुरा	3335.75	1745.00
315.	174/ 5	श्रीमती शशी पारीक	मारबल	सराधना	17.80	382.00
316.	158/ 2	श्री श्यामलाल शर्मा	मारबल	सराधना	4599.50	6037.00
317.	183/ 2	श्रीमती सुमित्रा पारीक	मारबल	नरवर	1176.00	772.90
318.	192/ 2	श्री चम्पालाल छापरवाल	मारबल	मगरा	1075.00	1080.00
					5,29,733.12	5,00,236.17

सूची 7

वर्ष 1981-82 में विभिन्न परमिटधारियों से हुई आय का विवरण:--

क्र. संख्या	नाम परमिट धारी 1	आय 2
1.	श्री एम. डी. राजोरिया	50.00
2.	श्री अग्रवाल इन्जीनियरिंग	6,550.00
3.	श्री आनन्दी लाल लाल पुरिया	2,450.00
4.	श्री बृज लाल शर्मा	540.00
5.	श्री छोगा लाल	12,880.00
6.	श्री चुन्नी लाल	661.15
7.	श्री गिद्ध मल	885.00
8.	श्री जी. आर. बिल्डर्स	1,050.00
9.	श्री घीसा सिंह	1,000.00
10.	म. गुप्ता ब्रदस	1,450.00
11.	श्री हीरा तलसियानी	1,798.00
12.	श्री हीरा लाल	178.50
13.	श्री होटल सिंह	208.00
14.	मै. जे. के. कन्सट्रक्शन कम्पनी	2,677.50
15.	मै. जे. डी. कन्सट्रक्शन कम्पनी	856.30
16.	मै. कपूर कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी	980.80
17.	श्री केवल राम वासवानी	204.75
18.	मै. कल्याण मल मदन मोहन	651.00
19.	श्री कन्हैयालाल	750.00
20.	मै. लहाडिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	6,392.50
21.	मै. मोती कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	5,920.00
22.	श्री माणक चन्द गोयल	1,400.00
23.	श्री नवल सिंह	800.00
24.	श्री पंवार कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी	2,415.00
25.	श्री पी. डी. खटवानी	8,900.00
26.	मै. राजस्थान मिनरल को.	1,022.00
27.	श्री राम नारायण शर्मा	7,700.00
28.	श्री रतन लाल गोपा	1,365.00
29.	मै. आर. वी. कन्स. एन्टर	743.05
30.	मै. राजस्थान एन्टरप्राइजेज	1,646.50
31.	मै. रतन लाल रमेश चन्द	843.50
32.	श्री श्रीसमेन्ट प्रा. लि.	3,000.00
33.	श्री खजानमल गड़िया	2,184.35
34.	श्री एस. एन. जिन्दल	2,730.00
35.	मै. सरोज कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी	650.00
36.	श्री आशाराम	750.00
37.	श्री भगवती लाल	530.00
38.	श्री भोज सिंह	385.00
39.	श्री भंवर सिंह रावत	155.00
40.	श्री भंवर लाल कुमावत	105.00

1	2	3
41.	श्री बन्टी राम	155.00
42.	श्री छोगा लाल	3,000.00
43.	श्री दीवाण फतह सिह	3,000.00
44.	गुजराती ब्रिक्स	7,800.00
45.	श्री गुमान लाल महादेव	2,366.00
46.	श्री घीसू सिंह	250.00
47.	श्री हरदेव	4,000.00
48.	श्री हनुमान सिंह	200.00
49.	मै. खट्टवानी ब्रिक्स	3,762.50
50.	मै. कुमावत ब्रदर्स	4,900.00
51.	श्री कोल भाई रुस्तम भाई	2,000.00
52.	श्री कालू रावत	200.00
53.	श्री लछमण सिंह	200.00
54.	श्री लादू	100.00
55.	श्री मन्नी राम	200.00
56.	श्री पप्पू लाल	250.00
57.	श्री रतन लाल	375.00
58.	श्री रुगा रावत	200.00
	योग...	1,28,352.90

सूची-8

वर्ष 1981-82 में सा. नि. वि. के माध्यम से विभिन्न ठेकेदारों से हुई आय का विवरण

क्र. सं. 1	नाम ठेकेदार 2	रकम 3
1.	श्री अजय सिंह	3796.00
2.	श्री अशोका	1535.22
3.	श्री अशोक कुमार	32.00
4.	श्री आशुदानी कन्स. कं.	161.61
5.	श्री बिरदीचन्द जैन एण्ड सन्स	1224.00
6.	श्री बी. आर. कान्ट्रेक्टर	2913.00
7.	श्री बालजीत सिंह	857.00
8.	श्री भूरालाल ठाकुरदास	21.00
9.	श्री बालू मोहम्मद	515.00
10.	श्री बालू राम	2889.00

252

1	2	3
11.	श्री भूरालाल प्रेम कुमार	2046.18
12.	श्री ब्राइट ऋशिग	184.00
13.	श्री बक्तावरमल	23.00
14.	श्री चौधरी कन्सट्रक्शन वर्क्स कं.	10514.25
15.	श्री चिमनदास	1420.00
16.	श्री चावला कन्स. कं.	1084.39
17.	श्री छीतरमल कुमावत	274.00
18.	श्री चुन्नीलाल शर्मा	144.00
19.	श्री चुन्नीलाल जयसवाल	4441.75
20.	श्री डूंगजी	80.00
21.	श्री गोदरा कन्स. कं.	1134.00
22.	श्री ज्ञानचन्द खालर	3590.00
23.	श्री गणेशीलाल जैन	167.50
24.	श्री गोयल कन्स. कं.	793.00
25.	श्री फ्रेन्डस् कन्स. कं.	8630.60
26.	श्री हकीम	11.52
27.	श्री हरदास	2.00
28.	श्री हीरा कन्स. कं.	161.00
29.	श्री हरी सिंह	335.00
30.	श्री हीरालाल रामस्वरूप	544.00
31.	श्री इब्राहिम खां	580.00
32.	श्री जेठू गोमा	934.00
33.	श्री जगदीश	22.00
34.	श्री जैन ट्रांसपोर्ट कं.	65.00
35.	श्री किशन सिंह ध्यान सिंह	6739.00
36.	श्री के. पी. सेठ	373.00
37.	श्री खत्री इण्ड.	9.00
38.	श्री कमल किशोर	81.04
39.	श्री के. एन. अग्रवाल	233.00
40.	श्री कपूर कन्स. कं.	888.00
41.	श्री एन.एल. भाटिया	2479.00
42	श्री लालचन्द	11.00
43	श्री मदन गंगवाल	1916.00
44	श्री मित्तल एण्ड कम्पनी	460.00
45.	श्री मोहन लाल बंशीवाल	1508.00
46.	श्री मोहम्मद अमीन	27.00
47.	श्री मांगीलाल	499.00
48.	श्री मुन्नीलाल एण्ड कं.	371.00
49.	श्री मुकेश गुप्ता	80.00
50.	श्री मदन लाल	29.00
51.	श्री मुरली लाल गुप्ता	1178.00

Page No 253

(253)

1	2	3
52.	श्री नवभारत कन्स. कं.	1120.00
53.	श्री निर्मल कन्स. कं.	1620.00
54.	श्री नूर मोहम्मद	121.00
55.	श्री नाथूलाल	216.00
56.	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	4361.00
57.	श्री ओ. पी. लोढ़ा	1726.00
58.	श्री प्रसन्न कुमार जैन	263.00
59.	श्री पाबूदान	66.00
60.	श्री पारीक ब्रदर्स	526.75
61.	श्री पुष्कर एस. टी. एस. एस.	88.92
62.	श्री पी. डी.	20.00
63.	श्री रामेश्वर प्रसाद	2159.00
64.	श्री आर. टी. आशु	502.80
65.	श्री रमेश चन्द	1189.45
66.	श्री रामेश्वर लाल	2936.00
67.	श्री रूप सिंह	1744.00
68.	श्री राज मिनरल्स	22.00
69.	श्री रतनलाल रामचन्द्र	5915.00
70.	श्री सरदार सिंह	4365.33
71.	श्री राम कन्स. कं.	338.00
72.	श्री स्वयं सेवी एस. टी. एस. एस.	97.00
73.	श्री शंकर सिंह विजय सिंह	29.95
74.	श्री सरदारसिंह ओड	4.00
75.	श्री सुखदेव	18.00
76.	श्री सफी मोहम्मद	684.00
77.	श्री सुरेश चन्द्र	26.00
78.	श्री सेवा राम	5.00
79.	श्री सबूराती	65.00
80.	श्री सत्य स्टोन क्रेशर कं.	19.00
81	श्री एस. के. खुलार	86.00
82.	श्री सेरामिक एस. एस. लि.	103.00
83.	श्री सज्जनमल गोबिया	7.12
84.	श्री राजन कन्स. कं.	655.00
85.	श्री तुलसा सिंह	251.00
86.	श्री उस्मान कान्ट्रेक्टर	230.00
	योग ..	1,09;075.98

(254)

सूची 9

वर्ष 1982-83 (31-1-83 तक) विभिन्न परमिटधारियों से हुई आय का विवरण

क्र. सं. 1	नाम परमिटधारी 2	आय 3
1.	मै. आसुदानी कन्सट्रक्शन कं.	1,050.00
2.	मै. बोथरा कन्सट्रक्शन कम्पनी	3,500.00
3.	श्री वीर सिंह	1,000.00
4.	श्री बृज लाल	1,455.00
5.	श्री वी. के. सुराना	5,880.00
6.	श्री चुन्नी लाल बैंसवाल	4,792.20
7.	श्री छोगा लाल	2,800.00
8.	श्री दुर्गालाल टांक	3,969.00
9.	श्री दिनेश शर्मा	2,380.00
10.	श्री गिद्धूमल	2,110.05
11.	श्री जी. एल. सुखीजा	240.00
12.	मै. गुप्ता ब्रदर्स	633.50
13.	मै. गोयल कन्सट्रक्शन कं.	1,382.50
14.	श्री जी. टी. आसुदानी	546.00
15.	श्री हर दास आसुदानी	4,319.95
16.	श्री हीरालाल	805.00
17.	मै. कपूर कन्सट्रक्शन कं.	938.25
18.	श्री कामालुद्दीन	1,741.55
19.	श्री केवलराम आसरानी	200.200
20.	श्री किशन कुमार जैन	262.50
21.	श्री काना राम	700.00
22.	श्री लक्ष्मी अ. ठे. स. स.	200.00
23.	मै. मोती कन्सट्रक्शन क.	1,220.00
24.	श्री मूलचन्द कुमावत	4,016.10
25.	मै. मन्जु एजेन्सीज	500.00
26.	मै. मोती कन्सट्रक्शन कं.	4,350.00
27.	श्री नवल सिंह	600.00
28.	श्री नानगराम सैनी	1,256.50
29.	श्री पी. डी. लटवानी	2,380.00
30.	मै. प्रकाश कन्सट्रक्शन कं.	700.00
31.	मै. पंवार कन्सट्रक्शन	2,359.00
32.	मै. राजस्थान कन्सट्रक्शन	840.00
33.	श्री आर. टी. आसुदानी	802.75
34.	श्री आर. के. कासलीवाल	515.20
35.	मै. रामकिशोर कन्सट्रक्शन	575.00
36.	श्री नारायण अग्रवाल	2,464.00
37.	मै. सीमेन्ट प्रा. लि.	17,000.00

1	2	3
38.	श्रीमती शकुन्तला देवी माथुर	106.05
39.	श्री एस. एन. जिंदल	2,750.00
40.	श्री तेजूमल ठाकुरदास	934.50
41.	श्री आशा राम	375.00
42.	श्री अब्दुल रफीक	100.00
43.	श्री बूंटी राम	450.00
44.	श्री भंवर सिंह	200.00
45.	श्री भागीरथ सिंह	300.00
46.	श्री भगवती लाल	600.00
47.	श्री भंवर लाल	187.50
48.	श्री छगनलाल	500.00
49.	श्री दिलीप सिंह	500.00
50.	मै. दीवान सिंह फतेह सिंह	1,000.00
51.	मै. गुजराती ब्रिक्स	2,400.00
52.	श्री गिरधारी बलाई	100.00
53.	श्री हस्तीमल	200.00
54.	मै. हेमलता ब्रिक्स	200.00
55.	श्री हरदेव कुमावत	4,000.00
56.	श्री हाबू	150.00
57.	मै. कुमावत एण्ड ब्रदर्स	2,400.00
58.	श्री कालूभाई रुस्तम भाई	2,000.00
59.	मै. खटवानी ब्रिक्स	2,250.00
60.	श्री नेमी चन्द	150.00
61.	श्री राम सिंह	112.50
62.	श्री राम गोपाल	475.00
63.	श्री सतार	50.00
64.	श्री शम्भु सिंह	500.00
65.	श्री सुरेश के. बजी	100.00
	योग..	1,06,325.80

वर्ष 1982-83 (31.1.83 तक)) सार्वजनिक निर्माण विभाग
द्वारा ठेकेदारों के बिलों में काटी गई रोयल्टी की राशि

क्र.सं. 1	नाम ठेकेदार 2	राशि 3
1.	मै. अग्रवाल कोन्ट्रेक्टर	2,708.00
2.	म. आसुदानी कन्सट्रक्शन कं.	22.53

1	2	3
3.	श्री अजय सिंह चौहान	550.00
4.	मै. बी. आर. कान्ट्रेक्टर	12,018.00
5.	श्री वी. के. खुराना	1,382.00
6.	मै. भुरालाल ठाकुर दास	78.78
7.	मै. भुरालाल प्रेम कुमार	415.00
8.	श्री बालू राम	280.00
9.	श्री बाबू मोहम्मद	378.00
10.	श्री वेणराम	15.00
11.	श्री चिमन दास	226.00
12.	मै. चावला कन्सट्रक्शन कं.	1,107.00
13.	श्री चुन्नी लाल बेसावाल	2,523.00
14.	श्री छीतरमल	93.00
15.	मै. चौधरी कन्सट्रक्शन कं.	721.00
16.	श्री डूंगजी ठेकेदार	557.00
17.	श्री दुर्गालाल डाक	183.00
18.	मै. फ्रेन्ड्स कन्सट्रक्शन कं.	22.00
19.	श्री ज्ञान चन्द कुल्हर	2,333.00
20.	मै. गोयल कन्सट्रक्शन कं.	1,863.00
21.	श्री हरदास आसुदानी	8.00
22.	श्री हीरालाल रामस्वरूप	111.00
23.	श्री हरी सिंह केम	111.00
24.	मै. कपूर कन्सट्रक्शन कं.	413.00
25.	श्री किशन कुमार जैन	555.00
26.	श्री के. पी. सेट	488.00
27.	श्री किशन सिंह धनसिंह	3,986.00
28.	श्री एल. एम. भाटिया	207.00
29.	श्री लाल चन्द	101.00
30.	श्री मदन चन्द गंगवाल	1,820.00
31.	मै. मित्तल एण्ड कं.	110.00
32.	श्री माणक चन्द जैन	500.00
33.	श्री माणक चन्द डीडवानिया	2,993.00
34.	श्री मोहन लाल बन्सीवाल	393.00
35.	श्री मांगी लाल	914.00
36.	श्री मुरारीलाल गुप्ता	20.00
37.	श्री एम. एस. चावला	24.00
38.	श्री एन. एल. जैन	320.00
39.	मै. निर्मल कन्सट्रक्शन कं.	3.00
40.	श्री नाथूलाल खोरवाल	100.00
41.	मै. नवभारत कन्सट्रक्शन कं.	132.00
42.	श्री नूर मोहम्मद	66.00
43.	श्री नाथू लाल गोमा	80.00

1	2	3
44.	श्री ओम प्रकाश अग्रवाल	1,226.00
45.	श्री ओम प्रकाश लोढ़ा	557.00
46.	श्री प्रसन्न कुमार जैन	404.00
47.	श्री रूप सिंह झाला	1,530.00
48.	श्री रामेश्वर प्रसाद	171.00
49.	मै. राजन कन्सर्ट्रक्शन कं.	317.00
50.	श्री रमेश चन्द्र	50.59
51.	मै. रतन लाल रमेश चन्द्र	3,250.00
52.	श्री रामेश्वर लाल कालवार	192.00
53.	श्री रामेश्वर लाल रामस्वरूप	782.00
54.	श्री सरदार सिंह	879.00
56.	श्री सुजान मल गदिया	194.00
56.	श्री श्रीनारायण अग्रवाल	160.00
57.	श्री शफी मोहम्मद	1.00
58.	श्री एस. के. कुल्हर	292.00
59.	श्री सरदार सिंह ओड़	102.00
60.	मै. स्टार एण्ड कं.	1,342.00
61.	श्री उस्मान ठेकेदार	235.00
	योग..	52,264.90

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 79 का विवरण

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD (JAIPUR DISTT. CIRCLE)

STATEMENT SHOWING THE BILLS ISSUED BY R.S.E.B. & PAID BY M/S. SHIV TIN FACTORY, DAUSA FROM THE DATE OF CONNECTION

Month	Bills Issued		Deposited by the consumer		Balance	
	Board's Dues	Electy Duty.	Board's Dues.	Electy. Duty.	Board's Dues.	Electy. Duty
December, 73	107.70	1.21	107.70	1.21	—	—
January, 74	103.32	0.51	Not deposited		103.32	0.51
February, 74	102.51	0.12	204.62	1.84	—	—
March, 74	102.48	0.11	102.59	—	—	—
April, 74	164.51	0.25	164.51	0.25	103.49	(—)1.21
May, 74	103.49	0.21	Not deposited			(—)1.10
June, 74	82.23	0.11	386.13	—	185.72	(—)0.98
July, 74	201.50	0.12	1.61	—	1.09	(—)0.98
August, 74	1.50	—	—	—	0.98	(—) —
September, 74	1.50	—	Not deposited		1.50	(—)0.98
Octomber, 74	1.50	—	1.50	—	1.50	(—)0.98
November,74	1.50					
December, 74	6.96	0.26	7.74	—	(+)0.72	(—)0.98
January, 75	1.50	—	—	—	2.22	(—)0.72
February, 75	2.97	0.07	4.99	—	(—)0.27	(—)0.72
March, 75	1654.06	0.19	—	—	1654.44	(—)0.65
April, 75	1.50	—	—	—	1655.94	(—)0.46
May,75	7.48	0.26	—	—	1663.42	(-)0.20
June,75	1.50	—	—	—	1664.92	(-)0.20
July,75	10.70	0.40	—	—	1675.62	0.20
August,75	8.86	0.32	—	—	1684.48	0.52
September,75	22.20	0.90	—	—	1706.68	1.42
Octomber,75,	6.75	0.23	1713.53	1.13	(-)0.52	0.52
November,75	18.00	1.26	18.00	1.26	—	—
December,75	8.40	0.30	8.40	0.30	—	—
January,76	11.79	0.49	11.79	0.49	—	—
February,76	316.06	0.47	12.31	0.47	303.75	—
March,76	1846.23	5.52	Not deposited		2149.98	5.52
April,76	171.76	7.40	-do-		2321.68	12.92
May,76	32.55	1.35	-do-		2354.23	14.27
June, 76	14.61	0.57	2368.84	14.34	—	—
July,76	7.59	0.29	7.59	0.29	—	—
August,76	9.48	0.38	9.48	0.38	—	—
September.,76	4.44	0.14	4.44	0.14	—	—

259

Month	BILLS ISSUED		DEPOSITED BY THE CONSUMER		BALANCE	
	Board's Dues	Electy. Duty	Board's Dues	Electy. Duty	Board's Dues	Electy. Duty
Oct., 76	1.50	—	1.50	—	—	—
Nov., 76	4.44	0.14	4.44	0.14	—	—
Dec., 76	203.00	0 23	203.00	0.23	—	—
Jan., 77	203.00	—	203.00	—	—	—
Feb., 77	203.00	0.23	203.00	0.23	—	—
Mar., 77 Apr., 77	1464.45	0.05	Not deposited		1464.45	0.05
May., 77 June., 77	406.00	0.18	Not deposited		1870.45	0.23
July., 77	203.00	0.01	Not deposited		2073.45	0.24
Aug., 77	203.00	0.27	Not deposted		2276.45	-0.91
Sept., 77	203.00	.1.92	Not deposited		2479.45	2.03
Oct., 77	203.00	0.74	Not deposited		2682 45	2.77
Nov., 77	203.00	2.22	Not deposited		2885.45	4.99
Dec., 77	228.96	8.07	Not deposited		3114.41	13.06
Jan., 78	203.00	5.55	Not deposited		3317.41	18.61
Feb., 78	203.00	1:50	Not deposited		3520.41	20.11
Mar., 78	203.00	0.04	Not deposited		3723.41	20.15
Apr., 78	203.00	—	Not deposited		3926.41	20.15
May, 78	203.00	0.08	Not deposited		4129.41	20.23
June, 78	203.00	0.03	Not deposited		4332.41	20.26
July, 78	203.00	—	Not deposited		4535.41	20.26
Aug., 78	203.00	0.11	Not deposited		4738.41	20.37
Sept., 78	203.00	—	Not deposited		4941.41	20.37
Oct., 78	203.00	0.06	Not deposited		5144.41	20.43
Nov., 78	203.00	0.04	Not deposited		5347.41	20.47
Dec., 78	203.00	1.06	Not deposited		5550.41	21.53
Jan., 79	203.00	4.17	Not deposited		5753.41	25.70
Total ..	11507.48	48.72				

260

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 81 का विवरण

प्रपत्र 'अ'

पंचायत समिति, सुल्तानपुर एवं पंचायत समिति, सांगोद में वर्तमान में अवसायाधीन सहकारी समितियों का विवरण:–

क्र.संख्या	नाम समिति 1	अवसायन में आने का दि. 2	अवसायन अवधि में किये गये कार्य की प्रगति 3
पंचायत समिति, सांगोद:			
1.	झोंपड़िया कन्दापल ग्रामसेवा सह.समिति 128/ आर.	10-11-76	13122/- रु. में से 723/- रु. की वसूली की गई ।
2.	आंबा शिव घाणी तेल उत्पा. सह. समिति, 1345/ -आर.	17-11-69	3655/ - रु. की वसूली के प्रयास किये किन्तु वसूली नहीं हो सकी।
3.	बैंकटेश्वर सांगोद तेल घाणी सह.समिति लि., 1618/ आर.	22-7-82	11,000/ -रु. की वसूली के प्रयास किये किन्तु वसूली नहीं हो सकी।
4.	सांगोद पं. स. कर्मचारी सह. समिति, 1832/ आर.	28-9-79	10046/ - रु. में से 1520/ -रु. की वसूली हुई।
5.	आलोक शिक्षा विभाग कर्म सह. स., 1829/ आर.	30-7-79	6429/- रु. में से 2074/- रु. की वसूली हुई।
पंचायत समिति, सुल्तानपुर			
6.	दरबीजी कुशल ऋणदात्री सह. समिति, 1194/ आर.	5-11-71	120560/ - रु. में से 39071/ -रु. की वसूली की गई।
7.	सुल्तानपुर तेल घाणी सह. समिति, 1769/ -आर	30-12-72	3682/ -रु. में से 2239/ -रु. की वसूली की गई।
8.	बूढादीत तेल घाणी सह. समिति, 1294/ -आर.	30-12-72	11675/ -रु. में से 4718/ -रु. की वसूली हुई

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 82 की सूची

परिशिष्ट-क

आई. सी. डी. एस. योजना, चाकसू में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत व खर्च की गई धनराशि की मदवार तालिका:—

वेतन व आंगनवाडी साज-सामान

वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय
80–81	82,500	83,700
81–82	2,04,300	1,98,800
82–83	3,39,000	2,37,800
योग..	6,25,800	5,20,300

2. प्रौढ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षारता योजना:—

(घ) परिवार और बाल कल्याण (12) प्रौढ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य आयोजना।

80–81	21,800	29,500
81–82	55,400	48,000
82–83	53,300	30,900
योग..	1,30,500	1,08,400

3. पोषाहार (लोकल फूड):

शहरी गन्दे क्षेत्रों में बच्चों के पोषाहार क्रेश प्रोग्राम खाद्यान्न एवं अन्य व्यय (आयोजना व्यय)

80–81	37,000	37,000
81–82	1,65,000	1,06,850
82–83	3,50,000	38,100*
योग..	5,52,000	1,81,850

*व्यय कम होने का प्रमुख कारण गत वर्ष क्रय किये गये खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना है।

परिशिष्ट "ख"

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, चाकसू (जयपुर) में आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची :–

क्र. सं.	आंगनवाड़ी केन्द्र (गांव)	
1.	पदमपुरा	1
2.	रामपुरा बास ..	1
3.	रायपुरा खुर्द ..	1
4.	बरखेड़ा	1
5.	डाहरसालग रामपुरा	1
6.	शिवदासपुरा ..	1
7.	यारलीपुरा ..	1
8.	काठावाला ..	1
9.	भादडवास ..	1
10.	आकोडिया ..	1
11.	निमोडिया ..	2
12.	गणेशपुरा	1
13.	छाटेल	1
14.	रामनिवासपुरा ..	1
15.	खाजलपुरा ..	1
16.	केशवपुरा ..	1
17.	नया निमोडिया ..	1
18.	नारिया का बास ..	1

चन्द लाई एरिया

क्र. सं.	आंगनवाड़ी केन्द्र (गांव)	
19.	चन्दलाई	4
20.	उदयपुरिया ..	1
21.	ब्रजनाथपुरा ..	1
22.	तीतरिया	2
23.	कुमहारिया बास ..	1
24.	बाजडोली ..	1
25.	फतेहपुरा	1
26.	सिमलियाबास ..	1
27.	टूटोली ..	1
28.	बाढबागपुरा ..	1
29.	थली	2
30.	काटेडी ..	2

क्र. सं.	आंगनवाड़ी केन्द्र (गांव)	
31.	भोज्यावाडा ..	1
32.	देवकिशनपुरा ..	1

चाकसू एरिया

क्र. सं.	आंगनवाड़ी केन्द्र (गांव)	
33.	चाकसू	2
34.	जयसिंह पुरा ..	1
35.	गिरधारीलालपुरा ..	1
36.	मण्डालिया मेंदा ..	1
37.	कोथून	2
38.	सावलिया ..	1
39.	कनकटा	1
40.	अणतपुरा	1
41.	बडली	1
42.	खेडालदाना ..	1
43.	टूमली का बास ..	1
44.	हिंगोनिया ..	1
45.	आनन्दरामपुरा ..	1
46.	तामडिया ..	1
47.	माधोसिंहपुरा ..	1
48.	थूनीअहिरान ..	1
49.	रुपबास	1
50.	डूसरी ..	1
51.	करेडाखुर्द ..	1
52.	खेजडी बुजर्ग ..	1
53.	मुण्डिया खुर्द ..	1

कोटखावदा एरिया "ए"

क्र. सं.	आंगनवाड़ी केन्द्र (गांव)	
54.	कोटखावदा ..	4
55.	हरिनारायणपुरा ..	1
56.	रुपाहेडी	1
57.	थूनी मंगलदास ..	1
58.	अचलपुरा ..	1

क्र. सं.	आंगनवाड़ी केन्द्र	(गांव)
59.	राडोली ..	1
60.	बापूगांव	2
61.	कोलिया ..	1
62.	वडोदिया ..	1
63.	माधोपुरा ..	1
64.	महादेवपुरा	1
	कोटखावदा एरिया "ब"	
65.	जगदीशपुरा	1
66.	रामचन्द्रपुरा	1
67.	खेडारानीवास	1
68.	रामनगर	1
69.	नरोत्तमपुरा	1
70.	हरिपुरा (6 'ए')	1
71.	चीमापुरा	1
72.	गरुड़वासी ..	2
73.	रलावता ..	1
74.	ठीकरिया मीणान	1
75.	ठीकरिया गुजरान	1

क्र. सं.	आंगनवाड़ी केन्द्र	(गांव)
76.	बालमुकुन्दपुरा	1
77.	इहलाला ..	1
	चन्दलाई एरिया	
78.	रामनगर ..	1
79.	कृपारामपुरा	1
	(चन्दलाई)	
80.	हरिनारायणपुरा	1
81.	ताजखोंकाबास	1
82.	खेडा जगन्नाथपुरा (प. बडोदिया में)	1
83.	महाराजपुरा	1

नोट:—इनमें से 3 आंगनवाडी कार्यकर्ता के केन्द्र से त्यागपत्र देने के कारण बन्द हैं जिनकी जगह अभी कार्यकर्ता की नियुक्ति की कार्यवाही जारी है ।

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 83 की प्रति

कार्यालय अधीक्षिका, उत्तर रक्षा-गृह (महिला), अजमेर

क्रमांक: 830 दिनांक: 15-12-82

श्री थाना प्रभारी,
थाना राम गंज, अजमेर ।

विषयः—उत्तर रक्षा-गृह की (महिला) की आवासिनियों का पता लगाने बाबत ।

महिला आश्रम-गृह, अजमेर की पांच आवासनियां रात्रि समय पलायन कर गयी हैं । एक लड़की सांवली लम्बी है, नाम है शान्ता, दूसरी गोरी, पतली, नाम लीला, तीसरी मोटी काली, ठिगनी, नाम मुमताज । चौथी काली, मोटी, मध्यम कद, नाम शशी, पांचवी गोरी मध्यम कद, नाम लक्ष्मी । पांचों आवासनियों के बाल सामने से कटे हैं । सभी सरकारी खादी ड्रेस में हैं । शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें ।

हस्ताक्षर

अधीक्षिका,
उत्तर रक्षा-गृह, अजमेर ।

क्रमांक: 842 दिनांक: 16-12-82

श्री थानाधिकारी जी,
थाना रामगंज, अजमेर ।

विषय:—गृह से पलायन हुई आवासनियों द्वारा अपने साथ सरकारी सामान ले जाने बाबत ।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि दिनांक 14-12-82 को गृह की पांच आवासनियों (1) लीला (2) मुमताज (3) शान्ता (4) शशि (5) लक्ष्मी रात्री को पलायन करते समय निम्नलिखित सरकारी सामान लेकर चली गई ।

1.	कम्बल	4 (चार) नग-(3 नई एक पुरानी)
2.	खेश	2 (दो) नग
3.	दरी लाल रंग की	1 (एक) नग
4.	चद्दर प्रिंट	4 (चार) नग
5.	तकिया	2 (दो) नग
6.	तकिया कंवर ..	3 (तीन) नग
7.	गर्म कोट (जाकेट)	3 (तीन) नग
8.	कटोरी पीतल की . ..	3 (तीन) नग
9.	गिलास पीतल की . ..	3 (तीन) नग
10.	थाली पीतल की	1 (एक) नग

इसके अलावा पहिनने के कपड़े दो-दो जोड़े साड़ी 10 नग पेटीकोट, 10 नग ब्लाउज, 10 नग चप्पल जोड़ा, 5 नग पुरानी अपने साथ ले गई हैं । अन्य आवासनियों का सामान भी अपने साथ लेकर गई है । जो निम्न है ।

1.	साड़ी	3 (तीन) नग
2.	पेटी कोट	2 (दो) नग
3.	वक्सा लोहे का	1 (एक) नग
4.	चप्पल जोडा	2 (दो) नग

कृपया उक्त आवासनियों की तलाश के साथ ही उपरोक्त सामान तलाश कर कष्ट करें ।

एस. ह

अधीक्षिका,
उत्तर रक्षा-गृह (महिला),
समाज कल्याण विभाग, अजमेर ।

सत्य प्रतिलिपि :—
सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, अजमेर (राज.) ।

Page No 266

266

[redacted]

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 85 का विवरण

ट्रैफिक पुलिस, अजमेर द्वारा माह जनवरी, 1983 में किये गये चालानों का विस्तृत विवरण

क्र. सं.	आटो-रिक्शा का पंजियांक		चालान करने का कारण	वसूल की गई जुर्माने की राशि
1	2		3	4
1.	आर. एस. जेड.	9759	मीटर चालू नहीं था	100.00
2.	,,	8680	,,	100.00
3.	,,	282	टोकन, फिटनेस	251.00
4.	,,	7995	मीटर चालू नहीं था	100.00
5.	,,	9883	,,	100.00
6.	,,	4345	मीटर, फिटनेस	200.00
7.	,,	9056	,,	200.00
8.	,,	5823	मीटर चालू नहीं था	100.00
9.	,,	7884	,,	100.00
10.	,,	9084	,,	100.00
11.	,,	6507	मीटर, फिटनेस	200.00
12.	आर आर जेड.	2559	,,	200.00
13.	आर. एस जेड	9958	मीटर टोकन	151.00
14.	,,	9982	मीटर चालू नहीं था	100.00
15.	आर आर जेड.	1493	,,	100.00
16.	आर आर जे.	27	,,	100.00
17.	आर. जे. जेड.	9744	,,	100.00
18.	आर. एस. जेड.	8438		100.00
19.	,,	3684		100.00
20.	,,	6175	टोकन, फिटनेस	251.00
21.	,,	9766	मीटर चालू नहीं था	100.00
22.	,,	6093	,,	100.00
23.	,,	4196	,,	100.00
24.	आर. आर. जेड	1757	,,	100.00
25.	आर. आर. जेड.	440	,,	100.00
26.	आर. एस. जेड	6228		100.00
27.	,,	6797	,,	100.00
28.	आर. जे. ई.	3219	,,	100.00
29.	आर. एस. जेड.	8704	,,	100.00
30.	,,	6261	फिटनेस	200.00
31.	आर. एस. जेड.	328	फिटनेस	200.00

1	2		3	4
32.	आर. जे. जेड.	9952	मीटर चालू नहीं था	100.00
33.	आर. एस. जेड.	9099	,,	100.00
34.	,,	8984	,,	100.00
35.	,,	6295	मीटर फिटनेस	200.00
36.	,,	647	मीटर चालू नहीं था	100.00
37.	,,	8735	मीटर फिटनेस	200.00
38.	,,	6545	,,	200.00
39.	,,	261	,,	100.00
40.	,,	8738	,,	100.00
41.	आर. एस. जेड.	9927	,,	100.00
42.	आर. एस. जेड.	9805	मीटर चालू नहीं था	100.00
43.	आर. एस. जेड.	9720	,,	100.00

भाग (ख.)—ट्रैफिक पुलिस, अजमेर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत चालान

क्र. सं.	आटोरिक्शा का पंजियांक		चालान करने के कारण	वसूल की गई जुर्माने की राशि
1	2		3	4
44.	आर. एस. जेड.	4299	कागजात नहीं होने की वजह से	30.00
45.	,,	7157	,,	विचाराधीन
46.	,,	8781	,,	विचाराधीन
47.	,,	1696	,,	25.00
48.	,,	4217	,,	15.00
49.	,,	6185	,,	30.00
50.	,,	8027	,,	15.00
51.		3405	,,	20.00
52.	आर. जे. जेड.	9991	,,	विचाराधीन
53.	आर. एस. आर.	7914	,,	15.00
54.	आर. एस. जेड.	8303	,,	विचाराधीन
55.	,,	8265	,,	विचाराधीन
56.	,,	9025	,,	विचाराधीन
57.	,,	8680	,,	25.00
58.	,,	281	,,	20.00
59.	,,	3860	,,	10.00
60	,,	6797	,,	20.00
61.	,,	4348	,,	विचाराधीन
62.	,,	8537	,,	15.00
63.	आर. जे. जेड.	9945	,,	20.00
64.	आर. एस. जेड.	637	,,	20.00
65.	आर. जे. जेड.	9720	,,	20.00
66.	आर. एस. आर.	8819	,,	20.00
67.	आर आर जेड.	341	,,	विचाराधीन
68.	आर एस जेड.	9056	,,	विचाराधीन
69.	,,	8575	,,	विचाराधीन
70.	,,	3978	,,	20.00

1	2		3	4
71.	ग्रार. एस. जेड.	9399	कागजात नहीं होने की वजह से	विचाराधीन
72.	,,	385	,,	विचाराधीन
73.	आर. आर जेड.	2598	,,	विचाराधीन
74.	आर. एस. जेड.	7631	,,	विचाराधीन
75.	,,	5266	,,	विचाराधीन
76.	,,	9984	,,	विचाराधीन
77.	आर. आर. जेड.	907	,,	विचाराधीन
78.	आर. जे. जेड.	9952	,,	विचाराधीन
79.	आर. एस. जेड.	384	,,	विचाराधीन
80.	,,	3769	,,	50.00
81.	आर.एस.जेड.	3863	,,	30.00
82.	,,	6803	,,	40.00
83,	,,	6482	,,	70.00
84.	,,	4355	,,	20.00
85	,,	9361	,,	20.00
86.	,,	314	,,	20.00
87.	,,	3779	,,	20·00
88.	,,	4368	,,	विचाराधीन
89		9805	,,	20 00
90.	,,	1912	,,	50 00
91.	,,	8021	,,	70 00
92.	,,	1747	,,	50.00
93.	,,	1755	,,	50.00
94.	,,	9361	,,	30.00
95.	,,	7629	,,	30.00
96.	,,	8683	,,	विचाराधीन
97.	,,	1760	,,	40.00
98.	,,	314	,,	विचाराधीन
99.	आर.आर.जेड.	2535	,,	20.00
100.	आर.एस.जेड.	637	,,	20.00
101.	,,	3079	,,	विचाराधीन
102.	,,	1747	,,	विचाराधीन
103.	,,	9757	,,	विचाराधीन
104.	,,	3683	,,	20.00
105.	,,	4216	,,	विचाराधीन
106.	,,	4247	,,	विचाराधीन
107.	,,	385	,,	विचाराधीन
108.	,,	85	,,	20.00
109.	,,	8303	,,	20.00
110.	आर.आर.जेड.	50	,,	15.00
111.	आर.एस.जेड.	6837	,,	15.00
112.	आर.एस.जेड.	8433	,,	15.00

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 87 का विवरण

कोटा–सांगोद मार्ग का संचालन एवं समय पावन्दी विवरण-पत्र माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1982

क्र. सं.	मार्ग का नाम	प्रस्थान समय	माह अक्टूबर, 82 देरी से प्रस्थान यान्त्रिक	याता	परि	कुल प्रस्थान	समय पर	माह नवम्बर, 82 देरी से प्रस्थान यान्त्रिक	याता	परि	कुल प्रस्थान	समय पर	माह दिसम्बर, 82 देरी से प्रस्थान यान्त्रिक	याता	परि	कुल प्रस्थान	समय पर
1.	कोटा–राजगढ़	0630	7	—	6	13	16	15	—	1	16	11	7	—	6	13	18
2.	राजगढ़–कोटा	0800	—	—	—	—	29	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—
3.	कोटा–बपावर	0745	12	—	6	18	13	11	—	2	13	13	13	—	2	15	15
4.	बपावर–दरा	1230	—	—	—	—	31	—	—	—	—	26	—	—	—	—	30
5.	दरा–खानपुर	1530	—	—	—	—	31	—	—	—	—	26	—	—	—	—	30
6.	खानपुर–दरा	0700	—	—	—	—	31	—	—	—	—	26	—	—	—	—	30
7.	दरा–बपावर	1200	—	—	—	—	31	—	—	—	—	26	—	—	—	—	30
8.	बपावर–कोटा	1400	—	—	—	—	31	—	—	—	—	26	—	—	—	—	30
9.	कोटा–बपावर	1700	वाहन संचालित नहीं की गई					8	—	—	8	—	15	—	1	16	10
10.	बपावर–कोटा	0600	वाहन संचालित नहीं की गई					—	—	—	—	8	—	—	—	—	26
11.	कोटा–कुन्जेड	1515	23	—	2	25	3	15	—	1	16	2	20	—	—	20	9
12.	कुन्जेड–कोटा	0700	—	—	—	—	28	—	—	—	—	18	—	—	—	—	29
13.	कोटा–इकलेरा (सांगोद)	1230	21	—	3	24	6	18	—	2	20	10	13	—	4	17	13
14.	इकलेरा–कोटा (सांगोद)	0700	—	—	—	—	30	—	—	—	—	30	—	—	—	—	30

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 89 का विवरण

कोटा जिले में स्थित देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिरों के जिर्णोद्धार हेतु विगत पांच वर्षों में स्वीकृत राशि के उपयोग का मानचित्र

क्र. स.	वर्ष	नाम मन्दिर	स्वीकृत राशि	माध्यम		योग
				सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपयोग में लायी गयी राशि	विभागीय स्तर पर उपयोग में लायी गयी राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1.	78–79	1. नीलकण्ठ महादेव	5,000		–	
	,,	2. रामचन्द्रजी लाडपुरा	20,000		–	
	,,	3. बावाजी राज-मांगरोल	10,000		–	
	,,	4. डाडदेवी जी	4,000		–	
	,,	5. बालाजी रंगबाडी	2,000	41,000	–	41,000
2.	79–80	1 डाडदेवी माताजी	20,000		–	
	,,	2. बालाजी रंगबाडी	20,000		–	
	,,	3. कृष्णाई माताजी	20,000		–	
	,,	4. परचूनी धुलाई पुताई हेतु	5,000	65,000	–	65,000

Page No 271

3.	80–81	1. मुरली मनोहर जी रामपुरा	1,000	—		
	,,	2. सूर्यनारायण जी अमर निवास	1,000	—		
	,,	3. चन्द्रमोलेश्वर जी वून्दी वावड़ी	1,000	—		
	,,	4. गोराजी गढ़	1,000	—		
	,,	5. गोवर्धन नाथजी अन्सा	1,000	—		
	,,	6. रामचन्द्र जी लाडपुरा	1,000	—		
	,,	7. श्री करणी माताजी	1,000	—		
	,,	8. दाऊ जी नान्ता	1,000	—		
	,,	9. कर्णेश्वर महादेव कंसवा	1,000	—		
	,,	10 डाडदेवी माता जी	21,000	—	10,000	10,000
4.	81–82	1. वृजनाथ जी	5,000	—		
	,,	2. वृजराज जी	2,000	—		
	,,	3. कुंज विहारी जी	5,000	—		
	,,	4. गुरू मयुरेशजी	5.000	—		
	,,	5. सूरजपाल छत्री	5,000	—		
	,,	6. नवनीत पिगयाजी	5,000	—		
	,,	7. दाऊ जी सूरजपोल	5,000	—	32,000	32,000
5.	82–83	1. गोवर्धन नाथ जी	4520	—		
	,,	2. करणी माता जी	4100	—		
	,,	3. श्री रंगनाथ जी	1600	—	10,220	10,220

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 91 का मान चित्र

सूची देवस्थान विभाग, झालावाड़ के नियंत्रण मंदिरान की

क्र. संख्या	नाम मन्दिर व पता	श्रेणी मन्दिर	भूमि	कब्जा जिसका है	विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही
1.	मं. बाग पीपानन्द जी	प्रत्यक्षप्रभार	65 बीघा	श्री भवानीदास भू. पू. पुजारी एवं श्री सार्दूलसिंह वगैरह	सहायक आयुक्त देवस्थान, कोटा से इसके काफी पुराने कब्जे के मामले के रेकार्ड की तलाश कराई जा रही है।
2.	मं. श्री रामजी ग्राम सेनेल	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार	25 बीघा 3 बिस्वा	श्री लक्ष्मीकांत पुजारी अवैतनिक	भूमि का उपयोग पुजारी द्वारा वंश परम्परानुसार किया जाता है।
3.	मं. श्री मेरतनजी	,,	11 बीघा 11 बिस्वा	श्री कंवरलाल/ जाति माली	रेवन्यू अपीलान्ट कोटा में वाद चल रहा है।

परिशिष्ट 17

परिशिष्ट 1(क)

अतारांकित प्रश्न संख्या 92 का विवरण

जिला कोटा स्थित राजकीय मन्दिरान के भवनों की सूची जहां मन्दिर व भवन स्थित है:—

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिरान :

क्रम. संख्या	नाम मन्दिर स्थान सहित
1.	मन्दिर बृजनाथजी, गढ, कोटा
2.	मन्दिर श्री नवनीत प्रिया जी, गढ, कोटा ।
3.	मन्दिर श्री बृजराय जी, गढ, कोटा ।
4.	मन्दिर श्री धरुमथरेश जी, गढ, कोटा ।
5.	मन्दिर श्री मोकपेश्वर महादेव, गढ कोटा ।
6.	मन्दिर श्री लाड गोपालजी, कोटा ।
6.	मन्दिर श्री गोर्धन धारी जी, गढ; कोटा ।
7.	मन्दिर श्री झालेश्वर महादेव, गढ, कोटा ।
8.	मन्दिर श्री नित्य नियम जी, गढ, कोटा ।
9.	मन्दिर श्री अन्नदाता जी, गढ, कोटा।
10.	मन्दिर श्री गोराजी, गढ, मंडाना, कोटा ।
11.	मन्दिर श्री कोटिया भैरु जी, गढ, कोटा ।
12.	मन्दिर श्री सूर्यनारायण जी, अमर निवास, कोटा ।
13.	मन्दिर श्री नील कंठ महादेव जी, किशोरपुरा दरवाजा, कोटा ।
14.	मन्दिर श्री फूल बिहारी जी, पाटन पोल, कोटा ।
15.	मन्दिर श्री दाऊजी सूरज पोल कोटा ।
16.	मन्दिर श्री रामचन्द्र जी, लाडपुरा, कोटा ।
17.	मन्दिर श्री बाला जी, रंगबाडी, कोटा ।
18.	मन्दिर श्री डाढ देवी माता जी, उम्मेदगंज, कोटा ।
19.	मन्दिर श्री करणी माता जी, अभेडा, कोटा ।
20.	मन्दिर श्री कर्णेश्वर महादेव, कन्सुबा, कोटा ।
21.	मन्दिर श्री दाऊजी, नान्ता, कोटा ।
22.	मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी, दीपपुरा, कोटा ।
23.	मन्दिर श्री चन्द्रभोलेश्वर जी, बून्दी बावडी, कोटा ।
24.	मन्दिर श्री काकाजी राज भोपाल सिंह, अन्ता, कोटा ।
25.	मन्दिर श्री गोर्धन नाथ जी, अन्ता, कोटा ।
26.	मन्दिर श्री बावाजी राज, मांगरोल, कोटा ।
27.	मन्दिर श्री कृष्णाई माता जी, रामगढ़, कोटा ।

[redacted]

274

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय आत्म निर्भर मंदिरों एवं संस्थानों की सूची-

जिला कोटा

क. संख्या	नाम मन्दिर व संस्थान	पता	स्थान	जिला
1.	मंदिर श्री मूजाजी का अस्थल ..	मोखापाड़ा	कोटा	कोटा
2.	मंदिर श्री कल्याण राय जी (श्री जी)	कस्बा बारां	कस्बा बारां, तहसील बारां	कोटा
3.	मंदिर श्री प्यारेराम जी अनन्तराय जी व लक्ष्मीनारायण जी	,,	,,	कोटा

जिला कोटा में स्थित राजकीय मन्दिरों में रह रहे किरायदारान की सूची—

क्र. सं.	नाम किरायेदार	नाम मन्दिर	किराये की मासिक राशि	कब से किराये पर है	बकाया राशि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री घनश्यामलाल	मंदिर श्री दाऊजी, सूरजपोल, कोटा	43-00	1-7-67	129-00	दिनांक 1-11-82 से बकाया है।
2.	श्री अनन्तराम	,,	34-00	—	—	राशि बकाया नहीं।
3.	श्रीमती मथरी बाई	,,	26-00	27-10-66	1209-00	दिनांक 16-9-82 से को मकान खाली कर दिया गया है, एल. आर. एक्ट के किरायों की वसूली की जा रही है।
4.	श्री दुर्गाशंकर	,,	16-00	मन 67	,,	किराया बकाया नहीं है।
5.	श्री आलूदास सिंधी	,,	42-00	1-9-72	976-00	दिनांक 1-10-50 से बकाया।
6.	श्री यू. एच. सूरी	,,	40-00	1-9-72	,,	—
7.	श्री भगवानदास	मंदिर श्री कुंजविहारीजी, कोटा	40-00	1-1-74	,,	—
8.	श्री अमर सिंह स. अ.	,,	46-00	1-11-82		
9.	श्री मदन सिंह	,,	19-00	1-6-80	,,	—
10.	श्री यतीन्द्र बाल मंदिर					
11.	श्री करुणाशंकर	,,	23-00		58-00	दिनांक 1-3-81 को मकान खाली कर दिया है।
12.	श्री रामस्वरूप शृंगी	,,	76-00	12-2-76	675-00	दिनांक 31-12-77 को खाली कर दिया।
13.	श्री नानक राम शर्मा	,,	46-00	10-2-79	152-00	दिनांक 5-4-79 को खाली कर दिया।
14.	श्री शान्ति चन्द्र	,,	10-00	1-6-76	90-00	दिनांक 26-2-77 को खाली कर दिया।
15.	श्री बाबूलाल गर्ग	,,	,,	—	718-00	

1	2	3	4	5	6	7
16.	सहायक कर्मचारी, कोटा	मंदिर श्री रामचन्द्र, लाडपुरा, कोटा	13-00	1-6-75	546-00	31-12-73 को खाली कर दिया।
17.	श्री रविन्द्र बाल विद्या मन्दिर, लाडपुरा	मन्दिर श्री रामचन्द्र, लाडपुरा, कोटा	150-00	1-7-69	1415-69	किराया निस्तारण की तारीख 1-7-78 से बढ़े हुये किराये का 50 प्रतिशत के हिसाब से बकाया।
18.	श्रीमती धुनकवर	,,	193-00	1-10-65	1107-00	अप्रैल, 82 से बकाया, न्यायालय में स्टे।
[illegible]	श्री नन्द लाल	,,	16-50	15-8-61	16-50	जनवरी, 83 के बकाया।
	श्रीमती रतनबाई	मन्दिर श्री दाऊजी, नान्ता	150-00	,,	1822	दिनांक 1-1-81 को मकान खाली कर दिया।
	सूरज प्रकाश	मन्दिर श्री रामचन्दजी, लाडपुरा"	107-00	16-10-71	5150-00	दिनांक 1-7-78 से नई दर से बकाया, न्यायालय द्वारा स्टे।
	श्रीमती वाली भालन	,,	21-00	5-9-62	1030-00	,,
	श्रीमती गोपी बाई	,,	47-00	1-2-59	2410-50	,,
4.	श्री मुकुटबिहारी	,,	24-00	16-2-59	680-00	जून से बकाया।
25.	श्री हनवन्त सिंह	,,	20-00	1-7-80	120-00	अगस्त, 80 से बकाया।
26.	श्री छगन लाल भाई	,,	,,	27-7-82		किराया निर्धारण नहीं हुआ।
27.	श्री कैलाश चन्द	मंदिर श्री दाऊजी, नान्ता	25-00	12-1-74	250-00	अप्रेल, 82 से बकाया।
28.	,,	,,	71-00	26-8-80	710-00	,,